



भारत के नियन्त्रक-सहायक-परिषद्

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 3

(द्विचिह्न)

विद्यालय कक्षा संस्थाएँ







भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 3

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार



विषय-सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		(vii)
विहंगावलोकन		(ix)...(xxix)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के लेखे

प्रस्तावना	1.1	1
सारांशित वित्तीय स्थिति	1.2	2
परिसम्पत्तियां एवं दायित्व	1.3	11
राजस्व प्राप्तियां	1.4	13
राजस्व व्यय	1.5	19
पूजीगत व्यय	1.6	24
घाटा	1.7	26
लोकन्रण	1.8	27
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट	1.9	30
जमा शीर्षों का अनुचित कार्यचालन	1.10	32

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

बजट एवं व्यय	2.1	38
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	38
विभागीय आंकड़ों का समाधान	2.3	47
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.4	47
बजट क्रियाविधि तथा व्यय-नियंत्रण	2.5	50

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

उद्योग विभाग		
उद्योग विभाग का कार्यचालन	3.1	58
राजस्व विभाग		
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3.2	85

	परिच्छेद	पृष्ठ
सरकारी वाहनों की संस्वीकृति, उपाजन व प्रयुक्ति	3.3	97
सरकारी लेखे में जमा न करवाई गई ब्याज प्राप्तियां	3.4	107
दोषपूर्ण अनुबन्ध के कारण परिहार्य व्यय	3.5	109
क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का अनधिकृत मदों हेतु विचलन	3.6	109
विकास कार्य को आरम्भ न करने से निधियों का अवरोधन	3.7	110
ग्रामीण विकास विभाग		
विकास कार्यों की अपूर्णता	3.8	111
वन कृषि एवं संरक्षण विभाग		
हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत जलविभाजक विकास परियोजना (कण्डी परियोजना)	3.9	112
शिक्षा विभाग		
सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	3.10	132
निःशुल्क वितरण हेतु पाठ्य-पुस्तकों की अधिक खरीद	3.11	154
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में शल्यागार की अप्रयुक्ति	3.12	155
सामान्य प्रशासन विभाग		
हैलीकॉप्टर की खरीद तथा उपयोग पर परिहार्य व्यय	3.13	156
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3.14	158
सचिवालय प्रशासन विभाग		
वाहनों का दुरुपयोग	3.15	159
विविध विभाग		
बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन	3.16	160
दुर्विनियोग, गबन आदि	3.17	163
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.18	164

चौथा अध्याय
निर्माणकार्य व्यय

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन	4.1	165
हिमाचल प्रदेश में मलव्यवस्था स्कीमें	4.2	182
लिफ्ट जलापूर्ति स्कीम, नेरी चम्बोह की विफलता	4.3	193
पाइपों के संभरण तथा बिछाने पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.4	194
संघारित्र को न लगाने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.5	195
लिफ्ट सिंचाई स्कीम, मानगढ़ की प्रारम्भ से सिंचाई उपलब्ध करवाने में विफलता	4.6	195

	परिच्छेद	पृष्ठ
लिफ्ट सिंचाई स्कीम, आरनियाला के दोषपूर्ण निर्माण के कारण आरम्भ न होना	4.7	196
लिफ्ट सिंचाई स्कीम, घलौर के पुनर्निर्माण पर निरर्थक व्यय	4.8	197
सेचक प्रणाली पर निष्क्रिय निवेश	4.9	198
डीजल जेनरेटिंग सैटों का अविवेकपूर्ण उपार्जन	4.10	198
सिंचाई स्कीमों की विफलता	4.11	199
लोकनिर्माण विभाग		
ठेकेदारों से सामग्रियों की लागत तथा अन्य देय राशियों की वसूली न होना	4.12	201
अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का अस्वीकार्य भुगतान	4.13	203
वायर-क्रेटों पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.14	203
संविदा के निरसन में अनियमितताएं तथा ठेकेदार को अनुचित सहायता	4.15	204
कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण प्रतिपूर्ति तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.16	205
अनुचित योजना के कारण सड़कों की प्रयुक्ति में विलम्ब	4.17	206
ठेकेदारों को अनुचित सहायता	4.18	207
पुल निर्माण में सात वर्षों का विलम्ब तथा अतिरिक्त परिहार्य व्यय	4.19	209
पुल के अनुरक्षण में असावधानी के कारण इसका टूटना	4.20	210
सड़क निर्माणकार्यों पर निष्फल व्यय	4.21	210


**पाँचवां अध्याय
भण्डार एवं स्टॉक**

लोकनिर्माण विभाग		
सामग्री की संदेहास्पद खपत	5.1	212
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग		
प्रमुख अभियन्ता द्वारा सामग्री का अनौचित्यपूर्ण क्रय	5.2	213
अप्रयुक्त भण्डार	5.3	214
उद्यान विभाग		
भण्डार एवं स्टॉक लेखे	5.4	216
लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग		
सामग्री जारी करने में अनियमितताएं	5.5	221
शिक्षा विभाग		
टाट-पट्टी की अधिक खरीद पर अपव्यय	5.6	222

	परिच्छेद	पृष्ठ
छठा अध्याय		
स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता		
सामान्य	6.1	224
ग्रामीण विकास विभाग		
मरुस्थल विकास कार्यक्रम	6.2	228
गांधी कुटीर योजना के अन्तर्गत अस्वीकार्य सहायता	6.3	246
जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा वाहनों की अनधिकृत खरीद	6.4	246
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग		
हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास प्राधिकरण	6.5	247
वन कृषि एवं संरक्षण विभाग		
प्रशिक्षित विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग न करना	6.6	249
अनुदान	6.7	250
सामान्य प्रशासन विभाग		
अनुदान	6.8	252

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले	257
परिशिष्ट-II	निधियों का अभ्यर्पण	258
परिशिष्ट-III	वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं	259
परिशिष्ट-IV	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले	260
परिशिष्ट-V	अप्रयुक्त प्रावधानों को दशनि वाले ब्यौरे	262
परिशिष्ट-VI	लागत मानकों से अधिक निष्पादित कार्य-कलापों पर अतिरिक्त व्यय	263
परिशिष्ट-VII	कार्यान्वयन हेतु बकाया पड़ी लोक लेखा समिति की सिफारिशों का विवरण	267
परिशिष्ट-VIII	अप्रयुक्त सामग्री के ब्यौरे दशनि वाली विवरणी	270
परिशिष्ट-IX	वन भूमि पड़ने के कारण ठप्प पड़े सड़क निर्माणकार्यों को दशनि वाली विवरणी	271
परिशिष्ट-X	निजी भूमि तथा अन्य कारणों से ठप्प पड़े सड़क निर्माणकार्यों को दशनि वाली विवरणी	272
परिशिष्ट-XI	उन निकायों तथा प्राधिकरणों के नामों को दशनि वाले विवरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	274




प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संख्या 3, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1996-97 के विनियोग लेखाओं से प्रकट हुए मामलों से सम्बन्धित है। इसमें वर्ष 1996-97 के वित्त लेखाओं से उद्भूत कुछ रुचिकर प्रसंग भी सम्मिलित हैं।

2. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में वर्ष 1996-97 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए किन्तु पिछले प्रतिवेदन में स्थान न पा सकने वाले मामले भी उल्लिखित हैं। आवश्यकतानुसार वर्ष 1996-97 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बद्ध मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1996-97 के वित्त एवं विनियोग लेखाओं पर तथा चार अन्य अध्याय शामिल हैं जिनमें सरकार के कतिपय चयनित कार्यक्रमों व क्रियाकलापों तथा वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित 8 समीक्षाएँ व 45 परिच्छेद हैं। इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत है।

1. राज्य सरकार के लेखे

** वर्ष 1996-97 के अन्त में राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां व दायित्व क्रमशः 3523.57 करोड़ रुपए व 3767.55 करोड़ रुपए थे। वर्ष 1994-95 तक राज्य की परिसम्पत्तियां उसके दायित्वों से अधिक थीं लेकिन वर्ष 1995-96 से राज्य के दायित्व बढ़ गए थे। वर्ष 1996-97 में परिसम्पत्तियों व दायित्वों में अन्तराल 174 प्रतिशत बढ़ गया। 1995-97 वर्षों में परिसम्पत्तियों व दायित्वों में वृद्धिकारी अन्तराल मुख्यतः 1994-97 वर्षों के दौरान निरन्तर राजस्व घाटे के कारण था। वर्ष 1995-96 में 150.32 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के प्रति यह वर्ष 154.86 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के साथ संवृत हुआ।

** वर्ष के दौरान 1992.02 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व लेखे पर व्यय 2146.88 करोड़ रुपए था। कर एवं कर-भिन्न राजस्व कुल मिलाकर केवल 558.97 करोड़ रुपए था जो कि सरकार के आयोजनेतर राजस्व व्यय (1496.33 करोड़ ₹) को वित्तपोषित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। राज्य 1996-97 वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों का 28 प्रतिशत (कर राजस्व: 21 प्रतिशत तथा कर-भिन्न राजस्व: 7 प्रतिशत) ही जुटा पाया और केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान व संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश पर ही अधिकतम रूप में आश्रित रहा जो कुल प्राप्तियों का क्रमशः 50 प्रतिशत व 22 प्रतिशत था।

** राजस्व व्यय 1995-96 वर्ष (1904.35 करोड़ ₹) की तुलना में वर्ष 1996-97 (2146.88 करोड़ ₹) के दौरान 13 प्रतिशत बढ़ा। आयोजनेतर राजस्व व्यय 1992-97 वर्षों में 83 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसी अवधि में योजनागत राजस्व व्यय 99 प्रतिशत बढ़ा।

** विभिन्न सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में सरकार का निवेश 1992-93 वर्ष के अन्त में 218.45 करोड़ ₹ से बढ़ कर वर्ष 1996-97 के अन्त में 729.19 करोड़ ₹ हो गया लेकिन वर्ष 1996-97 के दौरान केवल 0.54 करोड़ ₹ की अल्प राशि ही लामांश के रूप में प्राप्त की गई थी। हानि वहन करने वाले 14 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों

के मामले में संचित हानि 212.67 करोड़ ₹ की थी जबकि सरकार ने इनमें वर्ष 1996-97 तक 208.10 करोड़ ₹ निवेशित किए थे।

*** राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय का अन्तराल अर्थात् राजस्व घाटा 93.08 करोड़ ₹ से बढ़कर 1992-97 वर्षों में 154.86 करोड़ ₹ हो गया।

राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) का आधिक्य अर्थात् राजकोषीय घाटा 311.55 करोड़ ₹ से बढ़कर 1992-97 वर्षों में 572.03 करोड़ ₹ हो गया।

*** राज्य विधानमण्डल ने राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की सीमा के निर्धारणार्थ कोई कानून पारित नहीं किया था। 1992-97 वर्षों में आन्तरिक ऋण का निर्वहन उसकी वृद्धियों के 58 प्रतिशत तथा 116 प्रतिशत (ब्याज भुगतान सहित) के बीच रहा। उपर्युक्त अवधि में अन्य दायित्वों का निर्वहन उनकी वृद्धि के 85 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत के बीच था। ब्याज का बोझ वर्ष 1992-93 के 54.32 करोड़ ₹ से बढ़कर वर्ष 1996-97 में 78.22 करोड़ ₹ हो गया।

*** सरकार ने गत वर्ष के दौरान 530.13 करोड़ ₹ के प्रति 1996-97 वर्ष में आन्तरिक ऋण पर 694.47 करोड़ ₹ के मूलधन तथा ब्याज की चुकौती की। केन्द्रीय सरकार से ऋण व ब्याज की चुकौती वर्ष 1995-96 से 1996-97 के दौरान 199.49 करोड़ ₹ से बढ़कर 225.07 करोड़ ₹ हो गई।

*** सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा लिए गए ऋणों की चुकौती हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ 31 मार्च 1993 के 756.09 करोड़ ₹ से बढ़कर 31 मार्च 1997 को 1642.81 करोड़ ₹ हो गई।

*** वर्षान्त में अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्टों के क्रमशः 33.67 करोड़ ₹ तथा 420.91 करोड़ ₹ बकाया पड़े थे।

(परिच्छेद 1.1 से 1.9)

2. जमा शीर्षों का अनुचित संचालन

जून से नवम्बर 1997 तक कतिपय निक्षेप लेखा शीर्षों के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्यों का पता चला:

*** नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम के निजी खाते से 553.20 करोड़ ₹ की निधियाँ वित्तीय नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके 1992-97 वर्षों में डाकघरों में सावधि जमा राशियों (371.78 करोड़ ₹) व बचत खातों (181.42 करोड़

राज्य सरकार के कहने (जनवरी 1997) पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम ने सरकार की प्रत्यक्षता: अधिम वृक्षारोपण के मुताबिक 154.34 करोड़ रु० का ऋण जटाय। यह ऋण 17 प्रतिशत ब्याज वहन कर रहा था और राज्य सरकार की प्रत्यक्षता से समर्थित था। ऋण की यह राशि अधिम वृक्षारोपण के मुताबिक प्रयुक्त नहीं की गई। इसकी बजाय राज्य सरकार के निर्देशों पर इससे 144 करोड़ रु० की राशि फरवरी तथा मार्च 1997 के दौरान "8448-स्थानीय निधियों का निधिप" शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाई गई। 28 मार्च 1997 को यह राशि निगम को प्रत्यक्षता की गई। निगम ने निधियों जटाय के लिए जलाई 1997 तक तीन कम्पनिनों को 1.02 करोड़ रु० का व्यवस्थापन शुल्क अदा किया। इसके अतिरिक्त 3.64 करोड़ रु० की निधियों को "अपक्राउट डिस्काउंट" के रूप में अनुमति दी गई। 31 मार्च 1997 को सरकार का अन्तिम आवरड्डेप्ट प्रभाव हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जटाय गए ऋणों के प्रति उनकी किये गये प्रत्यक्षता के कारण था। 2 अप्रैल 1997 को 150.70 करोड़ रु० की ऋण राशि

राज्य सरकार के परिवहन निदेशक ने वित्तीय निधियों का उल्लेखन करके यात्री बीमा रकम निधि की अधिशेष निधियों को सावधि जमा राशियों व बचत बैंक खातों में निवेशित किया। राज्य सरकार द्वारा लिए गए आवरड्डेप्टे की रकमों आवासकता की पूर्ति हेतु सावधि जमा राशि की प्रतिपूर्ति के प्रति दिसम्बर 1993 व अप्रैल 1994 के मध्य स्थानीय बैंकों से 53.08 करोड़ रु० के अल्पकालिक ऋण जटाय गए थे। यदि 37.40 करोड़ रु० सरकारों लेख में रखे गए होते तो इनमें ही राशि के ऋणों/आवरड्डेप्टे का परिहार किया जा सकता था।

आवास एवं नगर विकास निगम ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही गांधी कृषि योजना के विलेन पोषण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 1995-96 में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड (हुडको) को 105.32 करोड़ रु० का ऋण संस्वीकृत किया। आवास बोर्ड द्वारा उपर्युक्त ऋण से वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त 35.44 करोड़ रु० "8448-स्थानीय निधियों का निधिप" शीर्ष में जमा करवाए गए जो कि ब्याज वहन न करने वाला निधिप शीर्ष था। इनमें से गांधी कृषि योजना की पूर्णतः राज्य के बजट से निधिया उपलब्ध करवाई गई जबकि 35.44 करोड़ रु० दिसम्बर 1997 तक जमा के रूप में उपर्युक्त पड़े थे। इस ऋण पर राज्य सरकार ने हुडको को ब्याजस्वरूप 2.33 करोड़ रु० का मुताबिक किया।

राशि हुडको।
 निदेशक ने जलाई 1992 व मार्च 1996 के मध्य 76.37 करोड़ रु० की सावधि जमा राशियों का समय से पूर्व नकदीकरण करवाया जिससे 1.04 करोड़ रु० की

निगम ने पुनः "8448-स्थानीय निधियों का निक्षेप" शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाई। इससे सरकार के ओवरड्राफ्ट समाशोधन में सहायता मिली और 3 अप्रैल 1997 को यह शून्य रह गया। इस प्रकार निगम के माध्यम से जुटाया गया यह ऋण भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के उपबन्धों से बचने के लिए राज्य की अर्थोपाय स्थिति की कठिनाई के समाधान हेतु था।

(परिच्छेद 1.10)

3. विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

** वर्ष 1996-97 के दौरान 43 मामलों में कुल 116.11 करोड़ ₹ की बचतें थीं परन्तु 25 मामलों में राज्य सरकार का व्यय उसके प्रावधान से 681.46 करोड़ ₹ बढ़ गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इस व्यय-आधिक्य का नियमन अपेक्षित था।

(परिच्छेद 2.2.1 तथा 2.2.4)

** वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त 97.62 करोड़ ₹ का अनुपूरक प्रावधान 2852.33 करोड़ ₹ के मूल बजट प्रावधान का 3 प्रतिशत था। सात मामलों में वर्ष के दौरान 15.80 करोड़ ₹ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।

** 15 अनुदानों तथा एक विनियोग के 17 मामलों में से प्रत्येक मामले में 50 लाख ₹ या अधिक की बचतें हुईं जो कुल मिलाकर 113.56 करोड़ ₹ थीं।

(परिच्छेद 2.2.1)

** वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान पांच अनुदानों व एक विनियोग के सात मामलों में 6 प्रतिशत से 417 प्रतिशत तक निरन्तर बचत/आधिक्य रहा।

(परिच्छेद 2.2.2)

** 15 अनुदानों तथा 8 विनियोगों में कुल 11.05 करोड़ ₹ की बचतें सम्बद्ध विभागों ने अभ्यर्पित नहीं की। दूसरी ओर 16 मामलों में अभ्यर्पणार्थ उपलब्ध केवल 88.84 करोड़ ₹ की बचतों के प्रति वस्तुतः 98.97 करोड़ ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई थी। आठ अनुदानों व एक विनियोग में 12.33 करोड़ ₹ अभ्यर्पित किए गए थे जबकि व्यय अनुदान से अधिक था तथा कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी। ये उदाहरण अपर्याप्त बजट नियन्त्रण के द्योतक थे।

(परिच्छेद 2.2.3)

विनाश के कृषि विभाग द्वारा आकलनों के विना ही मार्च 1995 में पूरक विनियोगों में "2401-कृषि कर्म 113-कृषि इंजीनियरिंग, 01-कृषि औजार व मशीनरी, सहजता अर्जान (ऑथोर्जाइजेशन)" शीर्ष के अन्तर्गत 7.50 करोड़ रु० का प्रावधान किया जा अव्ययित रहा। यह बजट नियम पुस्तक के उन उपबन्धों के विपरीत था जिनमें यह नियत था कि अर्जान राशि के अध्यापन होने पर ही पूरक अर्जान अव्ययित हो।

**

कृषि निदेशक विहित समय में बजट आकलन प्रस्तुत करने में विफल रहा, उसने विनाश के कृषि विभाग को यथाव्ययित अव्ययित विवरणियां नहीं भेजी थीं और आह्वान एवं संवितरण अधिकाधिकियों द्वारा किए गए अधिक व्यय पर भी उसने पत्राचार नियंत्रण नहीं रखा। तीन नियंत्रण अधिकाधिकियों ने 1995-96 तथा 1996-97 वर्षों में विनाश द्वारा आकलन प्रस्तुत करने के बाद 12 आकलन भेजे। परिणामतः इन वर्षों में तदर्थ आचार पर इन शीर्षों में 1.19 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया।

**

बजट नियम पुस्तक के अनुसूचक आस्थिति की गई नियुक्तियों के लिए बजट आकलनों में कोई प्रावधान नहीं किया जाना था। इन उपबन्धों के विपरीत वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में क्रमशः 695, 480 तथा 597 विरत पदों के लिए बजट आकलनों में अनियमितरूपण कुल 4.05 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया जिससे उक्त सीमा तक बजट आकलनों में वृद्धि हुई।

**

क्रियाविधि तथा व्यवस्था की समीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:
कृषि विभाग में 1994-95 से 1996-97 वर्षों के दौरान व्यय नियंत्रणार्थ बजट

4. बजट क्रियाविधि व व्यय-नियंत्रण

(परिच्छेद 2.4)

पृष्ठ 2.4 में 4 विभागों द्वारा अर्जित 1993 से अगस्त 1996 तक अपनी आवश्यकताओं से पूर्व आह्वित 13.85 करोड़ रु० में से 5.16 करोड़ रु० मार्च 1997 के अन्त तक या तो नियामक अधिकाधिकियों के पास या फिर बैंकों में जमा राशियों के रूप में उपयुक्त पड़े थे।

**

(परिच्छेद 2.2.7)

10 अर्जानों/विनियोगों के 30 उप-शीर्षों के मासिक 4.52 करोड़ रु० अविवेकपूर्ण रूप से पुनर्वितरण किए गए जबकि या तो मौल अर्जान उपयुक्त थे या फिर पुनर्वितरण हेतु बचते उपलब्ध थे।

**

1994-97 वर्षों के दौरान 95 अधिकाधिक/कर्मचारियों को 20.42 लाख रु० की वाहन अधिग्रहण राशिवा सस्वीकृत की गई थी जिनमें से 88 अधिकाधिक/कर्मचारियों

1994-97 वर्षों में सात स्कीमों पर 2.11 करोड़ रु० का शत-प्रतिशत व्यय सरकारी अनुदेशों के प्रतिकूल उन वर्षों के माद मास में ही किया गया।
विभिन्न निर्माणकार्यों के निष्पादनार्थ माद 1990 तथा माद 1997 के बीच आहत 1.71 करोड़ रु० प्रयुक्त नहीं हुए थे तथा नकदी या जमा राशियों के रूप में बैंकों/जाकधरों में रखे गए थे।

1994-97 वर्षों में तदर्थ आधार पर तीन मुख्य शीर्षों में 11 उपशीर्षों के प्रति उपलब्ध करवाए गए 3.41 करोड़ रु० अप्रयुक्त पड़े रहे और इन्हें अत्यधिक या पुनर्विनिवेशित करना पड़ा क्योंकि प्रावधान वास्तविकता पर आधारित नहीं थे।

जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग निदेशक द्वारा निस्सारित धन के द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के ब्यौरे दर्ज करने के लिए परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किए। अतः उद्योग निदेशक के पास सृजित परिसम्पत्तियों की केन्द्रीकृत सूचना नहीं थी।

उद्योग विभाग के कावधानन के कुछ पहलुओं की संवीक्षा से निम्नांकित पता चला:
हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्योग अधिगणिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के समग्र आर्थिक विकास हेतु जिम्मेदार है। विभिन्न कावधकर्म/स्कीमों के कावधानियन पर

हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्योग अधिगणिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के समग्र आर्थिक विकास हेतु जिम्मेदार है। विभिन्न कावधकर्म/स्कीमों के कावधानियन पर 1994-97 के दौरान 106.99 करोड़ रु० व्यय किया गया था।

5. उद्योग विभाग का कावधानन

कृषि निदेशक ने फरवरी 1996 से माद 1997 के मध्य तीन स्कीमों के लिए 99.40 लाख रु० आहत किए जिनमें से 16.97 लाख रु० नवम्बर 1997 तक बैंक के चालू खाते में अप्रयुक्त पड़े रहे।
(परिच्छेद 2.5)

कृषि विभाग में अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत "पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना" से अनुदान संख्या 4 को स्थानान्तरित कर दिया गया। विल विभाग ने 30 माद 1996 में 2.01 करोड़ रु० का प्रावधान पूर्वक अनुदान मागों द्वारा फरवरी 1996 में अनुदान संख्या 11-कृषि से 2.01 करोड़ रु० का पुनर्विनिवेशित किया जावक इस प्रयोजनार्थ कोई आबुदन उपलब्ध नहीं था।

ने वाहन नहीं खरीदे। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से इन अग्रिम राशियों की एकमुश्त वसूलियां नहीं की गईं और उन पर शास्तिक ब्याज भी उद्गृहीत नहीं किया गया।

** औद्योगिकीकरण एवं रोजगार सृजन हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया।

** मार्च 1988 में संस्वीकृत कांगड़ा तथा शिमला जिलों में चार औद्योगिक क्षेत्रों का जुलाई 1997 तक विकास नहीं किया गया था जिससे 1.28 करोड़ ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

** 10 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बद्ध त्रेपन निर्माणकार्य पूर्ण नहीं किए गए थे जबकि विभिन्न निष्पादन एजेन्सियों को अगस्त 1987 तथा अगस्त 1996 के बीच 5.37 करोड़ ₹ की निधि निस्तारित की गयी थी।

** कांगड़ा, सोलन तथा ऊना के जिला उद्योग केन्द्रों में औद्योगिक शालाओं के आबंटितियों से 78.94 लाख ₹ का किराया वसूल नहीं किया गया था।

** विभाग ने बददी में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध करवाए बिना वर्ष 1995-97 में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को 5.25 करोड़ ₹ का भुगतान किया। इसमें से, 89.36 लाख ₹ विकास कार्यों तथा निगम के लिए पांच आवासीय मकानों की खरीद पर व्यय किए गए। शेष राशि विभिन्न बैंक लेखाओं में पड़ी थी।

** 1994-97 वर्षों से सम्बद्ध 17.01 करोड़ ₹ के केन्द्रीय परिवहन उपदान की प्रतिपूर्ति नवम्बर 1997 तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई थी।

** वर्ष 1952-53 से 1994-95 के बीच 463 उद्यमियों को प्रदत्त 16.93 लाख ₹ का औद्योगिक ऋण नवम्बर 1997 तक वसूल नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.1)

6. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम

सांसदों को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में पूंजीगत प्रकृति के लघु कार्यों को संस्तुत करने के विचार से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम को दिसम्बर 1993 में भारत सरकार ने घोषित किया था। राज्य में स्कीम वर्ष 1993-94 में आरम्भ की गई। 1993-97 वर्षों के दौरान 10 जिलों में स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

(परिच्छेद 3.2)

राज्य स्तर पर स्कीमों का अमल नहीं किया गया। ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि उपर्युक्तों द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा था। "साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम कार्यों को दर्शाने हेतु कोई संकेतपत्र कार्यालय पर नहीं किए गए थे जैसा कि अपेक्षित था।

महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत, किसी भी उपर्युक्त से महालेखाकार को निम्नलिखित कार्य के व्यय लेख नहीं भेजे। उन्होंने स्कीम से संबंधित परिचयपत्रों को संख्या दर्शाने हेतु अपेक्षित परिचयपत्रों के रजिस्टर भी नहीं बनाए।

स्कीम के अंतर्गत एकसठ करोड़ जी अनुमत नहीं थे, सासवों की सिफारिश पर निर्धारित किए गए जिनके लिए उपर्युक्तों द्वारा 42.75 लाख रु० संस्वीकृत किए गए थे। इसमें से 25.20 लाख रु० जून 1997 तक व्यय किए गए थे।

गौर सेनाद उपर्युक्तों द्वारा फरवरी/मार्च 1996 में संस्वीकृत किए गए। शिमला जिले में 12.75 लाख रु० की लागत के दस करोड़ तथा जलपूर्ति स्कीम, महिला/युवक मण्डल भवनों, सड़कों, इत्यादि तथा सोलन जिले में एक लाख रूपए की लागत की एक जलपूर्ति स्कीम सासवों की औपचारिक संस्तुतियां प्राप्त किए

कुरुक्षेत्र, मुड़ी तथा शिमला जिलों में वलाए गए 25 निम्नलिखितों पर 35.49 लाख रु० अतिरिक्त रूप से व्यय किए गए हैं जिन्हें राज्य बजट से पूर्णतः विलंबित किया गया था।

1994-96 में शुरू तथा मार्च 1997 तक पूर्ण 640 निम्नलिखितों (लागत 3.39 करोड़ रु०) के उपर्युक्तों द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

मुड़ी और शिमला जिले में 18.15 लाख रु० की लागत के 34 निम्नलिखित कार्य वहापि सासवों द्वारा सिफारिश किए गए थे जिन्हें अपूर्ण निधियों के कारण शुरू नहीं किया गया था।

10 जिलों में 14 निष्पादन अभिकरणों को विभाजित 3.84 करोड़ रु० में से केवल 2.26 करोड़ रु० ही जुलाई 1997 तक प्रयोग में आए गए।

अपर्युक्त पंजी थी। अभिकरणों में विमुक्त किए। 5.79 करोड़ रु० की शेष राशि मार्च 1997 तक किन्तु इस राशि में से विभिन्न कार्यों हेतु केवल 14.51 करोड़ रु० निष्पादन रहे थे। वर्ष 1994-97 के दौरान दस उपर्युक्तों ने 20.30 करोड़ रु० प्राप्त किए निष्पादन अभिकरण अपने द्वारा निर्धारित कार्यों के लेख उपर्युक्तों को नहीं भेजे

अप्रैल 1992 व जून 1996 के बीच किन्नौर व सोलन के छ. वाहन 4,383 किनोमीटर की दूरी तय करके मरम्मत हेतु एण्डोराड व शिमला ले जाए गए लेकिन इनकी फिर भी मरम्मत नहीं की गई।

**

1992-97 के दौरान कांगड़ा, किन्नौर तथा शिमला के उपायुक्त कार्यालयों में 21 वाहनों से की गई 2.45 लाख किनोमीटर यात्राओं के सम्बन्ध में सरकारी कारों की वार्षिक प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया।

**

शिमला व सोलन के उपायुक्तों ने अप्रैल 1992 व नवम्बर 1994 के बीच एक ही समय में एक ही तिथियों पर विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक वाहनों का प्रयोग किया और क्रमशः 2376 व 292 किनोमीटर के लिए लॉग बुक में उपायुक्त तथा उपरक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के रूप में हस्ताक्षर किए।

**

नौ जिलों में सरकारी वाहनों में की गई निजी यात्राओं के लिए 96 अधिकारियों से 1.70 लाख रु० की व्ययों नहीं की गई।

**

पेट्रोल की अधिक खपत हुई। उसके फलस्वरूप 1992-97 वर्षों में लगभग 5.71 लाख रु० के 31,702 लीटर औसत मील दूरी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों से कम थी कांगड़ा, किन्नौर, शिमला व सोलन के उपायुक्त कार्यालयों में 21 वाहनों की

**

रबड़/फोम समूहों की सीटों की खरीद पर 1.67 लाख रु० खर्च किए। अधिकारी (सिविल) ने विलम्बिता की वस्तुओं जैसे टैप रिकार्डर तथा फोन दैरे हुए हमीरपुर, कांगड़ा व शिमला के उपायुक्तों तथा रोहड़ के उपमण्डलीय सरकारी वाहनों के लिए विलम्बिता की मर्तों के कथ पर प्रतिबन्ध पर ध्यान न

**

10.01 लाख रु० के चार वाहन खरीदे। (2.87 लाख रु०: एक वाहन) में से जून 1992 व अप्रैल 1996 के बीच विकास कार्यक्रम की निधियों (1.72 लाख रु०: 1 वाहन) तथा नियमित बजट स्थानीय जिला आयोजना निधियों (5.42 लाख रु०: 2 वाहन), एकीकृत ग्रामीण सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बिना सोलन व हमीरपुर के उपायुक्तों ने

**

पांच उपायुक्तों तथा नौ उपमण्डल अधिकारियों (सिविल) के कार्यालय के 1992-97 वर्षों की अवधि के लिए संस्वीकृति, उपार्जन तथा वाहनों के प्रयोग सम्बन्धी अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जांच की गई थी:

सहायक परियोजना प्राधिकारियों ने 24 क्रियाकलापों पर 1991-97 वर्षों के दौरान 54.97 लाख रु० का अधिक व्यय करके निर्धारित लागत मानकों का अनुसरण नहीं किया।

परियोजना के अन्तर्गत सम्पत्ति किए जाने वाले 50,029 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1990-97 वर्षों के दौरान केवल 35,483 हेक्टेयर क्षेत्र सम्पत्ति किया गया था। परिणामतः परियोजना की उपलब्धि में 29 प्रतिशत की कमी हुई।

राज्य सरकार द्वारा पूर्ण बजट समर्थन के अभाव तथा व्यय की धीमी गति के कारण विशेष बैंक ने परियोजना लागत 41.10 करोड़ रु० से घटाकर 39.32 करोड़ रु० कर दी। इस प्रकार राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1.78 करोड़ रु० की विदेशी सहायता का लाभ खो दिया।

परियोजना के प्रथम वर्ष में किए जाने वाले आधुनिक सर्वेक्षण परियोजना आरम्भ के दो से तीन वर्षों के पश्चात् प्राप्त हुए। परिणामतः कार्यो की योजना बनाते तथा निष्पादन के समय क्षेत्र की सामाजिक पारिस्थितिक को सम्मिलित नहीं किया जा सका।

परियोजना के कार्यान्वयन की संवर्धना के दौरान पाये गए महत्वपूर्ण तथ्य नीचे सारांशित किए जाते हैं:

प्राकृतिक पर्यावरण, भू तथा जल संरक्षण, कसल उत्पादन में सुधार करने तथा मिट्टी के निम्नीकरण द्वारा उत्पन्न बाढ़ के आने तथा विनाश को घटाने के उद्देश्यों से कागड़ा, सिस्मौर, सोलन तथा ऊना जिले के कण्ठी क्षेत्र में विशेष बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एकोकृत जलविभाजक विकास परियोजना जून 1990 में आरम्भ की गई थी। 1990-97 वर्षों हेतु 50,029 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र से आर्बल अठारह उप जलविभाजक कार्यान्वयनार्थ चले गए।

8. **हिमालय की पहाड़ियों हेतु एकोकृत जल विभाजक विकास परियोजना (कण्ठी परियोजना)**

पंच जिलों में 1992-97 के वर्षों में 25 सरकारी बाहान 2.50 लाख कि०मी०टर के लिए निवर्णणधिकारियों के कार्यक्षेत्र से बाहर मुख्य संचित की पूर्वागमति के बिना चलाने गए। इमौरपुर, शिमला व सोलन के उपर्युक्त वर्ष 1992-97 के दौरान अपने बाहनों की मुख्य संचित की पूर्वागमति के बिना हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर ले गए और 6,878 कि०मी०टर आर्बल किए।

(परिच्छेद 3.3)

- ** नूरपुर तथा नालागढ़ में 21.41 लाख ₹ की लागत से लगाए गए उद्यान पौधरोपण की उत्तरजीविता अधिकतम 45 प्रतिशत तक रही। नालागढ़, नूरपुर तथा ऊना इकाइयों में 58.95 लाख ₹ की लागत से लगाए गए वन पौधरोपणों की उत्तरजीविता प्रतिशतता 50 की न्यूनतम संतोषजनक उत्तरजीविता के प्रति 10 तथा 49 के बीच थी।
- ** सशक्त कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगाने हेतु विश्व बैंक की संस्तुतियों के बावजूद परियोजना निदेशक ने नाहन, नालागढ़ तथा ऊना में उद्यान पौधरोपणों के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगाने पर 1993-96 वर्षों के दौरान 28.36 लाख ₹ का व्यय किया।
- ** 5.91 लाख ₹ की लागत से स्थापित नाहन, नूरपुर तथा ऊना की तीन सिल्ट आबजर्वेटरी पोस्टों ने कार्य नहीं किया तथा इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की हानि को कम करने तथा गाद प्रवाह को निम्न करने में जलविभाजक पुनर्वास का प्रभाव नहीं आका जा सका।
- ** प्रमुख, मुख्य अरण्यपाल ने 1990-94 वर्षों के दौरान 16 वाहन 28.60 लाख ₹ में खरीदे परन्तु उसने परियोजना को केवल 5 वाहन आपूरित किए और शेष 11 वाहन अपने पास रख लिए।
- ** आयोजना, संरक्षण, वनाकरण तथा वन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के तर्कसंगत प्रयोग हेतु ग्रामीण वन विकास समितियां गठित की जानी थी। 1993-97 वर्षों के दौरान उनके गठन में कमी 66 तथा 85 प्रतिशत के मध्य रही।

(परिच्छेद 3.9)

9. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

6-35 वर्षों की आयु के जन समूह में पूर्ण निरक्षरता उन्मूलन तथा लक्ष्य/निर्धारित समूहों के प्रत्येक समूह में 80-85 प्रतिशत की उपलब्धता के उद्देश्यों से पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजना को केन्द्रीय योजनागत स्कीम के रूप में 1988 में आरम्भ किया गया था। चार जिलों में परियोजना की संवीक्षा के दौरान निम्नांकित महत्वपूर्ण तथ्य पाए गए:

- ** जिला साक्षरता समितियों ने प्रत्येक जिले के लिए परियोजना तैयार करने से पूर्व प्रत्येक श्रेणी (पुरुषों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों) के विभिन्न आयु वर्गों के निरक्षर व्यक्तियों को अभिज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण नहीं किये।

यद्यपि राज्य में पूर्ण निरक्षरता के उन्मूलन हेतु अप्रैल 1996 का लक्ष्य था परन्तु मई 1996 तक उसकी उपलब्धि में 56 प्रतिशत की गिरावट थी।

**

रूप से बँक समाधान नहीं किए। पूर्ण हो गया था। हमीरपुर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने नियमित बैठकें नहीं किया था जबकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परिवर्तना मार्च 1994 में अपने वृत्तनपत्रों में प्रदर्शित नहीं की। जिला साक्षरता समिति, किन्नौर ने वृत्तनपत्र कागड़ों की जिला साक्षरता समितियों ने 13.31 लाख रु० की अप्रत्यक्ष सामग्री साक्षरता अभियान के व्यय को सही तरह से प्रदर्शित नहीं करते थे। हमीरपुर व साक्षरता के लेन-देन मिश्रित कर लिए और वे लेख सम्पूर्ण सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान व जबकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परिवर्तनाएं पूर्ण कर लीं गयीं थीं। हमीरपुर व सरकार को लेखाओं की लेखापरीक्षा विवरणियाँ और प्रयुक्त प्रमाणपत्र नहीं भेजे हमीरपुर, कागड़, किन्नौर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने भारत

**

खरीदी। प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना खुले बाजार से 9.56 लाख रु० की लेखन सामग्री क्रियाविधि का उल्लंघन करके तथा मूल्या एवं लेखन विभाग से अनुपलब्धता हमीरपुर, कागड़ तथा किन्नौर की जिला साक्षरता समितियों ने निवृत्त

**

समावना नहीं थी क्योंकि राज्य में अभियान पूर्ण हो गया था। अभियान हेतु अधिक पुस्तकें मुद्रित की गयीं। इन पुस्तकों के उपयोग को कोड़े 12 जिलों में वार्षिक आवश्यकताओं से 37.91 लाख रु० की पूर्ण साक्षरता

**

होना था। अभियान आरम्भ किया गया जबकि दोनों अभियानों के बीच न्यूनतम अन्तराल पूर्णता की तिथि से दो से 12 महीनों के अन्तरालों के पश्चात् साक्षरता के हमीरपुर, कागड़, किन्नौर तथा सिरमौर जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान की

**

शिक्षाधियों पर 9.06 लाख रु० अतिरिक्त व्यय हुआ। प्रतिक फलस्वरूप हमीरपुर, किन्नौर व सिरमौर जिलों में कुल 1.16 लाख प्रति शिक्षार्थी वार्षिक लागत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से ज्यादा

**

था। हमीरपुर के लिए पूर्णतः साक्षरता की घोषणा तथ्यों पर आधारित नहीं थी। शिक्षाधियों में से 3,000 शिक्षाधियों (लगभग 13 प्रतिशत) ने अभियान छोड़ दिया था लेकिन सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत परीक्षा 24,000 राज्य सरकार ने नवम्बर 1994 में हमीरपुर जिला पूर्णतः साक्षर घोषित कर

**

3 करोड़ ५० की लागत वाली ख्यातीय स्कीमें 2.88 करोड़ ५० खर्च करने के पश्चात् भी अधूरी रही। इन में से दो स्कीमों में दस वर्षों से भी अधिक का विलम्ब हुआ।

**

2.30 करोड़ ५० के प्राक्कलन की ब्यालीय जलपूर्ति स्कीम 4.34 करोड़ ५० की लागत से 3 महीनों से 11 वर्षों के विलम्ब के पश्चात् पूर्ण की गई थी, जिसके कारण 2.04 करोड़ ५० की अधिक लागत आई।

**

वर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से प्राप्त 2.17 करोड़ ५० के अर्जदान राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निर्माण पर अनियमित रूप से प्रयुक्त किये गये।

**

प्रबन्ध योजना पद्धति कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी 45.60 लाख ५० का अर्जदान मार्च 1996 से अग्रयुक्त रहा।

**

वर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अर्जदानों का विवरण करने अर्जशुभा तथा अन्वेषण इकाइयों की संस्थापना पर निर्धारित सीमा से 36.96 लाख ५० अधिक खर्च किये गये।

**

भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक समस्त ग्रामीण जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। जनसंख्या की पीने का पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तथापि मार्च 1997 तक 5582 अनावृत बास्तियों (73 प्रतिशत) और 14,462 आंशिक आवृत बास्तियों (99 प्रतिशत) को पंचजल उपलब्ध नहीं कराया गया था। पानी उपलब्ध करवाने हेतु गांवों का घबन भी मानकों के अनुसार नहीं था। 405 बास्तियां जो मिशन के अन्तर्गत पानना के योग्य नहीं थीं, को अनियमित रूप से 6.52 करोड़ ५० की लागत से आवृत किया गया था।

**

सुरक्षित प्य जल उपलब्ध तथा अग्रस्थित पंचजल के प्रयोग से खतरों के बारे में ग्रामीण लोगों में जागरूकता का सृजन करके ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय प्य जल मिशन वर्ष 1986 में शुरू किया गया था। मिशन का वर्ष 1991 में पुनः राजीव गांधी राष्ट्रीय पंचजल मिशन, नामीकरण किया गया। राज्य में मिशन के कार्यान्वयन की संवेष्टा से निर्माकित तथा उदघाटित हुए:

राजीव गांधी राष्ट्रीय पंचजल मिशन

10.

(परिच्छेद 3.10)

किन्नोर जिले की 60 प्रतिशत लक्षित जनसंख्या के लिए साक्षरताकार अभियान कार्यान्वित नहीं किया गया था।

**

- ** सिनी मिशन के अन्तर्गत 2.01 करोड़ रु० की प्राक्कलित लागत की उन्नततरीय जलापूर्ति स्कीम 2 से 5 वर्षों के विद्यमान से 3.75 करोड़ रु० की लागत से पूर्ण हुई। परिणामतः 1.74 करोड़ रु० अधिक व्यय हुआ।
- ** डलहौजी मण्डल द्वारा 13 स्कीमों का निष्पादन आरम्भ करने से पूर्व जलस्रोत का रासायनिक तथा जीवाणुविक विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए सात जिलों की 528 स्कीमों के सम्बन्ध में पंच जलापूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए जल नमूनों के आवाधिक परीक्षण नहीं करवाए गए थे।
- ** राज्य मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा स्कीमों का तथा अधिलिप्त निरीक्षण नहीं किया गया था। 1994-97 के दौरान अधीक्षण अभियन्ताओं तथा कार्यकारी अभियन्ताओं द्वारा निर्धारित निरीक्षण का केवल 8 प्रतिशत निरीक्षण किया था। (परिच्छेद 4.1.)
- 11. **हिमाचल प्रदेश में मलव्यवस्था स्कीम**
 वार्षिक हिमाचल प्रदेश में विद्यमान मलव्यवस्था प्रणाली पर्यावरण सुधार तथा जन स्वास्थ्य विज्ञान के अन्तर्गत तथा पर्वतों की अधिक संख्या में आगमन के कारण अध्यापित थी। इसीलिए सरकार ने राज्य में 55 शहरों में से 50 शहरों में मल व्यवस्था स्कीमों का प्रस्ताव किया (लगभग 1985 में)।
 राज्य में मल-व्यवस्था स्कीमों की संख्या से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:
 ** विभाग के अनुमानानुसार राज्य के सभी शहरों में मलव्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु 185 करोड़ रु० की धनराशि अधिलिप्त थी। वर्ष 1992-97 के दौरान 23 शहरों में इन स्कीमों पर 24.85 करोड़ रु० खर्च किए गए थे।
 ** मार्च 1995 तथा मार्च 1996 के दौरान राज्या, कुरुक्षेत्र तथा मण्डी के कार्यकारी अभियन्ताओं द्वारा अधिलिप्त 4.97 करोड़ रु० में से 1.41 करोड़ रु० यथापि मलव्यवस्था स्कीमों पर खर्च हुए बचाए गए परन्तु वास्तव में बँकी तथा डाकघरों में रखे गए थे।
 ** सरकार ने शहरों की विशिष्ट समयावधि के भीतर मलव्यवस्था सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु कोई विशद योजना तैयार नहीं की थी। सरकार की नीतियों की उपेक्षा करते हुए जिला मुख्यालयों तथा प्रसिद्ध तीर्थस्थानों और पर्वतक केन्द्रों की बजाय बिछरी हुई आबादी वाले छोटे शहरों में काम हुआ। सराहन तथा रामपुर जिला मुख्यालय नहीं है में दो स्कीमों की 41.33 लाख रु० की लागत से पूर्ण किया गया।

उद्धाटित हुआ:

1991-97 वर्षों की अवधि हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा से निष्कर्षित

1977-78 और 1982-83 से कार्यान्वित किया गया था।

था। हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम दो खण्डों में विभाजित किया जा रहा था। इन क्षेत्रों का उत्पादन-स्तर और व रोजगार की वृद्धि हेतु परिस्थितियाँ सुधारे जाने तथा जिसका उद्देश्य मत्स्य-निर्माण व अर्ध-मत्स्य-निर्माण का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना तथा भारत सरकार द्वारा 1977-78 में मत्स्य-विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया

मत्स्य-विकास कार्यक्रम

12.

(परिच्छेद 4.2)

₹0 का आवंटन हुआ।

मान मण्डलों में आवश्यकताओं से अधिक सामग्री खरीदने के कारण 77.53 लाख

परिवर्तित व्यय हुआ।

कार्य-उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के कारण 33.35 लाख ₹0 का अतिरिक्त सरकार के अनुदेशों के विपरीत दो स्कीमों की मलव्यवस्था लाइनें विद्यमान का

बाद में बंद किया गया जिसके कारण 68.62 लाख ₹0 की राशि हुई।

संयोजित के निर्माण हेतु अनुपयुक्त स्थल का खोज किया गया था जो कि 1995 में करीब ₹0 की आवश्यकता होगी। मलव्यवस्था स्कीम, मण्डलों के लिए अभिक्रिया 20.52 लाख ₹0 की राशि हुई। बांध की क्षतिपूर्ति के जीर्णोद्धार हेतु 1.11 उपयुक्त संरक्षण तथा अखंडता के बांधों के निर्माण में बनाए गए जिसके कारण मण्डली मलव्यवस्था स्कीम के अन्तर्गत दो मलव्यवस्था अभिक्रिया संयोजित विना

थी। एम्बाला तथा एम्बाला की स्कीमों में 13 वर्षों तक का बिलम्ब हुआ।

शेष पांच स्कीमों में अभी तक 9.65 करोड़ ₹0 का व्यय किए जाने पर भी अर्ध-विकास से केवल एक ही स्कीम 20.36 लाख ₹0 की लागत से पूर्ण की गई थी। एम्बाला, एम्बाला, मण्डली, पालमपुर, सरहन तथा रिकामागिरी में शुरू किया गया, 1978-79 तथा 1988-89 के मध्य में मलव्यवस्था स्कीमों का निर्माणकार्य

जलापूर्ति स्कीम, शिमला को अग्रणी कर दिए गए।

किया गया तथा इन कार्यों के लिए उपलब्ध करवाए गए 2.90 करोड़ ₹0 स्थलों पर मलव्यवस्था लाइनों के खोले हुए भागों की मरम्मत का निर्माण नहीं शिमला शहर में मलव्यवस्था अभिक्रिया संयोजित का निर्माण तथा विभिन्न सम्मान

दो विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान प्रयोजना में प्रवृत्त 41.04 लाख रु0
 अधिकारगत: निष्कल निरूद्ध रूप कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर नकदी
 फसलों के लिए बीजों को नई किस्में उत्पादित करने में असफल रही तथा बागवानी
 एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौगाँ ने स्थिति घाटी में औषधीय पौधों को उगाने की
 संभावना के परिणाम नहीं दिए।

**

वर्ष 1991-96 के दौरान 12.03 लाख रु0 के व्यय से विकसित मत्स्य प्रवाह क्षेत्र
 बाजारगाँवों की बहुत ज्यादा मृत्यु दर के कारण निष्कल रहे।

**

पूँह तथा काजा खण्डों में वर्ष 1991-95 के दौरान 6.31 लाख रु0 से 159
 हेक्टेयर में विकसित चरगाहा सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण असफल
 रहे।

**

पूँह तथा काजा खण्डों में 1.04 करोड़ रु0 से 1991-95 वर्षों के दौरान 779
 हेक्टेयर में किया गया पौधारोपण सिंचाई के अभाव, प्रजातियों तथा पौधारोपण
 हेतु स्थलों के गलत चयन, नदी-तटों में पौधारोपण इत्यादि के कारण असफल
 रहा।

**

विभाग द्वारा अगस्त 1994 में लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन के
 बावजूद कि विभाग द्वारा अनुसंधित नई कृहेत्यों पर आविधान (जलप्रसार)
 उदाहरित किया जा रहा था, 1989-90 से 1994-95 के दौरान काजा
 अभिकरण द्वारा 1.77 करोड़ रु0 की लागत से निर्मित 8 कृहेत्यों पर कोई
 आविधान प्रसार निर्धारित नहीं किए गए थे।

**

पूँह खण्ड में हांगो गाँव के लिए बागवानी कृहेतल जिस पर जून 1994 तक
 71.56 लाख रु0 का व्यय हुआ था अधिक सिंचाव के कारण शुरू से ही निष्कल
 पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप यह व्यय निरर्थक रहा।

**

वर्ष 1991-95 के दौरान 34.04 लाख रु0 से निर्मित छः सिंचाई कृहेत्यों के
 अनुगत 44.26 हेक्टेयर भूमि की संभावित सिंचाई में से मई 1997 तक भूमि के
 विकास न करने तथा लगभगसिंचाई की भूमि के आबंटन न करने के कारण केवल
 12.15 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही थी।

**

वर्ष 1991-97 के दौरान सिंचाई तथा लगभगसिंचाई की आर्थिक सहकरता के प्रत्यक्ष
 लक्ष्यों की प्राप्ति में क्रमशः 51 तथा 68 प्रतिशत की कमी रही। काजा तथा पूँह में
 उपलब्धि में कमी 32 व 63 प्रतिशत के मध्य रही।

**

(परिच्छेद 3.13)

पट्टे तथा हैलीकॉप्टर के उपयोग पर परिहार्य व्यय
अपेक्षित विशालताओं के एक हैलीकॉप्टर है 75,000 रु० प्रति घण्टे की सबसे
कम दसवीं पेशकश की नजर अन्दाज करते हैं, 90,000 रु० प्रति घण्टे की दर
से उच्चतम निविदाकर्ता को एक हैलीकॉप्टर के पट्टे हेतु सीबा दी गई जो दो
वर्षों की पट्टेवाही है 1.80 करोड़ रु० के अतिरिक्त परिहार्य व्यय में परिणत
है।

**
16.

(परिच्छेद 3.12)

संज्ञित नहीं किए गए थे।
नहीं गए थे क्योंकि राज्य सरकार द्वारा डाक्टरी तथा अन्य स्टॉक के पट्टे
1995 के दौरान खरीदी गयी 9.61 लाख रु० की मशीनरी तथा उपकरण प्रयोग में
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, परवाणू हेतु दिसम्बर 1994 से माव
न लाना

**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर को प्रयोग में

15.

(परिच्छेद 3.7)

भी शुरू नहीं किए गए थे।
विभिन्न स्कीमों तथा स्थानीय जिला आयोजना, विकेन्द्रीकृत आयोजना, सूखा
राहत, इत्यादि के अन्तर्गत रु. महीने तथा एक वर्ष के मध्य पूर्ण किए जाने वाले
76 कार्यों के निर्माण हेतु 1991-96 के दौरान आर्हत 29.03 लाख रु० की
निधियाँ बैंकों/कोषागार में अग्रयुक्त पड़ी थीं, क्योंकि ये कार्ड दिसम्बर 1996 तक
विकास कार्ड आरम्भ न करने के कारण निधियों का अवरोधन

**

14.

(परिच्छेद 3.6)

अग्रहण मर्दों के कथ पर खर्च की गई क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत आयोजना निधियाँ
क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत आयोजना निधियों के अन्तर्गत, कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु
अनुदेशों के विपरीत, चम्बा, हरियाणा, सिन्धु, सिन्धु तथा ऊना के उपयुक्तों द्वारा
1995-96 के दौरान रंगीन टेलीविजन, फर्नीचर, एयर-कण्डीशनिंग, इत्यादि के
कथ पर 21.41 लाख रु० की निधियाँ खर्च की गई थीं।

**

13.

(परिच्छेद 6.2)

या जबकि मूल्यांकन प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई थी।
नहीं की गई थी। दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया
(1995) द्वारा स्कीमों के निष्पादन में सुधार हेतु की गई सिफारिश कार्यान्वित
भारत सरकार (1993) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की मूल्यांकन समिति

**

(परिच्छेद 3.17)

संश्लेषण है।
विभाग तथा 12.34 लाख रु० के 34 मामले प्रस्तावित एवं जनसंख्या विभाग से
अधिक समय से बकाया पड़े थे। 35.09 लाख रु० के छ. मामले लोकनिर्माण
मामले बकाया पड़े थे। इनमें से 5.65 लाख रु० के 21 मामले 20 वर्षों से भी
जून 1997 तक 56.55 लाख रु० के पूर्वनिर्धारित, व्ययपूर्ण, इत्यादि के कुल 99

**

20.

पूर्वनिर्धारित, व्ययपूर्ण, इत्यादि

(परिच्छेद 3.16)

की आकरिमक अग्रिम राशियां बकाया पड़ी थीं।
में अप्रैल 1971 से दिसम्बर 1996 के दौरान डीमांड की गई 1.60 करोड़ रु०
कृषि तथा राजस्व विभागों के 38 निर्वाण प्रतिवेदनों में अनर्निहित 43 परिच्छेदों

19.

बकाया आकरिमक अग्रिम राशियां

(परिच्छेद 3.15)

उपयोग को नियमित कर दिया।
अनिश्चितताओं/दुरुपयोग को खानबीन किए बिना ही स्टॉक द्वारा ऐसे बाहनों के
वित्तीय प्रभाव संगणित किया गया। सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा डीमांड
प्रदाता आवृत्त बाहनों का दुरुपयोग किया गया, जिससे 8.21 लाख रु० का
जनवरी 1994 से दिसम्बर 1996 के दौरान मन्त्रियों के निजी स्टॉक द्वारा
द्वारा प्रदान किए गए आवृत्त बाहनों के प्रयोग हेतु कोई भी नियम नहीं बनाए थे।
सरकार ने मन्त्रियों के साथ यात्रा करने वाले निजी स्टॉक हेतु सम्बद्ध विभागों

**

18.

बाहनों का दुरुपयोग

(परिच्छेद 3.14)

अतिरिक्त भार पड़े।
दरों पर बेचा जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर 45.95 लाख रु० का
4648.21 टन आयोजित परामर्शित बेल उठाया और निर्धारित दरों से अधिक
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने फरवरी 1991 से मार्च 1994 के दौरान

**

17.

सांख्यिक विवरण प्रणाली

(परिच्छेद 4.7)

उना जिले में लिफ्ट सिवाई स्कीम, अग्निवाला पर किया गया 20.10 लाख रु० का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि विभाग पत्थरों तथा कंकड़ों से भरे हुए नलकूप के छिद को साफ नहीं कर सका।

**

लिफ्ट सिवाई स्कीम, अग्निवाला दोषपूर्ण निर्माण के कारण आरम्भ नहीं हुई

25.

(परिच्छेद 4.6)

सिरमौर जिले में 23.71 लाख रु० की लागत से अगस्त 1991 में पूर्ण की गई लिफ्ट सिवाई स्कीम, मानगढ़ पूर्वा से ही कंबल क्षेत्र को सिवाई प्रदान करने में विफल रही जिसका कारण मुख्य जल प्रणाली की ऐस बैस्टर्स सीसेपट प्रेशर पाइपों को ठीक से न बिछाना था।

**

लिफ्ट सिवाई स्कीम, मानगढ़ पूर्वा से ही सिवाई प्रदान करने में विफल रही

24.

(परिच्छेद 4.4)

शिमला मण्डल से 0 ॥ में पाइपों को प्रदान करने तथा बिछाने से सम्बन्धित कार्य सरकारी अगुआई का उल्लंघन करके एक ठेकेदार के माध्यम से करवाया गया था। कलत: 18.94 लाख रु० का परिहाय अतिरिक्त व्यय हुआ।

**

पाइपों को प्रदान करने तथा बिछाने पर परिहाय अतिरिक्त व्यय

23.

(परिच्छेद 4.3)

बडपूर मण्डल द्वारा सीत में जल के उपलब्ध निर्माण को सुनिश्चित किए बिना ही 46.08 लाख रु० की लागत से अगस्त 1987 में हमीरपुर जिले में लिफ्ट जल आपूर्ति स्कीम, नेरी चम्बोह वाला की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सामग्र्याहियों को जल की अपूर्णता आपूर्ति हुई। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए स्कीम का संवर्धन 42.14 लाख रु० की लागत से अनुमोदित किया गया था।

**

लिफ्ट जल आपूर्ति स्कीम, नेरी चम्बोह

22.

(परिच्छेद 3.18)

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निचक-महालेखापरीक्षक के 14 सेवापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट 97 परिच्छेदों/समीक्षाओं पर लोक सेवा सेवापरीक्षा द्वारा मार्च 1985 तथा अगस्त 1997 के बीच की गई 299 संसर्तियों पर की गई कार्रवाई सुचित नहीं की थी।

**

सेवापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

21.

करसोगा मण्डल के अन्तर्गत कोर्टल खंड पर एक पुल के अभिकल्पन की अंतिम रूप देने में विभागा की विकल्पता के परिणामस्वरूप 15.61 लाख रु० का अतिरिक्त

30. सात वर्षों का विलम्ब तथा पुल के निर्माण में अतिरिक्त परिवर्द्ध व्यय

(परिच्छेद 4.15)

एक ठेकेदार के विरुद्ध सुरक्षित अधिम, प्रतिपूर्ति, सामग्री की लागत, प्रयोज्य पत्थरों की इकट्ठा न करने तथा रॉयल्टी के कारण 15.57 लाख रु० की वसूलीया बकाया थी जिसने अम्बाला-वागट-शिमला-शिमला-वागट-शिमला सड़क के संधारने तथा उसे चौड़ा करने का कार्य अधूर्ण छोड़ दिया था। उसके जोखिम तथा लागत पर कार्य को पूर्ण करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा कार्य को पूर्ण करवाने में 26.99 लाख रु० का अतिरिक्त दायित्व पड़ा।

29. सड़कों के निरसन में अनियमितताएं तथा ठेकेदार को अनुचित सहायता

(परिच्छेद 4.14)

अधिशारी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल सं० ॥ ने पूर्वनिर्दिष्ट परस्पर बद्ध श्रृंखलाओं की बजाय वायर केटस बनाने हेतु जर्नीकृत लौह तार उपार्जन को जिसके परिणामस्वरूप 7.82 लाख रु० का अतिरिक्त परिवर्द्ध व्यय हुआ।

28. वायर कटौती पर परिवर्द्ध व्यय

(परिच्छेद 4.12)

राष्ट्रीय उद्योगों मण्डल, रामपुर, आऊटर सिस्वाज मण्डल, निरमण्ड तथा शिमला मण्डल सं० ॥ में तीन ठेकेदारों से जुलाई 1990 से 21.49 लाख रु० वसूली योग्य थे क्योंकि मण्डल अधिकारी उनके चालू खाता बिलों से वसूलीया करने में विफल रहे।

27. ठेकेदारों से सामग्रियों की लागत तथा अन्य देय राशियों की वसूली न होना

(परिच्छेद 4.8)

अप्रैल 1989 तथा सितम्बर 1997 के बीच कागजात बिलों में लिफ्ट सिवाइं स्कीम, धौ।
लाख रु० का व्यय निष्फल रहा क्योंकि कृषक कमांड क्षेत्र को प्रदत्त सिवाइं नाण्य धनीर की पुनर्वचना तथा वार्षिक मरम्मतों और अन्वेषण पर किया गया 53.95

31. अन्वेषण में लापरवाही के कारण पुल का टह जाना
 * * * * *
 हिमाला जिले में सावड़ा स्थित पत्थर नदी के ऊपर पुल के रखरखाव करने में विभाग की विकलता के कारण यह जुलाई 1995 में टह गया।
 (परिच्छेद 4.20)
32. प्रमुख अभियन्ता, सिवाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामग्री की असांगत खरीद
 * * * * *
 प्रमुख अभियन्ता द्वारा नवम्बर 1995 तथा मार्च 1996 के बीच 46.60 लाख रु० मूल्य की सामग्री आवश्यक्ता से अधिक क्रय की गई। इन क्रयों में से केवल 1.07 लाख रु० की सामग्री उपयोग में लाई गई तथा शेष मई 1997 तक अप्रयुक्त पड़ी रही।
 (परिच्छेद 5.2)
33. उद्यान विभाग के भण्डार तथा सामग्री लेख
 * * * * *
 उद्यान विभाग द्वारा 1992-93 तथा 1994-95 के मध्य हिमाचल प्रदेश प्रां. डेपुटि जेनरल कॉर्पोरेशन को विमोचित 3.29 करोड़ रु० के कुल उपदान में से परवर्ती ने 13.81 लाख रु० का उपदान लेखाबद्ध नहीं किया था।
 विभाग ने सामग्रियों को बेचने के लिए सामग्री के क्रय हेतु 1992-93 तथा 1996-97 के दौरान 5.07 करोड़ रु० आर्हत किए। इन क्रयों के प्रति उद्यान निदेशक के पास बिक्री-लेखियों की वसूली के पूर्ण ब्यौरे नहीं थे।
 * * * * *
 5.99 लाख रु० मूल्य की कीटनाशक दवाइयां जिनका जीवनकाल मार्च 1995 तथा अप्रैल 1996 के मध्य समाप्त हो गया था किन्तु, कुल्लू तथा मण्डी के जिला उद्यान अधिकारियों के पास पड़ी थी।
 * * * * *
 उद्यान विभाग में शुरू से ही किसी भी क्षत्र इकाई द्वारा भण्डार लेखे तैयार नहीं किए गए थे।
 (परिच्छेद 5.4)

परिहार्य व्यय तथा साल वर्षों का परिहार्य बिलान्त हुआ।
 (परिच्छेद 4.19)



संश्लेषित निधि से निम्न तथ्य बचत, मविष्य निधियाँ, जमा राशियाँ, आरक्षित निधियाँ, उचान्त, प्रेषण आदि लोक लेख में लेखाबद्ध किए जाते हैं और इन पर राज्य विधानमण्डल में मतदान नहीं होता।

खण्ड-III लोक लेखा

वर्ष विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत इस निधि से 0.50 करोड़ रूपए दिए गए। और इतनी ही राशि संश्लेषित निधि से अन्तर्गत करके आकस्मिकता निधि में उतार दी जाती है। इस उपरिहित होता है। तदनन्तर ऐसे व्यय के लिए राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित निधि है और इस पर राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने का निम्न एक अग्रदाय निधि है जिसे अत्यावश्यक व अपूर्वदृष्ट व्यय की पूर्ति हेतु राज्य के राज्यपाल के भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अन्तर्गत सृजित आकस्मिकता निधि

खण्ड-II आकस्मिकता निधि

प्राप्तियाँ, पूँजीगत व्यय, लोक सेवा तथा कर्म आदि) है। मग अर्थात् राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) तथा पूँजीगत लेखा (पूँजीगत प्राधिकार के बिना इस निधि से किसी भी राशि का प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता। इसके दो मुख्य गठित किया गया है। सभी सरकारी व्यय इस निधि से वहन होता है और राज्य विधान मण्डल के राज्य की संश्लेषित निधि में संग्रहित होती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के राजस्व, कर्जों एवं कर्मों की वसूली से सम्बद्ध सभी प्राप्तियाँ

खण्ड-I संश्लेषित निधि

- (I) संश्लेषित निधि,
- (II) आकस्मिकता निधि और
- (III) लोक लेखा

राज्य सरकार के लेख तीन भागों में रखे जाते हैं:-

1.1.1 सरकारी लेख की संरचना

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के लेख

पहला अध्याय

वर्ष 1996-97 के विनियोग लेखे व वित्त लेखे से उद्भूत तथा पृथक्करण एकत्रित अतिरिक्त सूचना से अनुपूर्वित हिमाचल प्रदेश सरकार की 31 मार्च 1997 को सारांशित वित्तीय स्थिति तथा वर्ष की प्राप्ति व संवितरणों का सार निम्नांकित विवरणियों में प्रदत्त है:-

वर्ष	प्रतिवेदन संख्या	सांशित वित्तीय स्थिति
वर्ष 1998 का 1	1	हिमाचल प्रदेश सरकार: राजस्व प्राप्ति
वर्ष 1998 का 2	2	हिमाचल प्रदेश सरकार: वार्षिक
वर्ष 1998 का 3	3	हिमाचल प्रदेश सरकार: स्थिति
		निरूपण
		समाह
		से.....

नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को निम्नांकित रूप में व्यवस्थित किया गया है:-
31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से समाह

वित्त लेखे व विनियोग लेखे तथा इन लेखाओं के अन्तर्गत हुए विभिन्न लेन-देन भी नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तिवर्ष व सेवा-शर्त) अधिनियम, 1971 के अनुसूचि भाग के अधिनियम-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापर्यवेक्षण किए जाते हैं। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक लेखाओं का सत्यापन करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसूचि भाग के राजपत्र को पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

1.1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन वार्षिक रूप से हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार द्वारा किया जाता है। इन्हें दो खण्डों अर्थात् वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे में विभाजित किया जाता है। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में उपर्युक्त वार्षिककरण के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय से समाह सभी लेन-देनों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। जबकि दूसरी तरफ विनियोग लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा वार्षिक व्ययित राशियों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुए व्यय का विधानमण्डल से नियमन अधिलक्षित होता है।

1.1.2 वार्षिक लेखे

विवरण-1	31 मार्च 1996	दाखिल	31 मार्च 1997 को स्थिति
31 मार्च 1996 को राशि (करोड़ रुपयों में)	333.56	आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से अधोप्राप्त की छोड़कर)	420.71
		व्यज वाले बाजार ऋण	293.58
		बिना व्याज वाले बाजार ऋण	0.17
		भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	12.66
		भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	13.18
		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	5.46
		राष्ट्रीय सहकारिता विकास बैंक से ऋण	25.33
		निगम से ऋण	36.66
		अन्य संस्थाओं से ऋण	33.67
		भारतीय रिजर्व बैंक से अधोप्राप्त	33.67
		अप्रिम	
1425.56		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अप्रिम	1715.60
		वर्ष 1984-85 से पूर्वकालिक ऋण	94.01
		अप्रयोजनकर ऋण	1252.33
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	317.32
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	0.45
		केन्द्रीय आयोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	51.49
1.00		आकस्मिकता निधि	1.00
871.57		न्यून अवधि, मध्यम निधि तथा अल्प अवधि	1001.09
87.61		जमा	137.02
516.25		भारतीय रिजर्व बैंक से अधोप्राप्त	420.94
1.78		आरक्षित निधियाँ	4.49
37.39		प्रेषण शेष	66.70
3304.72			3767.55

31 मार्च 1996 को राशि (करोड़ रुपयों में)	परिसम्पत्तियाँ	31 मार्च 1997 को राशि (करोड़ रुपयों में)
2764.28	सकल पूंजीगत परिव्यय कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	3116.08
	अन्य पूंजीगत व्यय	
	729.19	
456.15	ऋण एवं अग्रिम	521.53
	ऊर्जा के लिए ऋण	
	401.31	
	अन्य विकास ऋण	
	59.98	
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	
	60.24	
0.50	आकस्मिता निधि को विनियोग	0.50
18.38	उच्चन्त एवं विविध शेष	29.93
0.09	अग्रिम	0.09
(-)23.80	नकद	(-)144.56
	कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	
	8.30	
	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	
	0.24	
	नकद शेष निवेश लेखा	
	0.14	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (-)153.24	
89.12	सरकारी लेखे में कमी	243.98 *
	31 मार्च 1996 तक सन्चित घाटा	
	79.55	
	जमा करें	
	(i) चालू वर्ष का घाटा	
	154.86	
	(ii) समायोजन	
	9.57 *	
	(iii) विविध सरकारी लेखा	
	\$	
3304.72		3767.55

* वर्ष 1996-97 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 के अनुसार सरकारी लेखे में (-)234.41 करोड़ रु० का राजस्व घाटा था (-)9.57 करोड़ रु० के अन्तर की व्याख्या निम्नलिखित है:

	(करोड़ रुपयों में)
(i) "7810-अन्तर्राज्यीय समायोजन" शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	(-)1.43
(ii) "8680-विविध सरकारी लेखा" शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	(-)0.14
(iii) निदर्श समायोजित निवल राशि	(-)8.00
जोड़	(-)9.57
\$ केवल 21,874 रु०	

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ:

1. वे सारांशित वित्तीय विवरणियां राज्य सरकार के वित्त लेखाओं एवं विनियोग लेखाओं की विवरणियों पर आधारित हैं तथा उनमें निहित टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के अनुसार हैं।
2. सरकारी लेखें मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण राजस्व अधिशेष या घाटा नकद आधार पर संगणित किया गया है। परिणामतः भुगतान योग्य या प्राप्य मदें या मूल्य हास या स्टॉक-आंकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मदें इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होते।
3. यद्यपि प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व व्यय (अनुदानों) का अंश तथा ऋण पूंजी रचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेकिन राज्य सरकार के लेखाओं में उनका वर्गीकरण साध्य प्रयोग द्वारा अप्रभावित रहता है।
4. सरकारी लेखापद्धति के अन्तर्गत राजस्व अधिशेष या घाटा वार्षिक रूप से सरकारी लेखे में सम्मृत होता है। 31 मार्च 1983 को 285.32 करोड़ रुपए के संतुलनकारी आंकड़े को 1983-84 के लिए प्रथम विवरणी को बनाने के लिए संचित अधिशेष के रूप में माना गया।
5. उचन्त एवं विविध शेषों में जारी किए गए लेकिन भुगतान न किए गए चैक, राज्यों की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन आदि शामिल हैं। उचन्त एवं विविध के अन्तर्गत शेष 31 मार्च 1996 के 18.38 करोड़ रुपए (डैबिट) बढ़कर 31 मार्च 1997 को 29.93 करोड़ रुपए (डैबिट) हो गए थे।
6. लेखाओं में प्रदर्शित शेष 153.24 करोड़ रुपए (क्रेडिट) जो 421.19 करोड़ रुपए (डैबिट) का अन्तर दर्शाते हैं, के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत अन्तिम शेष 574.43 करोड़ रुपए (डैबिट) था। जबकि 421.08 करोड़ रुपए के अन्तर का समाधान हो चुका था शेष (0.11 करोड़ रुपए) समाधानाधीन था (अक्टूबर 1997)।

विवरणी-II वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

प्रवर्ग-क-राजस्व
प्राप्तियाँ

		(करोड़ रुपयों में)
I.	राजस्व प्राप्तियाँ	1992.02
(i)	कर राजस्व	412.11
(ii)	कर-भिन्न राजस्व	146.86
(iii)	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	440.23
(iv)	आयोजनेतर अनुदान	341.80
(v)	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	565.55
(vi)	केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	85.47
II	प्रवर्ग ख में ले जाया गया राजस्व घाटा	154.86
		2146.88

संवितरण

(करोड़ रुपयों में)

1	राजस्व व्यय प्रवर्ग	आयोजनेतर	योजनागत	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें(योजनागत स्कीमों सहित)	योग
					2146.88
(क)	सामान्य सेवाएं	681.18	16.55	4.87	702.60
(ख)	सामाजिक सेवाएं	486.40	244.35	59.58	790.33
(ग)	आर्थिक सेवाएं				
	(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	107.68	123.05	22.37	253.10
	(ii) ग्रामीण विकास	18.63	36.97	0.90	56.50
	(iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	13.35	16.25	0.17	29.77
	(iv) ऊर्जा	44.00	2.56	0.73	47.29
	(v) उद्योग एवं खनिज	3.63	16.98	31.21	51.82
	(vi) परिवहन	131.48	10.59	0.01	142.08
	(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	1.01	0.21	1.22
	(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.33	62.19	--	67.52
(घ)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.65	--	--	4.65
		1496.33	530.50	120.05	2146.88
	योग				2146.88

विवरण-॥-वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार
प्रवर्ग-ख-अन्य
प्राप्तियां

		(करोड़ रुपए में)
III	स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश सहित अन्य नकद शेष आदि	(-)23.80
IV	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	16.03
	(i) ऊर्जा से	1.60
	(ii) सरकारी कर्मचारियों तथा विविध ऋणों से	11.27
	(iii) अन्य से	3.16
v	लोक ऋण प्राप्तियां	501.18
	(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आंतरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)	164.98
	(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	336.20
VI	लोक लेखा प्राप्तियां	2741.63
	(i) लघु बचते, भविष्य निधियां आदि	298.58
	(ii) आरक्षित निधियां	249.92
	(iii) जमा एवं अग्रिम	992.04
	(iv) उचन्त एवं विविध	139.84
	(v) प्रेषण	1061.25
VII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवर ड्राफ्ट	420.94
		3655.98

कवल 20,302 रु०

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु०)	प्रतिशत	कुल
II	भारतीय रिजर्व बैंक से आदि और ड्रॉफ्ट	546.25		
III	पूँजीगत परिस्य	351.79		
	प्रदा			
	(क) सामान्य सेवाएं	17.49		
	(ख) सामाजिक सेवाएं	116.32	***	
	(ग) आर्थिक सेवाएं	7.78		
	(I) कृषि तथा संबन्धित क्रिया-कलाप	9.24	(-) 1.46	
	(II) शान्ति विफल	0.72	--	
	(III) विवाह एवं बाह्य निवेश	32.03	--	
	(IV) ऊर्जा	68.68	—	
	(V) उद्योग एवं खनिज	3.93	--	
	(VI) परिवहन	99.27	--	
	(VII) सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.57	--	
IV	संवितरित ऋण एवं अधिम	47.89		81.41
	(I) ऊर्जा के लिए	22.01		
	(II) सरकारी कर्मचारियों के लिए तथा विविध ऋण	11.51		
V	कम किया गया राजस्व धार	154.86		
VI	लोक ऋण की यूकैटी	123.99		
	(I) अधोपय अधिम सहित आन्तरिक	77.83		
	ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से और ड्रॉफ्ट छोड़कर)	46.16		
	(II) केन्द्रीय सरकार की ऋण एवं अधिम की यूकैटी	2542.24		
VII	लोक सेवा संवितरण	169.07		
	(I) लघु बचत, विविध निधियां आदि	247.20		
	(II) आरक्षित निधियां	942.62		
	(III) जमा एवं अधिम	151.41		
	(IV) उचन एवं विविध	1031.94		
	(V) प्रेषण			
VIII	बर्ष के अन्त में नकद शेष			
	(I) कोषागारों में शेष तथा स्थानीय प्रेषण	8.30		
	(II) स्थायी अधिम सहित विभागीय नकद शेष लेखा	0.24		
	(III) नकद शेष निवेश लेखा	0.14		
	(IV) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 153.24		
				3655.98

संवितरण

(करोड़ रुपए)

विवरणी-III

निधियों के स्रोत एवं उनकी प्रयुक्ति

निम्न विवरणियों में वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य सरकार के पास रखी गई निधियों के स्रोत एवं उनकी प्रयुक्ति के ब्यौरे समाविष्ट है:

स्रोत (प्राप्तियां)

प्रयुक्ति

(व्यय)

	(करोड़ रुपये में)		(करोड़ रुपये में) *
कर राजस्व	412.11	राजस्व	2146.88
		व्यय	
कर भिन्न राजस्व	146.86		
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	992.82	पूँजीगत व्यय	351.79
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	440.23		
निगम करों से भिन्न आय पर कर	67.51		
संघीय उत्पाद शुल्क	372.72		
अर्थोपाय एवं अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)	164.98	अर्थोपाय एवं अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण का निर्वहन (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्टों को छोड़कर)	77.83
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	336.20	केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों का निर्वहन	46.16
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	16.03	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	81.41
लोक लेखा के अन्नर्गत निवल प्राप्ति	199.39		
नकद शेष निवेश	120.76	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट में हास	125.31
लेखा, विभागीय नकद शेष स्थायी अग्रिमों सहित नकद शेष में निवल हास			
योग	2829.38		2829.38

* व्यय न्यूनीकरण अर्थात् राजस्व व्यय: 191.54 करोड़ रुपये; पूँजीगत व्यय: 58.90 करोड़ रुपये में समायोजित वसूलियों को छोड़कर ये निवल आंकड़े हैं।

(!!) राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व (412.11 करोड़ रुपए), कर निम्न राजस्व (146.86 करोड़ रुपए), केन्द्रीय कर एवं शैकी में राज्य का अंश (440.23 करोड़ रुपए) तथा सरकार से सहजता अर्जन (992.82 करोड़ रुपए) सम्मिलित है। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्री, व्यापार आदि पर कर (146.26 करोड़ रुपए) तथा राज्य उत्पाद शुल्क (132.47 करोड़ रुपए) हैं। कर-निम्न राजस्व मुख्यतः वानिकी एवं वन्य प्राणी (41.19 करोड़ रुपए) तथा खान प्राप्ति (24.35 करोड़ रुपए) से प्राप्त होता था।

(!) वित्त लेखाओं से यथाप्रकटित राज्य सरकार की 1996-97 के दौरान की वित्तीय स्थिति से उद्घाटित किया कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 1992.02 करोड़ रुपए थी जिसके प्रति राज्य व्यय 2146.88 करोड़ रुपए था जिसके परिणामस्वरूप 154.82 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ जो राजस्व प्राप्ति का 8 प्रतिशत बनता था।

1.3.1 राज्य की वित्तीय स्थिति

वार वर्षों की अवधि में परिसम्पत्तियाँ में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उन्नीस अवधि में दायित्वों में 101 प्रतिशत की अतिक्रमता आई। वार्षिक दशाब्दी है कि 1994-95 तक परिसम्पत्तियाँ दायित्वों की तुलना में अधिक थी। फिर भी वर्ष 1995-96 से सरकार के दायित्व परिसम्पत्तियों से बढ़ गए। यह मुख्यतः वर्ष 1994-95 से राजस्व घाटे से वृद्धि (परिच्छेद 1.7.1 में राजस्व घाटे के स्तरीय द्वारा) के कारण हुआ।

1992-93	2133.74	1877.95	(+) 255.79
1993-94	2405.20	2035.78	(+) 369.42
1994-95	2658.50	2597.30	(+) 61.20
1995-96	3215.60	3304.72	(-) 89.12
1996-97	3523.57	3767.55	(-) 243.98

(करोड़ रुपए)


के अन्त में परिसम्पत्तियाँ दायित्व परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के मध्य अन्तर अतिरिक्त (+)/कमी (-)

पूँजागत निवेश एवं दिव्य गये अथवा सम्मिलित है (तथा दायित्व की स्थिति निम्नांकित थी: 1992-97 के गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों (जिसमें

1.3 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

इन विवरणों तथा सहायक आंकड़ों पर आधारित इस अध्याय के निम्न परिच्छेदों में राज्य सरकार के 1996-97 के दौरान वित्त के समन्वय का, जिसे गत चार वर्षों में प्राप्त स्थिति से समझ किया गया है, विश्लेषण प्रस्तुत है।

(iii) हिमाचल प्रदेश, एक छोटा राज्य होने के कारण इसे अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार से अनुदान तथा केन्द्रीय करों व शुल्कों के लिए आश्रित रहना पड़ता है। वर्ष 1996-97 के दौरान राजस्व के चार प्रमुख स्रोतों अर्थात् राजस्व (21 प्रतिशत), कर भिन्न राजस्व (7 प्रतिशत), केन्द्रीय सरकार से अनुदान (50 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा (22 प्रतिशत), से अंशदान निम्नांकित चार्ट में दर्शाया जाता है:



(iv) 2146.88 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय सामान्य सेवाओं (32.7 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं (30.3 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं (36.8 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान के अंशदान (0.2 प्रतिशत) पर था।

(v) राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय 351.79 करोड़ रुपए था जिसे सामान्य सेवाओं (5 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं (33 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं (62 प्रतिशत) में वितरित किया गया था।

(vi) राज्य सरकार का लोक ऋण 1996-97 के दौरान 251.88 करोड़ रुपए बढ़ गया जिससे ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवा का बोझ बढ़ गया। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (312.98 करोड़ रुपए) राज्य के राजस्व व्यय का 15 प्रतिशत बनता था।

1.3.2

समेकित निधि

गत वित्तीय वर्ष सहित 1996-97 के लिए राज्य की समेकित निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां एवं व्यय निम्नवत् थी:

प्राप्तियां		(करोड़ रुपयों में)	
1995-96	1996-97	1995-96	1996-97
राजस्व लेखे			
1754.03 राजस्व प्राप्तियां	1992.02	1904.35 राजस्व व्यय	2146.88
150.32 घाटा	154.86		
1904.35 योग	2146.88	1904.35 योग	2146.88
पूँजीगत लेखा			
--- पूँजीगत प्राप्तियां	---	331.28 पूँजीगत व्यय	351.79
25.89 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	16.03	65.67 संवितरित ऋण एवं अग्रिम	81.41
1101.41 लोक ऋण के रूप में दर्ज की गई प्राप्तियां	936.66	521.26 लोक लेखे की चुकौती	684.78
--- पूँजीगत घाटा	165.29	209.09 पूँजीगत अधिशेष	--
1127.30 योग	1117.98	1127.30 योग	1117.98
(+)58.77 अधिक्य(+)/ (-)320.15 कमी (-)			

ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण तथा लोक ऋण की अदायगी 1996-97 में 766.19 करोड़ रुपए थी जबकि 1995-96 में 586.93 करोड़ रुपए थी जो गतवर्ष से 31 प्रतिशत अधिक प्रदर्शित करती थी। इस प्रकार 1995-96 में 1127.30 करोड़ रुपए से 1996-97 में 952.69 करोड़ रुपए के लोक ऋण के रूप में लेखा बद्ध की गई ऋण अग्रिमों की वसूलियों एवं प्राप्तियों में 15 प्रतिशत की कमी थी। लोक ऋण की अदायगी एवं वसूलियों में कमी के कारण संचित निधि में वर्ष 1995-96 की 58.77 करोड़ रुपए की वृद्धि के प्रति वर्ष 1996-97 में 320.15 करोड़ रुपए का घाटा था।


1.4 राजस्व प्राप्तियां

1.4.1 पांच वर्षों (1992-97) की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/हास(-)	पूर्व वर्ष पर वृद्धि(+)/हास(-) की प्रतिशतता
(करोड़ रुपए)				
1992-93	1875.87	1052.49	(+)60.07	(+)6
1993-94	1435.74	1465.13	(+)412.64	(+)39
1994-95	1235.85	1306.36	(-)158.77	(-)11
1995-96	1738.90	1754.03	(+)447.67	(+)34
1996-97	1910.60	1992.02	(+)237.99	(+)14

यह दृष्टव्य है कि वर्ष 1992-97 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 89 प्रतिशत थी।

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्ति का विश्लेषण आगे के परिच्छेदों में निहित है:



राजस्व के स्रोत

वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से राजस्व उगाहियों की स्थिति तथा राज्य के कुल राजस्व में उनका योगदान निम्न चार्ट में यथा प्रदर्शित है।

1.4.2

कर राजस्व

राज्य सरकार की अंतिम पांच वर्षों (1992-97) के दौरान कर राजस्व की वृद्धि निम्नांकित थी:

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्ति	कर राजस्व--5 वर्षों में वृद्धि	
			गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में प्रतिशतता वृद्धि
1992-93	211.88	221.68	15	21
1993-94	221.92	255.74	15	17
1994-95	297.01	299.45	17	23
1995-96	336.18	341.52	14	19
1996-97	373.86	412.11	21	21

(क) राज्य सरकार का कर राजस्व 1995-96 में 341.52 करोड़ रुपए से बढ़कर 1996-97 में 412.11 करोड़ रुपए हो गया जो 21 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

(ख) 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान विभिन्न करों तथा शुल्कों से प्राप्ति का निम्नांकित तालिका में विश्लेषण किया गया है:

क्रमांक	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	(करोड़ रुपए)				
1. बिक्री कर	75.20 (34)	93.88 (37)	107.18 (36)	122.83 (36)	146.26 (35)
2. राज्य आबकारी	75.78 (34)	83.53 (33)	94.55 (32)	105.50 (31)	132.47 (32)
3. वाहन कर	9.88 (5)	11.56 (4)	11.17 (4)	12.32 (4)	14.47 (4)
4. माल तथा यात्री कर	28.63 (13)	35.22 (14)	39.77 (13)	45.80 (13)	65.26 (16)
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	5.27 (2)	2.10 (1)	9.88 (3)	17.92 (5)	18.64 (5)
6. भू-राजस्व	1.59 (1)	1.01 (--)	1.15 (--)	0.87 (--)	5.95 (1)
7. स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	9.53 (4)	10.19 (4)	12.00 (4)	13.78 (4)	15.44 (4)
8. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	15.80 (7)	18.25 (7)	23.75 (8)	22.50 (7)	13.62 (3)
जोड़	221.68	255.74	299.45	341.52	412.11
टिप्पणी:	कोष्ठों के आंकड़े कुल कर राजस्व के प्रति एकैक करों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।				

(ग) गत वर्ष के सम्बन्ध में 1996-97 के दौरान 70.59 करोड़ रुपए की कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य आबकारी (26.97 करोड़ रुपए), बिक्री कर (23.43 करोड़ रुपए) तथा माल एवं यात्री करों (19.46 करोड़ रुपए) से अतिरिक्त प्राप्ति थी।

वर्ष 1992-93 और 1996-97 के मध्य कुल कर राजस्व के लिए राज्य आबकारी का अंशदान 34 प्रतिशत से घट कर 32 प्रतिशत हुआ। उपर्युक्त अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क का अंशदान 7 प्रतिशत से 3 प्रतिशत रह गया।

(घ) बजट आकलनों एवं संशोधित आकलनों की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कर राजस्व की वसूली के विश्लेषण से महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता चला। ये भिन्नताएं संशोधित आकलनों की तुलना में भू-राजस्व के मामले में 520 प्रतिशत तक उच्च थी तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में (-) 3 प्रतिशत थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरा निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

1995-96 के वास्तविक आंकड़े	राजस्व शीर्ष	1996-97			आकलनों के संदर्भ में वृद्धि (+)/कमी(-)	
		बजट आकलन	संशोधित आंकलन	वास्तविक आंकड़े	बजट आकलन	संशोधित आकलन
		(करोड़ रुपए में)				
0.87	भू-राजस्व	0.96	0.96	5.95	(+) 520	(+) 520
13.78	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	11.48	11.94	15.44	(+) 34	(+) 29
105.50	राज्य आबकारी	116.00	116.00	132.47	(+) 14	(+) 14
122.83	बिक्री कर	132.00	142.00	146.26	(+) 11	(+) 3
17.92	विद्युत पर कर एवं शुल्क	15.11	16.11	18.64	(+) 23	(+) 16
22.50	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	25.00	14.08	13.62	(-) 46	(-) 3
45.80	माल तथा यात्री कर	48.00	60.00	65.26	(+) 36	(+) 9
12.32	वाहन कर	12.27	12.77	14.47	(+) 18	(+) 13

(ख) कर राजस्व के मामले की भांति 1996-97 के दौरान कर-निम्न राजस्व की वसूली में बजट तथा संशोधित आकलनों से महत्वपूर्ण भिन्नता थी। ये भिन्नताएं संशोधित आकलनों के सुन्दर में भी व्याज प्राप्ति के मामले में 55 प्रतिशत उच्च तथा सहकारिता के सम्बन्ध में (-) 52 प्रतिशत थीं।

वर्ष	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	विक्रय एवं जन स्वास्थ्य	खाद्य मण्डल तथा मण्डलार	उद्योग	अन्य खनन तथा धार्मिक उद्योग
0070	4.24	6.48	53	104	62
0210	1.64	3.34	104	1301	51
0408	1.51	2.45	62		
0852	1.37	19.20	1301		
0853	8.73	13.22	51		

वर्द्धि मुख्यतः निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए शीर्षों के कारण थी:

(क) राज्य सरकार का कर-निम्न राजस्व 1995-96 में 117.35 करोड़ रुपए से बढ़कर 1996-97 में 146.86 करोड़ रुपए हो गया, जो गत वर्ष (1995-96) की तुलना में 25 प्रतिशत वर्द्धि दर्शाता है।

1996-97	138.62	146.86	(+25)	(+7)
1995-96	112.20	117.35	(-12)	(+7)
1994-95	87.24	132.74	(+10)	(+10)
1993-94	84.79	120.61	(+8)	(+8)
1992-93	63.23	66.78	(-10)	(+6)

(करोड़ रुपए में)

(+)/कमी(-)

प्रतिशत वर्द्धि

(वार्षिक) तुलना में प्रतिशत के रूप में

बजट आकलन कर-निम्न राजस्व गत वर्ष की राजस्व प्राप्ति के रूप में

गत पांच वर्षों के दौरान कर-निम्न राजस्व की वर्द्धि/कमी निम्नांकित थी:

कर-निम्न राजस्व

1.4.3

1.4.4

संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

अंतिम पांच वर्षों के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांशों का रुझान तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदानों की प्रकृति निम्नांकित थी:

वर्ष	राज्यांश		सहायता अनुदान	कुल	प्रतिशतता	
	निगम कर से भिन्न करों पर निवल आगम	संघीय आवकारी शुल्क			कुल राजस्व व्यय	कुल राजस्व प्राप्तियां
	(करोड़ रुपए)					
1992-93	36.12	240.12	487.79	764.03	67	73
1993-94	45.97	243.55	799.26	1088.78	81	74
1994-95	51.31	317.52	505.34	874.17	54	67
1995-96	78.89	321.39	894.88	1295.16	68	74
1996-97	67.51	372.72	992.82	1433.05	67	72

संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1992-93 (276.24 करोड़ रुपए) तथा 1996-97 (440.23 करोड़ रुपए) के मध्य प्रगामी रूप से 59 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष (400.28 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान वृद्धि 10 प्रतिशत थी। उसी अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान में 104 प्रतिशत वृद्धि हुई जो 487.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 992.82 करोड़ रुपए हो गया। सहायता अनुदान वर्ष 1996-97 में 894.88 करोड़ रुपए से बढ़कर 992.82 करोड़ रुपए हो गया। यह बढ़ौतरी 11 प्रतिशत थी।

1.4.5

बकाया राजस्व

उपलब्ध सूचनानुसार राजस्व के संग्रहण में बकायों की स्थिति अंतिम पांच वर्षों में निम्नलिखित थी:

वर्ष	वर्षान्त में बकाया राजस्व (करोड़ रुपयों में)
1992-93	142.89
1993-94	138.42
1994-95	128.04
1995-96	136.70
1996-97	155.48

यह देखा गया कि बकाया राजस्व 1995-96 में 136.70 करोड़ रुपए से बढ़कर 1996-97 में 155.48 करोड़ रुपए हो गया जो 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसमें 13 करोड़ रुपए का बकाया पांच वर्षों से अधिक पुराना था। अधिकतर बकाया वानिकी एवं वाणिज्य (81.61 करोड़ रुपए), बिक्री कर (41.90 करोड़ रुपए), जलापूर्ति, स्वच्छता एवं लघु सिंचाई (8.61 करोड़ रुपए) तथा वस्तु एवं यात्रि से कर (7.95 करोड़ रुपए) था।

1.5 राजस्व व्यय

1996-97 को समाप्त पांच वर्षीय अवधि के दौरान राज्य के राजस्व व्यय की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	बजट आकलन			वास्तविक आंकड़े			गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी(-)
	योजनागत	आयोजनेतर	जोड़	योजनागत	आयोजनेतर	जोड़	
	(करोड़ रुपए में)						
1992-93			1153.01	326.73	818.84	1145.57	(+)163.01
1993-94	381.38	960.63	1342.01	409.01	942.49	1351.50	(+)205.93
1994-95	442.33	1132.88	1575.21	440.73	1173.55	1614.28	(+)262.78
1995-96	517.63	1343.49	1861.12	560.59	1343.76	1904.35	(+)290.07
1996-97	616.21	1528.62	2144.83	650.55	1496.33	2146.88	(+)242.53

वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 के मध्य योजनागत व्यय 99 प्रतिशत तथा आयोजनेतर व्यय 83 प्रतिशत बढ़ा। 1995-96 के स्तर की तुलना में राजस्व व्यय 1996-97 के दौरान 13 प्रतिशत बढ़ा तथा वर्ष 1992-97 की अवधि में वृद्धि 87 प्रतिशत थी।

राजस्व लेखे के व्यय का 1992-93 से 1996-97 तक सैक्टर क्रमानुसार विश्लेषण निम्नांकित था


सैक्टर	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	(करोड़ रुपए)				
ग्रामान्य सेवाएं (आयोजनेतर)	380.09	446.98	508.44	603.77	681.18
ग्रामान्य सेवाएं (योजनागत)	13.43	13.45	16.27	19.77	21.42
ग्रामाजिक सेवाएं (आयोजनेतर)	301.30	320.70	381.67	454.57	486.40
ग्रामाजिक सेवाएं (योजनागत)	140.54	162.58	189.04	255.57	303.93
आर्थिक सेवाएं (आयोजनेतर)	133.69	171.14	279.78	281.24	324.10
आर्थिक सेवाएं (योजनागत)	172.76	232.98	235.42	285.25	325.20
सहायता अनुदान व अंशदान (आयोजनेतर)	3.76	3.67	3.66	4.18	4.65

योजनागत तथा आयोजनेतर व्यय का व्यौरा उपलब्ध नहीं था।

गत वर्ष (1995-96) की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर योजनागत व्यय में क्रमशः 8,19 तथा 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इन्हीं सेवाओं पर आयोजनेतर व्यय में वृद्धि क्रमशः 13,7 तथा 15 प्रतिशत रही।

(करोड़ रुपए)


योजनागत राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
सामान्य सेवाएं	13.43	13.45	16.27	19.77	21.42
सामाजिक सेवाएं	140.54	162.58	189.04	255.57	303.93
आर्थिक सेवाएं	172.76	232.98	235.42	285.25	325.20

(करोड़ रुपए)

आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
सामान्य सेवाएं	380.09	446.98	508.44	603.77	681.18
सामाजिक सेवाएं	301.30	320.70	381.67	454.57	486.40
आर्थिक सेवाएं	133.69	171.14	279.78	281.24	324.10

अंतिम पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	पर दिया गया ब्याज				कर राजस्व के सन्दर्भ में ब्याज अदायगियों की प्रतिशतता
	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि (करोड़ रुपए में)	जोड़	
1992-93	24.55	98.25	54.32	177.12	80
1993-94	31.00	117.89	60.76	209.65	82
1994-95	36.86	118.01	67.73	222.60	74
1995-96	48.10	160.26	76.89	285.25	84
1996-97	55.85	178.91	78.22	312.98	76

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कुल ब्याज भुगतान 1992-93 में 177.12 करोड़ रुपए से बढ़कर 1996-97 में 312.98 करोड़ रुपए हो गया जिसमें पांच वर्षों की अवधि की तुलना में 77 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित थी। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों पर पांच वर्षों की अवधि की तुलना में ब्याज भुगतान में वृद्धि 82 प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋण पर 127 प्रतिशत रही।

इस प्रकार ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का 15 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1996-97 के दौरान कर राजस्व 76 प्रतिशत के बराबर लेखाबद्ध हुआ।

1992-93 से प्राप्त ब्याज तथा भुगतान किए गए ब्याज के मध्य अंतर भी बढ़ती प्रकृति को दर्शाता है। यह 1992-93 में 172.63 करोड़ रुपए से बढ़कर 1996-97 में 288.63 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें 67 प्रतिशत की वृद्धि रही। व्यौरा निम्नांकित है:

वर्ष	प्राप्त ब्याज	ब्याज भुगतान (करोड़ रुपए)	अंतर
1992-93	4.49	177.12	172.63
1993-94	3.22	209.65	206.43
1994-95	9.23	222.60	213.37
1995-96	25.37	285.25	259.88
1996-97	24.35	312.98	288.63

1.5.2

स्थानीय निकायों तथा अन्यो को वित्तीय सहायता

1996-97 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायता की प्रमात्रा निम्नांकित थी:

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	(करोड़ रुपए)				
विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	21.73	21.77	15.95	36.63	30.06
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	4.31	7.03	6.92	11.20	12.06
जिला परिषदें तथा पंचायती राज संस्थाएं	0.71	0.87	1.63	2.08	11.18
विकास एजेंसियां	4.97	14.03	9.18	9.76	24.98
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	1.06	0.55	--	3.42	4.17
अन्य संस्थाएं	4.00	30.89	28.20	91.01	49.75
जोड़	36.78	75.14	61.88	154.10	132.20
गत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि (+)कमी(-)	(+)70	(+)104	(-)18	(+)149	(-)14
राजस्व प्राप्ति	1992.02	1052.49	1465.13	1306.36	1754.03
राजस्व प्राप्तियों के प्रति सहायता की प्रतिशतता	3	5	5	9	7
राजस्व व्यय	1145.57	1351.50	1614.28	1904.35	2146.88
राजस्व व्यय के प्रति सहायता की प्रतिशतता	3	6	4	8	6

स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता 1995-96 में 154.10 करोड़ रुपए से घटकर 1996-97 में 132.20 करोड़ रुपए होने से 14 प्रतिशत रह गई। स्थानीय निकायों तथा अन्यो को वर्ष 1992-97 में सहायता राजस्व प्राप्तियों की 3 व 9 प्रतिशत थी तथा राजस्व व्यय की 3 व 8 प्रतिशत थी।

* अणुनामक सेनदेन 234 करौंड रूप के अणु की बहिर्दृष्टी पूर्ण में परिवर्तित करने के कारण है।

(!!) बकाया वर्षालिया: उन अणु, जिनके विस्तृत लेखाओं का अन्तर्लक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, 31 मार्च 1997 को अधिसूचक रूप दिए गए अणु के प्रति वर्षाली हेतु जिसकी जिस सीमा तक सूचना प्राप्त हुई थी, अति देय कृत राशि, ब्याज के 4.60 करौंड रूपर सहित 12.51 करौंड रूपर थी। बकाया राशि का मुख्य भाग उद्योग विभाग के अन्तर्गत "लघु उद्योगों को अणु तथा मारजिन मनी" (2.45 करौंड रूपर), "विभिन्न संस्थाओं को अणु (अन्तर्वाह अणु)" (3.80 करौंड रूपर), कृषि विभाग के अन्तर्गत "मू-संरक्षण अणु" (2.78 करौंड रूपर) तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "विभिन्न स्कीमों के लिए अणु, (2.36 करौंड रूपर) से सम्बन्धित था।

वर्ष के दौरान	जमा ब्याज तथा राजस्व में प्राप्त किया गया	निवल बढ़ोतरी	अतः शेष	वर्ष के दौरान वापिस कराये दी गई राशि	वर्ष के दौरान अधिसूचक वर्ष के दौरान अधिसूचक	आदि शेष
89.99	4.15	13.15	552.61	19.12	32.27	539.46
117.66	2.50	45.40	598.01	8.09	53.49	552.61
289.86	1.77	(-181.64)	416.37	18.34	(-163.30)*	598.01
193.07	4.55	39.78	456.15	25.89	65.67	416.37
360.39	3.17	65.38	521.53	16.03	81.41	456.15
(करौंड रूपर)						
1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97		

(!) राज्य सरकार सरकारी कंपनियों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थाओं आदि को विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक कार्यों हेतु अणु दे रही है। 1992-93 से आरम्भ पांच वर्षों के ऐसे अणु की स्थिति निम्नवत् थी।

राज्य सरकार द्वारा अणु एवं अधिसूचक

1.5.3

1.6 पूंजीगत व्यय

1.6.1 अधिकांश परिसम्पत्तियां पूंजी व्यय में से बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिसम्पत्तियां सरकार से बाहर संस्थाओं या उपक्रमों (जो लोक क्षेत्र उपक्रम, निगम आदि हैं) तथा ऋणों एवं अग्रिमों में निवेशित राशियों से बनती हैं। गत पांच वर्षों में पूंजी व्यय की प्रवृत्ति निम्नांकित थी:

वर्ष	बजट आकलन	पूंजीगत व्यय (वास्तविक आंकड़े)			गत वर्ष की तुलना में आधिक्य (+) / कमी(-) की प्रतिशतता
		योजनागत	आयोजनेतर	जोड़	
(करोड़ रुपए)					
1992-93	213.07	206.96	(-)1.64	205.32	(+)9
1993-94	232.95	223.04	(-)2.67	220.37	(+)7
1994-95	229.35	490.42	3.70	494.12	(+)124
1995-96	256.33	329.47	1.81	331.28	(-)33
1996-97	314.72	353.25	(-)1.46	351.79	(+)6

6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाला पूंजीगत व्यय 1995-96 में 331.28 करोड़ रुपए के प्रति 1996-97 में 351.79 करोड़ रुपए था। राजस्व व्यय (योजनागत तथा आयोजनेतर दोनों) 1992-97 के दौरान 87 प्रतिशत बढ़ा जबकि पूंजीगत व्यय उसी अवधि के दौरान 71 प्रतिशत हो गया।

1992-93 से 1996-97 तक पूंजीगत लेखे पर व्यय का सैक्टर क्रमानुसार विश्लेषण निम्नांकित तालिका में दिया गया है:

सैक्टर		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
		(करोड़ रुपए)				
सामान्य सेवाएं	योजनागत	11.03	5.89	11.74	15.86	17.49
	आयोजनेतर	-	--	--	--	--
सामाजिक सेवाएं	योजनागत	79.34	67.90	87.03	95.91	116.32
	आयोजनेतर	--	--	4.27	--	--
आर्थिक सेवाएं	योजनागत	116.59	149.25	391.65	217.70	219.44
	आयोजनेतर	(-)1.64	(-)2.67	(-)0.57	1.81	(-)1.46

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि गत वर्ष (1995-96) की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान सामान्य सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय क्रमशः 10 तथा 21 प्रतिशत बढ़ा था, जबकि आर्थिक सेवाओं में वृद्धि नाममात्र थी।

- अग्रणी आंकड़े

निवेश के आंकड़ों के समाधान करने पर वर्ष 1992-93 के वित्त लेखों से 3.91 करोड़ से गिना है।

क्र.सं.	वर्ष	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में
1.	1995-96	12.24	19.38
2.	1994-95	17.25	20.56
3.	1995-96	2.45	2.79
4.	1995-96	3.87	7.20
5.	1996-97	4.04	6.26
6.	1995-96	105.14	122.20
		144.99	178.39

कंपाक कम्पनी/निगम का नाम वर्ष 1996-97 तक निवेश संविन कतिन तक

हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद 12.24 19.38
 विपणन तथा प्रोसेसिंग कार्पोरेशन 17.25 20.56
 हिमाचल प्रदेश एग्री कल्चरल डेवलपमेंट 2.45 2.79
 इन्व्हेस्टीग एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड 3.87 7.20
 नाहन फाउंडरी लिमिटेड 4.04 6.26
 हिमाचल प्रदेश स्टेट डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 105.14 122.20
 हिमाचल एण्ड परिवहन निगम 144.99 178.39

रहित में वल रही 14 सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों सरकार द्वारा।
 1996-97 तक 208.10 करोड़ रुपए का निवेश किया था, संविन कतिन 212.67 करोड़ रुपए (उनके अंतिम उपलब्ध लेखों के अनुसार) थी। उपर्युक्त में से 6 सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में संविन कतिन निवेश से अधिक थी।

वर्ष के अंत में	कल निवेश	वर्ष में प्राप्त	लाना/ब्याज	(करोड़ रुपए में)	3 पर
1992-93	218.45#	0.10	0.05	(4)	
1993-94	295.78	0.34	0.11	(4)	
1994-95	575.24	0.08	0.01	(4)	
1995-96	644.89	0.11	0.02	(4)	
1996-97	729.19	0.54	0.07	(4)	


1.6.2 निवेश तथा प्रतिकूल
 सरकार की वर्ष 1996-97 तक की पांच वर्षों की सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सर्वजन स्वतंत्र कम्पनियों, सहकारिता बँकों तथा संविनियों (लाना/ब्याज प्राप्त संविन) में निवेश को विस्तृत स्थिति निम्नांकित है:

1.7 घाटा

1.7.1 राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के मध्य अन्तर होता है। पिछले पांच वर्षों के लिए राजस्व घाटे की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय (करोड़ रुपए में)	राजस्व घाटा(-) बढ़ोतरी(+)
1992-93	1052.49	1145.57	(-)93.08
1993-94	1465.13	1351.50	(+)113.63
1994-95	1306.36	1614.28	(-)307.92
1995-96	1754.03	1904.35	(-)150.32
1996-97	1992.02	2146.88	(-)154.86



यद्यपि वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 के मध्य राजस्व प्राप्तियां 89 प्रतिशत बढ़ी लेकिन इसी अवधि में राजस्व व्यय में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1996-97 के लेखे गत वर्षों के 150.32 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के प्रति 154.86 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे से सम्बृत हुए।

1996-97	600.46	638.62	55.85	694.47	116
1995-96	915.43	482.03	48.10	530.13	58
1994-95	384.03	235.63	36.86	272.49	71
1993-94	841.68	899.09	31.00	930.09	111
1992-93	4579.24	4405.23	24.55	4429.78	97

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	संयोजन	मूलधन	व्यय	जोड़	कॉलम 2 पर कॉलम 3 की प्रतिशतता
	वर्ष के दौरान	शुभ कर्तव्य तथा	व्यय	व्यय	

पिछले पांच वर्षों के लिए आन्तरिक ऋण की स्थिति निम्नवत् थी:

1.8.1 आन्तरिक ऋण

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य उसी सीमा (यदि कोई हो) के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र में उधार ले सकता है जो राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए। राज्य विधानमण्डल ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने वाला कानून पारित नहीं किया था।

वर्ष के सभी पहलुओं से व्यापक समन्वय होते हैं।

वित्त-व्यवस्था: करपाया तथा व्यय नीतियाँ; बजट अधिषेध तथा घाटे; विकास व्यय तथा आर्थिक राज्य सरकार का लोक ऋण आन्तरिक ऋण होता है। इसके लोक

1.8 लोक ऋण

कल वर्द्धि थी।

प्रवृत्ति दिखाई। तथापि, वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1996-97 में 260.48 करोड़ रुपए की उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय घाटे में वर्ष 1992-93 से अस्थिर

1992-93	311.55
1993-94	152.14
1994-95	620.40
1995-96	521.38
1996-97	572.03

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वित्तीय घाटा
------	--------------

पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय घाटे की स्थिति निम्नवत् थी:

सहित) पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) की अधिकता से है।

वित्तीय घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्ति (प्राप्त किये गये सहायता अनुदानों

1.7.2 वित्तीय घाटा

वर्ष 1996-97 के दौरान 694.47 करोड़ रुपए के आन्तरिक ऋण के मूलधन तथा ब्याज का निर्वहन वर्ष के दौरान 600.46 करोड़ रुपए के संयोजन की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 1992-93 में राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का अग्रेषित शेष 355.42* करोड़ रुपए था जो कि वर्ष 1992-97 के दौरान 137 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए वर्ष 1996-97 में 841.65* करोड़ रुपए तक बढ़ गया।

1.8.2 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

पिछले पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	वर्ष के दौरान संयोजन	ऋण की चुकौती			निवल प्रवाह	कॉलम 2 पर कॉलम 5 की प्रतिशतता
		मूलधन	ब्याज	जोड़ 3+4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(करोड़ रुपए)						
1992-93	115.77	56.37	98.25	154.62	(-)38.85	134
1993-94	146.05	57.32	117.89	175.21	(-)29.16	120
1994-95	307.13	57.99	118.01	176.00	131.13	57
1995-96	185.98	39.23	160.26	199.49	(-)13.51	107
1996-97	336.20	46.16	178.91	225.07	111.13	67

केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की पुनः अदायगी की अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान 225.07 करोड़ रुपए (मूलधन: 46.16 करोड़ रुपए तथा ब्याज: 178.91 करोड़ रुपए) की अदायगी करनी थी। राशियों का भुगतान समय पर किया गया। वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकार को ऋण सेवा आबलिगेशन निपटान नये ऋणों तथा अग्रिमों का 67 प्रतिशत था।

1.8.3 अन्य दायित्व

राज्य की समेकित निधि में लेखाबद्ध किये गये ऋणों के अतिरिक्त लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि, आरक्षित निधियाँ तथा निक्षेप भी होते हैं जो कि अलग लोक लेखे में रखे जाते हैं। लोक लेखे में शेष प्रतिवर्ष अग्रेषित किये जाते हैं। ये राशियाँ वास्तविक रूप में राज्य सरकार के दायित्व को बढ़ाती हैं।

* स्रोत: वित्त लेखे 1993-94 तथा 1996-97: विवरणी-3

पिछले पाँच वर्षों के लिए इन दायित्वों की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	वर्ष के दौरान संयोजन*	ऋण भुगतान*	ब्याज कुल	कॉलम 2 पर (3+4) कॉलम 5 की प्रतिशतता
(करोड़ रुपए में)				
1992-93	421.81	314.68	54.32	369.00 87
1993-94	480.30	348.68	60.76	409.44 85
1994-95	885.41	722.43	67.73	790.16 89
1995-96	1113.17	982.43	76.89	1059.32 95
1996-97	1445.90	1264.25	78.22	1342.47 93

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1992-97 के दौरान संयोजनों की तुलना में लोक लेखे से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन 85 तथा 95 प्रतिशत के मध्य रहा।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं आदि द्वारा ऋणों की वापसी तथा उस पर ब्याज के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए आकस्मिक दायित्व की स्थिति निम्नवत् थी:

31 मार्च को	अधिकतम प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि मूलधन	ब्याज
(करोड़ रुपए)			
1993	756.09	472.19	9.93
1994	819.71	483.25	18.77
1995	948.40	476.41	19.00
1996	1464.17	789.58	8.40
1997	1642.81	977.64	11.24

पाँच वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया प्रत्याभूतियों की राशि (ब्याज सहित) में 105 प्रतिशत की वृद्धि थी।

राज्य सरकार प्रत्याभूत राशि पर प्रत्याभूति शुल्क के रूप में 0.5 प्रतिशत तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रूप में 0.1 प्रतिशत प्रभारित करती है। विभिन्न कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से प्रत्याभूति शुल्क तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रूप में 31 मार्च 1997 को 0.26 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

* ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ, निक्षेप आदि के लेनदेन सम्मिलित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बैंक के पास 20 लाख रुपए का न्यूनतम नकदी शेष रखना अपेक्षित है। यदि किसी दिन का बकाया सहमत हुए न्यूनतम शेष से कम होता है, तो इस कमी को बैंक से अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट लेकर पूर्ण किया जाता है। नकद शेष की कमी को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार के राजकोष बिलों को भी पुनः बट्टे में दिया जाता है।

1992-97 के दौरान राज्य सरकार ने जिस सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा वह निम्नवत् है:

वर्ष	न्यूनतम शेष अनुरक्षित किए जाने वाले दिवस	अग्रिम प्राप्त किए बिना	अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके	उन दिवसों की संख्या जिनमें ओवरड्राफ्ट लिया गया	उन दिवसों की संख्या जिनमें भारत सरकार खजाना बिलों की पुनः कूट प्राप्त की गई
1992-93	22	102	232	9	
1993-94	44	86	218	17	
1994-95	191	9	21	144	
1995-96	130	23	14	199	
1996-97	122	21	10	212	

राज्य सरकार के वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्टों तथा ब्याज अदायगी का ब्यौरा निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	(करोड़ रुपए)				
(1) अर्थोपाय अग्रिम					
(i) वर्ष के दौरान लिए गए अग्रिम (कुल)	128.88	208.93	22.74	51.95	88.23
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिम	11.27	16.87	16.87	16.87	33.67
(iii) ब्याज भुगतान	1.16	1.17	0.15	0.10	0.10
2. ओवरड्राफ्ट					
(i) वर्ष के दौरान लिए गए ओवरड्राफ्ट (सकल)	4418.50	595.72	315.15	807.67	435.48
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	143.42	51.48	159.17	546.25	420.94
(iii) ब्याज भुगतान	1.55	2.96	0.78	0.71	1.04
3. भारतीय खजाना बिलों को पुनः भुनना					
(i) वर्ष के दौरान पुनः भुनाये गए बिलों की राशि	27.50	64.50	733.30	1207.75	1417.80
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया राशि	--	--	--	--	--
(iii) ब्याज भुगतान	0.29	0.30	16.68	9.48	9.30

(!!) " 8448-स्थानीय विधियों में जमा, 108-राज्य आवास बोर्ड विधियां तथा 120-अन्य"

* (1) " 8229-विकास एवं कल्याण निधि, 110-विद्युत विकास निधि"

सीमा का पालन करना अपेक्षित था।
 हो गई थी। निदेशक, सांस्थानिक वित्त एवं लोक उद्यम का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उन्हें निर्धारित अवसरों पर बंटी थी तथा यह "वित्तीय प्रबन्धन नीति" से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आवश्यक निदेशक, सांस्थानिक वित्त एवं लोक उद्यम में स्वीकार किया (सितम्बर 1997) कि यह सीमा कुछ सीमा से अधिक राशि आहरित की जो 1.98 करोड़ रु० तथा 54.42 करोड़ रु० के मध्य रही। करने में विकल रहा। वर्ष 1995-97 के दौरान निदेशक, सांस्थानिक वित्त एवं लोक उद्यम में वित्तीय 50 करोड़ रु० निर्धारित कर दी। निदेशक, सांस्थानिक वित्त एवं लोक उद्यम इस सीमा का पालन निजी खाता लेखा खोलने की अनुमति लेते हुए, जिसे महालेखाकार ने स्वीकृति दे दी, उच्चतम सीमा मजने से पूर्व प्रत्येक निजी खाता लेखा पर वित्तीय सीमाओं का निर्धारण किया जाना था। तदनुसार हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम में व्यवस्था है कि मामलों को महालेखाकार को (1)

(जन-जलाई 1997):

सांस्थानिक वित्त एवं लोक उद्यम के अभिलेखों की जांच से निम्नांकित तथ्यों का पता चला
 बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं विद्युत विभाग तथा वित्त विभाग के निदेशक,

एवं लोक उद्यम की निजी खाता लेखा खोलने के लिए प्राधिकृत कर दिया।
 महालेखाकार ने उक्त उद्देश्य हेतु वित्तीय नियमों के प्रावधानों की शर्त पर निदेशक, सांस्थानिक वित्त " 8229-विकास एवं कल्याण निधि, 110-विद्युत विकास निधि" में रखी जानी थी। जलाई 1992 में रखा जा सके। यह राशि " 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय" से निकाल कर अनुबंध किया ताकि निजी खाता लेखा खोलकर निदेशक का राज्यांश माध्याम झाकड़ी विद्युत नियम में जन 1992 में वित्त विभाग ने महालेखाकार से स्वयं को प्राधिकृत करने का

को राज्यांश मांग पर व्यय की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।
 मागीदारी का क्रमशः 75 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत का संयुक्त उद्यम है। माध्याम झाकड़ी विद्युत विभाग माध्याम झाकड़ी विद्युत विभाग भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश की बराबर

110-विद्युत विकास निधि

8229-विकास एवं कल्याण निधि

माध्याम झाकड़ी विद्युत विभाग

1.10.1(क)

वित्त विभाग

नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला।
 परियोजनाएं एवं विद्युत, परिवहन तथा वन विभाग में कुछ जमा शीर्षों के संबंध में अभिलेखों की हिमाचल जिला खजाना, कैपिटल खजाना, हिमाचल, वित्त विभाग तथा बहुउद्देश्यीय

जमा शीर्षों का अनुचित काठवाहन 1.10

हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गिवात की जा रही स्कीम "गांधी कंटेन योजना" की विलतपोषित करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1995-96 में हाऊसिंग तथा शहरी विकास निगम से 105.32 करोड़ रु० का ऋण लिया। हाऊसिंग विभाग द्वारा हाऊसिंग तथा शहरी विकास निगम की हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड के माध्यम से ऋण सहित (9 प्रतिशत) ऋण का मूजालन करना था।

8448-स्थानीय निधियों में जमा
108-राज्य हाऊसिंग बोर्ड निधियाँ

1.10.1 (ख) हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड के माध्यम से ऋण लेना

लोक निधियों के ब्याज की परिहारा होने हेतु।
राशि निकालना "विलत प्रबन्धन नीति" के अन्तर्गत आवश्यक था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि इससे सांस्थानिक विलत एवं लोक उद्यम में बलाया (सितम्बर 1997) कि परिपक्वतापूर्व सावधि जमाओं से मध्य था। परिपक्वतापूर्व राशि निकालने के कारण 1.04 करोड़ रु० के ब्याज की होने हेतु। निदेशक, उपरिपक्वता के समय निजी खाता लेखा में अपर्यक्त शेष 0.29 लाख रु० तथा 13.43 करोड़ रु०के लेखा में जमा करवाए जबकि निधियों की तत्काल आवश्यकता नहीं थी तथा सावधि जमाओं का उनकी अर्धव 1996 के मध्य सावधि जमा में से उनकी परिपक्वता निधियों से पूर्व निकलवाकर निजी खाता निजी की अल्पसावधि हेतु विभिन्न बैंकों के सावधि जमाओं में निवेशित करवा। अगस्त 1992 तथा सांस्थानिक, विलत एवं लोक उद्यम द्वारा जुलाई 1992 तथा मार्च 1996 के मध्य प्रत्येक मामले में 46 सावधि जमाओं में निवेशित राशि में से 20 मामलों में 76.37 करोड़ निदेशक, (11) (ख)

यह देखा गया कि निदेशक, सांस्थानिक विलत एवं लोक उद्यम ने 1992-97 के दौरान निजी खाता लेखा से 371.78 करोड़ रु० की निधियाँ विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेशित की थी। इसके अतिरिक्त निजी खाता लेखा में से कुल 181.42 करोड़ रु० वर्ष 1993-94 तथा 1996-97 के मध्य हाऊसिंग बचत लेखा में जमा करवाए गए। निदेशक, सांस्थानिक, विलत एवं लोक उद्यम ने लेखों की स्वीकारते हुए (सितम्बर 1997) बलाया कि ऐसा "विलत प्रबन्धन नीति के अन्तर्गत उपरन्धों का उल्लंघन किसी भी प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता।

(11) (क) विलतीय निधियों में व्यवस्था है कि किसी भी अधिकारी द्वारा सरकारी तौर पर प्राप्त अथवा जमा समस्त राशियाँ राज्य के सरकारी लेखा में शोधित की जानी अपेक्षित थी। अतः राज्य के सरकारी लेखा से बाहर बैंक लेखा नहीं खोले जाने थे।

यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड द्वारा उक्त ऋण के प्रति 35.34 करोड़ रु* प्राप्त किए तथा उसे शिमला खजाने में अप्रैल 1996 तथा जुलाई 1997 के मध्य ब्याज रहित जमा शीर्ष "8448-स्थानीय निधियों को जमा करना-108-राज्य हाऊसिंग बोर्ड निधियां" के शीर्ष के अन्तर्गत सरकार के अनुरोध पर जमा करवाया गया। सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड ने सूचित किया (अगस्त 1997) कि इस ऋण से संबंधित अभिलेख का अनुरक्षण उसके कार्यालय में नहीं किया जा रहा था तथा ये अभिलेख निदेशक, सांस्थानिक वित्त एवं लोक उद्यम के पास उपलब्ध थे। अतः हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड जो कि ऋणी है के पास ऋण के अभिलेख नहीं थे जिससे उनकी अदायगियों का अनुश्रवण किया जा सकता।

यद्यपि गांधी कुटीर योजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण लिया गया था किन्तु स्कीम को निधियां पूर्णतः राज्य बजट से "2216-हाऊसिंग" शीर्ष के अन्तर्गत दी गई और इस पर अप्रैल 1995 तथा जुलाई 1997 के मध्य 46.54 करोड़ रु** का व्यय किया गया। हाऊसिंग तथा शहरी विकास निगम को मार्च 1996 से जुलाई 1997 के मध्य 3.71 करोड़ रु (मूलधन: 1.38 करोड़ रु तथा ब्याज 2.33 करोड़ रु) वापिस किए जा चुके थे।

यह पाया गया कि 35.44 करोड़ रु की ऋण राशि सितम्बर 1997 तक खजाने में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इस राशि को प्रयुक्त न करने के कारण इस पर 2.33 करोड़ रु का ब्याज का भुगतान करने के अतिरिक्त निधियों का अवरोधन हुआ।

इस प्रकार वाणिज्यिक दर पर हाऊसिंग तथा शहरी विकास निगम से इन निधियों को उधार लेने का कोई औचित्य नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसा केवल सरकार की अर्थोपाय स्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।

परिवहन विभाग

1.10.2 हिमाचल प्रदेश यात्री बीमा स्कीम

8448-स्थानीय निधियों में जमा 120-अन्य निधियां

बसों तथा अनुबन्ध वाहनों में यात्रा करते हुए दुर्घटनाओं का शिकार हुए यात्रियों की मुश्किलों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यात्री बीमा स्कीम को चलाया (नवम्बर 1977)। यात्रियों पर अधिभार उद्ग्रहण करने का निर्णय लिया गया जो उनके द्वारा बीमा उद्देश्य हेतु देय यात्री एवं माल कर का 20 प्रतिशत की दर से होगा। इस प्रकार एकत्रित राशि को यात्री बीमा स्कीम निधि में जमा किया जाएगा जिसकी व्यवस्था आयुक्त (अब निदेशक), परिवहन करेगा। राज्य

* 1996-97: 25.35 करोड़ रु तथा 1997-98: 10.09 करोड़ रु

** 1995-96 23.84 करोड़ रु; 1996-97: 19.06 करोड़ तथा 1997-98: 3.64 करोड़ रु (जुलाई 1997 तक)

है। (नवम्बर 1997)।

माननीय सरकार को जून 1997 में सूचित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं

था क्योंकि वित्त विभाग बैंकों में निवेश हेतु लोक निधियों से राशि निकालने के लिए अनुरोध नहीं था। वित्त विभाग के साथ संलग्न करके उनके परामर्श से किया गया था। विभाग की कार्रवाई अनधिकृत संवर्धक निधि के रूप में प्राप्त नहीं की गई। उसने पुनः बताया कि सावधि जमाओं में निवेश सूचक परिवर्तन सरकार के दूर माघ पर दिए गए निर्देशों पर किया जा रहा था तथा सरकार की लेखापरीक्षा के प्रश्नों के उत्तर में निर्देशक ने बताया (मई 1996) कि निधि का

ओवरड्राफ्ट बोक में विकल्पित सरकार के शीश साधन को सूचित करती है।

इस प्रकार बैंकों में सावधि जमाओं में निधियों की उपलब्धता सीमा तक

सरकारी लेख में रखा गई होती।

सावधि जमा की राशि की सीमा तक बोक जा सकता था यदि सावधि जमाओं में निवेशित निधियाँ उसी अवधि के दौरान कुल 37.40 करोड़ ₹0 थे। उन पर ब्याज के साथ-साथ ओवरड्राफ्ट की तथा 1.18 करोड़ ₹0 का ब्याज इन ओवरड्राफ्टों पर अदा किया गया जबकि बैंकों में सावधि जमा सरकार के ओवरड्राफ्ट इस अवधि के दौरान 6.32 करोड़ ₹0 तथा 140.44 करोड़ ₹0 के मध्य रहे जाते। सावधि जमाओं के ब्याज से इन ऋणों का 54.63 लाख ₹0 का ब्याज अदा किया गया। राज्य निधि ताकि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्टों की वर्कौटी की वित्त समस्या से निपटा सावधि जमाओं की प्रत्याभूति के प्रति स्थानीय बैंकों से कुल 53.08 करोड़ ₹0 का अल्पावधि ऋण पुनः वह देखा गया कि सरकार ने दिसम्बर 1993 तथा अप्रैल 1994 के मध्य

तक सावधि जमाओं की ओर पर ब्याज के रूप में 2.43 करोड़ ₹0 अर्जित किए गए थे।

प्रति निधि के शेष उस अवधि में 0.03 करोड़ ₹0 तथा 1.14 करोड़ ₹0 के मध्य रहे। मार्च 1997 तथा वजन बैंक लेखाओं में निवेशित की। 1991-97 के दौरान 29.64 करोड़ ₹0 की कुल प्राप्त के कि 1991-92 से आगे विभाग ने आदेशित निधि राशियाँ इन नियमों का उल्लंघन करके सावधि जमा निर्देशक परिवहन के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (दिसम्बर 1996)

द्वारा प्राप्त अथवा जमा राशियाँ हेतु बैंक लेख राज्य के लोक लेख से बाहर नहीं खोले जाने चाहिए। वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि राज्य के कार्य से निर्यत किसी भी अधिकारी

निजी खाता लेखा खोलकर कर दिया गया।

सरकार ने महालेखाकार से यात्री बीमा रकम हेतु निजी खाता लेखा खोलने की अनुमति का अनुरोध किया (अप्रैल 1978) जिसे जून 1979 में मंजूर किया गया। निधि का परिवर्तन शिमला खजाने में

पुनः देखा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा 2 अप्रैल 1997 को "8448-स्थानीय निधियाँ में जमा-120 अन्य निधियाँ" शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी लेख में 150.70 करोड़ ₹0 तक वार फिर जमा करवाए। इससे राज्य सरकार के ऑवरड्रॉफ्ट समाप्त करने में सहायता मिली जो 3 अप्रैल 1997 को "शून्य" हो गया।

प्रत्यक्ष के कारण था।
करोड़ ₹0) को उनके द्वारा माव 1997 में सरकार को और से लिए गए ऋण के संबंध में किए गए हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (144 करोड़ ₹0) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (408.66 करोड़ ₹0) 31 मार्च 1997 को सरकार का समापन ऑवरड्रॉफ्ट 420.94 करोड़ ₹0 था जोकि मुख्यतः यह देखा गया कि सरकार के पास 30 मार्च 1997 तक ऑवरड्रॉफ्ट नहीं था

करोड़ ₹0 को समस्त राशि हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को प्रत्यर्पित कर दी।
हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा रख ली गई। 28 मार्च 1997 को राज्य सरकार द्वारा 144 निगम में जमा "शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी लेख में जमा करवाए गए। शीर्ष राशि (10.34 करोड़ ₹0) मार्च 1997 के मध्य "8448-स्थानीय निधियाँ में जमा-120 अन्य निधियाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य वन सरकार के निर्देशानुसार 154.34 करोड़ ₹0 के कुल ऋण में से 144 करोड़ ₹0 24 फरवरी तथा 21 रायबट्टी की अग्रिम अदायगी हेतु लिया गया ऋण जमा नहीं करवाया गया। इसके बजाए राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा सरकारी लेख के अंतिम प्राप्ति शीर्ष में

3.64 करोड़ ₹0 का अप्रकट डिस्कॉन्ट अर्जन किया।
कुल 1.14 करोड़ ₹0 में से 1.02 करोड़ अदा किए। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा निवेशकों को करोड़ ₹0 संवाहित किए तथा जलाई 1997 तक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा उनकी देय जिन्हें प्रबन्धकर्ता के रूप में 0.09 प्रतिशत की दर से फीज दी जानी थी। इन कम्पनियों ने 124.58 दायित्वों के प्रति उनकी बजट की सहजता दी। ऋण की तीन कम्पनियों के माध्यम से व्यवस्था की गई 154.34 करोड़ ₹0 का ऋण लिया। राज्य सरकार ने प्रत्याभूति दी थी तथा इस ऋण के व्यय बंधुओं की 17 प्रतिशत व्यय की अतिरिक्तिक दर से जारी करके हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम ने प्राधान्य नहीं था। इस उद्देश्य हेतु सरकार के अनुरोध पर 14 फरवरी तथा 22 मार्च 1997 के मध्य 1997) जबकि मानक अनुबन्ध में सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के मध्य ऐसा राज्य वन निगम को अग्रिम रायबट्टी के रूप में 250 करोड़ ₹0 जमा करवाने के निर्देश दिए (जनवरी हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान हिमाचल प्रदेश

120-अन्य निधियाँ

8448-स्थानीय निधियाँ में जमा

1.10.3 हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के माध्यम से ऋण लेना

वन निगम

* 31 मार्च 1996 को राज्य सरकार की तरफ अन्य एजेंसियों से (446.43 करोड़ रु0) तथा केन्द्र सरकार से ऋण के रूप में 1725.24 करोड़ रु0 बकाया था।

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

इन तथ्यों से सरकार को दिसम्बर 1997 में अवगत कराया गया था; उनका

कारणों ने इसकी अधीनस्थ स्थिति में सहजता की।
 ऋणी थी किन्तु उसने इस प्रावधान की अनदेखी करके अनर्जित रूप से ऋण लिए जिससे सरकारी
 जिसकी जमानत भारत सरकार द्वारा दी गई हो। क्योंकि राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अत्यधिक
 तक जब कोई ऋण बकाया है, जो भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया हो अथवा
 की सहजता से लिए गए ऋण को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की मनाही है, सिर्फ उस हद
 भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार

दूसरा अध्याय
विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

2.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 1996-97 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नवत् थी:

	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय *	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
(करोड़ रुपए)					
I. राजस्व					
दत्तमत	1927.65	52.98	1980.63	2019.69	(+) 39.06
प्रभारित	361.11	1.15	362.26	318.73	(-) 43.53
II. पूंजीगत					
दत्तमत	358.23	39.99	398.22	409.07	(+) 10.85
प्रभारित	1.60	0.16	1.76	1.62	(-) 0.14
III. लोक ऋण					
प्रभारित	132.46	--	132.46	684.78 [⊗]	(+) 552.32
IV ऋण तथा अग्रिम					
दत्तमत	71.28	3.34	74.62	81.41	(+) 6.79
सकल जोड़	2852.33	97.62	2949.95	3515.30	(+) 565.35

2.2 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.2.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/ आधिक्य

43 मामलों में बचत तथा 25 मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम 565.35 करोड़ ₹0 का समग्र आधिक्य था जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:

	बचत		आधिक्य		निवल बचत (-)/आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(करोड़ रुपए)						
दत्तमत	60.23	12.21	99.29	29.85	(+) 39.06	(+) 17.64
	(17 अनुदान)	(15 अनुदान)	(13 अनुदान)	(9 अनुदान)		
प्रभारित	43.53	0.14	\$	552.32	(-) 43.53	(+) 552.18 [⊗]
	(8 विनियोग)	(3 विनियोग)		(2 विनियोग)		

* ये सकल आंकड़े हैं जिनमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 191.54 करोड़ ₹0; पूंजीगत व्यय: 58.90 करोड़ ₹0 में कटौती के रूप में समायोजित वसुलियां सम्मिलित हैं।

⊗ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा न्यूनताओं की चुकौती के सम्बन्ध में 560.79 करोड़ ₹0 भी शामिल हैं।

केवल 27419 ₹0

वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त समग्र पूरक अनुदान व विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों के 3.42 प्रतिशत बनते थे।

7 मामलों में 15.80 करोड़ रुपए का पूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन सभी मामलों में व्यय मूल प्रावधानों से भी कम था। विवरण परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।

दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 72.44 करोड़ रुपए तथा प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत 43.67 करोड़ रुपए की अंतिम बचत में से 15 अनुदानों और एक विनियोग में कुल 113.56 करोड़ रुपए (17 मामले) की बचत हुई जो प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए से कम नहीं थी।

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	मुख्य कारण
दत्तमत अनुदान			
राजस्व			
1.	1- विधान सभा तथा निर्वाचन	0.88 (11)	रिक्त पदों को न भरना, वाहनों के अनुरक्षण तथा मरम्मत पर कम व्यय, कार्यालय आवास किराये पर न लेने, कार्यालय सामग्री पर कम व्यय, मुद्रण पर कम व्यय, अन्य विभागों से वेतन तथा यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति और विशेष सेवाओं पर व्यवसायिकों को न लगाना।
2.	4-सामान्य प्रशासन	13.49 (9)	रिक्त पदों को न भरना, भारत सरकार द्वारा वहन की गई हानियां, सहायता अनुदान मामलों की कम प्राप्ति, भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन मामलों की कम प्राप्ति, हैलीकॉप्टर पर कम व्यय, योजना सीमा में कमी, सामग्री का कम क्रय, कार्यालय खर्चों पर कम व्यय और भारत सरकार से सहायता अनुदान संस्वीकृति की कम प्राप्ति।
3.	11- कृषि	2.58 (4)	रिक्त पदों को न भरना, दैनिक भोगी स्टॉफ की कम नियुक्ति, कार्यालय वस्तुओं व सामग्री का कम क्रय, विविध मदों तथा प्रदर्शनियों इत्यादि पर कम व्यय, सहायता अनुदान मामलों की प्राप्ति न होना, सैमीनारों के आयोजन पर कम व्यय, कृषि पूर्तिकरण स्कीम को क्रियान्वित न करना, उपयुक्त उपदान मामलों की कम प्राप्ति, मशीनरी तथा उपस्कर न खरीदना, कम यात्रा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति खर्च, कच्ची सामग्री पर कम व्यय, पुष्पोत्पादन सामग्री का आयात न करना,

प्रशिक्षण को रोकना।
 के अन्तर्गत मूर्तपूर्व सेनिका को बेवार करने के
 देना तथा भारत सरकार द्वारा स्वयंसेविकाएँ स्वीकृत
 अतिम रूप न देना, प्रशिक्षण मामलों को अतिम रूप न
 का अर्थान, सहजता अर्जान के मामलों को
 लेना, लघु निर्माण कार्यों का कम निष्पादन, पर्व
 के लिए वाहन न देना, भवनों को किराए पर न
 कर्मचारियों को कम नियुक्ति, नई संस्वीकृत स्कीमों
 विभिन्न वर्गियों को कम खरीद, दैनिक वतनमार्गी
 इत्यादि हेतु विविध मद्, लेखन सामग्री, फर्निचर,
 बर्तिकाएँ में परिवर्तन, पाठशालाओं/ आश्रमों
 रिक्त पदों का न भरना, आदिख पर व्यय के

6. 19-सामाजिक सुरक्षा 1.04
 तथा कल्याण (2)
 (प्राण सहित)

प्रसार प्रशिक्षण स्कीमों का अन्तरण।
 कम निधियों का प्रवधान; तथा अन्य शीर्षों को
 प्रौद्योगिकी एवं स्वयंसेविकाएँ स्वीकृत द्वारा
 परिवर्तननाओं का अतिष्पादन, लघु वन उत्पाद
 वाहनों उपकरण तथा सामग्री को कम खरीद,
 अर्जानाएँ प्रदान न करना, कम कार्यों का निष्पादन,
 आर्थिक वन्यजीवन निवृत्त प्रणाली के लिए
 यात्रा खर्चों पर कम व्यय, भारत सरकार द्वारा
 योजना परिव्यय में कटौती, वतन मजदूरी तथा

5. 16-वन एवं वन्य प्राणी (1)
 1.12

प्रतिपूर्ति दावों को कम प्राप्ति
 का कहीं और लेखांकन तथा विकल्प
 विकेंद्रिक प्रणाली के कार्यान्वयन स्वल्प व्यय
 हेतु भारत सरकार द्वारा कम राशि को संस्वीकृति,
 रिक्त पदों का न भरना, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

4. 13-मृ तथा जल 3.18
 सुरक्षा (16)

संघर्षों को पूर्णता हेतु कम सहजता अर्जान
 करना, वाहनों को कम मरम्मत तथा बायो गैस
 निष्पादन, विपणन बोर्ड को अर्जान जारी न
 किराये का भूगतान न करना, कार्यों का कम
 केन्द्रीय सहजता को अप्राप्ति, शीत मण्डलों के

कम अर्जान वतन की राशि (वतन की प्रतिशतता) (करीब रूप)

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	मुख्य कारण
7.	20- ग्रामीण विकास	5.63 (8)	योजना स्कीम में कटौती, रिक्त पदों का न भरना, वाहनों के अनुरक्षण तथा यात्रा खर्चों पर कम व्यय और संहिता सम्बन्धी औपचारिकताओं की अपूर्णता।
8.	21- सहकारिता	0.76 (8)	रिक्त पदों का न भरना, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद तथा यात्रा खर्चों पर कम व्यय, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर कम व्यय तथा लाभार्थियों से उपदान के मामलों की कम प्राप्ति
9.	29- वित्त	29.92 (18)	राज्य वित्त आयोग के कार्यालय को बन्द करना, पेंशन तथा उपदानों की कम अदायगी, बिक्री कर में वृद्धि, लाटरी टिकटों की बिक्री का अनुमोदन न करना और रिक्त पदों का न भरना।
पूँजीगत			
10.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.16 (22)	प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय संस्वीकृति को अंतिम रूप न देना और संहिता औपचारिकताओं को पूरा न करना।
11.	10- लोक निर्माण	0.88 (6)	होमगार्ड के लिये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु स्थल की अनुपलब्धता तथा योजना सीमा में कटौती।
12.	21-सहकारिता	0.82 (8)	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कम निवेश, लाभार्थियों द्वारा कम मांग, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से कम प्रतिपूर्ति, विधायन सहकारिताओं से निवेश मामलों की प्राप्ति न होना, विधायन सहकारिताओं हेतु भारत सरकार से सहायता की अप्राप्ति, ग्रामीण तथा लघु उद्योग सहकारिताओं में कम निवेश, खाद्य- भण्डारण इत्यादि हेतु ऋण मामलों की अप्राप्ति, क्रेडिट कोआपरेटिव से ऋणों की कम मांग तथा वाहनों की कम खरीद।
13.	22-खाद्य एवं भण्डारण	1.46 (5)	गेंहू तथा चावल का कम उपार्जन, कम गोदाम किराए पर लेना और दैनिक भोगी कर्मियों को कम भुगतान।
14.	25-सड़क, जल परिवहन तथा नामरिक उड्डयन	2.98 (26)	योजना सीमा में कटौती तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों हेतु स्थल का चयन न करना।

क्रम	अनुदान	वर्ष की	संख्या
कम	अनुदान	वर्ष की	संख्या
कम	अनुदान	वर्ष की	संख्या
1.	क-राजस्व-दलगत	1- विधानसभा एवं निर्वाचन	11
2.	21-सहकारिता		8
3.	27-श्रम एवं रोजगार		6
4.	29-विद्युत		18
5.	ग-राजस्व- प्रभारित	29- विद्युत	12
6.	10-लोक निर्माण कार्य		60
7.	3-पूँजीगत-प्रभारित	29-विद्युत	417
1.	क-राजस्व-दलगत	1- बचत	11
2.	अनुदान	अनुदान	23
3.	अनुदान	अनुदान	28
4.	अनुदान	अनुदान	32
5.	अनुदान	अनुदान	17
6.	अनुदान	अनुदान	31
7.	अनुदान	अनुदान	8
8.	अनुदान	अनुदान	8
9.	अनुदान	अनुदान	10
10.	अनुदान	अनुदान	50
11.	अनुदान	अनुदान	90
12.	अनुदान	अनुदान	304
13.	अनुदान	अनुदान	417

कुल अनुदानों के प्रति बचत/आधिक्य की प्रतिशतता

निम्नवत शः

मामलों में अधिक था, जबकि दो अन्य मामलों में यह प्रावधान से निरन्तर अधिक रहा। सम्बद्ध विवरण

1994-97 के दौरान व्यय कुल प्रावधानों से 5 प्रतिशत निरन्तर कम तथा पांच

निरन्तर बचत/आधिक्य

2.2.2

17. 29-विद्युत 43.44 (12)

प्रभारित विनियोजन

राजस्व

कर्मचारियों की श्रम (5)

30- सरकारी 1.15

गृह भवन अधिमा, कार अधिमा तथा सार्डकल

अधिमो की कम मांग।

तथा व्यय संस्वीकृति को न देना।

मांग, पुलिस आवास के लिये प्रशासनिक अनुमोदन

आवास बोर्ड द्वारा सामान्य आवास वितरणार्थ कम

आकलन को संस्वीकृति न देना, उपर्युक्तों तथा

योजना स्कीम में कटौती, मल-व्यवस्था स्कीम के

28-जलापूर्ति, 2.07

स्वच्छता, आवास (3)

एवं शहरी विकास

की प्रतिशतता

(करोड़ रुपए)

राशि (बचत)

अनुदान

वर्ष की

संख्या

क्रम

क्रम	अनुदान	बचत की राशि	अनुवर्धित राशि	शेखा
1.	1 - विद्यालय समग्र एवं निर्वाचन	87.70	90.16	राजसूय-दत्तमत्त
2.	13-मू एवं जल संरक्षण	318.35	321.51	
3.	14-पशु पालन एवं वृष्य विकास	35.78	129.92	
4.	16-वन एवं वन्य प्राणी	111.60	111.92	
5.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	103.85	121.44	(प्राण संहित)
6.	21 - सहकारिता	76.13	104.67	
7.	25- सड़क, जल परिवहन तथा	30.58	31.46	
8.	27-शम एवं रोजगार	47.48	51.39	
9.	29-विद्युत	2991.52	3608.61	पूँजीगत-दत्तमत्त
10.	5-मू-राजसूय	3.27	4.35	
11.	21-सहकारिता	82.05	82.62	
12.	22-खाद्य एवं मत्स्यपालन	145.51	186.26	

(लाख रुपए)

(क) उपलब्ध बचतों से अधिक निधियों का अनुवर्धण:

12 अनुदानों (16 मामलों) में अनुवर्धित राशि समग्र बचत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त 8 अनुदानों तथा एक विनियोग के मामले में 12.33 करोड़ रु० अनुवर्धित किए गये यद्यपि वय अनुदान से बर्त गया और अनुवर्धण हेतु कोई बचत उपलब्ध नहीं थी। समग्र बचतों के निम्नलिखित हैं:

दत्तमत्त अनुदानों के अनुदान 72.44 करोड़ रु० तथा प्रभारित विनियोगों के अनुदान 43.67 करोड़ रु० की अन्तिम बचतों में से 15 दत्तमत्त अनुदानों में (15 मामलों) तथा 8 प्रभारित विनियोगों में (10 मामलों) 11.05 करोड़ रु० की बचत अनुवर्धित किए गये हैं। मुख्य निम्नलिखित विनियोगों के उदाहरण, जहाँ बचत एक करोड़ रु० से अधिक थी किन्तु अनुवर्धित नहीं की गई थी, परिशिष्ट-II में शामिल किए गए हैं।

अनुदान या विनियोग में वर्ष के समाप्त होने की प्रतीक्षा न करके, अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूरा चलने के तत्काल पश्चात् सरकार को अनुवर्धित की जानी चाहिए, जब कि ऐसी बचत कुछ अन्य उदाहरणों के अनुदान आधिकार्यों को पूरा करने के लिए अधिलिखित न हो। तथापि, बचतों की मरिचक के सम्भावित आधिकार्यों हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
13.	25-सड़क, जल परिवहन तथा नागरिक उड्डयन	298.39	300.01
14.	27-श्रम एवं रोजगार	0.60	2.25
15.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	207.02	302.55
राजस्व प्रभारित			
16.	29-वित्त	4344.32	4447.48
	जोड़	8884.15	9896.60

(ख) समग्र अधिक व्यय के बावजूद निधियों का अभ्यर्पण:

क्रमांक	अनुदान	अधिक व्यय की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
राजस्व-दत्तमत			
1.	5- भू-राजस्व	86.84	126.55
2.	8-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	472.94	443.15
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35.79	449.88
4.	26- पर्यटन तथा आतिथ्य संगठन	45.66	6.06
5.	28- जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1668.14	9.06
पूंजीगत-दत्तमत			
6.	4-सामान्य प्रशासन	951.23	17.85
7.	17-सड़कें एवं पुल	514.13	180.40
8.	23- जल एवं विद्युत विकास	878.54	0.01
राजस्व-प्रभारित			
9.	1-विधान सभा एवं निर्वाचन	0.27	0.42
	जोड़	4653.44	1233.38

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के केवल अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई थीं। ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण तथा निगरानी के परिचायक थे।

2.2.4 अनुदान/विनियोग में आधिक्य

राजस्व प्रवर्ग में 13 अनुदानों में कुल आधिक्य 99.29 करोड़ ₹0 तथा एक विनियोग में 27,419 ₹0 का आधिक्य था जबकि पूंजीगत प्रवर्ग में नौ अनुदानों में 29.85 करोड़ ₹0 तथा दो विनियोगों में 552.32 करोड़ ₹0 के आधिक्य थे। इन आधिक्यों (नीचे दिया गया विवरण)

का संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन विनियमन करना अपेक्षित था:

क्रमांक	अनुदान	कुल अनुदान/विनियोग रुपए	वास्तविक व्यय रुपए	आधिक्य की राशि रुपए
दत्तमत अनुदान				
राजस्व				
1.	2-राज्यपाल तथा मंत्रीमण्डल	3,75,06,500	3,81,99,262	6,92,762
2.	5-मू-राजस्व	55,24,90,000	56,11,73,921	86,83,921
3.	6-आवकारी एवं कराधान	12,65,73,000	12,69,92,887	4,19,887
4.	7-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	92,61,83,000	93,00,74,783	38,91,783
5.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3,72,07,04,000	3,76,79,98,439	4,72,94,439
6.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,42,52,54,000	1,42,88,32,808	35,78,808
7.	10-लोक निर्माण	91,86,45,000	1,47,03,26,715	55,16,81,715
8.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	42,84,68,000	49,89,09,959	7,04,41,959
9.	17-सड़कें एवं पुल	1,08,86,31,000	1,09,94,92,786	1,08,61,786
10.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	46,59,45,768	49,50,79,968	2,91,34,200
11.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	4,26,82,000	4,72,37,944	45,55,944
12.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,26,94,19,000	1,43,62,32,996	16,68,13,996
13.	31-जनजातीय विकास	1,06,78,16,000	1,16,27,26,728	9,49,10,728
पूँजीगत				
14.	4-सामान्य प्रशासन	15,33,73,000	24,84,96,260	9,51,23,260
15.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	6,85,93,000	7,01,27,561	15,34,561
16.	11-कृषि	13,67,35,000	14,38,81,097	71,46,097
17.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	22,47,65,000	25,30,04,542	2,82,39,542
18.	15-मत्स्य	1,13,75,000	1,16,24,642	2,49,642
19.	17-सड़कें एवं पुल	67,77,93,000	72,92,06,139	5,14,13,139
20.	20-ग्रामीण विकास	73,58,000	73,58,253	253
21.	23-जल एवं विद्युत विकास	1,03,55,01,000	1,12,33,55,000	8,78,54,000
22.	31-जनजातीय विकास	43,50,38,000	46,19,54,537	2,69,16,537
प्रभारित विनियोग				
राजस्व				
1.	1-विधानसभा एवं निर्वाचन	8,38,000	8,65,419	27,419
पूँजीगत				
2.	17-सड़कें एवं पुल	1,50,00,000	1,50,00,101	101
3.	29-वित्त	1,32,46,38,000	6,84,78,38,414 [⊗]	5,52,32,00,414

आधिक्य के कारण अक्टूबर 1997 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

⊗ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा न्यूनताओं की चुकौती के सम्बन्ध में 560.79 करोड़ रु० शामिल हैं।

1996-97 के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 10 अर्जनों/विनियों से अन्तःग्रन्थ 30 उप-शीर्ष के मामलों में 4.52 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोजन

शे।

सकती है।

पुनर्विनियोजन का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा जाहिए जब यह जात हो अथवा यह प्रत्याशा हो कि इकाई जिससे विनियोग स्थानान्तरित की जानी है, वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही सकता है। विनियों का पुनर्विनियोजन केवल उसी स्थिति में किया जाना विनियों का पुनर्विनियोजन किसी अर्जन या विनियोग में उसकी प्राथमिक इकाई के मध्य विन्तीय इकाईयां कहा जाता है) में विभाजित किया जाता है जिनके अन्तर्गत इसे लेखाबद्ध करना होता है। अर्जन अथवा विनियोग को उपशीर्ष अथवा मानक उद्देश्यों (जिन्हें प्राथमिक

2.2.7 अविकर्ण पुनर्विनियोजन

अर्जनों में 1.27 करोड़ रु० की कम वर्सुतियों का कम बजट बनाया गया। मुख्य निम्नलिखित का ब्यौरा वर्सुत लिफ्ट प्रकार पूंजीगत प्रवर्ग में सात अर्जनों के मामले में 3.55 करोड़ रु० और तीन करोड़ रु० की वर्सुतियों का कम अर्जनों बनाया गया तथा एक अर्जन में 0.29 करोड़ रु० कम समायोजन श्रे। इस प्रकार, राजस्व प्रवर्ग में छः अर्जनों के अन्तर्गत व्यय की कमी हेतु 64.95 प्रवर्ग में 56.62 करोड़ रु० के बजट आकलनों के प्रति 58.90 करोड़ रु० की वास्तविक वर्सुतियां तथा 126.88 करोड़ रु० के बजट आकलनों के प्रति वास्तविक वर्सुतियां 191.54 करोड़ रु० थीं। पूंजीगत दिखाया जाता है। वर्ष 1996-97 के लेखाओं की संशोधा से उद्घाटित हुआ कि राजस्व प्रवर्ग में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार, विनियोग लेखाओं में भी वर्सुतियों की उसके परिशिष्ट में अलग से है और व्यय की कमी के रूप में ली जाने वाली वर्सुतियों को उसके नीचे पाद टिप्पणियों में अलग से अर्जन मांगे एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि हेतु होती

2.2.6 व्यय की कमी के रूप में वर्सुतियां

अक्टूबर 1997 तक प्राप्त नहीं हुए श्रे। के विषय में निम्नलिखित हेतु ऐसे स्पष्टीकरण आशयक श्रे परन्तु 198 शीर्ष/उप-शीर्ष के मामले में वर्ष 1996-97 के लिए 803 शीर्ष/उप-शीर्ष से सम्बन्धित विनियोग लेखाओं

अन्तर्गत विशेष रूप से स्पष्ट करना होता है।

अधिकारी को भ्रम दिए जाते हैं। उन निम्नलिखितों को सामान्य रूप से एवं महत्वपूर्ण शीर्ष/उप-शीर्ष के विनियोग अर्जन/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी निम्नलिखित दर्शाई जाती है, नियन्त्रण प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् विनियोग लेखे

2.2.5 बचती/आधिकार्य का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

राजस्व, ग्रामीण विकास, उद्योग तथा लोकनिर्माण विभागों के लेखाधियों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अप्रैल 1993 से अप्रैल 1996 की अवधि के दौरान विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के लिए 13.85 करोड़ ₹0 आर्बिल किए गए। नीचे दिए गए खोटे के अनुसार मार्च 1997 के अन्त तक इसमें से 5.16 करोड़ ₹0 की राशि या तो निषादन अभिकरणों के पास अग्रयुक्त पड़ो शी

विन्तीय नियमों में प्रावधान है कि किसी भी धनराशि का खजाने से तब तक आहरण नहीं करना चाहिए जब तक वह तुरन्त भूगतान के लिए अथवा स्थाई अधिस से संचित करने के लिए भी खजाने से अधिसों का आहरण अनमत् नहीं है। अत्यधिक समय लेने की सम्भावना है, के लिए भी खजाने से अधिसों का आहरण अनमत् नहीं है। अत्यधिक निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक न हो। ऐसे निर्माणकार्यों के निषादन, जिनकी पूर्ता में पर्याप्त राशि/क्षेत्र राशि को शीघ्र खजाने में जमा करना अपेक्षित है।

2.4 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

सरकार की मामला अप्रैल 1997 में सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

सरकार की सम्मान में विलम्ब की सीमा आवधिक रूप से संचित किए जाने पर कर्तव्य के व्यय का सम्मान नहीं किया। इस प्रकार, 31.12.98 करोड़ ₹0 का व्यय असम्पाद्योचित रहा।

निर्माण के अद्यक्ष द्वारा विभागीय आंकड़ों का सम्मान महालेखाकार के कार्यालय में भूक किए गए आंकड़ों से प्रत्येक महीने किया जाना चाहिए ताकि यह संचित किया जा सके कि विभागीय लेख पूर्णतया सही है और लेखा कार्यालय में सही रूप से लेख रखे गए हैं, जिससे से अन्तिम मुद्रित लेख संकलित किए जाते हैं।

2.3 विभागीय आंकड़ों का सम्मान

(ख) इसके अतिरिक्त, वे शीघ्र जिनसे निधियाँ अन्तरित की गई पूर्णनिर्वाचन हेतु उनके अधीन कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी (परिशिष्ट-IV-11)।

(क) उपशीर्षों के अधीन मूल प्रावधान, जिसमें पूर्णनिर्वाचन द्वारा निधियाँ स्थानान्तरित की गई थी, पर्याप्त थे और परिणामतः पूर्णनिर्वाचन राशियाँ अग्रयुक्त नहीं (परिशिष्ट-IV-1)।

आवश्यकता से पूर्व निधियों का ऐसा आहरण सरकारी निधियों के अवरोधन तथा सरकारी लेखाओं से पृथक रखने में परिणत हुआ।

सरकार को यह मामला मार्च तथा जून 1997 में सन्दर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 1997)।

कृषि विभाग

2.5 बजट क्रियाविधि तथा व्यय-नियंत्रण

2.5.1 परिचय

कृषि विभाग मुख्य लक्ष्यों में किसानों को खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करवाना; तिलहन तथा दालों के उत्पादन बढ़ाना; किसानों को तकनीकी जानकारी देना; नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देना; मरु-भूमि काश्त करना तथा भू-संरक्षण कार्यों आदि पर बल देने में सहायता करता है। राज्य में अधिकतम आय जुटाने की स्कीमों के माध्यम से किसानों के आर्थिक स्तरों को बढ़ाना कृषि विभाग की रणनीति था। विभाग के लिए राज्य के बजट में अनुदान संख्या 11- कृषि तथा 13- भू एवं जल संरक्षण के माध्यम से 2401, 2415, 2435, 2810, 4401, 4425, 4435, 6401, 2402 तथा 6402 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निधियों का प्रावधान किया जाता है।

2.5.2 संगठनात्मक ढांचा

कृषि विभाग में बजट आकलनों का कार्य 53 संवितरण अधिकारियों तथा 23 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निदेशक, कृषि के नियंत्रणाधीन होता है, जो विभाग का प्रमुख होता है तथा जो विभाग के बजट आकलनों को तैयार करने तथा वित्त विभाग को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।

विभाग वित्तीय आयुक्त एवं सचिव (कृषि) के समग्र प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है। बचत नियम पुस्तिका के अनुसार वह वित्त विभाग को नए व्यय पर अनुसूचियां तथा मैमोरण्डा जैसे बजट दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, अनुदानों में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव रखने तथा विधानमण्डल को प्रस्तुत करने हेतु पूरक मांगों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

2.5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

कृषि विभाग में वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान व्यय नियंत्रण हेतु बजट

क्रियाविधि तथा व्यवस्था की समीक्षा निदेशालय में मई से जुलाई 1997 के दौरान की गई। समीक्षा के परिणामों की चर्चा निम्नलिखित है:

2.5.4 आकलनों को तैयार करना

विभागाध्यक्षों द्वारा बजट आकलनों की तैयारी तथा प्रक्रिया और व्यय नियंत्रण हेतु कार्यविधि तथा क्षेत्र संरचना का वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों सहित हिमाचल प्रदेश बजट नियम पुस्तक में निर्धारण किया गया था।

(i) रिक्त पदों हेतु निधियों के प्रावधान के कारण अत्युक्त आकलन

बजट नियम पुस्तक के अनुसार स्थायी अथवा अस्थायी संस्वीकृत स्थापना हेतु आकलनों को बनाते समय कार्यरत कर्मियों द्वारा आहृत किए जाने वाले वेतन तथा वेतनवृद्धियां हिसाब में ली जानी चाहिए। आस्थगित होने वाली नियुक्तियों हेतु प्रावधान नहीं किया जाना था। इन उपबन्धों के विपरीत कृषि निदेशक ने बजट आकलनों में 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमशः 695, 480 तथा 597 रिक्त पदों के लिए 4.05 करोड़ ₹ का प्रावधान किया। ये प्रावधान बाद में अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित किए गए जैसा कि निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (करोड़ रुपए)	अन्तिम अनुदान	अभ्यर्पण
1994-95	8.15	0.48	7.67	0.96
1995-96	6.95	1.09	5.86	--
1996-97	10.54	1.22	9.32	0.30
जोड़	25.64	2.79	22.85	1.26

कृषि निदेशक ने बताया (जून 1997) कि बजट प्रावधानों के बिना इन पदों को निकाल देना चाहिए तथा उन्हें पुनर्जीवित करने हेतु वित्त विभाग तथा मंत्रीमण्डल का अनुमोदन अपेक्षित होगा। कृषि निदेशक का तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि रिक्त पदों हेतु आकलन नहीं बनाए जाने थे। अतः इन पदों के लिए प्रावधान ने बजट आकलनों को अनुचित रूप से बढ़ाया जिन्हें तदनन्तर अभ्यर्पित व पुनर्विनियोजित किया जाना था।

* मुख्य शीर्ष 2401, 2415, 2435, 2810, 4401, 4425, 4435 तथा 6401 शामिल है।
 # मुख्य शीर्ष 2402 तथा 6402 सम्मिलित है।

उठाने चाहिए है।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि बजट आकलनों को विगत वर्षों के व्यय, आधिक्य तथा अभ्यर्णित विवरणियों, कार्यरत स्टॉक आदि के आधार पर तैयार किया गया था। यह मान्य नहीं था क्योंकि आधिकारिक विवरण आधिकारियों को समय पर आकलनों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पत्र

उठाने चाहिए है।
 1.19 करोड़ रु० तदर्थ आधार पर बजट में उठाए गए थे।
 को 1995-96 तथा 1996-97 के बजट आकलनों को प्रस्तुति पेशवाते प्राप्त हुए थे, जिसके प्रति (आयोजनात्मक) के संक्षेप में 1.34 करोड़ रु० के 12 आकलन तीन नियंत्रण आधिकारियों से सरकार

(क) अर्जुन संख्या 13- मू एवं जन संरक्षण, मुख्य शीर्ष 2402- मू एवं जन संरक्षण
 आकलन तैयार तथा समीकित करने थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित बातों का पता
 आधिकारियों/आकलन आधिकारियों से प्राप्त आकलनों के पेशवाते विभागगत संक्षेप में अन्तिम रूप से
 आधिकारियों/विभागगत संक्षेप में प्रस्तुति हेतु आकलनों को बनाना अपेक्षित था। नियंत्रण
 बजट नियम पुस्तक के उपबन्धों के अनुसार आकलन आधिकारियों द्वारा नियंत्रण

(!!!) आकलनों की प्रस्तुति

सहायक अर्जुन हेतु कम मांग से सम्बद्ध किया।
 रिक्त पद न भरने, विभिन्न स्कोपों के अन्तर्गत न करने, उपदान हेतु कम मामलों को प्राप्ति तथा

वर्ष	अन्तिम अर्जुन	व्यय	आधिक्य(+)/बर्बाद(-)
1994-95	50.49	46.90	38.13 (-)
1995-96	45.32	43.81	43.00 (-)
1996-97	46.89	48.48	47.66 (-)
अर्जुन संख्या 13#			
1994-95	8.80	9.23	8.95 (-)
1995-96	8.14	9.49	9.42 (-)
1996-97	7.87	8.55	8.58 (+)
1994-97 वर्षों में अर्जुन निरन्तर बर्बादों को सरकार ने			
1994-95	50.49	46.90	38.13 (-)
1995-96	45.32	43.81	43.00 (-)
1996-97	46.89	48.48	47.66 (-)
अर्जुन संख्या 11*			

(करोड़ रूपए)

वर्ष बजट आकलन अन्तिम अर्जुन व्यय आधिक्य(+)/बर्बाद(-)

वर्ष 1994-97 के दौरान विभाग का बजट तथा निरन्तर बर्बादों निम्नवत थीं:

(!!) बजट प्रावधान तथा व्यय

1994-95 तथा 1995-96 के दौरान अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत विभिन्न लघु शीर्षों/विनियोजन की इकाइयों के अन्तर्गत विनियोग पर क्रमशः 2.90 करोड़ ₹0 तथा 1.47 करोड़ ₹0 के व्यय आधिक्य थे। कृषि निदेशक ने बताया (दिसम्बर 1997) कि विनियोजनों में समग्र बचतों के कारण संवितरण अधिकारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि संवितरण अधिकारियों के पास उन्हें आबण्डित निधि के प्रति अधिक व्यय का प्राधिकार नहीं था। कृषि निदेशक द्वारा प्रावधानों पर आधिक्य का अनुश्रवण करने में विफल रहने से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अधिक व्यय सुगम हुआ।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि आधिक्यों के कारण मुख्यतः अधिक कृषि निवेशों की खरीद; अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जारी करना तथा अन्तरिम राहत किशतें; दैनिक मजदूरी दर में बढ़ौतरी; कृषि निवेशों पर उपदान आदि थे।

2.5.6 परिहार्य पूरक विनियोजन

अनुदानों की राशि अपर्याप्त होने, "नई सेवा" पर व्यय करने की आवश्यकता पड़ने तथा बढ़ी वित्तीय प्रतिबद्धता की स्कीम का विधानमण्डल से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होने पर पूरक अनुदान अपेक्षित थे।

वर्ष 1994-95 के आकलनों में "2401-कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरिंग, 01-कृषि औजार तथा मशीनरी, सहायता अनुदान (आयोजनेतर)" शीर्ष के अन्तर्गत 8.84 लाख ₹0 का प्रावधान किया गया था। यद्यपि विभाग ने इस लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पूरक अनुदान का प्रस्ताव नहीं किया, किन्तु वित्त विभाग ने अपनी ओर से मार्च 1995 में इस शीर्ष के प्रति 7.50 करोड़ ₹0 का प्रावधान किया। 7.59 करोड़ ₹0 के कुल प्रावधान में से केवल 7.06 लाख ₹0 खर्च किए गए तथा 7.50 करोड़ ₹0 के अव्ययित शेष को छोड़कर 1.95 लाख ₹0 पुनर्विनियोजित किए गए थे।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि हिमाचल प्रदेश स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को सहायता अनुदान देने हेतु नीतिगत निर्णय लेने के पश्चात् प्रावधान किया गया था किन्तु बाद में निगम को सहायता अनुदान जारी करना उपयुक्त नहीं समझा गया। अतः पूरक अनुदान हेतु वास्तविक मांग के बिना किए गए प्रावधान के कारण 7.50 करोड़ ₹0 की परिहार्य बचतें हुईं।

2.5.7 अनियमित पुनर्विनियोजन

(i) बजट नियम पुस्तक के उपबन्धों के अनुसार किसी भी नए व्यय हेतु पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यय विनियोजन अधिनियम के द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता।

वर्ष 1995-96 के दौरान "2401-कृषि कर्म, 109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण, 21-महिलाओं का कृषि प्रशिक्षण (योजनागत) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम" शीर्ष के अन्तर्गत नई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु अनुदानों के लिए मूल मांग अथवा पूरक मांग में प्रावधान नहीं किया गया था। यह

विश्व विभागा ने बताया (जुलाई 1997) कि प्रत्येक प्रावधान मूल विनियोजन में निम्न परिवर्द्धन था तथा इस प्रकार की गई बचतों को प्रयुक्त करने पर रोक नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि अर्जन्तन संख्या 11-कृषि में "पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना" के अन्तर्गत मूल प्रावधान में बचत नहीं थी जो पहले ही अर्जन्तन संख्या 4-सामान्य प्रशासन को अंतर्गत की जा चुकी थी। अतः अर्जन्तन संख्या 11-कृषि के अन्तर्गत 2.01 करोड़ रु० का पुनर्विनियोजन अनिश्चित था।

आइटम की अनुपलब्धता के बावजूद विश्व विभागा ने 30 मार्च 1996 को अर्जन्तन संख्या 11-कृषि के अन्तर्गत 2.01 करोड़ रु० का पुनर्विनियोजन किया।

विभागा ने विभागों को अपने प्रस्ताव द्वारा से बचतों की सहाह दी (जुलाई 1995) ताकि प्रत्येक मांगों द्वारा उपयुक्त बचत सुधार किया जा सके। तदनुसार कृषि विभागा द्वारा अर्जन्तन संख्या 11 के अन्तर्गत "पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना" में किया गया 2.01 करोड़ रु० का प्रावधान 1995-96 वर्ष में प्रत्येक अर्जन्तन मांगों द्वारा अर्जन्तन संख्या "4-सामान्य प्रशासन" को अन्तर्गत कर दिया गया (फरवरी 1996)। इस प्रकार से निम्न अर्जन्तन संख्या 11-कृषि के अन्तर्गत अब पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध नहीं थी।

गया।

(!!) वर्ष 1995-96 के बजट आकलनों में "पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना" के अन्तर्गत सरकार के सभी संबंधित विभागों के अर्जन्तनों हेतु मांगों का प्रावधान किया गया था। तदनुसार अर्जन्तन संख्या 11 के अन्तर्गत "पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना" में 2.01 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया।

व्यय करने की अनुमति नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पुनर्विनियोजन अधिनियम में बिना किसी प्रावधान के

निधियों की आवश्यकता नहीं थी।

श्री कृषि राज्य सरकार को भारत सरकार से निधियां पहले ही प्राप्त हो चुकी थी तथा अतिरिक्त सरकार ने बताया (नवंबर 1997) कि प्रत्येक प्रावधान की मांग इस्तेमाल की गई

तथा विश्व विभागा विकल रहे।

अतः बजट निचम प्रत्येक से निधारित प्रक्रिया की अनुपालना में वित्तीय आयुक्त एवं सचिव (कृषि) 1.28 लाख रु० खर्च किए। नए व्यय को पुनर्विनियोजन अधिनियम के द्वारा अधिकृत नहीं किया गया। इस स्कीम के लिए पुनर्विनियोजन आदेश के द्वारा 1.29 लाख रु० का प्रावधान किया और उसके प्रति अनुपयोगों की अन्तिम विवरणों के माध्यम से पुनर्विनियोजन की मांग की। तदनुसार विश्व विभागा ने कृषि निदेशक प्रत्येक अर्जन्तन के द्वारा प्रावधानों की मांग करेगा। कृषि निदेशक ने अधिवर्षों तथा देखा गया कि जुलाई 1995 में स्कीम हेतु प्रशासकीय अनुमोदन इस अनुबद्धता के साथ किया गया कि

बजट नियम पुस्तक के अनुसार विनियोगों के आधिक्य को प्रभावित करने वाला व्यय नहीं किया जाना था। निम्नलिखित मामलों में अर्नदान संख्या 11-कृषि के अन्तर्गत बजट प्रावधान

(ख) अधिक व्यय

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि संसदीयता की अन्तिम रूप देने में विभिन्न तथा वर्ष के दौरान बीजों की अनुपलब्धता के कारण आधिकारिक बजट केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत थी।

मूल्य शीर्ष	अंतिम आवंटन	बचतों की राशि	विभाग/अनुदान बचतों के	प्रभावित स्कीम/कार्य
2401-कृषि कर्म	1994-95	28.20	9.24	विवरण पद, भागा भत्ता दावों पर
			(33)	कम व्यय तथा मितव्ययिता, केन्द्रीय
				प्रायोजित स्कीमों के अर्नदान में
				विभिन्न, प्रयोगशाला उपकरण तथा
				संज्ञी संवहन फार्म, सौभाग्य/
				कार्यालय वस्तुओं की खरीद न
				करना, संज्ञी बीजों के उपदान पर
				प्रदान एवं प्रचार, किसान
				कम व्यय, स्कीमों के विभिन्न घटकों
				प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा अंतोद
				पर कम उपदान तथा उन्नत बीजों
				परिवारों की विशेष उपदान
				स्कीम।
2810-ऊर्जा के	1.71	0.96	(56)	बायोमैस संवर्धों के प्रतिष्ठापन
				गोबरमैस संवर्धों का त्यागना
				पर उपदान में कमी

निम्नलिखित मामलों में देखा गया कि अर्नदान संख्या 11-कृषि के अन्तर्गत बजट प्रावधान की तुलना में सामान्यतः भारी बचतें थीं।

विनियोगों के प्रति बचतें आकस्मिकता अथवा उच्च निष्पादन में गिरावट की सूचक हैं जिसके लिए बजट में निधियों का प्रावधान किया गया था।

(क) बचतें

2.5.8 बचतें/आधिक्य

निदेशक का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निधियों का आवश्यकता पूर्व आहरण तथा उन्हें सरकारी लेख से बाहर रखना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

कृषि निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि शिक्षण में कृषिनाशक प्रयोगशाला के निर्माण हेतु आहत 17.29 लाख रु० नकशे को बनाने की लम्बी तथा ऐसी-सी प्रक्रिया, निविदाओं के प्रवर्तन आदि के कारण कार्य निष्पादन में विलम्ब से प्रयुक्त नहीं किए जा सके। उसने पुनः बताया कि बायोमैस स्कीम (2.50 लाख रु०) तथा वृष्टिप्रापित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वर्षाशांतिका विकास कार्यक्रम (10.45 लाख रु०) हेतु आहत 12.95 लाख रु० शीघ्र प्रयुक्त किए जाएंगे।

कृषि निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि शिक्षण में कृषिनाशक प्रयोगशाला के निर्माण हेतु आहत 17.29 लाख रु० नकशे को बनाने की लम्बी तथा ऐसी-सी प्रक्रिया, निविदाओं के प्रवर्तन आदि के कारण कार्य निष्पादन में विलम्ब से प्रयुक्त नहीं किए जा सके। उसने पुनः बताया कि बायोमैस स्कीम (2.50 लाख रु०) तथा वृष्टिप्रापित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वर्षाशांतिका विकास कार्यक्रम (10.45 लाख रु०) हेतु आहत 12.95 लाख रु० शीघ्र प्रयुक्त किए जाएंगे।

2.5.9 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

रखा गया।

इस प्रकार व्यय करते समय बजट नियम पुरतक के उपबन्धों को ध्यान में नहीं

क्र. सं.	निदेशक/स्कीम का नाम	कुल अनुदान	अधिक्य राशि	सरकार द्वारा बतौर गैर कारण
1994-95	2401-कृषि कर्म	16.00	3.14	कौटुंबिक/कृषिनाशक आदि के मूल्य
	107-पीएच संरक्षण		(20)	पर उपदान देने से अधिक व्यय
	4401-कृषि कर्म पर	550.00	76.51	अयोग्य मूल्य में उपयोग हेतु उन्नत बीजा
	पूर्वोक्त परिलेख		(14)	का उच्च मूल्य तथा और बीजा को खरीद
	103-बीज			
	01-उन्नत बीजा को खरीद			

से व्यय अतीत अधिक रहा।

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

उद्योग विभाग

3.1 उद्योग विभाग का कार्यचालन

3.1.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्योग विभाग औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के समग्र आर्थिक विकास का उत्तरदायी है। वर्ष 1991-92 में राज्य में 21,518 लघु तथा 133 मध्यम/बड़ी औद्योगिक इकाइयां थीं जो क्रमशः 0.84 लाख तथा 0.15 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे रही थीं। वर्ष 1996-97 तक 25,000 लघु तथा 161 मध्यम/बड़ी औद्योगिक इकाइयां थीं जो क्रमशः एक लाख तथा 0.23 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवा रही थीं। विभाग ने राज्य के औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के क्रियान्वयन पर 1994-97 वर्षों के दौरान 106.99 करोड़ ₹0 (राजस्व: 93.29 करोड़ ₹0 तथा पूंजीगत: 13.70 करोड़ ₹0) खर्च किए। इनमें से 7.74 करोड़ ₹0 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर तथा 97 लाख ₹0 रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों पर खर्च किए गए जो कि विभाग के प्रमुख लक्ष्य थे।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग का समग्र नियंत्रण राज्य सरकार के वित्तीय आयुक्त व सचिव (उद्योग) के पास है जिसकी सहायता के लिए एक संयुक्त सचिव तथा एक उपसचिव है।

उद्योग निदेशक विभागाध्यक्ष है और औद्योगिकीकरण हेतु विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में निदेशालय स्तर पर उसकी सहायता के लिए उपनिदेशक, कार्यक्रम अधिकारी, प्राविधिक अधिकारी तथा महाप्रबन्धक हैं।

जिला स्तर पर 12 जिला उद्योग केन्द्र थे जिनके अध्यक्ष महाप्रबन्धक थे जबकि खण्ड स्तर पर उद्यमियों को मार्गर्शन तथा सहायता व सुविधा पैकेज प्रदान करने के लिए विष्णु अधिकारी कार्यरत थे।

चाय, रेशम तथा खनन उद्योगों के लिए इस प्रयोजनार्थ गठित पृथक् कार्यालय थे।

- ** कांगड़ा, किन्नौर, चिरमौर, सीमल तथा ऊना।
- निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीणोद्योग बोर्ड
- इन्टरनैशियल निगम, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात
- * हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विन्तीय निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं

[परिच्छेद 3.1.5.2(घ)]

पुनर्विनिर्माण करना पड़ा।
 उपलब्ध करवाए गए 3.41 करोड़ रु 0 अग्रयुक्त पड़े रहे और इन्हें अग्रपूर्ति या
 1994-97 वर्षों में तदर्थ आगार पर तीन मुख्य शीर्षों में 11 उपशीर्षों के प्रति

[परिच्छेद 3.1.5.2(ग)]

नहीं थी।
 किए। अतएव उद्योग निदेशक के पास संचित परिसम्पत्तियों की केन्द्रीकृत योजना
 परिसम्पत्तियों के ब्यौरे दर्ज करने के लिए परिसम्पत्ति रजिस्ट्रार तैयार नहीं
 जिना उद्योग केन्द्रों ने उद्योग निदेशक द्वारा निस्तारित धन के द्वारा संचित

[परिच्छेद 3.1.5.2(क)]

की सम्पत्ति पर प्रस्तुत किए गए।
 1995-97 वित्तीय वर्षों तथा अगस्त 31 के लिए 1995-96 वित्तीय वर्ष
 एवं अग्रपूर्ति के अन्तिम विवरण वित्त विभाग की अगस्त 18 के लिए
 तैयारी/प्रस्तुतीकरण हेतु विहित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया। अधिव्य
 1994-97 वर्षों में बजट आकलनों एवं सम्बद्ध विवरणों की

3.1.4 मुख्य बातें

है।
 अभिलेख-समीक्षा से अग्रपूर्ति किए गए या। समीक्षा के परिणाम निम्नलिखित परिच्छेदों में समाविष्ट
 निदेशालय तथा राज्य सरकार के वित्तीय आर्यकत एवं संचित (उद्योग) द्वारा अग्रपूर्ति योजना एवं
 रकमों में से सहज रकम (राज्य: 14 तथा केन्द्रीय: 3) गहन विश्लेषणात्पूर्व वर्गी गई थी। इसे उद्योग
 प्राविधिक अधिकारी (दाय) एवं रेशम उद्योग उपनिदेशक के कार्यालयों में कियान्वित की जा रही 62
 मई-जुलाई 1997 में समीक्षा की गई थी। पांच जिलों तथा पालनपुर (कांगड़ा जिला) स्थित
 उद्योग विभाग के 1994-97 वर्षों की अधिव्य से सम्बद्ध कुछ पहलुओं की

3.1.3 सेवापूर्वीय स्थिति

समय नियंत्रणधीन थे।
 कियान्वयन व विस्तार में ऊ. निगम/कम्पनियों व एक बोर्ड भी सहयता दे रहे थे जो उद्योग विभाग के
 विभागीय कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य में औद्योगिकीकरण कक्षाओं के

(परिच्छेद 3.1.7.1)

अध्यागिकार्य एवं रोजगार संचन हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के समस्त को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कोई भी परीक्षण एवं जांच नहीं की।

**

(परिच्छेद 3.1.6.4)

व्यक्तियां नहीं की गई और उन पर शांति का ब्याज भी उद्योगों को नहीं किया गया। नहीं करे। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से इन अग्रिम राशियों को एकत्रित वाहन अग्रिम राशियां दी गयी थी जिनमें से 88 अधिकारियों/कर्मचारियों ने वाहन 1994-97 वर्षों के बीच 95 अधिकारियों/कर्मचारियों को 20.42 लाख रु की

**

(परिच्छेद 3.1.5.7)

राशियों के रूप में रखे गए थे। 1.71 करोड़ रु 30 वित्तीय नियमों के विपरीत नकदी या बैंकों/हाथियों में जमा विभिन्न निर्माणकार्यों के निष्पादनार्थ मार्च 1990 तथा मार्च 1997 के बीच आई

**

[परिच्छेद 3.1.5.5(ख)]

था। राशियां या फिर अर्जदान के अन्तर्गत पुनर्वित्तियोजित (1.54 करोड़ रु) किया गया को अनियमित रूप से या तो मूल प्रावधान के प्रति प्रयुक्त (30 लाख रु) किया संख्या 18 के अन्तर्गत प्रयुक्त या पुनर्वित्तियोजनाएं उपलब्ध न रही इन निधियों अर्जदान संख्या 4-सामान्य प्रशासन को स्थानान्तरित किया गया था। अर्जदान अर्जदान संख्या 18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज में 1.84 करोड़ रु का प्रावधान वर्ष 1995-96 को पूर्वक अर्जदान मांगों में "पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना" के अन्तर्गत

**

[परिच्छेद 3.1.5.3(v)]

करोड़ रु का अग्रिम निवेश किया गया। विभाग ने मार्च 1997 तक दो निर्माणों को प्राधिकृत पूर्ण से अधिक उन्में 84.99 लाख रु का निवेश किया था जबकि 1990-92 वर्षों में दो अन्य निर्माणों में 2.24

**

[परिच्छेद 3.1.5.3(iv)]

दो संख्या शीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः लेख से पूर्ण किया गया। 1994-97 वर्षों में 82.06 लाख रु का राजस्व व्यय वित्तीय नियमों के विपरीत

**

[परिच्छेद 3.1.5.3(!!!)]

वर्षों के मार्च मास में ही किया गया। 1994-97 वर्षों में सात स्कीमों पर 2.11 करोड़ रु का शत-प्रतिशत व्यय उन

**

[परिच्छेद 3.1.7.8(ख)]

वर्ष 1952-53 तथा 1994-95 के बीच 463 उद्योगों को प्रदत्त 16.93 लाख रु० का औद्योगिक ऋण नवम्बर 1997 तक वर्सूल नहीं किया गया था। इन ऋणों पर 44.86 लाख रु० का ब्याज प्रोव्हीन हो गया था।

**

(परिच्छेद 3.1.7.5)

हूँके।

औद्योगिक ऋणों को 1994-97 वर्षों से सम्बद्ध 17.01 करोड़ रु० के परिवहन उपदान की प्रतिपूर्ति के राज्य के दावे की नवम्बर 1997 तक पूर्ति नहीं

**

(परिच्छेद 3.1.7.3)

1.07 करोड़ रु० का ब्याज भी अर्जित किया।

परियोजना में कोई प्रावधान नहीं था। उन्हें अप्रयुक्त राशि पर मार्च 1997 तक आवासीय भवनों के कय पर व्ययित 16.52 लाख रु० भी शामिल थे जिसके लिए 1997 तक 89.36 लाख रु० व्यय किए गए थे उसके अपने कर्मचारियों के किया। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने विकास कार्यों पर अर्जित हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को 5.25 करोड़ रु० का मूलादान स्थापना हेतु मार्च 1995-96 व 1996-97 में उद्योग निदेशक ने बट्टी (सोडन जिला) में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की

**

[परिच्छेद 3.1.7.1(!!!)]

रु० का किया वर्सूल नहीं किया गया था।

दीन जिला उद्योग कर्मी में औद्योगिक शालाओं के आवंटितियों से 78.94 लाख

**

[परिच्छेद 3.1.7.1(!!)]

बीच 5.37 करोड़ रु० की निधि निस्तारित की गयी थी।

जबकि विभिन्न निष्पदन ऐजेंसियों की अगस्त 1987 तथा अगस्त 1996 के 10 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बद्ध ऋण निष्पकार्य पूर्ण नहीं किए गए थे

फरवरी 1996 के बीच उन्हें 43.41 लाख रु० निस्तारित किए गए थे।

तक निष्पदन ऐजेंसियों ने निष्पकार्य शुरू नहीं किए थे जबकि जून 1988 तथा 1997 के बीच पूर्णता हेतु निर्यात सहाय विकास तथा मरम्मत कार्य नवम्बर 1997 वन्हा, मण्डी, शिमला तथा ऊना जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में मार्च 1989 से मार्च

**

[परिच्छेद 3.1.7.1(क)]

किया गया था जिससे 1.28 करोड़ रु० का निष्कल व्यय हुआ।

मार्च 1988 में संस्वीकृत चार औद्योगिक क्षेत्रों का जून 1997 तक विकास नहीं

**

* 2057,2407,2851,2852,2853,4059,4851,4859,4885, 6851 तथा 6858

वर्ष	अर्जदान	व्यय	आधिक्य(+)/बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग			
1994-95	19.61	21.53	(+) 1.92
1995-96	20.35	19.95	(-) 0.40
1996-97	48.62	51.81	(+) 3.19
पूर्वा प्रवर्ग			
1994-95	6.34	6.08	(-) 0.26
1995-96	5.96	3.55	(-) 2.41
1996-97	4.42	4.07	(-) 0.35
जीई			
1994-95	16.72	13.70	(-) 3.02

(करोड़ रुपए)

वर्ष 3.1.5.1 बजट प्रावधान एवं व्यय विभाग का 1994-97 वर्षों में बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्नवत् था:

विभागवार व्यय अर्थात् उद्योग निदेशक के नियंत्रणीय 34 संवित्त आधिकारों व 24 निदेश आधिकारों व और वह (निदेशक) बजट आकलन विल विभाग को प्रस्तुत करता था।

11 मुख्य लेखाशाखाओं के अन्तर्गत अर्जदान संख्या 18-आपूर्तियाँ, उद्योग तथा * 31-जनजातीय विकास के माध्यम से विभाग के बजट में निवेश उपलब्ध करवाई गई थी।

3.1.5 बजट कियारिधि और व्यय पर नियंत्रण

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जून 1963 से अर्जाओं अवधि के 163 निरीक्षण प्रतिवेदनों के कुल 475 परिच्छेद विभाग के पास अनिर्णीत पड़े थे।

उद्योग निदेशक ने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन तथा निर्माण कार्यों के निरीक्षणार्थ मई 1994 तक कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए। जून 1994 तथा नवम्बर 1996 में अर्जदेश जारी होने पर भी निरीक्षणों की वास्तविक संख्या उनकी निर्धारित संख्या से कम रही। निरीक्षण टिप्पणियाँ भी अनिर्णीत में नहीं थीं।

(परिच्छेद 3.1.9)

(परिच्छेद 3.1.10.1)

- * (1) (हथकरघा उत्पादों पर कूट(!!) विपणन विकास सहायता(!!!) कला एवं उत्पन्न प्रदर्शनी तथा(IV) सहायता अनुदान/उपदान पर व्यय
- ** (1) जिला मुख्यालय (II) निर्देशालय (III) खनिज गवेषणा कर्मी तथा अन्य (IV) औद्योगिक क्षेत्र का विकास (V) पर्वतीय क्षेत्र
- उन विकास परियोजना के अन्तर्गत अण तथा (VI) खनिज विकास पर व्यय

प्रकट रूपः

विभागा में बजट क्रियाविधि व व्यय पर निरक्षण की समीक्षा से निम्नांकित तथ्य

उद्योग निर्देशक ने बताया (जून 1997) कि अपने-अपने पदों पर स्थाई वे पदार्थों नवसृजित अस्थाई पदों के प्रति नियंत्रित किए गए और बजट से स्थाई पद हटाने से बचने के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बजट नियम-प्रतिष्ठा के अनुसार स्थिर पदों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए जाने थे।

उद्योग निर्देशक ने बताया (जून 1997) कि अपने-अपने पदों पर स्थाई वे पदार्थों नवसृजित अस्थाई पदों के प्रति नियंत्रित किए गए और बजट से स्थाई पद हटाने से बचने के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बजट नियम-प्रतिष्ठा के अनुसार स्थिर पदों के लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ।

(!!!) 1994-97 वर्षों में इस प्रकार के अन्तर्गत स्थिर पदों के लिए "2851-001-02-जिला मुख्यालय" उपशीर्ष के अन्तर्गत 8.56 लाख रु० का प्रावधान किया गया। यह राशि उन्हीं वित्तीय वर्षों में अन्य लेखाशीर्षों की पुनर्विनियोजित की गयी क्योंकि प्रावधान के प्रति

(!) 1994-97 वर्षों में वार * उपशीर्षों के अन्तर्गत 0.22 लाख रु० से 50.02 लाख रु० के निरन्तर आधिक्य थे। पुनर्विनियोजन आदेशों के विवेक्षण से पता चला कि लेखाधीनियों से अधिक मांग, विभाजन एवं प्रचार हेतु व्यय तथा कस्टिंग संयंत्र की स्थापना के कारण वे आधिक्य हुए थे।

समीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि 1995-96 वर्षों के दौरान बचतें राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत स्थिर पद न करने के कारण और 1994-97 के दौरान पूँजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत विभिन्न निगमों में कम निवेश तथा व्याजमुक्त ऋणों का मुपान न करने के कारण थीं। राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत आधिक्य की केन्द्रीय सहायता की विलंब 1994-95 और 1996-97 की सम्पत्ति पर प्राप्ति से सम्बद्ध किया गया था जिसके लिए पूँजीगत प्रवर्ग में प्रावधान नहीं किया जा सका।

सेवाकारिता रिजिस्टर

(1) निर्धारित स्थापना व आवासीय आकस्मिक व्यय सेवाकारिताओं को दर्ज करने के लिए

रिजिस्टर/अभिनेत्री अर्जपत्र लिखित करने से:

बजट नियम-प्रतिष्ठा में व्यवस्था थी कि उद्योग निर्देशक से निम्नलिखित

(ख) अभिनेत्री का अर्जपत्र न करना

सेवा का अवश्य पालन किया जाना चाहिए था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बजट वस्तुवस्तु की पुराने सेवाओं के लिए लिखित सम्यक विवरणों के कारण सरकार को प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्तिम कार्यावधि में सूचित किया जाए। यह विवरण आगे भी बताया गया कि आर्थिक/बजट के अन्तिम परिवर्तन कुछ प्रशासनिक विभाग के वार्षिक योजना समीक्षक को अन्तिम रूप दिए जाने के अभाव में समयावधि पर प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्तिम (नवम्बर 1997) कि योजनागत स्कीमों के बजट आकलन

द्वारा पूर्ण प्रवर्ग की बर्तों का उपयोग नहीं किया जा सका।

1996-97 वर्ष में राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत आर्थिकों के प्रतिस्पर्धन के लिए पुनर्विनिर्धारण आदेशों 1995-96 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक वर्ष की गई थी। इस प्रकार 1994-95 तथा विभाग की अर्जपत्र संख्या 18 के लिए 1995-97 के वित्तीय वर्षों तथा अर्जपत्र संख्या 31 के लिए के अभिनेत्री की सेवाओं से पूर्व: पता चला कि आर्थिक एवं अर्जपत्र की अन्तिम विवरणियाँ वित्त विभाग के वार्षिक विवरणों को प्रेषित किए जाने वाले संशोधित आकलन सूचित हो नहीं किए गए थे। उद्योग निर्देशक यह भी अवगत कर रहा कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर तक

अन्तिम विवरणों

अर्जपत्र की

आर्थिक एवं

अर्जपत्र विवरणों

15 जनवरी

25 अक्टूबर

1994-95

प्रत्येक वर्ष के वित्त

प्रत्येक वर्ष के वित्त

31 मार्च 1995	8 अप्रैल 1996	5 अप्रैल 1997
18 जनवरी 1995	6 फरवरी 1996	प्रथम फरवरी 1997
3 फरवरी 1994	3 फरवरी 1995	22 फरवरी 1996
1994-95	1995-96	1996-97

दे से तीन मास के वित्त वर्ष से भेजा गया जैसा कि निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है:

वित्त वर्ष 15 जनवरी तक वित्त विभाग को भेजा जाना था। यह पता चला कि उक्त अवधि में इन्हें वे आकलन तीन से चार मास के वित्त वर्ष पर भेजे गए। इसी प्रकार आर्थिक व अर्जपत्र की अन्तिम आकलन वित्त विभाग को भेजने से। सेवाओं की 1994-97 वर्षों में वित्त विभाग को बजट नियम-प्रतिष्ठा के अर्जपत्र विभाग के अर्जपत्र 25 अक्टूबर तक बजट

3.1.5.2 बजट आकलन तैयार करने में विलम्ब

संपूर्ण प्रावधान सम्बद्ध विरले वर्षों में अर्थात् (2.02 करोड़ रु०) या पुनर्विनिवेशित (1.39 करोड़ रु०) किया गया था। 3.41 करोड़ रु० में से 3 करोड़ रु० उपलब्ध 6851-200-01-उद्योगों की व्याजमूर्त ऋण के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 (2 करोड़ रु०) तथा 1996-97 (1 करोड़ रु०) उपलब्ध करवाए गए थे। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि 90

गया जिसका विवरण परिशिष्ट V में दिया गया है।
 करवाए गए थे। वे प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि 1994-97 वर्षों में कोई भी व्यय नहीं किया के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर तीन मुख्य शीर्षों में 11 उपशीर्षों के प्रति 3.41 करोड़ रु० उपलब्ध वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक अर्जदान संख्या 18-आपूर्ति, उद्योग व खनिज

(घ) अपूर्ण प्रावधान

सभी महाप्रबन्धकों को आवश्यक अभिलेख अर्जपत्रित करने के अनुरोध दे दिए गए थे।
 कि अब अधिलेख अर्जपत्रित किए जाएंगे। उद्योग निदेशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि कागजात व ऊना के जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों ने बताया (जून 1997)

केन्द्रों के निदेशक नहीं थे।
 परिष्कार/संपत्तियों का केन्द्रों के अधिलेख नहीं था जिससे सृजित परिष्कार/संपत्तियों पर उद्योग निदेशक का अधिलेखन नहीं व मंत्रों को परिष्कार/संपत्ति विवरण में लेखाबद्ध नहीं किया गया था। निदेशक ने ऊना के जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अर्ज 1994 से मार्च 1997 तक 1.12 करोड़ रु० की लागत से परिष्कार/संपत्ति अर्जपत्रित नहीं किया गया था। संवेक्षा से पता चला कि कागजात व निर्माण करवा ली थी लेकिन नमूना पत्रित किये भी जिला उद्योग केन्द्र में कोई भी अधिलेखन करके विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अनावश्यक भवन जैसे औद्योगिकशाखाएँ, टुकान आदि इस प्रयोजनार्थ उद्योग निदेशक ने धन निरस्त करवाना था। यद्यपि विभाग ने पर्याप्त मूल्य का उद्योग विभाग राज्य में औद्योगिक परिष्कार/संपत्तियों के निष्पादनार्थ उन्नतवादी है और

(ग) आहरण एवं संवितरण अधिकाधिक अभिलेख अर्जपत्रित करने में सृष्टियाँ

किए गए जिससे उनके समर्थित अर्जपत्रण को पट्टि नहीं की जा सकती।
 अधिकाधिक द्वारा अर्जपत्रित किए जा रहे थे लेकिन ऐसे कोई भी विवरण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि संवेक्षा/संपत्ति विवरण विभिन्न कार्यक्रम यह पाया गया कि उद्योग निदेशक ने वे अभिलेख/संपत्ति अर्जपत्रित नहीं किए।

ऐजेंसियों को डींगल किया गया हो जिन्हें मांग दी गई है।
 (iii) विवरण विवरण जिसमें दाखिल की प्रकृति तथा प्राक्कलित में सहीत उन

कटौतियाँ दर्शाने के लिए विनिर्देशन आता
 (ii) आरम्भ में आवृत्त राशियाँ पूर्वक अर्जदान व पुनर्विनिवेशन द्वारा की गई

प्रतिशत प्रावधान उद्यमियों को ब्याजमुक्त ऋण देने के लिए रखा गया था जिसे उद्यमियों से कम मांग के कारण प्रयुक्त नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यथार्थता के आधार पर मांग निर्धारित करने के बाद ही प्रावधान किया जाना चाहिए था।

(ड.) अधिक/न्यून आकलन

निम्नांकित मामलों में सही तौर पर आकलन तैयार नहीं किए गए जिससे अधिक/न्यून आकलन हुआ:

(i) अधिक आकलन

क्रमांक	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूलप्रावधान (करोड़ रुपए)	व्यय	बचत
	अनुदान संख्या 31				
1.	2851-796-01 औद्योगिक स्कीमों पर व्यय	1995-96 1996-97	54.00 52.76	43.54 35.42	10.46 17.34
	अनुदान संख्या 18				
2.	2851-101-03 अन्य औद्योगिक परिसम्पदाओं का विकास	1996-97	120.00	33.24	86.76

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन दो स्कीमों के आकलन तदर्थ आधार पर तैयार किए गए। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि अधिक आकलन भम्बाला में भूमि अनधिग्रहण के कारण हुआ जिसे बातचीत से नहीं सुलझाया जा सका और अब मामला आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में था। जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अन्तर्गत बचते मुख्यतः लाभार्थियों/क्षेत्र ऐजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थीं। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आकलन तैयार करने समय तीक्ष्ण दूरदृष्टि का परिचय दिया जाना चाहिए था।

(ii) न्यून आकलन

क्रमांक	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूलप्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान	व्यय	व्यय के सन्दर्भ में पुनर्विनियोजन प्रतिशतता
	अनुदान संख्या 18						
					(लाख रुपए)		
1.	2852-80-800-01 कला एवं उत्पाद प्रदर्शनी	1994-95 1995-96 1996-97	9.90 9.90 18.90	10.25 14.96 10.10	20.15 24.86 29.00	19.87 25.18 29.20	51 60 35
2.	2851-103-03 विपणन विकास	1994-95 1996-97	8.00 7.00	4.07 19.00	12.07 26.00	12.07 26.00	34 73

संवीक्षा से पता चला कि 1994-97 वर्षों में वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों से अतीव कम था और पुनर्विनियोजन आदेशों द्वारा मूल प्रावधान में वृद्धि करनी पड़ी। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि उद्योग निदेशक विभागाध्यक्ष होने के नाते सम्बद्ध नियंत्रण अधिकारियों से चर्चा के बाद प्रस्तावों में आवश्यक परिवर्तन कर सकता था और तालिका में कुल अनुदान के प्रति प्रदर्शित व्यय पर्याप्त ठीक था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मूल प्रावधान वास्तविक व्यय का 27 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक था जिससे यह सिद्ध हुआ कि ये आकलन अवास्तविक थे।

3.1.5.3 व्यय पर नियंत्रण

(i) अवास्तविक बजट प्रावधान

निम्नांकित मामलों में प्रावधान मांगी गई राशियों से कम राशि के किए गए लेकिन व्यय प्रावधानों से भी कम था:

क्रमांक	लेखाशीर्ष	वर्ष	मांगा गया बजट	उपलब्ध बजट	वास्तविक व्यय
	अनुदान संख्या 18		(लाख रुपए)		
1.	2853-02-102-01-खनिज गवेषण कर्मी तथा अन्य कार्यकलाप (योजनागत)	1994-95	21.13	17.16	12.41
2.	2851-107-01-रेशम उद्योग विकास (आयोजनेतर)	1994-95	92.72	85.60	70.14
3.	2851-001-02-जिला मुख्यालय (आयोजनेतर)	1994-95	4.44	3.79	शून्य
4.	2851-102-03-औद्योगिक विस्तार केन्द्र (ग्रामीण) (आयोजनेतर) अनुदान संख्या 31	1994-95	6.08	3.67	1.65
5.	2853-02-796-01-खनिज विकास पर व्यय (योजनागत)	1994-95 1995-96 1996-97	23.50 17.00 17.00	15.00 15.00 15.00	13.65 14.07 11.93

निम्नांकित मामलों में वित्त विभाग ने आकलित मांगों से अधिक निधियां आवण्टित की लेकिन वास्तविक व्यय मांगों से भी कम था:

क्रमांक	लेखाशीर्ष	वर्ष	मांगा गया बजट (लाख रुपए)	आवण्टित बजट	वास्तविक व्यय
अनुदान संख्या 18					
1.	2853-02-101-01-भूगर्भीय संभाग के मुख्यालय कर्मी (आयोजनेतर)	1994-95	14.07	15.98	13.45
2.	2853-102-01-स्त्रनिज गवेषण कर्मी तथा अन्य क्रियाकलाप (आयोजनेतर)	1994-95 1996-97	49.47 60.90	51.42 61.98	46.50 56.47
3.	2407-01-800-01-हिमाचल प्रदेश में चाय उद्योग के विकासार्थ कर्मचारी	1994-95	38.50	40.00	27.41

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि आवण्टित बजट तथा व्यय के बीच भिन्नता मुख्यतः मितव्ययी पगों के कारण रिक्त पद न भरने तथा कम व्यय के कारण थी। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिकांश मामलों में बचते अन्य लेखाशीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई थीं और इसलिए समग्ररूपेण मितव्ययिता नहीं हुई थी। बजट नियम पुस्तिका के अनुसार रिक्त पदों के लिए प्रावधान करने की अनुमति नहीं थी।

(ii) मार्च में किया गया व्यय

सरकारी अनुदेशों (सितम्बर 1995) में यह उपबन्ध था कि व्यय को चरणबद्ध तरीके से विनियमित करने के लिए प्रशासनिक विभागों ने यह सुनिश्चित करना था कि दोनों ही योजनागत एवं आयोजनेतर बजट के अन्तर्गत उपलब्ध निधि के व्यय की नियंत्रित तरीके से अनुमति दी जानी चाहिए। प्रथम तिमाही में बीस प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 25 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 30 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही में 25 प्रतिशत व्यय किया जाना था। 1994-97 वर्षों में सात * स्कीमों पर इन उपबन्धों के विपरीत 2.11 करोड़ ₹0 का 100 प्रतिशत व्यय मार्च के महीने में किया गया।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि ये स्कीमें वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्वीकृत की गयी थीं और विभाग को वित्त वर्ष के अन्तिम मास में व्यय करना पड़ा। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सरकार को समय पर इन स्कीमों को संस्वीकृति देनी चाहिए थी ताकि सरकारी अनुदेशों के अनुसार इन स्कीमों पर चरणबद्ध तरीके से व्यय किया जा सकता।

* जिला उद्योग केन्द्र, पर्वतीय क्षेत्र ऊन विकास परियोजना, उद्यमियों को ब्याजमुक्त ऋण, खादी उद्योग का विकास, हथकरघा उत्पादों पर छूट, सहायता अनुदान/अंशदान/उपदान व कच्चा माल डिपो।

(iii) दत्तमत निधियों से डिग्री राशियों का भुगतान

बजट नियम-पुस्तिका के अनुसार किसी न्यायालय या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय, डिग्री या अधिनिर्णय की सन्तुष्टि में किए गए भुगतान का व्यय को समेकित निधि पर "प्रभार" समझा जाएगा। ऐसे व्यय के प्रावधान को आकलन में "प्रभारित" प्रदर्शित किया जाना था।

वर्ष 1996-97 में उद्योग निदेशक ने उच्च न्यायालय के जनवरी 1996 के निर्णय की अनुपालना में संहिता सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लंघन करके शीर्ष "2852-80-102-05-उद्यमियों को केन्द्रीय उपदान" के अन्तर्गत दत्तमत प्रावधान से केन्द्रीय परिवहन उपदान के लिए एक कम्पनी को 7.04 करोड़ रु० का भुगतान किया।

सरकार ने तथ्य स्वीकार करते समय बताया (नवम्बर 1997) कि बजट नियम पुस्तिका के डिग्री राशि के भुगतान सम्बन्धी उपबन्ध का भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

(iv) पूंजीगत लेखे से किया गया राजस्व व्यय

वित्तीय नियमों में यह उपबन्ध है कि विधानमण्डल द्वारा बजट के पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध करवाई गई निधियों का उपयोग पुनर्विनियोजन आदेश प्राप्त किए बिना विभाग उन प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा जिनकी पूर्ति राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों से की जानी है।

निम्नांकित मामलों में पूंजीगत लेखे के प्रावधानों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए

किया गया:

लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल अनुदान	राजस्व व्यय के रूप में प्रयुक्त राशि (लाख रुपए में)	अभ्युक्तियां
अनुदान संख्या 18 4851-102-02- जिला उद्योग केन्द्र	1996-97	9.30	3.30	यह राशि जिला उद्योग केन्द्रों में मुरम्मतों के लिए पूंजीगत लेखे से पुनर्विनियोजित की गयी थी।
4885-01-190-02- हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम में निवेश	1994-95 1995-96	188.50 69.75	55.00 23.76	ये राशियाँ हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम को साहाय्य भुगतान के रूप में संस्वीकृत की गयी थी।
4885-01-796-01- हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम में निवेश	1995-96	19.00		

सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 1997) कि जिला उद्योग केन्द्रों में मरम्मत सम्बन्धी कार्यों के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा पूंजी प्रवर्ग के अन्तर्गत 3.30 लाख रु० उपलब्ध करवाए गए थे क्योंकि इस प्रयोजनार्थ राजस्व प्रवर्ग में लघु निर्माणकार्यों के अन्तर्गत निधि उपलब्ध नहीं कारवाई गई थी। 55 लाख रु० तथा 23.76 लाख रु० के व्यय के सम्बन्ध में सरकार ने बताया कि भविष्य में साहाय्य धन के भुगतान हेतु एक पृथक् लेखाशीर्ष खोला जाना प्रस्तावित था और विनियोग लेखों में इस स्तर पर गलत वर्गीकरण में सुधार करना संभव नहीं था।

(व) निगमों में निवेश

(क) प्राधिकृत पूंजी से अधिक निवेश

विभाग ने मार्च 1997 तक हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग एवं निर्यात निगम तथा हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम में क्रमशः 77.84 लाख रु० तथा 7.15 लाख रु० के शेयर पूंजी निवेश किए जो इन निगमों की प्राधिकृत पूंजी से अधिक था।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि प्राधिकृत शेयर पूंजी की वृद्धि का मामला हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग एवं निर्यात निगम ने अक्टूबर 1997 में तथा हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम ने जून 1997 में कम्पनी विधि बोर्ड के साथ उठाया था। इस प्रकार शेयर पूंजी में वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व अनियमित रूप से प्रावधान किया गया था।

(ख) अग्रिम रूपेण किए गए निवेश

विभाग ने शेयर पूंजी में निवेशार्थ वर्ष 1990-91 में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को 1.50 करोड़ रु० तथा वर्ष 1991-92 में हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम को 74 लाख रु० की अग्रिम राशि का भुगतान किया जो पांच समान भावी किश्तों में समायोज्य थी। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि भुगतान की गई अग्रिम निवेश राशि अनुवर्ती वर्षों में इस प्रयोजनार्थ प्रावधान से घटा दी जाएगी।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुवर्ती वर्षों के प्रावधानों से अग्रिम निवेश का समायोजन बजट आकलनों की सही स्थिति चित्रित नहीं करता था।

3.1.5.4 अनावश्यक पूरक अनुदान

बजट नियम-पुस्तिका के अनुसार यदि बजट में निहित न किए गए किसी नए व्यय के लिए पूरक आकलन अपेक्षित हो तो सम्बद्ध प्राधिकारी को यह अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए कि प्रस्तावित व्यय की ऐसी अत्यधिक आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है जिसे स्थगित करने से अन्ततः अतिरिक्त व्यय होगा या यह प्रशासनिक रूप से असम्भव होगा या ऐसा करना सहमत नीति के विरुद्ध होगा।

(ख) 1995-96 में सभी सम्बद्ध विभागों के अर्जनों के लिए मांगों में "पिछड़ा क्षेत्र उद्योजन" के अर्थीन आण्टन किर गए। तदनुसार, अर्जतन संख्या 18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज उद्योजन के अर्थीन पिछड़ा क्षेत्र उद्योजन के लिए 1.84 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया। जलाई 1995 में योजन विभाग ने विभागों को सरकार के रकम की आण्टन की नीति के अर्जतन अपन प्रस्तावों को पुनः बनाने की सलाह दी ताकि बजट की शर्तियों का अनुपालन किया जा सके। तदनुसार, अर्जतन संख्या 18 के अर्थीन उद्योग विभाग द्वारा पिछड़ा क्षेत्र उद्योजन में 1.84 करोड़ रु० का किया गया प्रावधान 1995-96 के दौरान अर्जतनों की पूरक मांग के माध्यम से अर्जतन संख्या 4-सामान्य प्रशासन को स्थानान्तरित कर दिया गया। इसलिये, ये निधियाँ अर्जतन संख्या 18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज के अर्थीन प्रयुक्तता अथवा पुनर्विनिर्वाजनार्थ कदापि उपलब्ध नहीं थीं।

उद्योग निदेशक ने बताया (जून 1997) कि अन्तिम आधिकाओं तथा अयुक्तों की विवरणियों पर आधारित पुनर्विनिर्वाजनार्थ प्रस्ताव विल विभाग को भेजे गए थे और विवरणों की विवरणियाँ निदेशक द्वारा या ती विलिय वरु के अन्तिम दिन अथवा वरु की समाप्ति के पश्चात् विल विभाग को भेजी गई। तथापि, विल विभाग द्वारा सभी पुनर्विनिर्वाजन आदेश विलिय अयुक्तों की विवरणियाँ निदेशक द्वारा या ती विलिय वरु के अन्तिम दिन अथवा वरु की समाप्ति के तदनुसार पुनर्विनिर्वाजन आदेश जारी किए गए। यह मान्य नहीं था क्योंकि अन्तिम आधिकाओं तथा उद्योग निदेशक ने बताया (जून 1997) कि अन्तिम आधिकाओं तथा अयुक्तों की विवरणियों पर आधारित पुनर्विनिर्वाजनार्थ प्रस्ताव विल विभाग को भेजे गए थे और

(क) बजट नियम-प्रतिष्ठा के अनुसार, प्रशासनिक विभाग द्वारा विहित काम में प्रत्येक वर्ष में 15 माव तक विल विभाग को पुनर्विनिर्वाजन हेतु प्रस्ताव भेजे जाने अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 1994-97 के दौरान कोई भी ऐसे प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए और उद्योग निदेशक द्वारा समय पर विल विभाग को प्रस्तुत किए गए। विल विभाग ने इसलिये 1994-95 से 1996-97 के दौरान अपने दौर पर पुनर्विनिर्वाजन आदेश जारी किए।

3.1.5.5 पुनर्विनिर्वाजन

प्रयोग में नहीं लाये गये।
 गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कॉर्पोरेशन द्वारा 13.60 लाख रुपए 1994-95 के दौरान द्वारा सामना किए जा रहे धार विलिय संकट को द्यान में रखते हुए विशेष परिस्थिति के रूप में दिया सरकार ने बताया (नवंबर 1997) कि कॉर्पोरेशन को सहजता अर्जतन उनके 1995-96(10.01 लाख रुपए) तथा 1996-97(3.59 लाख रुपए) के दौरान प्रयोग कर दी गई।
 किया गये। अभिलेखा को सवाला से यह भी उद्घाटित हुआ कि कॉर्पोरेशन द्वारा यह वारिष तदनुसार विल विभाग द्वारा इस लेखा शीष को 13.60 लाख रुपए माव 1995 में पुनर्विनिर्वाजन 13.60 लाख रु० की वारिष आर्देत की गई और कॉर्पोरेशन को सहजता अर्जतन के रूप में दे दी गई।
 उपदानार्थ पूरक मांग में कम्प्यूटरी के कम हेतु किया गया। उद्योग निदेशक द्वारा जनवरी 1995 में -202=02- इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन भारत सरकार (योजना) शीष के अर्थीन 1994-95 के दौरान लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 100 रुपए का प्रतीक प्रावधान 2852-07

क्रमांक	वर्ष	कर्मचारी	प्रतिशत	व्यय
2852-102-06	1996-97	संसाधन स्थित संवर्द्धन	118.31	281.69
(क) (केन्द्रीय प्रायोजित)				
2851-103-04	1995-96	क्षेत्र जन विकास परियोजना	15.62	4.34
(क) (योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित)				
2851-102-14	1994-95	प्रोन्नति परिषद (योजना)	100.18	300.00
(ख) (लाभ रूप)				
2851-102-14	1994-95	स्थित औद्योगिक निधि	100.18	300.00
(क) (योजना) के लिए				
3 करोड़ रूपए दिव।				
प्रमाण खर्चों, कार्यालय खर्चों तथा सहायता अनुदान पर किया गया व्यय				
2852-102-06	1996-97	संसाधन स्थित संवर्द्धन	118.31	281.69
(क) (केन्द्रीय प्रायोजित)				
कर्मचारी के लिए				
केन्द्रीय के लिए				
4 करोड़ 80 की प्राप्ति				

(प्राप्तियों की प्रतिशतता)

लेखा शीर्षक वर्ष कर्मचारी प्रतिशत व्यय
 परिणामतः निम्नांकित मामलों में बजट प्रावधान व्यय से अधिक हो गए:

(ख) आधुनिक

रूप दिया जा चुका था।

जा सकता और कि उस वर्ष पर गतवी का संचालन समन्वय नहीं था क्योंकि लेखाओं को अन्तिम (1997) कि यह वर्गीकरण में गतवी के कारण हुआ जिसे अपरिहार्य कारणों की वजह से संचालन नहीं संख्या 18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज के अधीन 100 प्रतिशत बचत थी। सरकार ने बताया (नवम्बर एकल स्कीम के अधीन 5.33 लाख 80 के बजट प्रावधानों के प्रति 1994-95 के दौरान अनुदान तथापि, मुख्य लेखाशीर्षक 2851-103-13-दृश्यकर्षण बचतों के लिए स्वारस्य बजट बनाने अथवा निष्पत्ति में गिरावट के लक्षण है।

अनुसार व्यय नहीं किया जा सकता है। वे जिसके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है, घटिया विनियमों से अधिक बचत प्रकट करती है कि आकर्मियों में की गई प्रत्याशा के

(क)

3.1.5.6 बचत/आधुनिक

के माध्यम से अनुदान संख्या 4-सामान्य प्रशासन को अनतिरिक्त कर दिया गया था। 1995-96 के दौरान व्यय किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मूल प्रावधान अनुपूर्वक अनुदान अनुदान संख्या 18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज के अधीन प्रावधानित थी। तदनुसार, विभाग द्वारा बताया (नवम्बर 1997) कि 1995-96 हेतु पिछड़ा क्षेत्र उपयोजनाएँ उद्दिष्ट निधियाँ मूलरूप से के अनुसार ही 30 लाख 80 उद्योग विभाग द्वारा प्रयोग किए गए, जोकि अनियमित था। सरकार ने उद्योग तथा खनिज में 1995-96 के दौरान 1.54 करोड़ 80 का पुनर्विनियोग किया और मूल प्रावधान आणवटन के अनुरूप के बावजूद भी, विल विभाग ने अनुदान संख्या 18-आपूर्ति,

* जिला उद्योग केन्द्र, ऊना (31.48 लाख रु0) जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा (120.66 लाख रु0) जिला उद्योग केन्द्र, किन्नौर (10.56 लाख रु0) जिला उद्योग केन्द्र, लाहौल एवं स्पिति (4.50 लाख रु0) तथा निर्देशालय: (4.00 लाख रु0)

किए जा चुके थे।

पक्षों को ब्याज की राशि को तत्काल सरकारी खाते में क्रेडिट करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी राशि सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं की गई। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि सभी सम्बद्ध तथा जुलाई 1997 की अवधि में 26.26 लाख रु0 का ब्याज अर्जित किया गया था। उपरोक्तानुसार यह जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा में विभिन्न बैंकों में जमा राशियों पर दिसम्बर 1992

3.1.5.8 ब्याज का जमा न करना

राशियों का तत्काल संवितरण आवश्यक नहीं था आर्हत नहीं की जानी थी। संवितरित नहीं किया गया। उल्टे मान्य नहीं था क्योंकि विहित वित्तीय नियमों के अन्तर्गत जिन आर्हत की और कड़े ब्याज प्राप्ति के कारण सरकार के हित की अभिरक्षा के लिए भूतान की प्राप्ति आर्हत के पश्चात् कड़े ब्याज राशि विभिन्न निष्पादन अभिकरणों को भूतान करने के लिए सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि अर्जन्ट के अर्जन्ट तथा किए गए कर्त

विना ही निर्देशक उद्योग द्वारा राशि का विभोवन किया गया था। प्रशासिकाओं की प्रशिक्षण नहीं दिया गया और निर्देशक द्वारा जिला उद्योग केन्द्र से किसी भी मांग के 4.50 लाख रु0 प्रयोग में नहीं लाए जा सके और 4 लाख रु0 इस कारण अप्रयुक्त रहे क्योंकि (जून-जुलाई 1997) कि लोकनिर्माण विभाग द्वारा काजा में कर्त निष्पादन न करवाए जाने के कारण 24.20 लाख रु0 की शेष राशि जिला उद्योग केन्द्र के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। विभाग ने बताया (जून 1997) कि निकट भविष्य में निष्पादन अभिकरणों को 7.28 लाख रु0 दे दिए जाएंगे। मार्केट बनाई जानी थी वहाँ तक कोई सड़क नहीं थी। प्रमुख प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना ने किन्नौर ने बताया (जुलाई 1997) कि 10.56 लाख रु0 अप्रयुक्त पड़े थे क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया किन्नौर में मार्च 1997 तक 1.21 करोड़ रु0 अप्रयुक्त पड़े थे। प्रमुख प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र करोड़ रु0 उद्योग निर्देशक के निर्देशों (नवम्बर 1995) पर बैंकों में जमा करवाये गए थे, जिसमें से प्रमुख प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा ने बताया (जून 1997) कि 3.38

बैंक/उपकरणों में जमा के रूप में 1.71 करोड़ रु0 मार्च 1997 तक अप्रयुक्त रहे।

मार्च 1990 तथा मार्च 1997 के मध्य 4.14 करोड़ रु0 आर्हत किए गए। इसमें से, नकदी अथवा के अन्तर्गत की नमूना जाव से प्रकट हुआ (जून-जुलाई 1997) कि विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु ऊना, कांगड़ा, किन्नौर के जिला उद्योग केन्द्रों के प्रमुख प्रबन्धकों तथा निर्देशालय

जाना चाहिए जब तक उसकी आवश्यकता न हो।

वित्तीय नियम विहित करते हैं कि खजाने से उस समय तक धन आर्हत नहीं किया

3.1.5.7 आवश्यकताओं से पूर्व निधियों का आहरण

* विनासपुर, बाबा, कमीरपुर, कागाई, कल्या, मण्डा, मिरमीर, शिमला, सोनन तथा ऊना

विनासपुर, बाबा, कमीरपुर, कागाई, कल्या, मण्डा, मिरमीर, शिमला, सोनन तथा ऊना
 जिन पर 1992-97 की अवधि के लिए 24.76 लाख रु० का परिवर्ध व्यय किया गया था।
 पालमपुर की प्रयोगशाला में शामिल किया गया। इस प्रकार पालमपुर प्रयोगशाला में 8 कर्मचारी थे
 कांस्टेबल 12 कर्मचारियों में से 10 को विभागा की अन्य शाखाओं में शामिल कर लिया गया तथा दो को
 प्रयोगशाला की नवम्बर 1997 तक भी बन्दी नहीं किया गया था। दाड़ी तथा बैजनाथ प्रयोगशालाओं में
 दाड़ी तथा बैजनाथ की प्रयोगशालाएं जनवरी 1989 के दौरान बन्द कर दी गईं परन्तु पालमपुर स्थित
 1984-85 तथा पालमपुर में 1991-92 के पश्चात् किन्हीं भी नर्मों का परीक्षण नहीं किया गया।
 बैजनाथ तथा पालमपुर में तीन वायु परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। दाड़ी व बैजनाथ में
 वायु प्रतिदशी के स्तर को प्रमाणित करने के लिए 1975-76 से दौरान दाड़ी,

3.1.6.3 वायु परीक्षण प्रयोगशालाओं में निरिक्षण स्टॉक

1981 से प्रमुख प्रबन्धकों में विहित थी।
 भी करेगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सहायक समाहर्ता श्रेणी - 1 की शक्तियां पहले से ही अगस्त
 अतिरिक्त मू-राजस्व के बकायों की वसूली में विलम्ब तथा सोलन के प्रमुख प्रबन्धकों की सहायता
 सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि अब तहसीलदार अपने वर्तमान कार्य के

कार्य विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों के प्रमुख प्रबन्धकों द्वारा देखा जा रहा था।
 शिमला जिले की केवल आठ तहसीलों की श्रेणी का कार्य वसूली का कार्य सौंपा गया था। अन्य तहसीलों का
 तहसीलदार, दो सहायक तथा एक अहलकार होता था। जून 1992 तक श्रेणी कक्षा की
 वसूली का कार्य उद्योग निदेशक के कार्यालय में एक श्रेणी कक्षा द्वारा देखा जाता था जिसमें एक
 अगस्त 1981 से पहले, मू-राजस्व के बकाया के रूप में औद्योगिक श्रेणी की

3.1.6.2 अतिरिक्त स्टॉक

नहीं था क्योंकि क्षेत्र, जनसंख्या तथा औद्योगिक क्षमता जिला से जिला भिन्न थी।
 जिलों में समूह औद्योगिकीकरण सन्निवेश करने के विचार से प्रावधान किया गया था। उत्तर मान्य
 प्रबन्धक संस्वीकृत किए गए। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि कार्यकारी प्रबन्धकों का समी
 कार्यालय के सन्दर्भ में कोई भी सर्वेक्षण किए बाँधे ही दस जिलों के लिए समरूपण वार कार्यकारी
 क्षेत्र, निर्वाहित जनसंख्या, औद्योगिक पिछड़ेपन, औद्योगिक क्षमता तथा अन्तर्निहित

के अधीन दो निकटस्थ जिलों के कार्यकाल पर संयुक्त किये जा सकते हैं।
 प्रबन्धकों की संख्या 4 से 7 के बीच होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एक कार्यकारी प्रबन्धक
 (अप्रैल 1978), भारत सरकार ने निदेश दिए थे कि जिले की आवश्यकता के अनुसार कार्यकारी
 जिला उद्योग परिवर्ध का गठन करने के लिए स्कीम का अंमल करना करते समय

3.1.6.1 जिला स्तर के कार्यकारी प्रबन्धन

3.1.6 मानव संसाधन प्रबन्धन

इच्छक उद्योगों को उद्योग लगाने के लिए संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभागा द्वारा औद्योगिकीकरण हेतु विशिष्ट क्षमता वाले स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र/परिसम्पदाएं विकसित की जाती थी। तथापि औद्योगिकीकरण तथा रोजगार उत्पादकता हेतु क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, बस्तिनों का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में विभागा के पास कोई संगठित सूचना नहीं थी। प्रमुख प्रबन्धक जिला उद्योग परिषद कागडा ने बताया (जून 1997) कि एलिटिया स्थित औद्योगिक क्षेत्र हेतु सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रमुख प्रबन्धक ऊना ने बताया (जून 1997) कि गगरेट स्थित औद्योगिक क्षेत्र में वयन किए गए औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में वांछित विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

3.1.7 औद्योगिक क्षेत्रों/परिसम्पदाओं के संस्थापन का अन्वेषण न करना 3.1.7 काल्पनिक काल्पनिक

आइए एवं संवितरण अधिकारियों ने इन अधिकारियों/कर्मचारियों से अभिमान तथा ब्याज शक्ति करने में विकलता के कारण भी सूचित नहीं किए (अगस्त 1997)। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि सभी सम्बन्धित आइए एवं संवितरण अधिकारियों की नियमानुसार मामलों की खानबीन करने तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे थे।

आइए एवं संवितरण अधिकारियों की अनिच्छा से उद्घाटित हुआ कि 1994-97 के दौरान नौ आइए एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कर्षी (4.5 लाख रु0) तथा रूकटरी (15.92 लाख रु0) के क्व हेतु 95 अधिकारियों/कर्मचारियों को 20.42 लाख रु0 के वाहन अधिम संस्वीकृत किए गए। 88 अधिकारियों/कर्मचारियों की अनिच्छा से अनिच्छित रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों की अनिच्छा से प्रकट हुए।

वाहन अधिम संस्वीकृति हेतु शर्तों के अनुसार, अधिम के आइए के एक महीने के भीतर वाहन की खरीद की जानी थी, ऐसा न करने पर, अधिम की समग्र राशि उस पर शक्ति ब्याज सहित सम्बन्ध कर्मचारियों से एक महीने की खानबीन की जानी अपेक्षित थी। ऐसा करने में विकल रहने पर राज्य सरकार कर्मचारियों हेतु अधिम एवं केन्द्रिय विधिल सेवा अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई की जा सकती थी।

3.1.6.4 वाहन अधिम का रूकटरी

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि तीन कर्मचारियों का सम्बन्धित किया जा रहा था और पांच कर्मचारियों के शेष स्टाफ की पालनपर प्रयोगशाला में वायु परीक्षण तथा प्रयोगशाला के लिए रखा था क्योंकि वे इसके लिए इस वर्ष अनुरोध किया था। तथापि सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि 1991-92 तथा 1996-97 के मध्य स्टाफ पर परिहार व्यय हेतु कोई कार्रवाई नहीं बताए।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि निष्पादन अभिकरणों* ने विभाग के प्रतिनिधियों के सहयोग से सर्वेक्षण किए थे। तथापि, कांगड़ा और ऊना के जिला उद्योग परिषदों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन जिलों में कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए।

(i)(क) राज्य के 12 जिलों में जून 1995 तक पहचान किए गए 47 औद्योगिक क्षेत्रों/परिसम्पदाओं में से अप्रैल 1997 तक 25 क्षेत्र विकसित किए गए थे। शेष 22 क्षेत्रों में विकास कार्य प्रगति पर थे। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि जिला उद्योग परिषदों के सभी प्रमुख प्रबन्धकों को सभी विकास कार्यों की 31 मार्च 1998 तक पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके थे। इस प्रकार, सरकार औद्योगिक परिसम्पदाओं के विकास का उचित तरीके से अनुश्रवण करने में विफल रही।

दो जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि मार्च 1988 में संस्वीकृत चार औद्योगिक क्षेत्रों*** का विकास जुलाई 1997 तक पूर्ण नहीं हुआ था। बैन अटारियां (कांगड़ा जिला) स्थित औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठापन हेतु 39.72 लाख ₹0 की लागत पर जनवरी 1990 के दौरान निजी भूमि अधिग्रहीत की गई। इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से सम्भाव्यता शक्ति प्रतिवेदन की अप्राप्ति के कारण नवम्बर 1997 तक नहीं किया गया था। शेष तीन मामलों में विकास कार्य एक या दो वर्षों में पूर्ण किए जाने निहित थे किन्तु 87.92 लाख ₹0 खर्च करने के बावजूद भी पूर्ण नहीं हुए थे। तदनुसार जैसा प्रमुख प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र कांगड़ा तथा उद्योग निदेशक ने बताया (जून 1997) कि भावी उद्यमियों को चार क्षेत्र आबण्डित नहीं किए जा सके क्योंकि उन्हें बिजली और पानी की आपूर्ति और सम्पर्क सड़क के संरेखण में आने वाली निजी भूमि अधिग्रहीत नहीं की जा सकी। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण तथा विकास कार्यों पर खर्च किए गए 1.28 करोड़ ₹0 निष्फल हो गए।

(ख) पडंराणू (शिमला जिला) में एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मार्च 1988 में संस्वीकृत किया गया और डेढ़ सालों में पूर्ण किया जाने वाला विहित कार्य जुलाई 1997 तक भी पूरा नहीं किया गया था क्योंकि कुछ छोटे मोटे कार्य करने शेष रह गए थे। निष्पादन अभिरण (हिमाचल प्रदेश लोकनिर्माण विभाग) को 1988 व 1997 के मध्य 18.10 लाख ₹0 की निधियां उपलब्ध करवाई गई किन्तु इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर किया गया व्यय उद्योग निदेशालय द्वारा सूचित नहीं किया गया था। सरकार द्वारा भी कोई उत्तर नहीं दिया गया था (नवम्बर 1997)।

* हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड; हिमाचल प्रदेश लोकनिर्माण विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

** सून्या चिरगांव (शिमला जिला); बैन अटारियां, धलियारा तथा इलैक्ट्रानिक्स कम्प्लेक्स नगरी जिला कांगड़ा

(ii)

विकास कार्यों को आरम्भ/पूर्ण न करना

93.94 लाख रु० की अनुमानित लागत से औद्योगिक क्षेत्र के सतरह विकास तथा मरम्मत के कार्य (चम्बा जिला: एक; मण्डी जिला: छः; शिमला जिला: दो तथा ऊना जिला: आठ) मार्च 1989 व मार्च 1997 में पूर्ण किए जाने नियत किए गए थे। तथापि, ये कार्य नवम्बर 1997 तक भी आरम्भ नहीं किए गए थे यद्यपि निष्पादन अभिकरणों को जून 1988 तथा फरवरी 1996 में 43.41 लाख रु० विमुक्त किए गए (ऊना जिला के एक कार्य को छोड़कर)। अतिरिक्त उद्योग निदेशक ने इसे लागत में वृद्धि, सर्वेक्षण न करने, अनुपयुक्त स्थल तथा पांच मामलों में प्रस्तावित कार्यों की अनुपयुक्तता से आरोपित किया। 12 शेष मामलों के सम्बन्ध में कोई कारण सूचित नहीं किए गए।

अगस्त 1987 तथा अगस्त 1996 के मध्य 5.37 करोड़ रु० के विभिन्न निष्पादन अभिकरणों को दस जिलों में तरेपन कार्यों* के लिए दिए गए (अनुमानित लागत 7.30 करोड़ रु०) जिन्हें एक वर्ष व दो वर्षों के भीतर 1988-89 तथा 1996-97 के मध्य पूरा किया जाना नियत था, पूरे नहीं किए गए।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि लम्बित कार्य हाथ में नहीं लिए जा सके क्योंकि निष्पादन अभिकरण औद्योगिक क्षेत्रों/परिसम्पदाओं के अन्य विकास कार्यों में व्यस्त थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस उद्देश्य हेतु निधियों के सम्मोचन को दृष्टि में रखते हुए कार्यों के शीघ्र निष्पादनार्थ प्रबन्ध किए जाने चाहिए थे।

(iii)

औद्योगिक शैडों/दुकानों का बकाया किराया

औद्योगिक शैड/दुकानें तीन वर्षों की प्रारम्भिक अवधि हेतु जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता था उद्यमियों को मासिक किराये पर दी जानी थी। पट्टा अनुबन्ध के मानक निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार, किराया अनुगामी महीने में अधिक से अधिक सात दिनों तक भुगतानयोग्य था। यदि किराया देय होने के पश्चात् निरन्तर दो महीनों की अवधि तक अप्रदत्त रहा हो तो विभाग पट्टा अनबन्धों को निरस्त और परिक्षेत्रों पर कब्जा कर सकता था।

कांगड़ा, सोलन तथा ऊना के जिला औद्योगिक केन्द्रों में 10 औद्योगिक क्षेत्रों/परिसम्पदाओं में 167 औद्योगिक शैडों के आबण्टितियों से अप्रैल 1963 से जून 1997 की अवधि से सम्बन्धित 78.94 लाख रु० का किराया वसूल नहीं किया गया था। इसमें ऊना जिला के सम्बन्ध में 37.63 लाख रु० का किराया भी शामिल था, जिसमें से 31.27 लाख रु० 19 शैडों से सम्बन्धित थे, जिन्हें ऋण लेने वित्तीय संस्थानों के पास पट्टाधिग्रहण अधिकारी को रहन रखने की अनुमति दी गई थी। उसी दौरान, आठ उद्यमियों ने, जिनसे 13.50 लाख रु० का किराया वसूलीयोग्य था, जनवरी 1985 तथा सितम्बर 1996 के मध्य अपनी इकाइयां बन्द कर दीं। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि बकाया किराया वसूलने तथा परिसर खाली करवाने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी थी। तथापि किराया वसूलियों तथा बेदखलियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए।

* बिलासपुर (2), हमीरपुर (4), कांगड़ा (4), कुल्लू (2), किन्नौर (1), मण्डी (5), शिमला (10), सिरमौर (1),

सोलन (23) तथा ऊना (1)

नहीं किया गया।

अप्रैल 1997 तक 89.36 लाख रु० व्यय किए थे। पार्क अब तक (नवम्बर 1997) भी प्रारंभित नहीं और मई 1996 में अभिकरण की उद्योग निदेशक द्वारा दे दिए गए। अभिकरण ने विकास कार्यों पर उद्योग निगम को विभाजित कर दी (जून 1995)। मार्च 1996 में 1.25 करोड़ रुपए भी निकाले गए तत्पश्चात् निजी मूँष का कब्जा लिए बौर स्कीम के चरण-1 हेतु यह राशि हिमाचल प्रदेश राज्य दिन 4 करोड़ रु० (राज्यांश सहित) आहत किए और उन्हें विभिन्न बैंकों में जमा कर दिया। सरकार द्वारा किए गए 3 करोड़ रु० के आवाहन के प्रति उद्योग निदेशक ने मार्च 1995 के अन्तिम मानकों के अन्तर्गत व्यय करने के अर्जस्त संहित मार्च 1995 में प्रदान की गई। मार्च 1995 में भारत वर्ष 1994-95 हेतु बजट आवाहन से व्यय की सीमित करने तथा भारत सरकार द्वारा प्रावधानित 4 करोड़ रु० हेतु भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक अर्जस्त तथा व्यय संस्वीकृति

1997 तक पूर्ण करवाई जानी नियत थी।

96 हेक्टयर मूँष (निजी मूँष: 56 हेक्टयर तथा सरकारी मूँष: 40 हेक्टयर) पर दो चरणों में जून हेतु 1। परिवोजना हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग निगम के माध्य से कार्यान्वित करवाई जानी थी और इसके अतिरिक्त परिवोजना के पूर्ण होने पर 16,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित निमित्त अनुसंधानित औद्योगिक इकाइयों की शून्य लागत हेतु के आधार पर उपार्जित की जाती थी। प्रथमतः राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। इस प्रकार सृजित संरचनात्मक सुविधाएँ 150 चरणबद्ध रीति से दी जानी थी। मूँष के अधिग्रहण की लागत तथा पार्क के विकास की लागत का 25 कब्जा कार्यान्वयन अभिकरण के पास ही। निधियाँ पार्क के कार्यान्वयन की प्रगति को देखकर विकास की लागत का 75 प्रतिशत केन्द्रीय अर्जस्त अर्जस्त इस शर्त पर अर्जस्त था कि पार्क हेतु मूँष का प्रारंभित करने का अर्जस्त किया (दिसम्बर 1994)। मूँष की लागत को छोड़कर पार्क के करोड़ रु० की लागत से बढ़ती (सोतल जिला) में एक निर्वात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क की औद्योगिक उत्पादनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 20.03

3.1.7.3 निर्वात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क को संस्थापित करने में विकलता

व्यवहारिकता की सुस्थापित करने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन किया गया था। नहीं बढ़ाया गया। तथापि, अभिलेखों में यह निर्दिष्ट करने के लिए कुछ नहीं था कि प्रस्ताव की क्षमता/परिसम्पदाओं के गठन हेतु प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया और इसलिए मामले की आगे सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि प्रारम्भिक रूप में ऐसे

कोई पहचान नहीं की गई और इन्हें संस्थापित किया गया।

विशेषतया महिला उद्योगों हेतु ऐसे लघु औद्योगिक क्षेत्र/परिसम्पदा की राज्य में जलाई 1997 तक लघु औद्योगिक क्षेत्रों/परिसम्पदाओं को गठन करने के निदेश दिए (अप्रैल 1989)। तथापि, लिए अर्जस्त प्राप्त करने के पश्चात् अपने सम्बन्धित जिलों में विशेषतया महिला उद्योगों के लिए राज्य में जिला उद्योग केन्द्रीय प्रमुख प्रबन्धकों को उपयुक्त क्षमता की पहचान करने तथा उनके महिलाओं के माध्य उद्यमकारों को अभिप्रेरित करने के लिए उद्योग निदेशक ने

3.1.7.2 महिला उद्योगों हेतु लघु औद्योगिक क्षेत्रों/परिसम्पदाओं का विकास न करना

अनुपलब्धता बताया (नवम्बर 1997)। इस प्रकार निम्नलिखित किए गए लक्ष्य वास्तविक नहीं थे। सरकार ने गिरावट का कारण इन स्कीमों के अन्तर्गत उपयुक्त व्यक्तियों की

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धता	गिरावट	संख्या	प्रतिशतता
1.	टैक्सटइलज	5,600	2,543	3,057	55	
2.	इलेक्ट्रॉनिक्स	1,100	580	520	47	
3.	सॉफ्टवेयर, विज्ञानस आदि	2,500	1,011	1,489	60	
4.	के बी आई सी विशेष योजना	2,600	275	2,325	89	

सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार विभाग के लिए 1996-97 के दौरान स्थापित तथा स्वयं राजगार क्षेत्रों में 18500 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त राजगार सृजित करने उपलब्ध थे (1994-95 तथा 1995-96 की सूचना नहीं दी गई)। इसके प्रति 16140 व्यक्तियों के लिए ही राजगार सृजित किए गए। परिणामतः 13 प्रतिशत तक गिरावट थी। कार्यक्रम की नीति-उप-स्कीमों से वार के विषय में वास्तविक रूप से लक्ष्य अनुपलब्ध थे औद्योगिक नीति विवरणित है:

(क) लक्ष्यों की उपलब्धता में गिरावट

3.1.7.4 राजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम

था।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि अभिकरण की इस विषय में स्पष्टीकरण देने की कहा गया। उपरोक्त राजी पर 1.07 करोड़ रु० का व्यय अर्जित किया तथा उसे अपनी आय समझ लिया। तक केवल 89.36 लाख रु० ही खर्च किए थे। इसके साथ साथ, अभिकरण ने मार्च 1997 तक के प्रतिकूल था। निष्पादन अभिकरण ने भी अनिर्दिष्ट वितीय नाम उठाया क्योंकि उन्होंने अप्रैल 1997 आइएन (मार्च 1995: 4 करोड़ रु० तथा मार्च 1996: 1.25 करोड़ रु०) वितीय नियमों के प्रावधानों से मन्विगत वर्षों के बजट आकर्मनों की प्रयोग करने के लिए 5.25 करोड़ रु० का

का प्रशन ही उत्पन्न नहीं होता।

अतिरिक्त, अभिकरण निष्पादन प्रभार उदाहरित कर रहा था और इसीलिए वे सी सृष्टिधार् प्रदान करने या क्योंकि आकर्मिकताओं में आवासीय, मकानों के कर्षार्थ कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इसके प्रावधान किया गया और कि परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वे सृष्टिधार् अनिवार्य थीं। तक मान्य नहीं व्यय आकर्मिकताओं में बहन किया गया था जिसके लिए परियोजना प्रतिवेदन में 1.10 करोड़ रु० का 2.10 लाख रु० भी खर्च किए गए। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि आवासीय मकानों का परियोजना प्रतिवेदन में कोई प्रावधान नहीं था। इन मकानों में से एक के संवहन तथा परिवर्तन पर उपदेन नाम पर हिमाचल प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड से पांच आवासीय मकान खरीदे जिनके लिए स्कीम के यह भी ध्यान में आया कि निष्पादन अभिकरण ने 16.52 लाख रु० की लागत पर

(ख) ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम

ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विभाग द्वारा 1994-97 के दौरान खर्च किए गए 1.43 करोड़ ₹0 में से 12.63 लाख ₹0 आकस्मिकता व्यय पर खर्च किए गए थे जो स्कीम के क्षेत्र में नहीं आते।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि आकस्मिकता व्यय स्कीम का अभिन्न अंग था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम के मार्गदर्शन सिद्धान्तों में इस हेतु दी गई निधियों में से ऐसा व्यय करने का प्रावधान नहीं था।

3.1.7.5 केन्द्रीय परिवहन उपदान की बकाया प्रतिपूर्ति

भारत सरकार ने कुछ चुनिंदा रेल पर्यन्त अथवा पत्तनों और इकाइयों के स्थानों के मध्य कच्चे माल तथा सृजित सामग्री के परिवहन पर राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को परिवहन उपदान करने हेतु एक स्कीम का अनुमोदन किया (जुलाई 1971)। उपदान 50 प्रतिशत की दर से भुगतानयोग्य था। उपदान की दर अप्रैल 1985 से 75 प्रतिशत संशोधित कर दी गई। इस प्रकार पात्र उद्यमियों को विमोचित उपदान की तत्पश्चात् भारत सरकार से प्रतिपूर्ति करवाई जानी थी।

विभाग द्वारा 1994-97 के दौरान 26.17 करोड़ ₹0 के संवितरित कुल परिवहन उपदान में से नवम्बर 1997 तक भारत सरकार से 26.10 करोड़ ₹0 की प्रतिपूर्ति करने का दावा किया गया था। तथापि नवम्बर 1997 तक 17.01 करोड़ ₹0 (1994-95: 0.12 करोड़ ₹0, 1995-96: 0.08 करोड़ ₹0 तथा 1996-97: 16.81 करोड़ ₹0) प्राप्त नहीं हुए थे। भारत सरकार द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे (नवम्बर 1997)।

3.1.7.6 रेशम कीटपालन उद्योग

समाज के निर्धन वर्गों को अतिरिक्त व्यवसाय प्रदान कराने हेतु राज्य में रेशम कीट पालन उद्योग विकसित किया जा रहा था। उद्योग को सहायता देने के लिए विभाग द्वारा शहतूत की कलमें/पौधे लगाए जाने थे। सहायक निदेशक, रेशम उद्योग पालमपुर तथा प्रमुख प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र नाहन के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि पालमपुर और नाहन में 1994-97 की अवधि के दौरान 8.30 लाख ₹0 की लागत से 25.20 एकड़ तथा 26.50 एकड़ भूमि पर क्रमशः 27.90 लाख ₹0 तथा 28 लाख शहतूत की कलमें रोपी गईं। क्रमशः पालमपुर और नाहन में पौधों की उत्तरजीविता केवल 5.55 लाख तथा 5.66 लाख ही थी जो कुल लगाई गई कलमों का लगभग 20 प्रतिशत बनती थी। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि पौधों की उत्तरजीविता क्षेत्र में विद्यमान मौसम विज्ञान सम्बन्धी/जलवायु की परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ये तत्व पौधारोपण हेतु क्षेत्रों को चुनने से पहले देखे जाने थे।

देश में अशिक्षित बेरोजगार युवकों को उद्योग, सेवा तथा व्युत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार प्रयासों को संस्थापित तथा स्वरोजगार अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना अक्टूबर 1993 में आरम्भ की गई थी।

नाहन तथा सोलन के जिला उद्योग केन्द्रों के प्रमुख प्रबन्धकों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि इस स्कीम के अन्तर्गत 14 उद्यमियों को नवम्बर 1994 तथा अगस्त 1996 के मध्य 7.61 लाख रु० के ऋण अग्रिम के रूप में दिए गए थे। इन उद्यमियों ने, जैसा कि प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र नाहन द्वारा जुलाई 1997 में सूचित किया, रुचि न लेने के कारण या तो कार्य आरम्भ ही नहीं किए थे अथवा बाद में कार्य छोड़ दिए थे। प्रमुख प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सोलन ने सूचित किया (जुलाई 1997) कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई पता नहीं किया गया था कि जिन व्यक्तियों को ऋण प्रदान किए गए थे वे वास्तव में अनुमोदित कार्यों में लगे हुए थे। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि विभाग सिफारिश करने वाला प्राधिकरण था और ग्रहण की ऋणों की वसूली सम्बद्ध संस्थानों की एकमात्र जिम्मेदारी थी। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय संस्थानों/भारतीय रिजर्व बैंक ने स्कीम का पूरा सर्वेक्षण किया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम केवल ऋण प्रदान करने तथा उनकी वसूलियों पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं बनाई गई थी। चूंकि स्कीम विभाग के अधीन थी, इसलिए उसे उसका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए था।

(क) जिला उद्योग केन्द्र किन्नौर, नाहन तथा सोलन के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (जून-जुलाई 1997) कि 354 उद्यमियों को 1988-89 तथा 1996-97 के मध्य अग्रिम के रूप में दिए गए 19.24 लाख रु० के सीमान्त धन ऋण तथा उस पर अर्जित मार्च 1997 तक 15.22 लाख रु० का ब्याज जून 1997 तक ऋणदाताओं के विरुद्ध बकाया थे। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि सम्बन्धित प्रमुख प्रबन्धकों से मामला उठाया गया था तथा मुख्यालय स्तर पर वसूली प्रगति का अनुश्रवण किया गया था। अनुश्रवण प्रभावी नहीं था क्योंकि ऋण लम्बी अवधियों तक वसूली के बिना पड़े रहे थे।

(ख) राज्य सरकार ने विभिन्न इकाइयों की ऋणों, जिन्हें उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम 1971 तथा सम्बद्ध स्कीमों के सम्बद्ध प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाना था, के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। अधिनियम तथा सम्बद्ध रहन विलेखों के अनुसार ऋण सामान्यतः अग्रिम दिए जाने की तारीख से एक वर्ष पश्चात् आरम्भ करके सात किशतों में वसूल किए जाने अपेक्षित थे। इन्हें लौटाने में विफलता पर वांछित मूलधन तथा उस पर ब्याज की राशियों की वसूली राज्य सरकार की पहले की संस्वीकृति से भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जानी थी। अधिनियम में ऋणों की अवधि के दौरान तथा यदि दिए गए ऋणों के धन का अन्य अभिप्रेत प्रयोजनों हेतु विचलन अथवा ऋण प्रदान करने की शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो तो, उद्योग निदेशक द्वारा ऋणदाताओं के परिसरों के निरीक्षण का भी प्रावधान था।

(1) केन्द्र हेतु बधन इलाके में 262-02-95 हेक्टेयर माप की सरकारी भूमि के स्थानान्तरण, जो जून 1997 तक भी स्थानान्तरित नहीं की गई थी, के मामले को उद्योग निदेशक ने उपर्युक्त कागजातों के साथ उठाया (1992)। 67.15 हेक्टेयर भूमि, जो 58.61 लाख रुपये की लागत से 1982-86 के दौरान माछड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से विभागा द्वारा अधिग्रहित की गई थी, का विभागा के नाम पर नामांतरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिग्रहित भूमि के लेखांकन को दर्शाने वाले 2046 सैन्यकटौती तथा उम्र में 462 यूनिट्स के खंड वृक्षा के अधिलेख नहीं बनाये गये थे।

हैप (जून 1997):

जिला उद्योग केन्द्र कागजातों के आलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट

स्थानान्तरण करने का अर्जोदन किया (फरवरी 1997)।
 गांव था, में 464 हेक्टेयर क्षेत्र पर 22.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से संवर्धन केन्द्र की मातृ 1997 तक शुरू कर दिया जाए। भारत सरकार ने संसारपुर टैरस तथा बधन जो एक समीपस्थ अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति के भूदान का अर्जोदन किया (अगस्त 1992)। यह निहित था कि केन्द्र संसारपुर टैरस (कागजात जिला) में एक औद्योगिक संवर्धन केन्द्र के प्रतिष्ठान करने हेतु भूमि संवर्धनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवा के औद्योगिक क्षेत्र की प्राप्ति/सिद्धि करने हेतु राज्य सरकार ने देश में उन उपलब्ध संवर्धनात्मक सुविधाओं के समान ही राज्य में उद्योगियों को

3.1.8.1 औद्योगिक संवर्धन केन्द्र का धीमा तथा अनार्योचित विकास

3.1.8 अन्य संविदाकर प्रयोग

संविदा करने वाली (नवम्बर 1997) कि विभागा में एक अणु वसूली कक्ष कार्य कर रहा था परन्तु सम्पत्ति की कृती हेतु नोटिस देते तथा वारंट के निष्पादन हेतु उन्हें राजस्व विभागा पर निर्भर रहना पड़ता था। तदर्थीय कार्यालयों में अत्यधिक कार्यभार के कारण समान वारंट देने का कार्य उपर्युक्त रूप से नहीं हो पाया जिससे वसूली कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जिला उद्योग केन्द्र के प्रमुख प्रबन्धकों को बकाया अणु की वसूली भू-राजस्व की वसूली के रूप में वर्णन करने हेतु 1 अगस्त 1981 से सहायक समहती अणु-1 की शक्तिवर्षों से विहित किया गया था तथा सरकार को दो विभागों के मध्य समुचित समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए था।

सम्बन्धित अधिकाधिक द्वारा केवल एक बार ही निरीक्षण किए गए थे।
 ब्याज की वसूली नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, शिमला जिले की 40 इकाइयों के विषय में 0.30 लाख रु०) जो आरम्भ नहीं हुई थी। कार्यकारी इकाइयों के सम्बन्ध में भी अणु तथा उन पर सम्पत्ति थी जो 1962 तथा 1986 के मध्य बन्द हो गई थी तथा वार इकाइयां (वसूलीयोग्य राशि शिमला जिले की 111 इकाइयां (वसूलीयोग्य मूलधन की राशि तथा ब्याज: 16.51 लाख रु०) भी तथा उन पर अर्जित 44.86 लाख रु० के ब्याज 1997 तक वसूल नहीं किए गए थे। इसमें तथा मूलधन जिले में 463 उद्योगों की वर्ष 1952-53 से 1994-95 तक 16.93 लाख रु० के अणु यह पाया गया कि विभिन्न विभागीय स्कीमों के अन्तर्गत कागजात, किन्नीर, शिमला

उद्योग निदेशक ने कार्यान्वयन अभिकरणों में विभाजित धन, प्रयुक्त राशिों तथा कार्यों निम्नलिखित दिखाने की अवस्था के सम्बन्ध में मासिक प्रगति प्रतिवेदनो के मासिक निवेदनों को अद्यतन करने हेतु स्मरण कराया गया। (जून 1997)।

प्रतिवेदनो के प्रति उद्योग निदेशक को केवल 109 प्रतिवेदन भेजे गये। यह बताया जाने पर (जून 1997) उद्योग निदेशक ने बताया कि जिला उद्योग केन्द्रों के सभी प्रमुख निदेशको को मासिक प्रगति प्रतिवेदनो को उचित समय पर प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने हेतु स्मरण कराया गया। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि विभिन्न स्कीमों की प्रगति का सम्बन्धित कार्यक्रम अतिकारियों तथा मुख्यालय कार्यालय द्वारा समय-समय पर अर्नश्चरण किया जा रहा था। मासिक प्रगति प्रतिवेदनो के प्रस्तुतीकरण में गिरावट के लिये कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उद्योग निदेशक ने कार्यान्वयन अभिकरणों में विभाजित धन, प्रयुक्त राशिों तथा कार्यों निम्नलिखित दिखाने की अवस्था के सम्बन्ध में मासिक प्रगति प्रतिवेदनो के मासिक निवेदनों को अद्यतन करने हेतु स्मरण कराया गया। (जून 1997)।

उद्योग निदेशक ने कार्यान्वयन अभिकरणों में विभाजित धन, प्रयुक्त राशिों तथा कार्यों निम्नलिखित दिखाने की अवस्था के सम्बन्ध में मासिक प्रगति प्रतिवेदनो के मासिक निवेदनों को अद्यतन करने हेतु स्मरण कराया गया। (जून 1997)।

उद्योग निदेशक ने कार्यान्वयन अभिकरणों में विभाजित धन, प्रयुक्त राशिों तथा कार्यों निम्नलिखित दिखाने की अवस्था के सम्बन्ध में मासिक प्रगति प्रतिवेदनो के मासिक निवेदनों को अद्यतन करने हेतु स्मरण कराया गया। (जून 1997)।

उद्योग निदेशक ने बताया कि जिला उद्योग केन्द्रों के सभी प्रमुख निदेशको को मासिक प्रगति प्रतिवेदनो को अद्यतन करने हेतु स्मरण कराया गया। (जून 1997)।

अर्नश्चरण

3.1.9

उद्योग निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि अर्नपूरक मांग में बजट प्रावधान नहीं किया जा सका था क्योंकि यह राशि प्राप्त होने से पूर्व राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित की जा रही थी। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि व्यय को विनिश्चित करने के प्रयास वैधानी में थे। यह तक मान्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियम बजट प्रावधान तथा तकाल अधिका रहित धन के आह्वरण को वृद्धि करते थे।

उद्योग निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि अर्नपूरक मांग में बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

उद्योग निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि अर्नपूरक मांग में बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

उद्योग निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि अर्नपूरक मांग में बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

उद्योग निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि अर्नपूरक मांग में बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

उद्योग निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि अर्नपूरक मांग में बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

उद्योग निदेशक ने बताया (अगस्त 1997) कि अर्नपूरक मांग में बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

3.1.10 लेखापरीक्षा को प्रत्युत्तर

3.1.10.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा परिच्छेद

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताओं तथा लेखाओं के अनुरक्षण में त्रुटियों पर लेखापरीक्षा आपत्तियां कार्यालयों के मुखियों तथा उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित की जाती हैं। अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताएं कार्यालयाध्यक्षों तथा सरकार को भी टिप्पणियों हेतु प्रतिवेदित किये जाते हैं। छः माह से अधिक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों के छः माही प्रतिवेदन उनके शीघ्र समायोजन हेतु सरकार के प्रेषित किये जाते हैं।

अगस्त 1997 के अन्त तक, जून 1963 तथा मई 1997 की अवधि से सम्बन्धित 163 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 475 परिच्छेद बकाया थे।

लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताएं नीचे सारिणीबद्ध की गई हैं:

क्रम संख्या	आपत्ति वर्ग	निरिक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद (संख्या में)
1.	आवश्यकताओं से पूर्व निधियों का आहरण/ निधियों का अवरोधन	44	46
2.	संस्वीकृतियों की अनुपस्थिति, संविदाएं इत्यादि आमात्रित न करने के कारण अनियमित व्यय	30	41
3.	अधिक भुगतान/किरायों तथा अग्रिमों की अवसूलो/ विविध वसूलिया	32	90
4.	वास्तविक प्राप्ति कर्ता की रसीदें/प्रयुक्तता प्रमाण पत्र पेश न करना	4	20
5.	अपूर्ण कार्य	2	4
6.	बकाया ऋण/अग्रिम	23	27
7.	परिहार्य व्यय	6	9
8.	अनुचित वित्तीय सहायता	4	4
	जोड़	145	241

सरकार ने वर्ष 1963 से अब तक बकाया परिच्छेदों की भारी संख्या हेतु कोई कारण सूचित नहीं किये थे।

** औद्योगिक प्रसार केन्द्र (लौहखनि) तथा पालमपुर स्थित ग्रामीण उद्योग परिवर्धना
 देशम कीट पालन उद्योग तथा बाघ उद्योग

* परामर्श क्रिय, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, औद्योगिक प्रसार केन्द्र (लौहखनि), पालमपुर स्थित ग्रामीण उद्योग परिवर्धना,

10 लाख रु० तक की लागत के प्रत्येक कार्यों जो एक या दो कार्यों में पूर्ण किए जा सकते हैं, स्कीम के अन्तर्गत आरम्भ किए जाने हैं। मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य, अन्य अर्थात्

क्षेत्र में से कार्यों के निष्पादन हेतु अपनी इच्छानुसार किसी एक जिले का चयन कर सकता था।
 वर्ना/वर्नी गण/गड्डे थी, चयन सकते हैं जबकि संसद के नामांकित सदस्य किसी भी राज्य/संघ शासित परिसम्पत्तियों का सृजन कर सके, राज्य सभा के सदस्य राज्य से कोई भी जिला जिसमें से वह को परामर्श देने का विकल्प था जो उसके संसदीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपए तक की स्थायी आधारित विकास प्रवृत्ति के ऐसे कार्यों को उसके वर्नाय क्षेत्र में आरम्भ करने के लिए जिला समाह्वली स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक संसद को स्थानीय अनुभवजन्य आवश्यकताओं पर

किया गया था। राज्य में स्कीम 1993-94 से आरम्भ की गई।
 करने के विचार से "संसद स्थानीय क्षेत्र विकास" स्कीम को 23 दिसम्बर 1993 में संसद में घोषित सप्सदी को अपने अपने वर्नाय क्षेत्रों में पूर्णतः प्रकृति के लघु कार्यों को संसदीय

3.2.1 परिव्य

3.2 संसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम

राजस्व विभाग

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि कुछ पुरानी स्कीमों के प्रलेख आ नहीं रहे हैं। वृत्तिक वे सनी स्कीमों वाले थी, इसलिये मार्गदर्शन विभाग के पास सहज में उपलब्ध होने चाहिए। इन प्रलेखों की अनुपस्थिति में, इन स्कीमों का उपयुक्त कार्यान्वयन लेखापरीक्षा में पूर्णतया संतुष्टि नहीं किया जा सका।

बार-बार अनुसंधानों के बावजूद भी लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्कीमों, जिन पर 1994-97 के दौरान 2.84 लाख रुपए व्यय किये गये थे, से सम्बद्ध अभिलेख 12.99 करोड़ रुपए व्यय किये गये थे, के मार्गदर्शन विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। इन में से दो

17 वर्णित स्कीमों में से ऊ. राज्य स्कीमों, जिन पर 1994-97 के दौरान

3.1.10.2 अभिलेखों की अनुपलब्धता तथा अप्रसूचीकरण *

* खण्ड विकास अधिकायी, हमीरपुर, जूबल, कांठा, कुल्, मण्डी सदर, मशीबरा, तिवीग तथा निस्सा, वन मण्डल अधिकायी
 मण्डी सदर, कुल्, मण्डल संख्या-1 तथा 11, नारायणलिका कुल्, तथा रामपुर मण्डल, मण्डी मण्डल नं० 11
 ** 1993-94 तथा 1996-97 के दौरान राज्य सभा के संसदी ने क्रमशः शिमला तथा कांठा को चुना था।

शिमला	शिमला जिला की रामपुर तहसील
	शिमला*
	चीलन
	हिरमौर
मण्डी	कुल्
	मण्डी
कांठा	चम्बा (पानी तथा मरमौर को छोड़कर)
	कांठा*
	कांठा जिला का देहरा उप मण्डल
	ऊना
हमीरपुर	हमीरपुर
	बिलासपुर
लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र	आर्वाल जिलों के नाम

लेखापरीक्षा में आर्वाल निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण निम्नवत् था:-
 मई-अगस्त 1997 में संवीक्षा की गई।
 10 उपायुक्तों के कार्यालयों तथा 14 निर्वाचन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा
 1993-97 की अवधि में स्कीम के कार्यान्वयन की राज्य में 12 उपायुक्तों में से

3.2.3 लेखापरीक्षा ब्यापि

केन्द्र सरकार में सीधा सम्पर्क था।
 तथा निधियों को निस्सारित करने तथा स्कीम की आवाधिक रिपोर्ट देने का सम्बन्ध था, उपायुक्तों तथा
 सहयोग, सहायता तथा कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सामान्य आदेश जारी करने थे। जहाँ तक संस्वीकृति
 विभाग में उपायुक्तों द्वारा संचालित जिला स्तर पर सभी योजना तथा कार्यान्वयन अधिकारियों की
 विभिन्न सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कार्यों का निर्वाहन किया जाना था। राज्य आयोजना
 उत्तरदायी था, केन्द्रीय स्तर पर एक नोडिय विभाग था। जिला स्तर पर, सम्बद्ध उपायुक्तों द्वारा
 भारत सरकार का कार्यक्रम निर्वाहन विभाग जो स्कीम कार्यान्वयन के लिए

3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

द्वार संसदीय क्षेत्र तथा तीन राज्य सभा के सदस्य थे।
 आर्वाल करना, इन्वैटरी अथवा उपकरण, इत्यादि का कय स्कीम के अन्तर्गत अर्जनम्ब नहीं थे। राज्य में
 स्कीमों को पूरा करना, अन्य परिचयोजनाओं के साथ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों को

[परिच्छेद 3.2.5(ड.)]

प्रमाणपत्र/पूर्वा प्रमाणपत्र प्रेषित नहीं किए थे।
 संस्वीकृत किए थे परन्तु 3.39 करोड़ रु० की लागत के 640 कार्यों हेतु प्रयुक्तता
 इस उपार्यवर्ती ने 2302 कार्यों के लिए 12.78 करोड़ रु० 1994-96 के बीच

**

[परिच्छेद 3.2.5(ग)(!!)]

संस्वीकृत निधियाँ उपर्याप्त थीं।
 सासदा द्वारा संस्तुत थे परन्तु इन्हें शुरू नहीं किया गया क्योंकि उनके लिए
 मापू तथा शिमला जिलों में 18.15 करोड़ रु० की लागत के चौबीस कार्य यद्यपि

**

[परिच्छेद 3.2.5(व)(क)]

था।
 राशियों पर अंजित 36.20 करोड़ रु० का ब्याज जुलाई 1997 तक अग्रयुक्त पड़ा
 1994-97 के दौरान खोले गए स्कीम की निधियों के बैंक लेखाओं में जमा

**

[परिच्छेद 3.2.5(क)(!!!)]

नजर अन्दाज करते हुए स्कीम की निधियों को बचत बैंक लेखाओं में रखा गया।
 अपेक्षित था जो किस्मों भी उपार्युक्त द्वारा नहीं खोले गए थे। सरकारों आदेशों को
 इस स्कीम के अन्तर्गत निक्षेप निधियों के अर्थात् निजी लेजर लेखे खोलना

**

[परिच्छेद 3.2.5(क)(!)]

2.26 करोड़ रु० ही जुलाई 1997 तक प्रयोग में आए गए।
 10 जिलों में 14 निषादन अभिकरणों को विभाजित 3.84 करोड़ रु० में से केवल

**

अग्रयुक्त पड़ी थी।
 किए। 5.79 करोड़ रु० की शेष राशि उपार्युक्तों के पास मार्च 1997 तक
 किन्तु इस राशि में से विभिन्न कार्यों हेतु केवल 14.51 करोड़ रु० विमुक्त
 रहे थे। वर्ष 1994-97 के दौरान इस उपार्युक्तों ने 20.30 करोड़ रु० प्राप्त किए
 निषादन अभिकरण अपने द्वारा निष्पादित कार्यों के लेखे उपार्युक्तों को नहीं भेज

**

(क) स्कीम शत प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित थी और प्रत्येक वर्ष, केवल 1993-94 के अतिरिक्त जब राज्य आयोजना विभाग के माध्यम से आवंटन किया गया था, के लिए निधियाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा उपयुक्तों को सौंप दी गईं। वर्ष 1993-94 के दौरान 5 लाख रु० प्रति मासद दिए गए। वर्ष 1994-95 तथा इसके बाद वे एक करोड़ रु० प्रति मासद कर दी गईं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने कार्यों की मौलिक तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर वर्ष में दो बार निधियों का विभाजन करना था।

3.2.5 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(परिच्छेद 3.2.14 तथा 3.2.15)

राज्य स्तर पर स्कीमों का अर्जेशन नहीं किया गया। ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि उपयुक्तों द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा था। जैसा आवश्यक था "सासद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम कार्य" को दर्शाते हुए कोई सैकेतपट्टे कार्यालय पर खड़े नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 3.2.12 तथा 3.2.13)

भारत सरकार के अर्जेशों के विपरीत, किसी भी उपयुक्त ने महालेखाकार को निमाकायाँ के व्यय लेख नहीं भेजे। उन्होंने स्कीम से सृजित परिस्मपत्तियों को संख्या दर्शाते हुए अपेक्षित परिस्मपत्तियों के रजिस्टर भी नहीं बनाए।

(परिच्छेद 3.2.8)

स्कीम के अन्तर्गत एकसद कार्य जो अर्जेशन नहीं थे, सासदों की सिफारिश पर संस्वीकृत तथा निष्पादित किए गए जिनके लिए उपयुक्तों द्वारा निष्पादन अभिकरणों को 42.75 लाख रु० दिए गए।

(परिच्छेद 3.2.7)

शिमला जिले में 12.75 लाख रु० की लागत के दस कार्य तथा जलापूर्ति स्कीम, महिला/युवक मण्डल भवनों, सड़कों, इत्यादि तथा सोलन जिले में एक लाख रुपए की लागत की एक जलापूर्ति स्कीम सासदों की औपचारिक संसर्तियों प्राप्त किए और सासद उपयुक्तों द्वारा फरवरी/मार्च 1996 में संस्वीकृत किए गए।

(परिच्छेद 3.2.6)

अर्जेशों के विपरीत, 85 लाख रु० सासदों की संसर्तियों पर उपयुक्तों द्वारा संस्वीकृत किए गए और कुल मिलाकर शिमला जिले में स्कीम की निधियों में से जून 1997 तक 25 दल रहे कार्यों पर 35.49 लाख रु० व्यय किए गए। इन कार्यों हेतु वित्तपोषण पहले ही राज्य के बजट से किया जा रहा था और इसलिए सासद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अन्तर्गत निधियाँ लगाना अर्जित था।

* विनासपुर, घग्घा, हथौरपुर, कागडा, कुन्ना, मण्डा, शिमला, सिरमौर, सोनन तथा ऊना

वर्षिक निष्पादन अभिकर्णों द्वारा देखे नहीं भजे जा रहे थे, इसलिए उपायुक्त निष्पादन अभिकर्णों के पास पड़ी अव्ययित निधियों की वास्तविक राशि से अनभिज्ञ थे और उन कार्यों जिनके लिए निधियां दी गई थीं, की प्रगति पर चौकसी नहीं रख सके।

1997)।

वर्ष 1994-97 के दौरान 10 उपायुक्तों द्वारा 14 निष्पादन अभिकर्णों को दिए गए 3.84 करोड़ रु० में से जल्दाई 1997 तक केवल 2.26 करोड़ रु० प्रयुक्त किए गए। निष्पादन अभिकर्णों द्वारा 1.58 करोड़ रु० की शेष राशि (लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई) को अप्रयुक्तता मुज्यतः प्रगतिरत कार्यों, निष्पादन अभिकर्णों द्वारा स्कीमों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब, पंचायतों द्वारा रुचि न दिखाने, स्थल विवादों तथा श्रमिक समस्याओं के कारण बर्ताई गई (मई-अगस्त 1997)।

वर्ष 1994-97 के दौरान स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु दस उपायुक्तों को उपलब्ध कराए गए 20.30 करोड़ रु० की कुल निधियों में से सासदाई द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु निष्पादन अभिकर्णों को केवल 14.51 करोड़ रु० (71.48 प्रतिशत) विभाजित किए गए। उपायुक्तों के पास 5.79 करोड़ रु० (28.52 प्रतिशत) की शेष राशि मात्र 1997 तक बैंकों में अग्रयुक्त पड़ी थी। उपायुक्तों द्वारा निधियों की अप्रयुक्तता निधियों की देरी से प्रगति, सम्बद्ध सासदाई द्वारा कार्यों की संचालित न करने तथा निष्पादन अभिकर्णों द्वारा कार्यों के विस्तृत आकलनों को समय पर अन्तिम रूप न देने से आरोपित की (जून 1997)। निधियों की अप्रयुक्तता तथा सरकारी धन को बैंकों में रखने से जनता स्कीम के अभिप्रेत लाभों से को वंचित हुई।

(1) निधियों की अप्रयुक्तता

लेखापरीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

वर्ष	अवशेष	कार्यक्रम कार्यान्वयन	कुल उपलब्ध	उपायुक्तों द्वारा निष्पादन	उपायुक्तों के पास
1993-94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1994-95	शून्य	6.30	6.30	3.01	3.29
1995-96	3.29	8.00	11.29	8.62	2.67
1996-97	2.67	6.00	8.67	2.88	5.79
बॉर्ड		20.30		14.51	

(करोड़ रूपए)

अभिलेखों के अनुसार निधियों का सम्भोचन तथा वास्तविक व्यय निम्नवत् था:
10 नमूना जांच किए गए जिनमें वर्ष 1993-97 के दौरान उपायुक्तों के

रहा।
 टी। से अनुश्रवण न किए जाने के कारण एक करोड़ २० लाख में अधिक समय तक अवरोध पड़ा।
 उपर्युक्त मण्डल को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार, उपर्युक्त द्वारा स्कीम की प्रभावशीलता
 निधियों का सम्बन्ध था, से अनिश्चय था और भारत सरकार से स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर उन्हें
 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मण्डल ने बताया (मई 1997) कि वह भारत में उस स्कीम निधि से
 राज्य मई 1997 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मण्डल के पास पड़ा था। परियोजना अधिकारी,
 मई 1995 में उपर्युक्त मण्डल को स्थानान्तरित कर दी गई। इस राशि पर 2.82 लाख २० का अर्जित
 अवरोध 1994 में 1 करोड़ २० लाख तक और उन्हें बचत बैंक खाते में जमा कर दिया। यह राशि
 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मण्डल ने 1994-95 वर्ष हेतु स्कीम के अन्तर्गत

(v) **निधियों का अवरोधन**

माह में लेख प्राप्त किया जाना आवश्यक था।
 रखी गई थी। यह तक मान्य नहीं था कि निधियों के उचित प्रयोग पर क्रमिक निगरानी हेतु प्रत्येक
 बताया (मई 1997) कि निष्पादित निधियों की प्रयत्नता पर सामाजिक बैठकों के माध्यम से निगरानी
 मासिक लेख प्राप्त नहीं हुए थे। लेखों के प्राप्त न होने के कारण नहीं बताया गए। अन्य उपर्युक्तों ने
 था। उपर्युक्त मण्डल तथा शिमला ने बताया (मई तथा जून 1997) कि निष्पादन अभिकरणों से
 उपलब्ध नहीं थे यद्यपि स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इन्हें प्रत्येक महीने प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित
 विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा निष्पादित कार्यों के लेख उपर्युक्तों के पास

(iv) **मासिक लेख न देना**

कारण अर्जित 1997 में मांग गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 1997)।
 प्राप्त निधियों को बचत बैंक लेख परिवर्तित करके बैंकों में रखा। निजी बैंकर खाते न खोलने के
 विपरीत नमूना जांच किए गए जिलों में उपर्युक्तों/निष्पादन अभिकरणों ने स्कीम के कार्यान्वयन हेतु
 लिए प्रत्येक साप्ताहिक हेतु पृथक-पृथक निजी बैंकर खाता खोलना आवश्यक था। इन अनुरोधों के
 प्रत्येक उपर्युक्त ने स्कीमों के निष्पादन के लिए प्राप्त निधियों को जमा कराने के

(iii) **निजी बैंकर खातों का न खोलना**

वित्तनिष्ठ कार्यान्वयन में परिणत हुआ।
 विभाग द्वारा उपर्युक्तों को 1993-94 के दौरान निधियों का समीचन किया जाना राज्य में स्कीम के
 साप्ताहिक द्वारा चलाते जिलों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भेजी गई। राज्य आयोजना
 (आयोजना) ने बताया (मई 1997) कि निधियों वित्तीय वर्ष अन्तिम तिथियों में प्राप्त हुई और
 प्राप्त किए थे परन्तु उन्हें सम्बद्ध उपर्युक्तों को 1994-95 के दौरान विमुक्त किए। परामर्शदाता
 राज्य आयोजना विभाग ने फरवरी 1994 में भारत सरकार से 35 लाख २०

(ii) **निधियों का वित्तनिष्ठ समीचन**

है।

(ii) भारत सरकार के अर्द्धशतक के अनुसंधान, उपर्युक्तों में सम्बद्ध कार्यान्वयन अभिकर्षणों से आकलन तैयार करवाने हेतु और कार्यों की पूर्ण लागत के लिए संस्वीकृतिया जारी करनी थी, बंधक साजद ने लागत निर्धारित की है या नहीं, बंधक संस्वीकृतियो की कुल लागत प्रति कार्द 10 लाख रु० से अधिक न हो और एक वर्ष के लिए सादे कार्द भी एक करोड़ रु० से अधिक न हो।

(i) स्कीम के अन्तर्गत आरम्भ किए जाने वाले कार्द इस प्रकार के थे जिन्हें एक अथवा दो कार्दकारी मौसमों में पूरा किया जा सकता था। 10 जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 1994-96 के दौरान सांसदों द्वारा संस्तुत 2302 कार्यों में से निष्पादन अभिकर्षणों द्वारा केवल 702 ही कार्द पूरे किए गए और शेष 1,600 कार्द अभी भी प्राप्तिरत थे। इस प्रकार स्कीम के प्रावधानित पूर्णता की निश्चित अवधि का अनुपालन नहीं किया गया। (जुलाई 1997)। इसके अतिरिक्त 1995-96 में पूरे किए जाने वाले 488 कार्द अभी भी प्राप्ति पर

निम्नांकित तथ्य स्थान में आए:

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त	पूर्ण किए गए कार्द	बच रहे कार्द
1993-94	-	-	-
1994-95	790	302	488
1995-96	1,512	400	1,112
जुई	2,302	702	1,600

गणितिका बद्ध की गई थी:

वर्ष 1993-96 के दौरान स्कीम के अर्धीन 10 जिलों में कार्यों की रचना निम्नवत

(ग) कार्यों की वार्षिक उपलब्धियां

(ख) जिला गामीण विकास अभिकर्षण शिमला खण्ड विकास अभिकारी, मशीनरी को स्थानान्तरित (मई 1995) 0.70 लाख रु० परवर्ती के बही-खातों में लेखाबद्ध नहीं थे। खण्ड विकास अभिकारी ने बताया (मई 1997) कि मामला अनुत्प्रेषणीय था।

कर दिया (जनवरी 1997)।

विभागीय अभिकारी, नारदाटा बाबा (कांगड़ा जिला) ने 0.20 लाख रु० के ब्याज, जो खजाने में जमा उपर्युक्त पड़ा रहा। ये भी पाया गया कि कार्दकम कार्यान्वयन विभाग के अर्द्धशतक के विपरीत खण्ड 1994-97 के दौरान खोले गए बैंक खातों पर अर्धित 33.38 लाख रु० का ब्याज जुलाई 1997 तक संदीक्षा से प्रकट हुआ कि स्कीम के अन्तर्गत निष्पादन अभिकर्षणों द्वारा वर्ष

* उपर्युक्त कागजात: 1.47 लाख रु०: खण्ड विकास अधिकारी, जूबल (शिमला जिला): 0.06 लाख रु० तथा
खण्ड विकास अधिकारी, कल्स: 0.90 लाख रु०

भारत सरकार के अर्नदेशों (आरन 1996) के अनुसार उपर्युक्तों ने उनकी प्रयत्नवार प्रयत्नता प्रमाण पर कार्यन्वयन विभाग को भेजे थे। यह पाया गया कि निषादन अभिकरणों ने 1994-96 के दौरान 10 जिलों 12.78 लाख रु० की लागत के 2302 कार्य आरम्भ किए। इनमें से 702 कार्य मार्च 1997 तक पूरे किए गए। निषादन अभिकरणों द्वारा उपर्युक्तों की 640 पूर्ण कार्यों (लागत 3.39 करोड़ रु०) के प्रयत्नता प्रमाणपत्र भेजे गए थे परन्तु परवर्ती द्वारा इनके कार्यन्वयन विभाग को नहीं भेजा गया, जैसा कि अपेक्षित था।

(ड.) प्रयत्नता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना

कार्यन्वयन अभिकरणों ने प्रारम्भिक कार्यों, कार्यन्वयन, पर्वेक्षण, इत्यादि हेतु कोई प्रशासनिक तथा शतता प्रभार एकत्रित नहीं करने थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान तीन जिलों में 2.43 लाख रु० के शतता प्रभार अनियमित रूप से काटे गए थे। इसमें से 1.14 लाख रु० उपर्युक्त कागजात तथा खण्ड विकास अधिकारी जूबल और कल्स के कार्यालयों के ड्राई-मोटे आकस्मिक व्ययों की पूर्ति करने में प्रयोग किए गए तथा 1.29 लाख रु० उपर्युक्त कागजात के पास अप्रयत्न पूरे थे और उम्मेद बताया (जून 1997) कि खर्च न की गई राशि का सातव स्थानीय क्षेत्रीय विकास स्कीम निधियों के लेख को वापिस भूतान कर दिया जाएगा।

(घ.) शतता प्रभारों की अनियमित कटौती

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 26 कार्यों तथा सड़कों तथा मवनों इत्यादि के निषादन हेतु खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा को 4.65 लाख रु० आबोतित किए गए थे (आरन 1995)। जनवरी 1997 में उपर्युक्त शिमला द्वारा स्कीम रद्द कर दी गई और खण्ड विकास अधिकारी ने मार्च 1997 में जिला शमीण विकास अभिकरण शिमला को निधियों लौटा दीं। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि निषादनाथ कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए उपर्याप्त निधियाँ आबोतित की गई थी और यह भी बताया कि उन्हें उपर्युक्त ने संस्वीकृत किया था जबकि इन स्कीमों के लिए उसके कार्यालय द्वारा कोई भी आकलन नैथार नहीं किया गए थे।

भारत सरकार के अर्नदेशों का उपवर्तन इस प्रकार सरकारी निधियों के अवरोधन के साथ-साथ जनता को स्कीम के अभिधेन नामों की अस्वीकृति में परिणत हुआ।

तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि सन्बद्ध साप्तरी द्वारा दी उपर्युक्तों (शिमला तथा मण्डी) को मवन निर्माण, एक स्टेडियम तथा महिला मण्डल मवनों जैसे 34 कार्य संस्तित किए गए और निषादन अभिकरणों के पक्ष उनसे विस्तृत आकलन प्राप्त किए और 18.15 लाख रु० संस्वीकृत कर दिए। निषादन अभिकरणों में इस आधार पर उक्त कार्यों का निर्माण आरम्भ नहीं किया कि संस्वीकृत निधियाँ पर्याप्त नहीं थी और तत्पश्चात् संस्वीकृत निधियों का अन्वयण कर दिया गया।

मजदूरों के कथन हेतु प्रयोग नहीं किया जाना था।
 कार्यों, निजी संस्थानों से सम्बन्धित कार्यों तथा मांग-सूची की वर्तुओं अथवा किसी भी प्रकार के
 स्कीम की निधियों का कार्यालय/आवास भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं अर्जुन

3.2.8 स्कीम के अन्तर्गत अनापूर्त कार्यों पर व्यय

सरकार के अर्जुनों के विपरीत थी।
 लिखित संस्मृति प्राप्त की जा रही थी। दोनों उपायुक्तों के तक मान्य नहीं थे वरिष्ठों के कार्यों के
 अर्जुन प्रतीक्षा था। उपायुक्त सोलन ने बताया (नवम्बर 1997) कि सांसद से औपचारिक
 कि स्कीम सांसदों से दूरमात्र पर बातावत के आधार पर संस्वीकृत की गई तथा औपचारिक
 संस्मृति प्राप्त किए बिना ही संस्वीकृत किए गए थे। उपायुक्त शिमला ने बताया (नवम्बर 1997)
 में एक लाख ५० हजार की जमापति स्कीम फरवरी/मार्च 1996 में सांसदों की औपचारिक
 दस करोड़ तथा जमापति स्कीम, महिला मण्डल/वृद्धक मण्डल भवन, सड़क इत्यादि तथा सोलन जिले
 लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सम्बद्ध उपायुक्तों द्वारा शिमला जिला में 12.75 लाख ५० हजार के
 उपायुक्तों को देने थे, जिन्होंने संस्थापित पद्धति का अर्जुन करने हेतु उन्हें कार्य देना था।
 सांसदों द्वारा अपने इच्छाओं के अर्जुन अपने पत्रव्यय पर अपनी पसन्द के कार्य

3.2.7 सांसदों की संस्मृति के बिना कार्यों की संस्वीकृति

से पूर्ण जमाई जा रही थी। यह स्कीम की निधियों के विवरण में परिणत हुआ।
 संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (मई-अगस्त 1997) कि इन सभी कार्यों पर पहले से ही राज्य के बजट
 अधिशासी अभिलेखाओं द्वारा जुलाई 1997 तक 35.49 लाख ५० हजार किए गए थे। अभिलेखा की
 गए। इसमें से मण्डल (भवन एवं सड़क) मण्डल संख्या-11, कर्ल मण्डल संख्या। व 11 तथा रामपुर के
 सांसदों की संस्मृति पर मण्डल, कर्ल तथा शिमला के उपायुक्तों द्वारा 85 लाख ५० संस्वीकृत किए
 जनवरी 1997 के मध्य 25 वल रहे कार्यों (सड़क: 24 तथा पुल: 1) के निर्माण हेतु सम्बद्ध
 स्कीम निधियों की हिस्सेदारी अर्जुन नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अर्जुन 1995 तथा
 मार्गदर्शन के अर्जुन अन्य परिव्ययों के साथ सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास

3.2.6 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों का बालू स्कीमों पर अर्जुन व्यय

* धाना: चार काढ़: 0.80 लाख रु०
हमीरपुर: एक काढ़: 6.00 लाख रु०
सोनन: 32 काढ़: 16.17 लाख रु०
शिमला: एक काढ़: 2.00 लाख रु०
सिरमौर: 15 काढ़: 10.65 लाख रु०
मुडी: तीन काढ़: 0.80 लाख रु०
कांगडा: पांच काढ़: 6.33 लाख रु०

स्क्रीम में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान था कि काढ़ों के निष्पादनार्थ मूँसि उपर्युक्त करने वाले संस्थान अथवा व्यक्ति उसे उपर्युक्त करने का स्वामित्वाधिकार रखे है। जिला प्राधिकारियों ने सुनिश्चित करना था कि स्थानीय मूँसि परिचालन कर्मियों के अधीन स्थानान्तरित मूँसि का कब्जा दे दिया गया था। वर्ष 1994-96 के दौरान हमीरपुर, मुडी तथा शिमला के उपर्युक्तों ने कु. काढ़ों हेतु स्थल की उपलब्धता तथा मूँसि के स्वामित्वाधिकार सुनिश्चित किए बिना 3.50 लाख रु० संस्वीकृत किए। परिणामतः मूँसि-विवादों के कारण 1.80 लाख रु० खर्च करने के बाद काढ़ों को दे दिए गए।

3.2.9 मूँसि के स्वामित्वाधिकार सुरक्षित किए बिना संस्वीकृत काढ़

उत्तर नहीं दिया (जुलाई 1997)।
 गया था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि ये काढ़ स्क्रीम के अन्तर्गत नहीं आते थे। शेष उपर्युक्तों ने कोई भी निधियां जनहित में विमोचित की गईं और 1996-97 के दौरान वेंचा कोई काढ़ संस्वीकृत नहीं किया किए गए थे। उपर्युक्त हमीरपुर ने बताया (मई 1997) कि स्क्रीम सांसद द्वारा स्वीकृत थी और पड़ी थी। उपर्युक्त मुडी ने बताया (जून 1997) कि मरमत और अनुरक्षण काढ़ गतवी से संस्वीकृत की गई थी (जून 1997) और 17.55 लाख रु० की राशि निष्पादन अभिकरणों के पास उपर्युक्त संस्वीकृत किए गए थे। 42.75 लाख रु० की संस्वीकृत राशि में से 25.20 लाख रु० की राशि खर्च नवीकरण, जलापूर्ति स्क्रीमों तथा सिंचाई-कूहलों, इत्यादि, जो स्क्रीम के अन्तर्गत अर्जमन्त नहीं थे, निर्माण, कोड़ा-उपकरणों के कच, खलों के आयोजन, प्राथमिक पाठशाला भवनों की मरमत तथा 1993-97 के दौरान 42.75 लाख रु० लागत के 61 काढ़ तथा कान्फेस हाल तथा स्टेडियम के इन अर्जुनों के विपरीत सांसदों की संसदियों पर सात उपर्युक्तों द्वारा

कावकम कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी (अगस्त 1996) के अर्नदेशों के अनुसार प्रत्येक उपार्जन के प्रतिनिधित्व करना था कि उपार्जकों द्वारा गत वर्ष की व्यय विवरणियां राज्य के महालेखाकार को उनकी लेखापरीक्षा करने के अनुरोध सहित आगामी वर्ष की 31 मई तक भेज दी गई थीं। किसी भी उपार्जन द्वारा, स्कीम के कार्यान्वयन से कोई भी ऐसी विवरणी महालेखाकार को नहीं भेजी गई थी।

3.2.12 महालेखाकार कार्यान्वयन को नहीं भेजी गई व्यय विवरणियां

स्कीम के अन्तर्गत संस्वीकृत कार्य संस्वीकृतियों की जारी की गई तिथि से एक या दो कार्यापेक्षित मौसमों के भीतर पूर्ण किए जाने थे। कागडों, मण्डों तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में व्याप्त कार्यो जिसके लिए वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान 40.55 लाख रु० संस्वीकृत किए गए थे, वे जून 1997 तक शुरू नहीं किए गए थे। निष्पादन अभिकरणों ने कार्य प्रारम्भ न करने को स्थल-विवादों, श्रमिक समस्याओं, सड़क संरक्षण को अन्तिम रूप न देने तथा विस्तृत आकलन के लिए न करने से आरोपित किया। तर्क मान्य नहीं थे क्योंकि इन बातों पर कार्यों की संस्वीकृति से पहले विचार किया जाना चाहिए था।

3.2.11 कार्य प्रारम्भ न करना

(!!) प्रत्येक कार्य पर व्यय हेतु सम्बन्धित सासदों द्वारा निर्दिष्ट राशियों के आधार पर सड़कों तथा भवनों के निर्माण के 24 कार्यों के निर्माण हेतु वर्ष 1995-96 के दौरान विस्तृत आकलन प्राप्त किए बिना कर्ल, मण्डों तथा हमीरपुर के उपार्जकों ने 29.70 लाख रु० संस्वीकृत किए। निष्पादन अभिकरणों ने इन कार्यों के प्रति संस्वीकृत निधियां पूर्णतया प्रयुक्त कर ली थीं और अतिरिक्त निधियों के अभाव में समी 24 कार्य अपूर्ण पड़े थे। अभिलेखा की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 10 कार्यों को पूरा करने हेतु 49.04 लाख रु० अधिस्तित थे। शेष 14 कार्यों के लिए निधियों की आवश्यकता के विषय में लेखापरीक्षा को अवगत नहीं किया गया था (जुलाई 1997)।

के लिए विस्तृत आकलन प्राप्त नहीं किए।

(!) नमूना जांच किए गए जिलों में, उपार्जकों ने अपने द्वारा संस्वीकृत किसी भी कार्य

लेखापरीक्षा में हथ सम्बन्ध में यह पाया गया कि: उपार्जकों ने संस्वीकृतियां जारी करनी थी, शेषक सासद ने लागत डींगल की ही अवका नहीं। निष्पादन अभिकरणों से कार्यों के आकलन के लिए करवाने के पश्चात् कार्यों की सकल लागत हेतु कावकम कार्यान्वयन विभाग द्वारा जून 1996 में जारी अर्नदेशों के अनुसार

3.2.10 व्यय के आकलन बिना संस्वीकृत कार्य

निरीक्षणों से सम्बन्धित अभिलेख नहीं बनाए गए थे।
 जाना था। तथापि इस तर्क की पुष्टि को सत्यापित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था क्योंकि ऐसे
 उपार्थकों ने बताया (मई-अगस्त 1997) कि जब वे दौरो पर होते थे तो कार्यों का निरीक्षण किया
 जाचित जितने में निरीक्षणों के कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इसकी पुष्टि करते हुए, सम्बद्ध
 क्योंकि इस उद्देश्यार्थ स्टॉक तथा आकस्मिकता व्यय हेतु कोई कोई प्रावधान नहीं किया गया था। नमूना
 उसने यह भी बताया कि स्क्रीम पर निगरानी रखने के लिए कोई कार्रविधि तैयार नहीं की गई थी
 नहीं निमा रहा था। उसने पुनः बताया कि स्क्रीमों पर राज्य स्तर पर चौकसी नहीं रखी जा रही थी।
 विभाग की अवेस्टिड किया गया था और इसीलिए यह विभाग के मुखिया के रूप में प्रभावशाली भूमिका
 स्तर पर स्क्रीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा यदा कदा ही योजना
 निश्चित नहीं की गई थी। राज्य सरकार के परामर्शक (आयोजना) ने बताया (मई 1997) कि राज्य
 कोई विभाग नामित नहीं किया गया और विविष्ट मानक, आवर्तन अथवा निरीक्षणों की अनुसूची
 राज्य सरकार द्वारा भूमिक अनुश्रवण तथा समन्वय हेतु नोडल विभाग के रूप में

न्यूनतम संख्या निर्धारित होनी थी।
 जिसमें कार्यान्वयन अभिकरणों के प्रत्येक पथवर्षक स्तर के कार्रकारी के लिए क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु
 संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहे थे। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा निरीक्षण की एक अनुसूची
 सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे कि निर्धारित पद्धतियों तथा विनिर्देशनों के अनुरूप कार्य
 निरीक्षण करना था। कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यक्षेत्रों के नियमित दौरो हेतु यह
 विभाग नामांकित करना था। जिले के मुखियों ने इन कार्यों का कम से कम 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष
 लिए तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के साथ समन्वय रखने हेतु राज्य सरकारों ने एक नोडल
 क्षेत्रीय निरीक्षणों के माध्यम से स्क्रीमों की भूमिक प्रगति पर निगरानी रखने के

3.2.14 अनुश्रवण तथा पथवर्षण

अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की कुल संख्या सत्यापित नहीं की जा सकी।
 (अक्टूबर 1997) भी सृजित नहीं किए गए। परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों की अनुपस्थिति में स्क्रीम के
 उपार्थकों द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया। रजिस्टर न बनाने के कारण मताने पर
 लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नमूना जाचित किसी भी जिले में

अधिकारियों द्वारा एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए।
 कि स्क्रीम के अन्तर्गत जिले में सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने हेतु उपार्थक अथवा उसके प्राधिकृत
 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी (अगस्त 1996) अनुदेशों में विहित था

3.2.13 परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का न बनाना

* कमीरपुर, कागडा, किन्नीर, शिमला तथा जालम
 ** अकी, डहरा, रामशाला, नादीन, नूरपुर, निवार, रामपुर, रोहड़ तथा जालम

3.3.3 **संघर्षपूर्ण स्थिति**
 * उपर्युक्त तथा नौ
 ** उपमण्डलीय अधिकारियों और हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तियुक्त एवं सचिव (राजस्व) के कार्यालय में 1992-97 वर्षों में सरकारी वाहनों की संस्वीकृति, उपार्जन तथा प्रयुक्ति की मई व अगस्त 1997 के मध्य नमूना जांच की गई थी।

3.3.2 **संगठनात्मक ढांचा**
 राजस्व विभाग में उपर्युक्त अपने नियंत्रणाधीन वाहनों के नियंत्रणाधिकारी हैं। वे राज्य के तीन मण्डलीय आयुक्तों के निर्देशक के अन्तर्गत कार्य करते हैं। राजस्व विभाग का समय प्रशासनिक मुख्यालय वित्तियुक्त एवं सचिव (राजस्व) है।

3.3.1 **प्रस्तावना**
 3.3 **सरकारी वाहनों की संस्वीकृति, उपार्जन व प्रयुक्ति**
 हिमाचल प्रदेश में सरकारी वाहनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी वाहनों की प्रयुक्ति व अन्वेषण तथा ऐसे वाहनों के वास्तुकी की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए नियम निर्मित किए (नियम 1975)। ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों में लागू किए गए।

3.2.15 **प्रदर्शन नहीं किए गए स्क्रीमों के सूचना-पट्टे**
 मातृशिक्षक सिद्धान्तों में पुनः विहित था कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कि सांस्कृतिक स्थानीय क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम निश्चित किए गए थे, इन कार्यक्रमों पर "सांस्कृतिक स्थानीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को दर्शाने वाले सूचना पट्टे लगाए जाने थे।

माउरी तथा कागडा के उपर्युक्तों ने बताया (जून 1997) कि ऐसी कोई पद्धति विद्यमान नहीं थी जिससे लोगों को स्क्रीम के बारे में जागरूक किया जा सकता था। उपर्युक्त शिमला ने बताया (जून 1997) कि स्क्रीम की प्रतियां पंचायत प्रधानों के मध्य वितरण तथा व्यापक प्रचार करने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को भेज दी गई थी। उपर्युक्त हमीरपुर ने बताया (मई 1997) कि स्थानीय लोगों के साथ उन्हें जागरूक करने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही थीं। ये तर्क मान्य नहीं थे क्योंकि सूचना पट्टों के प्रदर्शन हेतु वे विकल्प नहीं थे।

ये तथा सरकार को अगस्त 1997 में सन्तुष्ट किए गए। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

3.3.4

मुख्य बातें

** सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बिना सोलन व हमीरपुर के उपायुक्तों ने स्थानीय जिला आयोजना निधियों (5.42 लाख रु: 2 वाहन), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों (1.72 लाख रु: 1 वाहन) तथा नियमित बजट (2.87 लाख रु: एक वाहन) में से जुलाई 1992 व अप्रैल 1996 के बीच 10.01 लाख रु के चार वाहन खरीदे।

[परिच्छेद 3.3.6(i)व(ii)]

** सरकारी वाहनों के लिए विलासिता की मदों के क्रय पर प्रतिबन्ध पर ध्यान न देते हुए तीन जिलों में हमीरपुर, कांगड़ा व शिमला के उपायुक्तों तथा रोहडू के उपमण्डलीय अधिकारी (सिविल) ने विलासिता की वस्तुओं जैसे टेप रिकार्डर तथा फोम रबड़/फोम चमड़े की सीटों की खरीद पर 1.67 लाख रु खर्च किए।

[परिच्छेद 3.3.6.1]

** कांगड़ा, किन्नौर, शिमला व सोलन के उपायुक्त कार्यालयों में 21 वाहनों के औसत मील दूरी तय करने की क्षमता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों से कम थी जिसके फलस्वरूप 1992-97 वर्षों में लगभग 5.71 लाख रु के 31,702 लीटर पेट्रोल की अधिक खपत हुई।

[परिच्छेद 3.3.7(1)]

** नौ जिलों में सरकारी वाहनों में की गई निजी यात्राओं के लिए 96 अधिकारियों से 1.70 लाख रु की वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 3.3.7.2)

** शिमला व सोलन के उपायुक्तों ने अप्रैल 1992 व नवम्बर 1994 के बीच एक ही समय में एक ही तिथियों पर विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक वाहनों का प्रयोग किया और क्रमशः 2376 व 292 किलोमीटर के लिए लॉग बुक में उपायुक्त तथा अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के रूप में हस्ताक्षर किए।

[परिच्छेद 3.3.7.3(ii)]

** 1992-97 के दौरान कांगड़ा, किन्नौर तथा शिमला के उपायुक्त कार्यालयों में 21 वाहनों द्वारा की गई 2.45 लाख किलोमीटर यात्राओं के सम्बन्ध में कार्यालय कार्य की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया।

[परिच्छेद 3.3.7.3(iii)]

** अप्रैल 1992 व जुलाई 1996 के बीच किन्नौर व सोलन के छः वाहन 4,383 किलोमीटर की दूरी तय करके मरम्मत हेतु चण्डीगढ़ व शिमला ले जाए गए

लेकिन इनकी फिर भी मरम्मत नहीं की गई।

[परिच्छेद 3.3.7.3(v)]

** तीन जिलों में 10 वाहनों ने 1992-97 के दौरान 13,577 किलोमीटर की परिहार्य दूरी तय की जिसके परिणामस्वरूप 0.45 लाख रु० मूल्य के लगभग 2,482 लीटर पेट्रोल की अत्यधिक खपत हुई।

[परिच्छेद 3.3.7.3(vii)]

** 1992-97 के वर्षों में 25 सरकारी वाहन 2.50 लाख किलोमीटर के लिए नियंत्रणाधिकारियों के कार्यक्षेत्र से बाहर चलाए गए। हमीरपुर, शिमला व सोलन के उपायुक्त वर्ष 1992-97 के दौरान अपने वाहनों को मुख्य सचिव की पूर्वानुमति के बिना हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर ले गए और 6,878 किलोमीटर आवृत्त किए।

[परिच्छेद 3.3.7.3(viii)(ix)]

** हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, शिमला व सोलन के उपायुक्तों ने प्रयुक्त पुर्जों के लेखाजोखा रजिस्टर तैयार नहीं किए थे जबकि 1992-97 वर्षों के दौरान वाहनों की मरम्मत पर 47.09 लाख रु० खर्च किए गए थे।

(परिच्छेद 3.3.8)

3.3.5 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

1992-97 वर्षों के दौरान राजस्व विभाग में वाहनों के उपार्जन व प्रयुक्ति का बजट प्रावधान व व्यय निम्नांकित था:

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय (लाख रुपए)	आधिकरू (+)/बचत(-)
1992-93	57.37	57.39	(+)0.02
1993-94	89.23	89.23	--
1994-95	72.21	84.44	(+)12.23
1995-96	100.23	100.23	--
1996-97	87.38	78.41	(-)8.97
जोड़	406.42	409.70	

विभाग ने वर्ष 1994-95 के अधिक व्यय को नए वाहनों की खरीद से सम्बद्ध किया (जुलाई 1997) जबकि वर्ष 1996-97 की बचतें सरकार द्वारा अपनाए गए मितव्ययी पगों के कारण बताई गईं।

उपायुक्त हमीरपुर ने बजट प्रावधानों के आधार पर एक अन्य वाहन के कय हेतु 2.88 लाख रु० आर्हत किए (मार्च 1996)। शुरु में खजाना अधिकारी ने उपायुक्त संस्वीकृति की अनुमति के कारण आह्वरण पर आपत्ति की। तथापि, उपायुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि वाहन की खरीद का प्रस्ताव सविध (राजस्व) द्वारा अनुमोदित है, वाउचर पर अभिलिखित करने पर अनुमान विभाजन कर दिया गया। उपायुक्त ने अपने द्वारा प्रदान की गई संस्वीकृति की एक प्रति भी वाउचर के साथ संलग्न की, यद्यपि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। वाहन के कयाधु संस्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से आस्त 1997 तक भी प्राप्त नहीं की गई थी और वित्तीय नियमों के विपरीत 2.88 लाख रु० उपायुक्त के बजट बैंक लेख में उपायुक्त पड़े थे। उपायुक्त हमीरपुर द्वारा सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त होना चाहिए था।

(ख) उपायुक्त हमीरपुर ने मंत्रिपरिषद् की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त किए बिना 2.87 लाख रु० मूल्य का एक वाहन खरीदा (अप्रैल 1996)। उपायुक्त ने बताया (आस्त 1997) कि वाहन सरकार से बेतार संदेश की प्राप्ति पर खरीदा गया था। तथापि वित्त विभाग की लिखित संस्वीकृति तथा मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन आस्त 1997 तक प्रतीक्षित था। मंत्रिपरिषद् की पूर्व संस्वीकृति के बिना वाहन का कय अनियमित था।

इस प्रकार, वाहनों के कय पर उपायुक्त द्वारा 5.42 लाख रु० का किया गया व्यय अनियमित था।

उपायुक्त सोलन ने बताया (जून 1997) कि खण्ड-विकास अधिकारी नालगाँव के प्रयोगाधीन एक वाहन कय किया गया क्योंकि आवंटित वाहन मरम्मत तथा सड़क पर चलाने योग्य नहीं था। उपायुक्त द्वारा दसवीं जिल्हा जीप स्वयं प्रयोग के लिए खरीदी गई थी क्योंकि उसकी कार टैर-टैरल तथा उबड़-खाबड़ सड़कों पर नहीं चल सकती थी। उपायुक्त का उल्लेख नकलगत नहीं था क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी नालगाँव हेतु वाहन का प्रावधान राज्य सरकार के बजट से किया जाना चाहिए था। वृत्त उपायुक्त के पास वार निर्यात वाहनों के स्थान पर वार जिल्हियाँ सहित सप्त गाड़ियाँ थीं इसलिए उपायुक्त के लिए अन्य जिल्हियों की खरीद संगत नहीं थी।

(क) उपायुक्त सोलन ने वित्त विभाग और मंत्रिपरिषद् की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त किए बिना स्थानीय जिला आयोजना निधियों में से 5.42 लाख रु० मूल्य की दो माफ़ी जिल्हा जीप खरीदी (नवम्बर 1994 तथा फरवरी 1995)। लेखापरीक्षा के बताने पर उपायुक्त सोलन ने राज्य सरकार के सलाहकार (योजना) की वित्त विभाग से कार्यान्वयन संस्वीकृति प्राप्त करने तथा आयोजना लेखाशीर्ष से राशि की प्रतिपूर्ति करने का भी अनुरोध किया (नवम्बर 1995 तथा जून 1996)। कार्यान्वयन संस्वीकृति नवम्बर 1997 तक भी प्रदान नहीं की गई थी।

* उपायकृत हमीरपुर: 0.11 लाख रु०: उपायकृत कामांडा: 1.09 लाख रु०: उपायकृत शिमला: 0.42 लाख रु० तथा उपमण्डलाधिकारी (सिविल) रु०: 0.05 लाख रु० (सिविल) राईड: 0.05 लाख रु०

** उपायकृत कामांडा: 0.27 लाख रु०: 2 जीप: उपायकृत शिमला: 0.31 लाख रु०: 3 जीप: उपायकृत सीलन: 0.21 लाख रु०, 1 जीप तथा उपमण्डलाधिकारी (सिविल) राईड: 0.16 लाख रु०, 1 जीप

*** कामांडा: 7 शिमला: 6 तथा सीलन: 1

**** उपायकृत कामांडा: 1.39 लाख रु०: उपायकृत शिमला: 0.24 लाख रु०: उपायकृत सीलन: 0.13 लाख रु०: उपमण्डलाधिकारी (सिविल) राईड: 0.22 लाख रु०: उपमण्डलाधिकारी (सिविल) राईड: 0.09 लाख रु० तथा उपमण्डलाधिकारी अर्की: 0.05 लाख रु०

***** उपायकृत कामांडा: 0.46 लाख रु०: उपायकृत शिमला: 0.06 लाख रु०: उपायकृत सीलन: 0.03 लाख रु०: उपमण्डलाधिकारी (सिविल) राईड: 0.10 लाख रु०: उपमण्डलाधिकारी (सिविल) राईड: 0.04 लाख रु० तथा उपमण्डलाधिकारी (सिविल) अर्की: 0.03 लाख रु०

(iv) विदेशी नियमों में प्रारंभिक है कि कब दर सीलन वाली फर्मा से किए जाएं और मण्डल निवेशक से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना स्थानीय लेखापरीक्षा में वह पाया गया कि मण्डल निवेशक से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना स्थानीय फर्मा से 2.12 लाख रु० मूल्य के टायर तथा टैल्बे खरीदी गई और दर से सीलन वाली फर्मा की दरों से 0.72 लाख रु० का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

उत्तर तकसुगत नहीं था क्योंकि ये कब सरकार के अनुदेशों के विपरीत किए गए थे। उपायकृत तथा अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए थे अतः विलम्बपूर्व वस्तुएं आवश्यक थीं। नहीं बताये थे जबकि उपायकृत कामांडा के महायुक्त उपायकृत ने बताया (जून 1997) कि बाहन उपयुक्त हमीरपुर, सीलन तथा शिमला ने इन वस्तुओं की खरीद हेतु कोई कारण

(iii) सरकार ने अनुदेश जारी किए (जून 1985) कि एक जीप अथवा कार के उपकरणों पर 2000 रु० से अधिक खर्च नहीं किया जाये चाहिए। सरकारों बाहनों हेतु जीपों की बाड़ी के निर्माण तथा विलम्ब वस्तुओं तथा टैप रिफिल्टिंग तथा फीम रबड अथवा फीम लैटर सीटों के कब पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। इन अनुदेशों के विपरीत, 1992-97 के दौरान चार जिलों में प्रतिबन्धित वस्तुओं के कब पर 1.67 लाख रु० तथा सीलन जिलों के निर्माण पर 0.95 लाख रु० व्यय किए गए। 1992-97 के दौरान तीन जिलों में खरीदे गए 14 नए बाहनों हेतु उपकरणों पर व्यय प्रति 3828 रु० तथा 39480 रु० के मध्य था। अतिरिक्त संशोधा से उद्घोषित हुआ कि उपायकृत कामांडा ने कमशः बाहन नम्बर एच पी-39-5555 तथा एच पी के-1 के लिए उपकरणों के कब पर 39,480 रु० तथा 37,021 रु० खर्च किए थे। उपायकृत शिमला ने बाहन नम्बर एच34डिपस-1 पर 32,454 रु० खर्च किए।

(ii) जिला ग्रामीण विकास अधिकारियों द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम निधियों में से बाहनों की खरीद पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा था (फरवरी 1991) उपायकृत सीलन ने इसके बावजूद भी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों से 1.72 लाख रु० मूल्य की एक अम्बेसडर कार खरीदी (जुलाई 1992)। उपायकृत ने बताया (जून 1997) कि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के अनुमोदन से खरीद की गई थी। उपायकृत का उत्तर तकसुगत नहीं था क्योंकि शासी निकाय भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध में हीन होने के लिए संक्षम नहीं था।

- * उपर्युक्त, कागजात: 1: उपर्युक्त, शिमला: 5 तथा उपर्युक्त, सोलन: 2
- ** उपर्युक्त, कागजात: 2: उपर्युक्त, किन्नौर: 2; उपर्युक्त, सोलन: 3 तथा उपर्युक्त, शिमला: 6

उपर्युक्त कागजात तथा किन्नौर में बताया (जून-जुलाई 1997) कि सरकारों ने अर्नदेशों को मजबूत में रखा जाएगा जबकि सोलन तथा शिमला के उपर्युक्तों ने बताया (जून 1997) कि प्रैटोल को खपत में विनिम्नता उप क्षेत्रों पर आश्रित थी जिसमें वाहन चलाने गए थे। तर्क स्वीकार नहीं था क्योंकि इस विषय पर निम्नतम मील दूरी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह करने के पश्चात् निरत की गई थी।

उपर्युक्त कागजात तथा किन्नौर में बताया (जून-जुलाई 1997) कि सरकारों ने अर्नदेशों को मजबूत में रखा जाएगा जबकि सोलन तथा शिमला के उपर्युक्तों ने बताया (जून 1997) कि प्रैटोल को खपत में विनिम्नता उप क्षेत्रों पर आश्रित थी जिसमें वाहन चलाने गए थे। तर्क स्वीकार नहीं था क्योंकि इस विषय पर निम्नतम मील दूरी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह करने के पश्चात् निरत की गई थी।

उपर्युक्त कागजात तथा किन्नौर में बताया (जून-जुलाई 1997) कि सरकारों ने अर्नदेशों को मजबूत में रखा जाएगा जबकि सोलन तथा शिमला के उपर्युक्तों ने बताया (जून 1997) कि प्रैटोल को खपत में विनिम्नता उप क्षेत्रों पर आश्रित थी जिसमें वाहन चलाने गए थे। तर्क स्वीकार नहीं था क्योंकि इस विषय पर निम्नतम मील दूरी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह करने के पश्चात् निरत की गई थी।

3.3.7.1 प्रैटोल तथा रूनेहको की उच्च औसत खपत

3.3.7 वाहनों का प्रयोग

उपर्युक्त शिमला, सोलन, उपमण्डलाधिकारी (सिविल) एम.श्रीवाला तथा उपमण्डलाधिकारी (सिविल) अर्का द्वारा स्थानीय कर्मों से टापरों तथा टैक्सियों के कच हेतु कारणा प्रेषित नहीं किए गए। उपर्युक्त कागजात तथा उपमण्डलाधिकारी (सिविल) रामपुर ने बताया (जून 1997) कि अतिव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय कर्मों से कच किए गए। उत्तर तकसंगत नहीं था क्योंकि कच विन्तीय नियमों के अन्तर्गत नहीं किए गए।

* विनायक, बर्मापुर, कागाडा, लाहौर एवं सिपरी, मजरी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना
 ** 10 वर्षों से अधिक: 0.49 लाख रु०; 5 वर्षों से अधिक परन्तु 10 वर्षों से कम: 0.84 लाख रु० तथा 5 वर्षों तक: 0.37 लाख रु०

एक एक व्यक्ति एक ही समय में दो स्थानों की यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए 2668 किलोमीटर (उपार्यक्त शिमला: 2376 किलोमीटर तथा उपार्यक्त सोलन 292 किलोमीटर) की यात्राओं के सम्बन्ध में लोग बुरी प्रतिक्रिया की प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लगा गया। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर शिमला तथा सोलन के उपार्यक्तों के सहायक आयुक्तों ने बताया कि इन यात्राओं की सम्बन्धित अधिकारियों के यात्रा कार्डों तथा सम्बन्धित लोगों बुरी प्रतिक्रिया के संदर्भ में जानबीन की जा रही थी।

(!!) शिमला तथा सोलन के उपार्यक्तों में से प्रत्येक ने उपार्यक्त तथा जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के अध्यक्ष तथा उपार्यक्त के तौर पर अलग अलग हस्ताक्षरित की गई। ग्रामीण विकास अधिकरण तथा उपार्यक्त के तौर पर अलग अलग हस्ताक्षरित की गई। तथा एक सी तिथियों की विभिन्न स्थानों में प्रयोग किया गया। उपार्यक्तों द्वारा लोगों बुरे अध्यक्ष, जिला गया कि अर्थात् 1992 तथा नवम्बर 1994 के मध्य उपार्यक्तों द्वारा दोनों वाहनों की एक ही समय विकास अधिकरण के अध्यक्ष रूप में दो-दो वाहन स्वरूप के प्रयोगात् देखे थे। लेखापरीक्षा में यह पाया

(!) सरकार ने अनुरोध जारी किए (जुलाई 1987 तथा मई 1994) कि लघु बस पारितोषिक धन से खरीदे गए वाहन विशेषतया लघु बसों से सम्बद्ध कार्यों हेतु प्रयुक्त किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किन्नौर तथा कागाडा के उपार्यक्तों द्वारा लघु बस इनाम की राशि में से दो वाहन क्रमशः जुलाई 1987 और नवम्बर 1993 में खरीदे गए। इन वाहनों ने जिन्हें प्रशासन व विधि तथा सेवाकार्यों हेतु प्रयुक्त किया गया 1992-97 के दौरान 1.21 लाख किलोमीटर (उपार्यक्त किन्नौर: 52,200 किलोमीटर तथा उपार्यक्त कागाडा: 69,404 किलोमीटर) की कुल दूरी तय की थी। तथ्य स्वीकार करते समय (जून-जुलाई 1997) उपार्यक्तों के सहायक आयुक्तों ने लघु बस से असम्बद्ध उद्देश्यों हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए कोई कारण अशोधित नहीं किए।

3.3.7.3 वाहनों का वृक्षयान

आरोपित किया। (आगस्त 1997 तथा नवम्बर 1997)। तथा अन्य उपार्यक्तों ने दैयों की अवसूती की अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा सेवानिवृत्ति से कागाडा तथा सोलन के उपार्यक्त ने दैयों की अवसूती हेतु कोई कारण नहीं बताया नौ जिलों में 96 अधिकारियों से मार्च 1997 तक 1.70 लाख रु० बकाया थे।
 * समय पर संशोधित की गई थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उनसे संलान वाहनों के सम्बन्ध में दरे तथा सीमाएं खण्ड तथा जिला स्तर के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में समय निजी उद्देश्यों हेतु की गई यात्राओं के सम्बन्ध में 75 रु० प्रतिमाह भ्रमान करने अपेक्षित होगा। वे साथ वाहन संलान किए गए थे, उनके लिए 150 किलोमीटर प्रतिमाह की विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर सरकारों अनुरोधों (दिसम्बर 1977) में प्रावधान था कि वे अधिकारी जिनके

3.3.7.2 संलान वाहनों की राशि की वसूली न करना

(vi) नियमों में प्रावधान है कि कार्यालय समय के पश्चात् वाहन या तो कार्यालय परिसर में अथवा गैरजा/सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट स्थलों पर खड़े किए जाने चाहिए

(v) 4383 किलोमीटर (उपार्यक्त किन्मीटर: 2296 किलोमीटर तथा उपार्यक्त सीलन: 2087 किलोमीटर) की कुल दूरी आवृत्त करने के पश्चात् अप्रैल 1992 तथा जून 1996 के मध्य मरम्मत हेतु छ: वाहन (उपार्यक्त किन्मीटर: 2 तथा उपार्यक्त सीलन: 4) वाउडगार्ड तथा शिमला लागू हुए। किन्ती कोई भी मरम्मत नहीं की गई और इसलिए वाहनों के दुरुपयोग से इन्कार नहीं किया जा सका। उपार्यक्त सीलन में बताया (जून 1997) कि प्रतिवर्षियों की खानबीन की जाएगी और किन्ती भी अनियमितता की स्थिति में बर्खास्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। उपार्यक्त किन्मीटर के सहस्रक उपार्यक्त में बताया (जून 1997) कि प्रतिवर्षियों की खानबीन की जा रही थी।

उपार्यक्त शिमला के दो वाहनों की लॉग बुकों से उद्घाटित हुआ कि मई 1995 तथा मार्च 1997 के बीच 10,909 किलोमीटर की कुल दूरी से आवृत्त यात्राएं वाहनों की प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। प्रयोग करने वाले अधिकारियों के नाम तथा पदनाम भी नहीं दिए गए थे।

(iv) नियमों में प्रावधान है कि वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारियों को चाहिए कि वे अपनी स्वयं की हस्तलिपि में अपनी यात्राओं के आरम्भ में तथा समाप्ति पर सीलन बुकों में दर्ज करें और यात्रा की सत्यापित करें। प्रयोगकर्ताओं के नाम तथा पद भी अनिलिखित किए जाने चाहिए।

उपार्यक्त कागजात में बताया (जून 1997) कि ऐसी यात्राओं को व्यक्तिगत रूप में विचार करने की बाह्यनिष्ठा पर विचार किए जाएंगे और यात्राओं के उद्देश्य को प्रकट करने के सम्बन्ध में सरकार के अनुरोधों को मतिष्य में ध्यान में रखा जाएगा। उपार्यक्त शिमला के सहस्रक आवृत्त में बताया (जून 1997) कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यात्राओं के विवरण उद्देश्य और वाहन के अनुरोध जारी कर दिए जाएंगे। उपार्यक्त किन्मीटर में बताया (जून 1997) कि डीजल करने के अनुरोध जारी कर दिए जाएंगे। उपार्यक्त किन्मीटर में बताया (जून 1997) कि

लेखापरीक्षा में 21 वाहनों की लॉग बुकों (उपार्यक्त कागजात: 5: उपार्यक्त किन्मीटर: 6 तथा उपार्यक्त शिमला: 10) कि संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत 1992-97 के दौरान 2.45 लाख किलोमीटर (उपार्यक्त कागजात: 84813 किलोमीटर: उपार्यक्त किन्मीटर: 4614 किलोमीटर तथा उपार्यक्त शिमला 1,55,418 किलोमीटर) हेतु यात्राओं के सामने कार्य की प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए इन यात्राओं को प्राइवेट माना जाना था। इस प्रकार, दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों से ऐसी यात्राओं के लिए 3.67 लाख रु0 बर्खास्तित हुए थे।

(!!!) नियमों में प्रावधान है कि सरकारी वाहनों का प्रयोग करते समय कार्य की प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए तथा यात्राओं के उद्देश्य में केवल "सरकारी" लिखना ही पत्राचार नहीं होगा अन्यथा, यात्रा व्यक्तिगत मानी जाएगी।

3.3.8 **भाग-सूची निषेध**
 नियमों में प्रावधान है कि टावर तथा ट्यूबों सहित वाहनों के इस्तेमाल किए गए कल्पित विभाग द्वारा रखे जाने चाहिए और उनके निपटान का उपयुक्त लेखा रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में विकल्प-आमदनी सम्बद्ध विभाग के उपयुक्त लेखाशीर्ष में क्रेडिट की जानी चाहिए।

उपरोक्तों, द्वारा यह बताया गया (जून 1997) कि मरम्मतों के व्यय को विनिश्चित करने का मामला सक्षम प्राधिकारों के साथ उठाया जाएगा।

इन अनुदेशों के विपरीत, जलाई 1992 तथा जून 1995 के मध्य उपयुक्त सौलन पूर्वनिर्णयित प्राप्त किए बंधन निर्धारित सीमाओं से 1.83 लाख रु० अत्यधिक व्यय किए गए थे। मरम्मत पर पहले ही 20000 रु० से अधिक व्यय हो चुके थे, की मरम्मत पर सक्षम प्राधिकारों की (0.86 लाख रु० तथा उपयुक्त कागजातों (0.97 लाख रु०) द्वारा सत वाहनों, जिनकी प्रत्येक की

विल विभाग के अनुदेश (जलाई 1992) जो सितम्बर 1995 तक प्रवर्ती थे, में अधिक तथा 2000 रु० तक प्रशासनिक विभाग की पूर्वनिर्णयित के बिना वाहन की मरम्मत नहीं की प्रावधान था कि जहाँ एक वाहन के मरम्मत पर संवर्धी व्यय 20000 तक पहुँच जाए तो 1000 रु० से

3.3.7.4 **वाहनों की अनधिकृत मरम्मत**

इस आदेश का उल्लंघन करते हुए हमीरपुर, शिमला तथा सौलन के उपयुक्त 1992-97 के दौरान अपने वाहन मुख्य सचिव की विना राज्य से बाहर ले गए और 6878 किलोमीटर (उपयुक्त हमीरपुर : 3262 किलोमीटर; उपयुक्त शिमला : 2905 किलोमीटर तथा उपयुक्त सौलन : 711 किलोमीटर) की कुल दूरी तय की। उपयुक्त शिमला ने बताया (मई 1997) कि मुख्य सचिव से पृथक रूप से कार्यालय संस्वीकृति प्राप्त की जा रही थी। हमीरपुर तथा सौलन के उपयुक्तों ने बताया (जलाई-अगस्त 1997) कि इन यात्राओं को विनिश्चित करने की

(ix) नियमों में प्रावधान है कि मुख्य सचिव की लिखित पूर्वनिर्णयित के बिना कोई वाहन सरकारी कार्यों से हिमाचल प्रदेश से बाहर नहीं ले जाया जाए।

तकसमाप्त नहीं था कर्त्तव्यिक वाहन की क्षतिग्रस्तिकार से बाहर ले जाने के लिए मुख्य सचिव की पूर्वनिर्णयित विनिश्चित करने हेतु सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। सहायक उपयुक्त, किन्नौर का उत्तर उपमण्डलाधिकारों (सचिव) निवार ने बताया (जलाई 1997) कि यात्राओं से सम्बन्धित मामला कि यात्राएं जनहित में की गई थी और सक्षम प्राधिकारों का प्राप्ति सम्भव नहीं था। विनिश्चित करवा लिया जाएगा। उपयुक्त, किन्नौर के सहायक उपयुक्त ने बताया (जलाई 1997) तथा शिमला के उपयुक्तों ने बताया (जून तथा अगस्त 1997) कि यात्राओं को सक्षम प्राधिकारों से

अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पांच नमूना जांचित उपायुक्तों द्वारा 1992-97 के दौरान 47.09 लाख ₹^{*} वाहनों की मरम्मत पर व्यय किए गए। टायरों तथा ट्यूबों सहित प्रयोग हो चुके कलपुर्जों के लेखांकन हेतु कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया जैसा कि नियमों में अपेक्षित था। उपायुक्तों द्वारा प्रयोग हो चुके कलपुर्जों की नीलामी भी जून 1997 तक नहीं करवाई गई थी। उपायुक्तों ने बताया (जून 1997) कि प्रयोग हो चुके कलपुर्जों भण्डार में रखे जा रहे थे। तथापि टायरों और ट्यूबों सहित इस्तेमाल हो चुके कलपुर्जों के अपेक्षानुसार उपर्युक्त लेखे नहीं रखे गए थे।

सरकार को ये तथ्य अगस्त 1997 में संदर्भित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

3.4 सरकारी लेखे में जमा न करवाई गई ब्याज प्राप्तियां

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि सरकारी निधियां तभी निकाली जाएं जब उनकी आवश्यकता हो तथा उतनी ही निकाली जाएं जितनी अपेक्षित हों तथा इन्हें सरकारी लेखे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। इनमें यह भी व्यवस्था है कि सरकारी प्राप्तियां खजाने में जमा की जानी चाहिए तथा व्यय के प्रति प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए।

उपायुक्त, बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला तथा सोलन के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित बातों का पता चला (अप्रैल 1996-फरवरी 1997):

(i) विकास की राशि को अनियमितरूप से बैंकों तथा डाकघरों में जमा करवाया जा रहा था जो सरकारी लेखे से बाहर आते हैं।

(ii) वर्ष 1993-97 के दौरान पांच^{**} उपायुक्तों द्वारा बैंक में जमा राशियों पर अर्जित 65.26 लाख ₹ के ब्याज को खजानों में जमा नहीं करवाया जैसा कि अपेक्षित था। इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर जनवरी और जुलाई 1997 के मध्य उपायुक्त, बिलासपुर (4.37 लाख ₹), हमीरपुर (30.27 लाख ₹), कांगड़ा (11.42 लाख ₹) तथा शिमला (5.72 लाख ₹) ने खजाने में 51.78 लाख ₹ जमा करवाए।

* उपायुक्त हमीरपुर: 14.71 लाख ₹; उपायुक्त कांगड़ा: 12 लाख ₹; उपायुक्त किन्नौर: 1.04 लाख ₹ उपायुक्त शिमला: 10.89 लाख ₹ और उपायुक्त सोलन: 8.45 लाख ₹

** बिलासपुर (4.37 लाख ₹), चम्बा (13.48 लाख ₹), हमीरपुर (30.27 लाख ₹), कांगड़ा (11.42 लाख ₹) तथा शिमला (5.72 लाख ₹)।

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 1997)।

रक्षणीय नहीं था क्योंकि निम्नी में व्यय के प्रति प्राप्ति का प्रयत्न वर्जित था। उपर्युक्त, सीन से (फरवरी 1997) कि राशि की प्रयत्न का प्रयास आश्चर्यकरी तथा लोकहित में की गई। उत्तर (1.50 लाख रु० विकास योजना हेतु) द्वारा व्यय हेतु प्रयत्न किए गए थे। उपर्युक्त कागजातों ने बताया कि 1.06 लाख रु० 50 तारपोलीन की खरीद हेतु) तथा उपर्युक्त सीन 1996 के दौरान बैंक जमा की आज प्राप्ति में से 2.56

(iv)

जा सकता था।

नहीं था क्योंकि राशियों की विभिन्न बैंकों/जाकधरों में लेख खोलवाने के स्थान पर एक लेख में रखा संवर्धित बैंकों में पचास निधि उपलब्ध नहीं थी जिनके प्रति बैंक जाया किसे गये थे। उत्तर मान्य को टैरि से कुछ मामलों में राशियों को एक बैंक से दूसरे को स्थानान्तरित किया जाना पड़ा क्योंकि उपर्युक्त ने बताया (जून 1997) कि एक पक्षों को आन्युहित रहते दिनांक

2.14 लाख रु० के व्यय से वहीत रहना पड़ा।

अन्य बैंकों/जाकधरों को इन महानों के 10वें दिन तथा अंतिम दिन स्थानान्तरित किया जिसके कारण फरवरी 1996 तथा सितम्बर 1996 के मध्य उपर्युक्त ने इन बैंकों/जाकधरों से 5.14 करोड़ रु० निष्पादन एंजिस्त्रियों के मध्य वितरित नहीं किया जा सका, जो कुछ बैंकों/जाकधरों में रखा गया था। विकासनामक कार्यों के लिए उपर्युक्त, हमीरपुर द्वारा आवृत्त निधियों जिन्हें

(iii)

समाधान दल ने दिसम्बर 1993 तक समाधान पूर्ण कर लिया था तथा बाकी का प्रयास पर था।

उपर्युक्त ने बताया (जून 1997) कि राशि के समाधान हेतु मई 1997 में गठित

समाधान हेतु उपर्युक्त द्वारा कारवाही नहीं की गई थी।

वहापि लेखापरीक्षा इन बैंकों को 1990 से बताया आ रहा था तथापि शेषों के

समाधान नहीं किया गया था।

गया था जबकि बैंक/जाकधर की पास बुकी के अनुसार अन्तर्ष 2,02,427 रु० था। अन्तर का अन्वेषित मू-अर्जन की रोकड़ बही में 3 दिसम्बर 1996 को रोकड़ का अन्तर्ष 87,816 रु० दर्शाया उपर्युक्त, हमीरपुर द्वारा क्षीय इंजीनियरिंग कॉलेज, हमीरपुर के संबंध में

(ख)

1997)।

लेखांकित नहीं किए गए थे। फिर भी 10.29 लाख रु० खजाने में जमा नहीं करवाए गए (सितम्बर 1996)।

लाख रु० मू-अर्जन की रोकड़ बही में लेखांकित किया गया जबकि 6.94 लाख रु० रोकड़बही में के मू-अर्जियों को क्षतिपूर्ति के रूप में परिवर्तित की जानी थी। आज की राशि में से केवल 3.35 दिया गया था। उपर्युक्त राशि क्षीय इंजीनियरिंग कॉलेज, हमीरपुर के निर्माण हेतु अर्जित की गई मू-अर्जन 10.29 लाख रु० का आज अर्जित किया गया तथा बैंकों/जाकधरों द्वारा पास बुकी में जमा कर उपर्युक्त, हमीरपुर द्वारा जमा करवाए गए राशि पर वर्ष 1986 तथा 1996 के

(!!)(क)

3.6 **क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का अनधिकृत मदों हेतु विवरण**

वर्ष 1993-94 में आरम्भ किए गए क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास विभागों के योजना बजट का 5 प्रतिशत मुक्त निधियों के रूप में कुछ उपयुक्तता को दे रहा था। उपयुक्तता को इन निधियों से विलम्बित किए जाने वाली लक्ष्य विकास कार्यक्रम का कार्य/स्कीमों की स्वीकृति का अधिकार दिया गया। कार्य/स्कीमों संबंधित विभागों द्वारा निष्पादित की जानी थी। कार्यक्रम में कार्य/स्कीमों के निर्माण हेतु उपयुक्त निधियों को छोड़कर मजदूर वर्गों को खरीद हेतु निधियों का प्रयोग वित्तित था।

(नवम्बर 1997)।

माननीय सरकार की अधून 1997 में भेजा गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था

निधित्त करने समय ध्यान में रखना चाहिए था।

लेखापर्यक्षा सहमत नहीं थी क्योंकि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को सब-कमेट्री को पहले ही दे विकेन्द्रीकृत तब करने की शर्त को अनिहित में हटा दिया। मण्डलीय आर्थिक कार्यवाही से भौगोलिक स्थितियों के दृष्टिगत हमीरपुर जिले में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु 12 घण्टों में 100 डेजे लेखापर्यक्षा में इंगित करने पर मण्डलीय आर्थिक मुडी में (अक्टूबर 1997)

गया था। अतः उपयुक्त ने इस संबंध में 7.23 लाख रु० का परिवर्तन अतिरिक्त व्यय किया।

75 विकेन्द्रीकृत का फायदा तब किया किन्तु उन्हें 2700 रु० प्रतिदिन के हिसाब से मर्यादा से मर्यादा की अनुमति भी प्राप्त नहीं की थी। टैकरो ने मई से जून 1996 के दौरान वारन्त में प्रतिदिन 20 से प्रतिदिन कम से कम एक सौ विकेन्द्रीकृत तब करने से संबंधित उपधारा समाविष्ट नहीं थी। शर्त हटाने कि एक ठेकदार के साथ अनुमोदित दरों पर पीने के पानी की आपूर्ति के अनुरोध (मई 1996) में उपयुक्त, हमीरपुर के अभिलेखा की नमूना जांच से पता चला (नवम्बर 1997)

किन्ती अन्तर की स्थिति में उप समिति का अनुमोदन प्राप्त करना था।

द्वारा इन अनुरोधों के साथ सूचित किया गया (मई 1996) कि अनुमोदित दरों तथा आपूर्ति के ढंग में एक सौ विकेन्द्रीकृत का क्षेत्र तब करेगा। इन दरों को संबंधित उपयुक्तता को मण्डलीय आर्थिक मुडी दर से अनुमोदित की थी। इसकी शर्त थी कि प्रत्येक ठेकदार प्रतिदिन 12 घण्टे चलेगा तथा कम से कम 10,000 लीटर की क्षमता के टैकरो के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति 2700 रु० प्रतिदिन की ने मई 1996 में टैकरो द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति हेतु निवेदन आमंत्रित की। उप समिति ने 9,000 से दौरान पीने के पानी की आपूर्ति हेतु मण्डलीय स्तर की अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (उप समिति) मुडी मण्डल के तीन जिलों में वर्ष 1996 की शीघ्र ऋतु के

3.5 **दोषपूर्ण अनुरोध के कारण परिहारा व्यवस्था**

1997)।

माननीय सरकार की जून 1997 में भेजा गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर

* धारा: 2.35 लाख रु०: हमीरपुर: 3.91 लाख रु०: सिरमौर: 12.11 लाख रु० तथा ऊना: 3.04 लाख रु०

(!!) 0.80 लाख रु० की लागत से प्राथमिक स्कूल, मपरोल के निर्माण को 1994-95 के दौरान निधियों को देने पर भी निधियों को उपर्याप्त बताने के कारण शुरू नहीं किया गया था। निधियाँ जुटाने हेतु आगामी पत्र नहीं उठाए गए थे (मई 1997)।

(!) एक लाख रु० की लागत से प्राथमिक स्कूल मजहठ के दो कमरों के निर्माण का कार्य निर्माणस्थल के झगड़े के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका। इसके लिए खूब विकल्प अधिकारी को जनवरी 1995 में निधियाँ दी गई थीं।

निम्नीकृत बातों का पता चला:
किए गए थे तथा निधियाँ बैंकों/खजाने में अपर्याप्त पड़ी थीं। कुछ कार्यों के अभिलेखों की जांच से कार्य छ: महीनों तथा एक वर्ष के मध्य पूर्ण किए जाने थे। दिसम्बर 1996 तक कार्य आरम्भ भी नहीं गई और 76 कार्यों के निर्माणार्थ विभिन्न जिला निषदान ऐजेंसियों के पास जमा करवाड़े गई थीं। वे योजना, सूखा राहत आदि की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 29.03 लाख रु० की निधियाँ आहरण की (जनवरी 1997) कि वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान स्थानीय जिला योजना, विकेन्द्रीकृत उपर्यक्त, बिलासपुर के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला

उत्पत्ति भी नहीं है जिन कार्यों के पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगाता हो।
को पूर्ण करने के लिए अधीन न हो। कार्यों के निषदान हेतु खजाने से अधिसूचियों के आहरण की बाहिर जब तक कि वह शीघ्र संवितरण हेतु अथवा किसी स्थायी अधिसूचियों से संवितरित की गई निधियों वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि खजाने से राशि का आहरण नहीं किया जाना

3.7 विकास कार्यों की आरम्भ न करने से निधियों का अवरोधन

(नवम्बर 1997)।
मानव संसाधन को मातृ 1997 में भुजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था

आती थीं।
का गई थी। उपर्यक्तों का यह विचार मान्य नहीं था क्योंकि ऐसी खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितिवादी ने स्कीमों को अनुमोदित किया था जिसके अन्तर्गत खरीद के लानाई सामग्रियों तथा उपकरणों की खरीद पर व्यय किया गया था तथा जिला योजना एवं विकास उपर्यक्तों ने बताया (दिसम्बर 1996-फरवरी 1997) कि अस्पतालों में रोगियों

विकासोत्तमक निर्माण कार्य/स्कीमों के लिए आवश्यक्ता नहीं थी।
लाख रु० से रंगीन टेलीविजन, फर्नीचर, एअर-कण्डिशनर, कैलर आदि खरीदे गए जिनकी नमूना जांच से पता चला (दिसम्बर 1996 से जनवरी 1997) कि वर्ष 1995-96 के दौरान 21.41 *
उपर्यक्तों (दाबा, हमीरपुर, सिरमौर तथा ऊना) के कार्यालयों के अभिलेखों की

* अन्ध, मण्डा, सन्ध, देह, रामपुर तथा ऊना

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

सरकार को मामला अश्लेष 1997 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त

राशि की निधियों के अवरोधन में परिणत हुई।

अधिकारियों की विकल्पता जनता को अभिहित लोगों से वंचित रखने के साथ-साथ 10.31 लाख रु० इस प्रकार इन कार्यों को निवृत्त समय के भीतर पूर्ण करने में खूब विकल्प

पर्याप्तता, इत्यादि सुनिश्चित करने का वाहिए था।

कार्यक्रम तथा धनाहरण से पूर्व खूब विकल्प अधिकारियों को कार्यस्थलों की उपलब्धता, निधियों की के अभाव, इत्यादि के कारण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके थे। उत्तर तकस्यगत नहीं थे क्योंकि 1997) कि कार्यस्थल पर विवादों, न्यायालयधीन मामलों, निधियों की कमी, ग्राम पंचायतों द्वारा रुवि खूब विकल्प अधिकारियों द्वारा यह बताया गया (सितम्बर 1996-फरवरी

पड़ी थी।

6 वर्षों तक परिलक्ष्यत हुई थे। 1.75 लाख रु० की शेष राशि निषादन अधिकारियों के पास अप्रयुक्त निषादनार्थ शेष में खिए गए। 8.56 लाख रु० व्यय करने के पश्चात् ये कार्य 10 महीने से लेकर 1995 के मध्य निरन्तराण कर दिया गया था। ये कार्य नवम्बर 1989 तथा जून 1996 के बीच भीतर पूर्ण किए जाने निश्चित थे। निषादन अधिकारियों को समस्त राशि का मार्ग 1988 तथा अग्रस्त विकास कार्य तथा पंचायत घरों, प्राथमिक पाठशाला भवनों, वर्षा शालिकाओं आदि के निर्माण कार्य उद्घाटित हुआ (अग्रस्त 1996-फरवरी 1997) कि 10.31 लाख रु० की अनुमानित लागत से 18 पाव खूब विकल्प अधिकारियों के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच से

3.8 विकास कार्यों की अपूर्णता

ग्रामीण विकास विभाग

(नवम्बर 1997)।

मामला सरकार को मार्च 1997 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था

हिता से लोगों के वंचित रहने के अतिरिक्त 29.03 लाख रु० की निधियों का अवरोधन हुआ।

अतः इन कार्यों के निषादन में संबंधित ऐजेंसियों की विकल्पता के कारण अपेक्षित

उपलब्धता, निधियों की पर्याप्तता आदि को सुनिश्चित करने का वाहिए था।

जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपर्युक्त की राशि का आहरण करने से पूर्व निर्माणस्थल की के झाड़े, निर्माणस्थलों की अनुपलब्धता, अप्रयुक्त निधियाँ, आदि के कारण कार्यों की शुरु नहीं किया निषादन ऐजेंसियों ने बताया (दिसम्बर 1996-जनवरी 1997) कि निर्माणस्थलों

***** गाहन, नालगाह, नैरपुर तथा ऊना

17. बर्नार 18. नौधवा

12. सुरहा टी खड्ड बाया किनारा 12. फिन्नावाली खड्ड 14. गोलिन्दपुर 15. टके वाली खड्ड 16. कटौल खड्ड

दरार चक्की 7. तिलोकरपुर वाला 8. बाकोमान मात्रा 9. नालगाह 10. गमलोटी खड्ड बाया किनारा 11. माल,

***** उप जलविभाजक 1. खोटी का काला 2. कवल खड्ड 3. बलद नदी बाया खोटी 4. सरहान टी खड्ड 5. अपर खान 6.

** कमाक 7 से 18 का

* कमाक 1 से 6 का

परिचालना निदेशक एकीकृत जलविभाजक विकास परिचालना (पर्वतीय) कण्ट्री क्षेत्र, सोलन के माध्यम से परिचालना के क्रियाकलापों की योजना बनाने किमानिबन्धन करने तथा प्रसार हेतु वन विभाग मुख्य अभिनेता था। उसके सहयोग के लिए परिचालना निदेशालय में विषय वर्गीकृत तथा क्षेत्रीय स्तर पर कृषि, उद्यान और पर्यावरण विभागों से लिए गए चार सहयोगक परिचालना अधिकारी थे। राज्य स्तर पर परिचालना की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तरीय संवाहन समिति तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा की जाती थी।

3.9.2

साठानात्मक ढांचा

गया था। परिचालना के आरम्भिक कार्यकलापों का व्यवस्थापन 1989 से आरम्भ हो गया था। दौरेन कार्यन्वयनाधी परिचालना में सम्मिलित थे जिन्हें अगो 30 जून 1998 तक विस्तारिक किया प्रकर 50,029 हेक्टेयर कुल क्षेत्र को आवंटन करने वाले 18 उपजलविभाजक 1990-97 के करने वाले 12 और उपजलविभाजक भी विस्तार चरण में विकास हेतु आरम्भ किए गए थे। इस प्रयोग द्वारा विकास हेतु चयन किया गया था। दिसम्बर 1994 में 31,651 हेक्टेयर क्षेत्र को आवंटन नदी तट संरक्षण गाह अवरोधन ढांचों का निर्माण सीमान्त कृषि भूमि में उद्यान तथा पर्यावरण सुधार के जलविभाजकों का वनस्पति अवरोधी स्पर्ध्या, झाड़ियों तथा वनरोपण के प्रतिपादन नालों के स्थिति, परिचालना के मुख्य चरण में 18378 हेक्टेयर क्षेत्र को आवंटन करने वाले छ. उप

(iv)

भूमिहास के कारण हुई बाढ़ तथा विध्वंस को कम करना।

करना तथा

डेहन की लकड़ी तथा पर्यावरण के उत्पादन में सुधार करना तथा उससे आय में वृद्धि भूमि तथा जल संरक्षण की प्रक्रिया द्वारा आद्यान् फसलों, उद्यान, पशु आहार,

(iii)

भू एवं जल का संरक्षण करना

(ii)

पर्यावरण के हानि को धीमा तथा प्रतिकूल करना:

उचित मिट्टी तथा आर्द्रता संरक्षण तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक (पर्वतीय) का संप्रदान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ जून 1990 में किया गया था:

(i)

पहाड़ियों में विषम ढ़क सहयता प्राप्त एक एकीकृत जल विभाजक विकास परिचालना राज्य के कागाड़, सिरमौर, सोलन तथा जिला के कण्ट्री (हिमालय की छोटी

3.9.1

परिचय

(कण्ट्री परिचालना)

हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत जलविभाजक विकास परिचालना

3.9

3.9.3

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

समस्त 18 उप जलविभाजकों में 1990-97 के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में समीक्षा परियोजना निदेशक तथा कांगड़ा, सिरमौर, सोलन तथा ऊना जिले के चार सहायक परियोजना अधिकारियों के अभिलेखों की जांच द्वारा लेखापरीक्षा में की गई समीक्षा की गई थी (नवम्बर 1996 तथा अप्रैल 1997)। समीक्षा परिणाम उतरवर्ती परिच्छेदों में वर्णित हैं:

3.9.4.

मुख्य विशेषताएं

परियोजना के प्रथम वर्ष में किए जाने वाले आधारभूत सर्वेक्षण परियोजना आरम्भ के दो से तीन वर्षों के पश्चात् प्राप्त हुए। इन प्रतिवेदनों के विलम्ब से प्राप्त होने से कार्यों की योजना बनाते तथा निष्पादन के समय क्षेत्र की सामाजिक पारिस्थितिकी को सम्मिलित नहीं किया जा सका।

[परिच्छेद 3.9.5(क)(ख)]

राज्य सरकार द्वारा पूर्ण बजट समर्थन तथा व्यय की धीमी गति के कारण विश्व बैंक ने परियोजना लागत 41.10 करोड़ ₹0 से घटाकर 39.32 करोड़ ₹0 कर दी। इस प्रकार राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1.78 करोड़ ₹0 की समीक्षा तक की विदेशी सहायता खो दी।

(परिच्छेद 3.9.7)

परियोजना के अन्तर्गत संसाधित किए जाने वाले 50,029 हैक्टेयर क्षेत्र में से 1990-97 के दौरान 35,483 हैक्टेयर क्षेत्र संसाधित किया गया था, परिणामतः परियोजना की उपलब्धि में 29 प्रतिशत की कमी हुई।

परियोजना प्राधिकारियों ने 24 क्रियाकलापों पर 1991-97 के दौरान 54.97 लाख ₹0 का अधिक व्यय करके निर्धारित लागत मानकों का अनुसरण नहीं किया। 1992-96 के दौरान ऊना तथा नाहन में 13.70 लाख ₹0 की लागत से पांच निर्माण कार्यों का निष्पादन परियोजना क्षेत्रों से बाहर किया गया था।

(परिच्छेद 3.9.9)

1990-97 के दौरान नूरपुर तथा नालागढ़ में 238.70 हैक्टेयर में 21.41 लाख ₹0 की लागत से लगाए गए उद्यान पौधरोपण की उत्तरजीविता अधिकतम 45 प्रतिशत तक रही। 1991-97 के दौरान नालागढ़, नूरपुर तथा ऊना इकाइयों में 1242.80 हैक्टेयर क्षेत्र में 58.95 लाख ₹0 की लागत से लगाए गए वन पौधरोपणों की उत्तरजीविता प्रतिशतता 50 की न्यूनतम संतोषजनक उत्तरजीविता के प्रति 10 तथा 49 के बीच थी। इसमें से अकेले ऊना इकाई में ही 54.66 लाख ₹0 की लागत से 1037.60 हैक्टेयर भूमि में पौधे लगाए गए।

[परिच्छेद 3.9.10.1(क) तथा 3.9.10.4(ड.)]

(परिच्छेद 3.9.15)

परियोजना निदेशक को आपूर्ति किए गए थे तथा शेष 11 अपन पास रखे गए।

परियोजना निधियों से 28.60 लाख रु० में खरीदी। इनमें से केवल पांच नए वाहन प्रमुख, मुख्य अग्रणपाल से 1990-91 के दौरान 11 जीपें तथा पांच कारें

**

[परिच्छेद 3.9.10.4(घ)]

अनधिकृत अधिक लय हुआ।

23.40 लाख रु० में प्राप्त की जा सकी थी। परिणामतः 16.67 लाख रु० का

बॉमीटर की दर से उपलब्ध थी तथा 66,866 बॉमीटर परस्पर जुड़ी वैन केवल

के दौरान निवृत्त, मजदूर, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दर पर 35 रु० प्रति

इसके प्रति उसी नाम की परस्पर जुड़ी वैन की बनी बनाई जाती उसी अवधि

बॉमीटर विभागीय रूप से बनाए गए जस्टेदार लोह तार केट जाती प्राप्त की।

1995-सितम्बर 1996 के दौरान 40.07 लाख रु० की लागत से 66,866

सहायक परियोजना अधिकारी, नालागढ़, नाहन, नैरपुर तथा ऊना के आसन्न

**

[परिच्छेद 3.9.10.4(ग)]

लाख रु० खर्च किए।

इन कार्यकलापों की खर्च पर सहायक परियोजना अधिकारी, ऊना से 1.62

समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद 1995-96 के दौरान 28 हेक्टेयर क्षेत्र में

तथा "सील्डोपास्वर" के कार्यकलापों की 1994 में सहायकी समीक्षा के कारण

अर्कष (निजी) मॉडि में आरम्भिक अवस्था के दौरान "वेजिटिव शरब बैरियर"

**

[परिच्छेद 3.9.10.4(क)]

जा सका।

तथा गाढ़ प्रवाह की निम्न करने में जलविभाजक पुनर्वास का प्रभाव नहीं आका

आवजबंदी पोस्टों के कार्य न करने के कारण मिट्टी की हानि को कम सकरने

5.91 लाख रु० की लागत से 1993-94 तक स्थापित तीन (चार में से) सिस्ट

**

[परिच्छेद 3.9.10.3(क)(1)]

किए जो निर्माण योजना हेतु नहीं थी तथा पशुपाला में विस्तार नहीं किया गया।

दौरान दी गई। वन मण्डल अधिकारी, नैरपुर ने 9 लाख रु० उन मर्दों पर खर्च

(नैरपुर) "गोसदन" के विस्तार की 9 लाख रु० की संस्वीकृति 1992-93 के

राज्य स्तर की संस्वीकृति समिति द्वारा लिए गए निर्वाहानुसार खजान स्थित

**

[परिच्छेद 3.9.10.1(घ)]

28.36 लाख रु० का व्यय किया।

उद्यान पौधरोपणों के लिए काटेदार तार की बाड़ लगाने पर 1993-96 के दौरान

परियोजना निदेशक ने नाहन, नालागढ़ तथा ऊना में 478.92 हेक्टेयर क्षेत्र में

संशोधन काटेदार झाड़ियों की बाड़ लगाने हेतु विश्व बैंक की सस्वीकृतियों के बावजूद

**

(ख) एम.ए.आर. के उपबन्धों के प्रतिकूल परियोजना के विस्तार चरण के 12 उपजलविभाजकों का आधारपथ सर्वेक्षण तथा पोषित स्वतन्त्र अभिकरण को सौंपने की बजाय परियोजना प्राधिकारियों द्वारा स्वयं अंशूल-मई 1994 में किया गया था जैसा अधिलेखित था।

का व्यव व्यव रहा।

करीब आधेक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए आधारपथ सर्वेक्षण का प्रतिवेदन अगस्त 1992 में प्राप्त हुआ था जबकि उद्योग तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1992 में प्रस्तुत किया। यद्यपि परियोजना कार्य 1990 में आरम्भ हो गया था। वॉकिंग प्रोत्तिवेदन विनियम से प्राप्त हुए थे अतः कार्यों की योजना बनाते हुए तथा उनका निष्पादन करते हुए क्षेत्र की सामाजिक-पारिवारिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जा सका। अतः 4.80 लाख रु०

परियोजनाग्रहण के 29 मास पश्चात् सौंपा गया था।

(क) मुख्य चरण के क्षेत्रों का खाली उप जलविभाजक के आधारपथ सर्वेक्षण का कार्य 3.35 लाख रु० की कुल लागत से हिमाचल प्रदेश विश्व विश्व विद्यालय, शिमला के कृषि आधेक अनुसंधान केन्द्र को नवम्बर 1991 में अर्पित परियोजनाग्रहण के 17 मास पश्चात् सौंपा गया था। मुख्य चरण के शेष पांच उपजलविभाजकों का आधारपथ सर्वेक्षण 1.45 लाख रु० की लागत से 30 बाईं एम.ए.आर. उद्योग एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौली (सोहन) को नवम्बर 1992 में अर्पित

करने की आशा की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

स्वतन्त्र अभिकरण नियुक्त किया जाना था। अभिकरण से अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 1991 तक प्रस्तुत पर्यावरण स्थिति को स्थापित करने हेतु प्रथमवर्ष के दौरान आधारपथ अध्ययन करने के लिए एक स्टॉक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना क्षेत्र की वर्तमान सामाजिक

3.9.5 सर्वेक्षण तथा योजना

(परिच्छेद 3.9.14 तथा 3.9.17)

है करने हेतु अंशूल 1997 तक पूरा नहीं उठाए थे।

को कमी के कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। विभाग ने कमियों को कार्यान्वयन के पश्चात् मिट्टी की हानि को दूर में सुधार आधार वर्ष के आंकड़ों अनुसंधान केन्द्र ने यह उल्लेख किया था कि परियोजना के शिवालयों के परियोजना की निगरानी में सहजता करना था, किवांशील नहीं था। कृषि आधेक 5.27 लाख रु० से खरीदा गया भौगोलिक सूचनानालम्ब, जिसका उद्देश्य

(परिच्छेद 3.9.13 तथा 3.9.16)

गाम वन विकास समितियों के गठन की कमी 66 तथा 85 प्रतिशत के मध्य रही। पर्यावरण निगरानी नहीं रखी गई थी। 1993-97 के दौरान चार इकाइयों में निर्धारित अन्तरालों पर नहीं हुई तथा इसीलिए परियोजना की प्रगति पर राज्य स्तरीय संयोजन समिति तथा जिला स्तर पर समन्वय समितियों की बैठक

* सित्तिल कर्षः 90 प्रतिशतः फर्निचर उपकर तया वाहनः कारखाने से बाहर की लागत का 100 प्रतिशत अथवा कम लागत का 80 प्रतिशतः प्रशिक्षण तथा परामर्शदाताः 100 प्रतिशतः परिवहन लागतः 60 प्रतिशत तथा शैक्षिक खर्चालनः 90 प्रतिशत

इस खंड में निम्नलिखित तथ्य द्योन में आए:-

वर्ष	विश्व बैंक के परामर्श/सरकार द्वारा किया गया	पमर्श/पमर्शदाता की तुलना में आवंटित बजट प्रावधान	वर्ष में कमी	कमी (-)/आधिक्य (+)	
1990-91 तक	1.95	1.03	0.72	(-) 0.92	0.31
1991-92	3.01	2.26	1.83	(-) 0.75	0.43
1992-93	3.23	3.00	3.00	(-) 0.23	--
1993-94	4.15	5.00	5.00	(+) 0.85	--
1994-95	7.83	7.35	7.35	(-) 0.48	--
1995-96	10.81	10.78	10.78	(-) 0.03	--
1996-97	10.12	10.30	10.30	(+) 0.18	--
औड़	41.10	39.72	38.98		

तथ्य निम्नवत् है:

1990-97 के दौरान बजट प्रावधानों के वर्षवार विस्तृत तथ्ये तथा वार्षिक

3.9.7 विदेशी परिव्यय तथा तथ्य

परियोजना पर वार्षिक व्यय प्रारम्भतः राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से किया जाना था जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में भारत सरकार द्वारा क्रेडिट की समस्त मात्रा के अनुसार की जानी थी जिसके लिए विश्व बैंक वचनबद्ध था। परस्पर सहमत सिद्धान्तानुसार भारत सरकार ने उसके बदले में विश्व बैंक से क्रेडिट की समस्त राशि का दावा करना था। वन विभाग के वार्षिक बजटों में परियोजना के लिए प्रावधान कर दिए थे तथा परियोजना निदेशक के लिए निधियों का प्रबन्ध कर दिया गया था जिसने आगे परियोजना की विभिन्न इकाइयों के सहजक परियोजना अधिकारियों में निधियों का वितरण कर दिया था।

राज्य सरकार द्वारा पूर्ण बजट समर्थन की अनुपस्थिति तथा व्यय की धीमी गति के कारण विश्व बैंक ने अगस्त 1994 में परियोजना लागत 41.10 करोड़ से घटाकर 39.32 करोड़ रु कर दी। इस प्रकार इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार 1.78 करोड़ रु की सीमा तक की विदेशी सहायता से वंचित रही। 39.32 करोड़ रु की संशोधित परियोजना लागत के प्रति 1996-97 तक कुल व्यय 38.98 करोड़ रु किया गया था। परियोजना निदेशक परियोजना लागत में न्यूनता के पश्चात भी मार्च 1997 तक 0.34 लाख रु का उपयोग नहीं कर सका।

परियोजना निदेशक ने व्यय की धीमी गति का कारण परियोजना के सापेक्षतः नवीन तकनीकी ज्ञान में स्टाफ के कार्यानुभव की कमी को बताया (अप्रैल 1997)। परियोजना निदेशक का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परियोजना दल को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था तथा पर्याप्त जनशक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित स्टाफ को परियोजना से उनके मूल विभागों को निरन्तर स्थानान्तरित किया गया था।

3.9.8 व्यय की प्रतिपूर्ति

एस.ए.आर. के अनुसार 1 अगस्त 1989 के पश्चात से परियोजनार्थ अनुबन्ध के हस्ताक्षर होने तक परियोजना से संबद्ध वाहनों, उपस्करों, परामर्श सेवाओं प्रशिक्षण कार्यशालाओं, सामग्री स्थापनार्थ नर्सरियों के आरम्भिक प्रतिष्ठापन तथा अन्य प्रारम्भिक क्रियाकलापों के कारण हुई परियोजना लागत को विश्व बैंक द्वारा पूर्वकालिक रूप से वित्तपोषित किया जाना था।

वर्ष के दौरान किया गया व्यय परस्पर सहमत नियम के आधार पर एस.ए.आर. में दी गई विस्तृत शर्तों को पूर्ण करने पर भारत सरकार से प्रतिपूरित करवाया जाना था। प्रत्येक दावा हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ मास के भीतर प्रेषित किया जाना था। प्रेषित प्रतिपूर्ति दावों तथा अगस्त 1989 से मार्च 1997 तक के बीच वास्तविक प्रतिपूर्ति के ब्यौरे निम्नवत् थे:-

दावे की अवधि	प्रतिपूर्ति की राशि		अभ्युक्तियां
	दावा	प्राप्त किया गया (करोड़ रुपए)	
अगस्त 1989 से 1990-91	0.63	1.99	
1991-92	1.50		प्राप्त की गई राशि में अगस्त 1989 से मार्च 1991 की अवधि के 0.58 करोड़ सम्मिलित है।
1992-93	2.45	2.44	
1993-94	4.14	4.26	प्राप्त की गई राशि में कन्सलटैसी, प्रशिक्षण तथा फर्नीचर तथा उपकरण के 0.12 करोड़ रु बकाया शेष सम्मिलित हैं।
1994-95	6.15	6.15	वर्ष 1993-94 के लिए कन्सलटैसी तथा प्रशिक्षण दावे के प्राप्त किए गए 0.44 लाख रु सम्मिलित हैं।
1995-96	9.15	9.15	
1996-97	8.65	8.65	
जोड़	32.67	32.64	

* भारत सरकार द्वारा 3.10 लाख रु की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी क्योंकि व्यय पूर्वव्यापी वित्त पोषण के अन्तर्गत नहीं आता था।

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:

(i) 1990-96 के परियोजना लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय लेखापरीक्षा द्वारा 1.26 करोड़ ₹* की कुल राशि को अनुमति नहीं दी गई थी जो भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच हुए डिवलपमेंट क्रेडिट ऐग्रीमेंट के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं थी। भारत सरकार ने यह राशि अस्वीकृत नहीं की जबकि व्यय अनुचित था तथा लेखापरीक्षा** प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां उन्हें समय पर भेज दी थी।

(ii) सिविल निर्माण कार्यार्थ एम.टी.आर. में किए गए संशोधित परियोजना लागत के कुल 1.98 करोड़ ₹ के प्रावधान के प्रति परियोजना निदेशक ने 1996-97 तक 2.62 करोड़ ₹ खर्च किए। इस प्रकार, समस्त परियोजना अवधि के दौरान सिविल निर्माणकार्यों के लिए अनुमोदित 1.98 करोड़ ₹ के प्रति 1.78 करोड़ ₹ (1.98 करोड़ ₹ का 90 प्रतिशत) प्रतिपूर्ति योग्य थे जबकि इसके प्रति भारत सरकार ने 1996-97 तक 2.36 करोड़ ₹ की प्रतिपूर्ति की थी, फलतः 0.58 करोड़ ₹ की अधिक प्रतिपूर्ति हुई।

3.9.9 प्रत्यक्ष निष्पादन

संसाधनार्थ परिकल्पित 18 उप जलविभाजकों के 50,029 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रति मार्च 1997 तक 35,483 हैक्टेयर क्षेत्र संसाधित किया गया था। वर्ष 1996-97 के अन्त में 7,859 ₹ की परिकल्पित प्रति हैक्टेयर लागत के प्रति वास्तविक लागत 10,986 ₹ प्रति हैक्टेयर थी। परियोजना निदेशक ने 14,546 हैक्टेयर (29 प्रतिशत) की कमी आरम्भिक अवस्था में स्टाफ के कम होने के कारण बताई (अप्रैल 1997)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परियोजना के लिए स्टाफ उसके लक्ष्यों तथा निष्पादनावधि के लक्ष्यों को देखते हुए दिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त कमी केवल आरम्भिक अवस्था में ही नहीं अपितु यह मार्च 1997 तक निरन्तर रही।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:

(क) परियोजना क्षेत्र से बाहर कार्यनिष्पादन

यद्यपि परियोजना का कार्यान्वयन केवल परियोजना क्षेत्र में ही किया जाना था परन्तु सहायक परियोजना अधिकारी, ऊना तथा नाहन द्वारा 13.70 लाख ₹ की लागत वाले पांच कार्य 1992-96 के दौरान परियोजना के चयनित उप-जलविभाजकों से बाहर निष्पादित किए गए थे।

* राशियों को मुख्यतः लागत मानकों की तुलना में अतिरिक्त व्यय, लाभार्थियों के शेयरों की अवसूली/अल्पवसूली, निजी पौधशालाओं के किराए के अनियमित व्यय, आदि आधारों पर अस्वीकृत किया गया।

** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश

नूरपुर तथा नागागढ़ इकाइयों में जहाँ 1990-97 के दौरान 21.41 लाख रु० की लागत से 238.70 हेक्टेयर में उद्यान पौद्योपण किया गया था की उत्तरजीविका की प्रतिशतता शून्य

संतोषजनक समझा जाना था।

निश्चित नहीं किए गए थे। परियोजना निदेशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि अन्वेषण तीन वर्षों के उद्यान पौद्योपण के सकल तथा संतोषजनक परिणामों के लिए कोई मानक लिए प्रदान किया जा रहा था इसलिए उत्तरजीविका की प्रतिशतता वाले उद्यान पौद्योपण की

(क) उद्यान पौद्योपण की अत्यधिक विकलताएं

उद्यान प्रवर्ग	3.9.10.1
घटकवार निष्पादन	3.9.10

सहायक परियोजना अधिकारियों ने अधिक व्यय का कारण अपूर्ण लागत के आशा से अधिक लम्बे मार्गों को बताया (जनवरी-मार्च 1997)।

सहायक परियोजना विभिन्न शिक्षाकल्प प्रत्येक संसाधनार्थ के लिए निर्धारित विहित लागत के भीतर किए जाने थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि 54.97 लाख रु० का अधिक व्यय 1991-97 के दौरान परियोजना-दौरान 24 शिक्षाकल्पों पर (जैसा कि परिशिष्ट VI में दर्शाया गया है) किया गया था क्योंकि निर्धारित लागत के मानकों का पालन नहीं किया गया था।

(ख) कार्य पर अधिक व्यय

सहायक परियोजना अधिकारी, ऊना ने परियोजना क्षेत्र से बाहर कार्य निष्पादन नहीं था क्योंकि परियोजना कार्य का निष्पादन करते समय पर्यटन-हित का विचार करने का कोई मार्च 1991 तक पूर्ण किया जाना चाहिए था। सहायक परियोजना अधिकारी, नाहन का उत्तर मान्य आबक के कारण निष्पादित किए गए थे। एम.ए.आर. के अन्वेषण आध्यापक प्रतिवेदन 31 दृष्टिकोण से उनकी सम्भाव्यता, परियोजना क्षेत्र के भीतर प्रत्येक केन्द्र हेतु स्थल की अनुपलब्धता 1997)। परन्तु सहायक परियोजना अधिकारी, नाहन ने बताया (मार्च 1997) कि वे कार्य प्रत्येक का कारण आध्यापक सर्वेक्षण प्रतिवेदन का देरी से प्राप्त होना (मई 1993) बताया (जनवरी-मार्च 1997)।

परियोजना निदेशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि काठदार तार की बाड़ 5.44 लाख रु० होता है।
 परियोजना निदेशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि काठदार तार की बाड़ 5.44 लाख रु० होता है।
 पर 33.80 लाख रु० खर्च किए गए थे। यदि संशुद्ध काठदार झाड़ियों की बाड़ लगाई जाती तो व्यय
 नाममात्र और ऊना में 1993-96 के दौरान उद्योग परिवारोपण के 478.92 हेक्टेयर हेतु बाड़ लगाने
 परन्तु औद्योगिक परिवारोपणों में 1995-96 तक काठदार तार की बाड़ लगाई गई थी तथा नाहन,
 केन्द ने भी संशुद्ध काठदार झाड़ियों की बाड़ की अपनाने की सूर्यति की थी (फरवरी 1996)।
 काठदार झाड़ियों की बाड़ लगाने के लिए प्रास्तावित किया जाना चाहिए। कृषि आर्थिक अनुसंधान
 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट मिशन ने जून 1993 में यह सूर्यति की कि कृषकों को संशुद्ध

(घ) काठदार तार पर अर्जित व्यय

(!!) परियोजना द्वारा उन क्षेत्रों में जो सिंचाई के अन्तर्गत नहीं आते थे, योजना बनाने,
 निर्माण करने तथा दृष्टिकोण उद्योग स्थापित करने हेतु माग लेने वाले कृषकों की सहायक की जाती
 थी। नाहन तथा नामात्र डेकाइयों में 223.90 हेक्टेयर मूँस 1992-95 के बीच उद्योग परिवारोपण के
 अधीन लाई गई थी। इसमें से 5.57 हेक्टेयर में परिवारोपण 0.52 लाख रु० का व्यय करने के पश्चात्
 सिंचित मूँस में किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप स्कीम के उद्देश्य से विफल हुआ।

(!) एम.ए.आर. ने वी.डिव. के तकनीकी ज्ञान को अपना कर उद्योग परिवारोपण की
 बेहतर उन्नत जीविका हेतु स्वस्थानी आदता संरक्षण पर बल दिया। इस तकनीकी ज्ञान के अनुसार
 वृक्ष मूल खण्ड में सुधार हेतु बाहन सीमा वी.डिवों में अथवा जससख घास की
 बाह्य सीमा अवरोधकों का आरोपण किया जाना था। नाहन, नामात्र डेकाइयों में
 लगाए गए उद्योग परिवारोपणों के 843.62 हेक्टेयरों में से 735 हेक्टेयरों का संसाधन 1990-97 के
 दौरान 36.74 लाख रु० व्यय करके वी.डिव. विधि के बिना किया गया था। सहायक परियोजना
 अधिकारियों के अभिलेखों से यह देखा गया कि वी.डिव. विधि के बिना लगाए गए परिवारोपणों में से 11
 हेक्टेयर में 1.03 लाख रु० की लागत से लगाए गए परिवारोपणों की उन्नतजीविका प्रतिशतता 12 तथा
 50 के मध्य रही, जबकि 418 हेक्टेयर में 31.56 लाख रु० से लगाए गए परिवारोपणों की
 उन्नतजीविका प्रतिशतता 51 तथा 75 के मध्य रही। सहायक परियोजना अधिकारी, नाहन तथा ऊना
 ने बताया (जनवरी-मार्च 1997) कि वी.डिविज की धारणाओं को स्पष्ट नहीं था जबकि सहायक
 परियोजना अधिकारी नामात्र डेकाइयों का विवेक कि इस विधि का विवेक नामात्र समस्त कृषकों द्वारा किया
 गया था। सहायक परियोजना अधिकारियों के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि वी.डिव. विधि का प्राशिक्षण
 क्षेत्रीय कार्यक्रमों की एम.ए.आर. में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार दिया जाना चाहिए था तथा कृषकों को
 नवीन तकनीकी ज्ञान को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए था।

(ग) उद्योग परिवारोपणों में आदता संरक्षण उपायों को सम्मिलित न करना

एम्. ए. आर. के अर्जुन आन काम फाउंडर प्रोडक्शन के लिये कल्याण के अन्तर्गत सामग्री से सामग्री की 50 प्रतिशत लागत की वसूली की जाती थी। सहायक परिवर्तन अधिकांश

(ग) सामग्री लागत की वसूली न होना

(फरवरी 1990)।

दौरान राज्य सरकार अतिरिक्त ग्राम विस्तार कावकर्ताओं की भर्ती करने के लिए सहमत हो गई थी लागत बढ़ गई पाबन्दी बताना (अप्रैल 1997)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विश्व बैंक के साथ वार्ता के विषयों को प्रभावित किया था। परिवर्तन निदेशक ने इसका कारण राज्य सरकार द्वारा भर्ती पर (जनवरी-मार्च 1997) कि विस्तार स्टाफ के अभाव में विस्तार स्तर पर परिवर्तन के संतोषजनक सहायक परिवर्तन अधिकांश नालागढ़, नरपूर तथा ऊना में बताया

केवल 11 तथा 1996-97 में 13 ही लागत गए थे।

वर्ष के दौरान न्यूनतम 38 ग्राम विस्तार कावकर्ताओं की आवश्यकता के प्रति 1994-95 में केवल रु. 1991-92 में 10, 1992-93 में 17 तथा 1993-94 में 16 लागत गए थे। विस्तार के दौरान वार डकड्यों में न्यूनतम ग्राम विस्तार कावकर्ताओं की आवश्यकता के प्रति 1990-91 प्रत्येक कम से कम एक ग्राम विस्तार कावकर्ता का नियोजन किया जाना था। परिवर्तन मुख्य वर्षों के लिए परिवर्तन के लिए परिवर्तन क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि पॉषित वैजेटिव टेकनॉलॉजी के 400 विव बैंक तथा भारत सरकार के बीच हुए ऋण अर्जुन प्रत्येक 400

(ख) विस्तार स्टाफ के अभाव के कारण कार्य की पूर्ति होना

संचित नहीं किए गए थे।

ही स्थान में आए। कियेकलापी को अरम्भ करने से पूर्व स्टाफ की प्रशिक्षण प्रदान न करने के कारण परिवर्तन के लिए निरन्तर नया था तथा इस तकनीकी ज्ञान के परिणाम केवल 2-3 वर्षों के पश्चात् था। परिवर्तन निदेशक ने संचित (अप्रैल 1997) कि बैटिवर घास को उगाने का तकनीकी ज्ञान बैटिवर घास के माध्यम से संसाधन को अन्य प्रकार की घास आरोपण करके प्रस्थापित किया गया (1993) के अर्जुन उगाई गई बैटिवर घास की विकलता 67 तथा 93 प्रतिशत के बीच थी। तदनुसार परिवर्तन के लिये माना कि घास संचित द्वारा संचित किया गया

डकड्यों में 21.64 लाख रु० की लागत से बैटिवर घास का आरोपण करके संसाधित किया गया था। संसाधित किया जाना था। 1990-93 के दौरान 1387.33 हेक्टेयर क्षेत्र को परिवर्तन की समीक्षा के लिए फाउंडिंग तथा सीमान्त कृषि योग्य भूमि का उद्योग में परिवर्तन बैटिवर घास के साथ एम्. ए. आर. के अर्जुन टैरेस मरम्मत तथा वैजेटिव टी इन्फोर्मेशन

(क) वैजेटिव क्षेत्रों पर निष्कल व्यय

3.9.10.2 कृषि प्रवर्ग

"गोसदन": पशुशाखा

क्र.सं.	विवरण	मूल्य	कुल (करके रूप)
1.	गोसदन के प्राण को जाने वाले मार्ग का निर्माण	0.12	
2.	प्राण की दीवार का गिट चैम्प	0.09	
3.	नए हे शूट तथा स्काई शूट का निर्माण	5.43	
4.	विद्यमान गोसदन भवन में वृद्धि तथा परिवर्तन	1.54	
5.	दो मार्गों में प्राण की दीवार	1.82	
			9.00

(!!) पशुशाखा के विस्तार में पशुशाखाओं द्वारा लिए गए निर्माणकार्यों गोसदन के विस्तार में पशुशाखाओं का निर्माण, मजदूर गैर तथा कार्यालय कक्ष का निर्माण, पशुओं के जन पीने के स्थानों का निर्माण, पशु, विद्युत वाहिनी, वाहिनी कक्ष तथा विद्युत आपूर्ति का प्रतिष्ठान स्थापित है। तथापि सुवैज्ञानिक उद्घाटित किया कि वन मण्डल अधिकारी, नूरपुर ने निम्न टीमा से व्यय किया था:-

परिवहन लागत बढ़त ऊंची थी तथा कर्मक अपन पशुओं की धार्मिक मोह के कारण गोसदन भवन में परिवर्तन निर्देशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि गोसदन की पशुओं की

कियाकालप को बन्द कर दिया था। अतः व्यय अधिकारिता: निम्न रहे।
 स्थानान्तरित किए गए थे। तदनुसार इस गोसदन को कोई पशु नहीं ले जाए गए थे तथा इस वाले 1100 पशुओं के लक्ष्य के प्रति केवल 231 पशु ही 0.95 लाख रु० की लागत से इसे पशुशाखा में कोई वृद्धि नहीं की गई। यह पाया गया था कि 1991-95 के दौरान गोसदन में रखे जाने गोसदन के प्रमुख पशुआधिकारी ने बताया (मार्च 1997) कि गोसदन की क्षमता 50 पशु ही रहती तथा विद्यमान "गोसदन" का विस्तार करके इसकी आवास क्षमता 50 से 200 पशुओं तक बढ़ा दी। परन्तु पशुशाखा निदेशक ने 9 लाख रु० की लागत से 1992-93 के दौरान खजान (नूरपुर) में को गोसदन में रखा जाना था जहाँ यह सामाजिकरूपेण स्वीकार्य तथा इसके सकल होने की आशा "पशुशाखा न्यूनतरण कार्यक्रम" के अन्तर्गत परिवर्तन क्षेत्र के अन्तर्गत एक पशुओं

(क) गोसदन के विकास पर निम्न व्यय

3.9.10.3 पशुशाखा प्रवर्ग

लाभार्थियों के अंश की बर्तनी से सम्बन्धित प्रावधान का प.स.प.आर. में स्पष्ट उल्लेख था।
 को बर्तनी से सम्बन्धित कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं किया गया था। उत्तर तकसंगत नहीं था क्योंकि सदस्यक परिवर्तन अधिकारियों ने बताया (जनवरी-मार्च 1997) कि उनके द्वारा लाभार्थियों के अंश के दौरान 2.69 लाख रु० के मूल्य की सामग्री की 50 प्रतिशत लागत बर्तनी की गई थी।
 ऊना तथा नूरपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से यह प्रकट हुआ कि सम्बद्ध लाभार्थियों से 1991-96

इस प्रकार वन मण्डल अधिकारी अनधिकृत रूप से कार्य की अनुमोदित योजना से पूर्णतः नियमित हुआ था। वन मण्डल अधिकारी द्वारा निदेशक पशुपालन के माध्यम से सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित (मई 1993) कृत कार्य का अनुमान मार्च 1997 तक अनुमोदित नहीं हुआ था।

(ख) "अनुपूरक पशुधन आहार" कार्यक्रम का अनुचित कार्यान्वयन

परियोजना के अनुपूरक पशुधन आहार कार्यक्रमान्तर्गत पोषक आवेग की अवधियों के बीच पशुओं को पोषक संपूरक प्रदान किए जाने थे।

(i) "बछड़ीपालन" क्रियाकलाप के अन्तर्गत, जो इस कार्यक्रम का एक भाग था, पृथक उत्पत्ति की उन्नत सकरीकृत बछड़ियां अपने चौथे मास से 32वें मास तक अथवा प्रसव तिथि तक, जो भी पहले था, अनुपूरक राशन की हकदार थीं। लाभार्थियों को पशुआहार की लागत का 50 प्रतिशत वहन करना था। नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1991-97 के दौरान 158 लाभार्थियों की बछड़ियों के सम्बन्ध में चार मास से 27वें मास की आयु के बीच राशन बन्द कर दिया गया था क्योंकि वे पशु आहार की 50 प्रतिशत लागत को वहन करने के अनिच्छुक थे (99 मामले) अथवा उन्हो ने बछड़ियों को बेच दिया (59 मामले)।

(ii) 1993-94 तक बछड़ा प्रवर्तक क्रियाकलाप पर 2.66 लाख रु0 खर्च किए गए थे जो तत्पश्चात् बन्द कर दिया था। परियोजना निदेशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि क्रियाकलाप को बन्द कर दिया गया था क्योंकि 50 प्रतिशत उपदान के उपरान्त भी क्रियाकलाप लागत बहुत ऊंची होने से कृषक इच्छुक नहीं थे तथा निर्धन कृषक इसका भुगतान करने को तैयार नहीं थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कृषकों को इस कार्य हेतु तैयार किया जाना चाहिए था। इस प्रकार पशुधन को और उत्पादक बनाने का परिवर्तन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ग) स्टालों का पुनर्वास

भूमि के अपकर्ष को कम करने तथा पशुओं से उत्पादन वृद्ध हेतु पशुस्टालों के निर्माण तथा सुधार का उन्नयन किया जाना था। स्टालों का पुनर्वास क्रियाकलाप 1994-95 तक क्रियान्वित किया गया था तथा उसके क्रियान्वयन पर 4.37 लाख रु0 खर्च किए गए थे। परियोजना निदेशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि कृषक अपने स्टालों के पुनर्वास की 50 प्रतिशत लागत का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कृषकों को इस नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए था।

नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि "वन्द्यता क्रियाकलाप का पुनर्वास 1993-94 के बीच नाहन तथा ऊना में 90 हेक्टेयर जमीन पर क्रियान्वित किया गया था जबकि "वनीकरण पुनर्पति" 1994-95 के बीच 2.69 लाख रु० की लागत से नाहन में 25 हेक्टेयर जमीन पर वर्तित किया गया था। तदुपरान्त इन क्रियाकलापों को बन्द कर दिया गया। परियोजना निदेशक ने उसको बन्द करने का कारण गाँव की शासनात जमीन का अनुपलब्ध होना बताया (अप्रैल 1997) उत्तर तकसामात नहीं था क्योंकि क्षेत्र-उपलब्धता में लक्ष्य निर्धारित करने समय किया जाना चाहिए था।

परियोजना क्षेत्र में संसाधनाथ गाँव की शासनात जमीन का 1265 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। "वन्द्यता पुनर्वास" तथा "वनीकरण पुनर्पति" जैसे क्रियाकलापों के माध्यम से

(ख) क्रियाकलापों का अर्पण क्रियान्वयन

रहा। गाँव वैधशाखा वीकियों की स्थापना पर किया गया 5.91 लाख रु० का निवेश अधिकांशतः निफल कम करने तथा गाँववाह कम करने में जलविभाजक पुनर्वास का प्रभाव नहीं मापा जा सका तथा इन इस प्रकार इन गाँव वैधशाखा वीकियों के कार्य न करने के कारण मिट्टी की क्षति

नुरपुर व ऊना के एस०ओ०पी० कार्य नहीं कर रहे हैं। अधिकांशी, नुरपुर व ऊना ने बताया कि जल अवस्था स्तर को मापने वाली मशीन की क्षति के कारण का आकलन धनाभाव के कारण अनुमानित नहीं किया गया था (मार्च 1997)। सहवक परियोजना परियोजना अधिकांशी नाहन द्वारा परियोजना निदेशक को भेजा गया (मई 1996) 0.86 लाख रु० जलधारा में मांग परिवर्तन होने से कार्य नहीं कर रहे थे। जलमांग क्षेत्र को पुनर्स्थापनाथ सहवक सहवक परियोजना अधिकांशी ने बताया कि नाहन की गाँव वैधशाखा वीकी नाले के टूटने से (नाहन, नुरपुर तथा ऊना) ने 26 से 30 मास तक की अवधियों के बीच कार्य नहीं किया। नाहन के की गई थी। यह देखा गया था कि 5.91 लाख रु० की लागत से स्थापित तीन गाँव वैधशाखा वीकियों लागत से 1993-94 तक नाहन, नालागढ़, नुरपुर तथा ऊना में चार गाँव वैधशाखा वीकिया स्थापित किए गये तथा वैज्ञानिक विश्लेषण की परिकल्पना की थी। तदनुसार 6.56 लाख रु० की पर मिट्टी की क्षति को कम करने तथा जलविभाजक के विस्तृत क्षेत्र में गाँव के प्रवाह को घटाने के जलविभाजक पुनर्वास के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु एस०ओ० ने रिपोर्ट्स ठरानों

(क) गाँव वैधशाखा वीकियों को कार्य न करना

परिष्ठात उत्तरजीविता दर दर वाले वनपौधारोपण संतोषजनक माने जाते थे।
कोई मानक निश्चित नहीं किए गए थे। यद्यपि परियोजना निर्देशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि 50
परियोजनागत वन पौधारोपणों के सकल तथा संतोषजनक परिणामों के लिए

(3.) वन पौधारोपणों की अत्यधिक विफलताएं

विशिष्ट अनुमान प्राप्त नहीं किया।
को विभागीय रूप से तैयार करने हेतु सहायक परियोजना अधिकारी ने परियोजना निर्देशक का
इस प्रकार इस क्रियाकलाप पर 16.67 लाख रु० का अनधिकृत व्यय किया गया था। तारों के जाल
प्रयुक्त जस्तीकृत लौहदार उसी विनिर्देशन की थी जैसी उपरोक्त इकाइयों द्वारा प्रयुक्त की गई थी।
उपरोक्त नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दर संविदा पर उपलब्ध परस्परबद्ध श्रृंखलाओं में
तथा टिकाऊ थे जबकि ऐसी संरचनाओं के लिए परस्परबद्ध श्रृंखलाओं का प्रयोग तकनीकी रूप से
नालागद तथा नूरपुर ने बताया (मई 1997) कि जस्तीकृत लौहदार से निर्मित केट रखायी, संशुद्ध
जा सकती थी यदि इसे अनुमानित दर संविदा के प्रति खरीदा होता। सहायक परियोजना अधिकारी,
अधिका के बीच उपलब्ध थी तथा वह 66,866 वर्गमीटर जाली केवल 23.40 लाख रु० में उपार्जित की
माउर निर्यक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमानित दर संविदा पर 35 रु० प्रति वर्गमीटर की दर से उसी
इसके प्रति उसकी विनिर्देशन की परस्परबद्ध श्रृंखलाओं की पूर्वनिर्मित जालिया

तैयार करवाई। जाली का आकार आठ गज बायर सहित 150 मी०मी० था।
सामग्री लागत) की लागत से 66,866 वर्गमीटर जस्तीकृत लौह तार की केट जाली विभागीयक्षेत्र
नालागद, नाहन तथा नूरपुर ने अप्रैल 1995-सितम्बर 1996 के दौरान 40.07 लाख रु० (शुभ तथा
श्रमिकों द्वारा बुने गए जस्तीकृत लौह तार से तैयार किए गए थे। सहायक परियोजना अधिकारी
केट या तो बाजार से खरीदी गई पूर्व निर्मित परस्परबद्ध श्रृंखलाओं की जालियों से या विभागीय
मरे हुए बायर केटों से युक्त स्वरो तथा गारारहित तथा संरचनाओं का निर्माण किया जाना था। वे
"नदी तट संरक्षण" तथा "खड्ड दृष्टीकरण" क्रियाकलापों के अन्तर्गत पथरों से

(4.) परस्परबद्ध श्रृंखलाओं की बजाय जस्तीकृत लौहदार के कम पर परिहारा व्यय

1997)। इस प्रकार इन क्रियाकलापों पर किया गया 1.62 लाख रु० का व्यय अनधिकृत था।
थे। इन क्रियाकलापों के निष्पादनार्थ अप्रैल 1997 में मांगी गए कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई
क्षेत्र के 28 हेक्टेयर में ये क्रियाकलाप 1995-96 के बीच 1.62 लाख रु० का व्यय करके किए गए
दिए। यह पया गया था कि समिति के बावजूद सहायक परियोजना अधिकारी, ऊना द्वारा परियोजना
मार्ग में वन गोचर मार्ग के क्रियाकलाप एमटीआर का अनुमान करते हुए 1994 में समाप्त कर
आरम्भिक अवस्था में किए गए "वनस्पति झाड़ी रोपण" तथा "कृष्येत (निजी)

(5.) परियोजना के अन्तर्गत अनावृत क्रियाकलापों का कार्यान्वयन

नालागढ़, नूरपुर तथा ऊना इकाइयों में 1991-97 के दौरान 58.95 लाख ₹ की लागत से 1242.80 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए वन पौधारोपणों की उत्तरजीविता 10 तथा 49 प्रतिशत के बीच थी। सहायक परियोजना अधिकारी, ऊना ने असन्तोषजनक उत्तरजीविता प्रतिशतता का कारण अल्प वृष्टि तथा घास का अधिक चरना बताया (जनवरी 1997) जबकि सहायक परियोजना अधिकारी, नालागढ़ ने ग्राम वन विकास समिति का गठन न होना तथा ग्राम समुदायों का पौधारोपण क्षेत्रों के संरक्षण में सहभागी न होना बताया (फरवरी 1997)।

सहायक परियोजना अधिकारी, ऊना द्वारा प्रस्तुत कारण कि अधिक कारण से पौधारोपण विफल हुए तर्क संगत नहीं था क्योंकि भूमि की निम्नीकरण को कम करने हेतु अनियन्त्रित चरण का न्यूनीकरण परियोजना में परिकल्पित था तथा इस प्रयोजनार्थ पग उठाए जाने चाहिए थे। सहायक परियोजना अधिकारी, नालागढ़ का उत्तर भी संगत नहीं था क्योंकि परियोजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों के स्टाफ को सांझी सम्पत्ति के संसाधनों के पुष्ट प्रबन्ध को सुनिश्चित करने में लाभग्राहियों को सम्मिलित करने हेतु अतः क्रियाशील योजना में प्रशिक्षित किया जाना था। इस प्रकार इस क्रियाकलाप पर 58.95 लाख ₹ का व्यय अधिकांशतः निष्फल सिद्ध हुआ।

(च) जल भण्डारण संरचनाओं के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय

विश्व बैंक मिशन ने परियोजना निरीक्षण के दौरान (जनवरी 1994) यह संस्तुत किया कि जल भण्डारण की प्रति घनमीटर की लागत को नए निर्माणों में लगभग 20 ₹ तक सीमित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

परन्तु यह पाया गया कि 1994-97 के दौरान मुख्य प्रवाह बांधों, जल संग्रहण संरचनाओं, सिमेण्ट राजगीरी संरचनाओं तथा गाद निरोध बांधों, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 1,70,188 घनमीटर जल थी, का निर्माण चार सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा 57.51 लाख ₹ (नाहन: 22.85 लाख ₹; नालागढ़: 21.77 लाख ₹; नूरपुर: 7.94 लाख ₹ तथा ऊना: 4.95 लाख ₹) की लागत से करवाया गया था। निर्माण की प्रति घनमीटर लागत 22.70 तथा 269 के बीच थी। सिमेण्ट संरचनाओं के मामले में लागत बहुत अधिक थी (जल भण्डारण क्षमता की 269 ₹ प्रति घनमीटर)।

इस प्रकार 34.04 लाख ₹ की संस्तुत सीमा से 23.47 लाख ₹ का व्यय अधिक किया गया था। अतिरिक्त व्यय के मांगे गए कारण सम्बद्ध सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 1997)।

* नालागढ़: 40 हेक्टेयर: 0.61 लाख ₹; 36 से 49 प्रतिशत
नूरपुर: 165.20 हेक्टेयर: 3.68 लाख ₹; 10 से 49 प्रतिशत
ऊना: 1037.60 हेक्टेयर: 54.66 लाख ₹; 10 से 40 प्रतिशत

* एम्प्लॉयमेंट संख्या 3.9.9 (ख), 3.9.10.1 (घ), 3.9.10.4(ग) तथा (घ)

विश्व बैंक समीक्षा मिशन ने गोवर मसि विकास के क्षेत्र में परामर्शदाताओं की मती संदर्भ की थी (जुलाई 1993) एम्प्लॉयमेंट की स्थिति 1996 को हुई है कि यह निम्न किया गया था कि सामान्य पाठ्यक्रम पर इस प्रकार के विद्यार्थियों को विशेषज्ञों की सेवाएं दी जानी थी क्योंकि विश्वविद्यालय परियोजना के लिए सभी सहायक उद्देश्यों के लिए कर्मचारी सेवाएं दी जानी थी। परियोजना निर्देशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि विश्वविद्यालय से परामर्शदाता नहीं लिए जा सकें क्योंकि उन्हें प्रस्तावित पाठ्यक्रम स्वीकार नहीं था।

दोनों बाहिर थे।

उत्पन्न के अनुसार जलविभाजक आयोजना एवं कियान्वयन कार्यालयों में पर्याप्त अर्हता प्राप्त कमी पर सरकार द्वारा लाई गई पाबन्दी के कारण थी। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विश्व बैंक के प्रभावित हुआ। परियोजना निर्देशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि रस्ता की कमी नए पर्यटकों को (जवरी-माव 1997) कि विस्तार स्तर पर विस्तार कर्मियों की तैनाती से परियोजना निष्पादन में पर्याप्तता: 65 कर्मचारियों की कमी है। सभी सहायक परियोजना अधिकारियों ने बताया 142 नियमित कर्मचारी तथा 42 दैनिक वेतनभोगी वर्ष 1990-97 के दौरान परियोजना में लाए गए परियोजना में 25 अधिकारियों तथा 236 कर्मचारियों को लगाया जाना था। इसके प्रति 12 अधिकारी, एम्प्लॉयमेंट तथा एम्प्लॉयमेंट के अनुसार (अगस्त 1994),

जन-शक्ति 3.9.11

अधिकारी ने किया।
अधिकारी ने किया जिसका अनुसार नैरपुर, नालगढ़ व नाहन के सहायक परियोजना अधिकारियों इस प्रकार इन कियान्वयनों पर सर्वाधिक व्यय ऊना के सहायक परियोजना

इकाई का नाम	व्यय के	किया जाने वाला व्यय	आधिकार्य
नाहन	40.91	21.76	19.15
नालगढ़	43.04	21.82	21.22
नैरपुर	117.17	80.51	36.66
ऊना	140.04	91.98	48.06
जॉई	341.16	216.07	125.09
आकड़े (लाख रुपए)			

आधिकार्य व्यय निर्माकृत था।
परियोजना के विभिन्न कियान्वयनों पर सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा

(ख) सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा विभिन्न कियान्वयनों पर किया गया आधिकार्य व्यय

डकई का नाम	अपेक्षित सभितियों वास्तव में गठित	की संख्या	सभितियों	कमी (प्रतिशत)
नाहन	50	12	38	(76)
नालागाई	124	18	106	(85)
नैरपुर	74	25	49	(66)
ऊना	45	13	32	(71)
जाई	293	68	225	

वन क्षेत्रों के पारंपरिक विकासवादी आयोजना संरक्षण वनीकरण तथा विवेकपूर्ण ग्राम हेतु राज्य सरकार ने वन विकास सभितियों के गठनाथ मई 1993 में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना कड़ी परियोजना के लिए भी लागू की गई थी। परियोजनागत सभितियों के संपत्ति अधिसूचना के अन्तर्गत तथा पुस्तिका में अभिज्ञान नामावधियों को सम्मिलित किया जाना था। तदनुसार परियोजना क्षेत्र में कुछ गांव वन विकास सभितियों का गठन किया गया था। वर्ष 1993-97 में गठित की जाने वाली तथा वास्तव में गठित ग्राम वन विकास सभितियों की सहायक परियोजना अधिकारीबद्ध स्थिति निर्माकित थी:

3.9.13 सहायगी प्रबन्धनाथ ग्राम वन विकास सभितियों की स्थापना में कमी

इस प्रकार विश्वविद्यालयों की दिए गए 48.16 लाख रु० का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ। अन्तिम चरण में इन परीक्षा/प्रयोगों के परिणामों को अपनाने में कठिनाता से ही कोई उपयोग होता। अपने किष्कान्धन के छ. वर्ष पहले ही पूर्ण कर चुकी थी। उसने यह भी बताया कि परियोजना के फरवरी 1996 में प्राप्त किए गए थे। इस समय तक परियोजना सात वर्षों की परियोजना अवधि में से परीक्षा, प्रयोगों के व्यय प्राप्त हुए थे। विश्वविद्यालयों से इन परीक्षा/प्रयोगों के परिणाम केवल थे। परियोजना निर्देशक ने बताया (अक्टूबर 1997) कि अक्टूबर 1993 में केवल रखे जाने वाले फरवरी (1996) अन्तःस्थान के परिणाम सहायक परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराए गए यह पाया गया था कि विश्वविद्यालयों द्वारा परियोजना निर्देशक को संप्रेषित (अक्टूबर 1993 तथा वर्ष 1991-97 के दौरान क्रमशः 45 लाख रु० तथा 3.16 लाख रु० के अनुदान दिए गए थे। यद्यपि वार्षिक विश्वविद्यालय सौलन परियोजना से सम्बन्धित थे। परियोजना द्वारा इन विश्वविद्यालयों को सम्बद्ध किया जाना था। इस आशय के लिए कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर तथा औद्योगिकी एवं जलविभाजक की क्षेत्र में राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्धित आंचलिक अन्तःस्थान स्टेशन से एमएआर में परिकल्पित "कृषि पर व्यवहारिक अन्तःस्थान" के अन्तर्गत प्रत्येक

(ग) परिवोजना ने जलविभाजक क्षेत्र में गाव तथा भूखेती की नस्लों को सुरक्षित करने के लिए प्रथम प्रयास किए थे परन्तु कार्यक्रम को आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया था। उन्नीस विशेष अवधि के दौरान कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। यद्यपि परिवोजना में क्षेत्र के पर्याप्त नदी

(ख) क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया था कि परिवोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए कर्मों के दौरान उपरोक्त प्रभाव नहीं दिखाया था।

(क) प्रभावी प्रदर्शन तथा विस्तार किये जायें, विशेषतः फसल उत्पादन में वृद्धिपूर्वक नस्लों की कमी के कारण कृषि प्रयोग के विकास में अपेक्षा उन्नीस नहीं पाई गई थी।

किया था।

गए थे उसकी रिपोर्ट मई 1996 में प्राप्त की गई। एड्सरसी ने निम्नलिखित मुख्य रीतियों का संकेत के एमटीआर के दौरान लाभदायक हो सकती। एड्सरसी की मार्च 1994 में 4.04 लाख रु० दिए मूल्योक्त प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना था ताकि उसकी संस्थितियां विशेष बैंक मिशन द्वारा परिवोजना एक विवेकाधीन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विवेकाधीन मार्च 1994 तक एक एक एमटीआर के अन्तर्गत परिवोजना कार्य का मूल्योक्त करने के लिए एक स्वतंत्र एमटीआर को लगाया जाना था। मूल्योक्त कार्य करने के लिए एड्सरसी के साथ नवम्बर 1991 में

3.9.17 परिवोजना के अन्त में प्राप्त किए गए मूल्योक्त प्रतिवेदन

इस प्रकार उचित स्तर पर परिवोजना किये जायें की प्राप्ति का पर्याप्त अंकन नहीं किया गया था।

कमी अद्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण थी। एमएलएससी की जिला स्तरीय समितियों की बैठकों में परिवोजना निर्देशक ने बताया (अप्रैल 1997) कि बैठकों का आयोजन करने में स्तर पर समन्वय समितियों द्वारा 1990-97 के बीच केवल 25 बैठकों की जा सकी थी।

राज्य स्तर पर निर्धारित 14 बैठकों के प्रति एमएलएससी द्वारा 1990-97 के दौरान केवल 11 बैठकों का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार निर्धारित 56 बैठकों के प्रति जिला स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया था।

परिवोजना किये जायें की प्राप्ति की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर एमएलएससी तथा जिला स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया था।

3.9.16 राज्य/जिला स्तरीय समितियों की बैठकें

अन्तीवर्तक से विभागीय कार्यों के लिए प्रयोग किए गए थे जबकि वाहनमात्र के कारण परिवोजना कार्य की क्षति पहुँची।

वर्ष 1995 तक, 15-35 आयु वर्ग के 80 मिलियन व्यक्तिओं को कादेशील साक्षरता की परिधि में लाने के लिए भारत सरकार ने मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन गठित किया। 15-35 आयु वर्ग के वयस्कों को कादेशील साक्षरता देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यपूर्ण वर्ष 1988 में एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम के रूप में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजना का संचालन किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने वयस्क साक्षरता सम्पूर्ण साक्षरता न समझते हुए 6-14 आयु वर्ग को भी सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल करने का निर्णय लिया।

प्रस्तावना 3.10.1

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान 3.10

विभाग

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

सरकार को वे तथ्य ज्ञान 1997 में संदर्भित किए गए थे। उसका उत्तर प्राप्त

प्रमाणित हुआ।

परियोजना निदेशक ने बताया (दिसम्बर 1996) कि परियोजना का अन्तिम वर्ष 1996 था तथा सहवर्ती मूल्यांकन प्रतिवेदन मई 1996 में प्राप्त किया गया था। इसलिए उस अवस्था में क्षेत्रीय इकाइयों को संसृष्टियां मजाने का कोई नाम नहीं था। वृत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन अगस्त परियोजना की प्राप्त नहीं कर सका, परिणामतः इस पर किया गया 4.04 लाख रु० का व्यय निष्फल

कारवाई नहीं की गई थी।

इन गतिविधियों के निवारणार्थ परियोजना निदेशक द्वारा दिसम्बर 1996 तक कोई

(उ.) आधार वर्ष के आंकड़ों की कमी के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्षेत्रों में परियोजना क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के पश्चात् मूँलित दर में कितना सुधार हुआ था।

रख सके।

(घ) यद्यपि ग्राम वन समितियां गठित की गई थी परन्तु उनके पास संस्थित पौधारोपणों में जबरन की गई वरुडों को निर्यात करने की शक्ति नहीं थी। कुछ बन्द क्षेत्रों में उचित बाँट तथा निगरानी के लिए चौकीदार नहीं थे जबकि पौधारोपण तथा संरक्षण सुरक्षा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा की जा रही थी तो वरुड, बरुजा निकालने तथा वृक्ष गिराने की अर्जमतियां वन विभाग द्वारा की जा रही थी। इस प्रकार परियोजना प्राधिकारी क्षेत्र में वन स्रोतों के प्रबन्धन पर समुचित निगरानी नहीं रख सके।

की अच्छी जानकारी नहीं थी।
गए थे। इन क्षेत्रों में कृषकों को गाव तथा भूमियों की उन्नत नस्लों तथा वृष्य उद्यमों के समन्वित लाभों पर्यवेक्षण परियोजना तथा पर्यवेक्षण प्रबन्धन के अन्तर्गत पर्यवेक्षणों के समन्वय में क्षेत्रीय प्रदर्शन नहीं किए

* बिनासपुर, पन्ना, इमरपुर, कागाड़ा, किन्नार, कुन्ना, लाहौल एवं स्पॉति, मण्डी, शिमला, सोन और ऊना

हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना आरम्भ में वर्ष 1991-92 के दौरान सिरमौर जिले में आरम्भ की गयी थी लेकिन शेष 11 जिलों में यह वर्ष 1992-93 में आरम्भ हुई। राज्य सरकार ने प्रारम्भ में दिसम्बर 1994 तक निरक्षरता उन्मूलन का निर्णय लिया लेकिन बाद में यह लक्ष्य फरवरी 1996 में बढ़ाकर 15 अप्रैल 1996 कर लिया गया।

राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन हेतु सम्बद्ध उपर्युक्तों ने अपने जिलों के परियोजना प्रतिवेदनो के रूप में जिला साक्षरता समितियों के सम्बद्ध जिला साक्षरता प्रतिवेदनो के अन्तर्गत परियोजना प्रतिवेदनो के संस्कारित हो जाती। यद्यपि विभिन्न जिला साक्षरता समितियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदनो के आधार पर तैयार परियोजना प्रतिवेदन राज्य के 11 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने मई 1992 में अर्जमाहित कर दिया था लेकिन सिरमौर जिले का प्रतिवेदन 1991 वर्ष में अर्जमाहित कर लिया गया था।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत व इसी केन्द्रीय योजनागत स्कीम के अंश इस साक्षरता परियोजना का नेतृत्व बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के तत्काल पश्चात् इसे कार्यान्वित किया जाना था ताकि अग्रिम प्रक्रिया के परिणामतः नवशिक्षित व्यक्ति निरक्षर न हो जायें। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की अवधि 12 मास या उपर्युक्त मामलों में अधिकतमानी गयी थी जबकि साक्षरता परियोजना की कुल अवधि 24 मास विहित की गयी थी।

उत्पादक व प्रजननशील आयु वर्ग होने के कारण साक्षरता कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु जनजातियां विशेष लक्ष्य समूह है। 15-35 वर्ष का आयु वर्ग था। इस अभियान में महिलाएं व कन्याएं, अर्जमाहित जातियां एवं अर्जमाहित

(!!) प्रत्येक लक्ष्य/केन्द्र बिन्दु वर्ग में 80-85 प्रतिशत साक्षरता लक्ष्य।

(!) 6-35 वर्ष के आयु वर्ग में सम्पूर्ण निरक्षरता उन्मूलन व

प्रमुख रणनीति बनाया: राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की निम्नांकित मुख्य उद्देश्यों के साथ

[परिच्छेद 3.10.8(!!!)]

यद्यपि राज्य सरकार ने नवम्बर 1994 में हमीरपुर जिला पूर्त: साक्षर घोषित कर दिया था लेकिन सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत पंजीकृत 24,000 शिक्षार्थियों में से 3,000 शिक्षार्थियों (लगभग 13 प्रतिशत) ने अभियान छोड़ दिया था। अतएव हमीरपुर के लिए पूर्त: साक्षरता की घोषणा तथ्यों पर आधारित नहीं थी।

**

[परिच्छेद 3.10.7(ख)]

निरक्षर व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1991 की जनगणना से अपनाई गई थी। परिणामत: 1.91 लाख निरक्षर व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के प्रति हमीरपुर, कांगड़ा व किन्नौर की जिला साक्षरता समितियों में वार्षिक संख्या 1.11 लाख अभियान की गई थी। वार्षिक परियोजना लागत जनगणना आर्कड के आधार पर तैयार की गई थी, अत: इन तीन जिलों में परियोजना लागत 23.62 लाख रु० अत्युक्त थी।

**

(परिच्छेद 3.10.5)

जिला साक्षरता समितियों ने प्रत्येक जिले के लिए परियोजना तैयार करने से पूर्व 15-35 वर्षों के आयु वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक श्रेणी अर्थात् पुरुषों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न आयु वर्गों के निरक्षर व्यक्तियों को जात करने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया।

**

3.10.4 मुख्य बातें

हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर व सिरमौर जिलों की चार साक्षरता समितियों की मई-जुलाई 1997 के दौरान लेखापरीक्षा में 1991-97 वर्षों में स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गयी जिसे शिक्षा विभाग स्थित प्रौढ शिक्षा निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच से अनुसूचित किया गया। इस समीक्षा के परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों में प्रतिबिम्बित हैं।

3.10.3 लेखापरीक्षा व्यति

केंद्रीय स्तर पर स्कीम के समग्र प्रशासन व बजट निवृत्त के लिए मानव संसाधन विकास विभाग (शिक्षा विभाग) उत्तरदायी था। शीघ्रस्थ राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान किया निवृत्त किया। राज्य साक्षरता परिषद राज्य स्तर पर उच्चतम कार्यान्वयन निकाय थी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री था। प्रौढ शिक्षा निदेशक ने सम्बद्ध उपायुक्तों की अद्यक्षता वाली जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में स्कीम निष्पादित करनी थी।

3.10.2 साठानात्मक टीया

- ** प्रति शिक्षा वार्षिक लागत सरकार द्वारा अनुमानित दरों से ज्यादा थी। इसके फलस्वरूप हमीरपुर, किन्नौर व सिरमौर जिलों में कुल 1.16 लाख शिक्षार्थियों पर 9.06 लाख रु० अतिरिक्त व्यय हुआ। (परिच्छेद 3.10.8.1)
- ** 12 जिलों में वार्षिक आवश्यकताओं से 37.91 लाख रु० की अधिक पुस्तकें मुहित की गयीं। इन पुस्तकों के उपयोग की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान पूर्ण हो गया था। [परिच्छेद 3.10.10(1)]
- ** इन तीन जिलों में जिला साक्षरता समितियों ने निवृत्त कियारिषि का उल्लेखन करके तथा मूढता एवं लेखन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना खूले बाजार से 9.56 लाख रु० की लेखन सामग्री खरीदी। (परिच्छेद 3.10.11)
- ** नमूना परीक्षित चार जिलों में वार्षिक आवश्यकताओं से 3.73 लाख रु० की पुस्तकें व पत्रिकाएँ अधिक खरीदी गयीं। पुनः इन जिलों में 2.99 लाख रु० की पत्रिकाएँ व पुस्तकें वार्षिक आवश्यकताओं से अधिक दी गयीं। [परिच्छेद 3.10.11(क)(!!) एवं (!!!)]
- ** सम्पूर्ण साक्षरता अभियान व साक्षरता अभियान के मध्य न्यूनतम अन्तराल होना चाहिए था ताकि नवसाक्षर व्यक्ति पुनः निरक्षर न बन जाए। नमूना परीक्षित जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की पूर्णता तिथि के दो से 12 मास के अन्तराल के बाद साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। (परिच्छेद 3.10.13.3)
- ** यद्यपि सिरमौर जिले में 2500 जनजाति केन्द्र स्थापित किए जाने थे लेकिन एक भी केन्द्र की स्थापना नहीं हुई थी। [परिच्छेद 3.10.13.5(ग)]
- ** 1992-97 वर्षों में विभिन्न विभागों की प्रदत्त 16.26 लाख रु० जून 1997 तक असमायोजित रहे। (परिच्छेद 3.10.14.1)
- ** हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने भारत सरकार की लेखापरीक्षा विवरणियाँ और प्रयुक्त प्रमाणपत्र नहीं भेजे जबकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं पूर्ण कर ली गयीं थीं। हमीरपुर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने

नमूना परीक्षाएँ चार जिलों में जनवरी 1993 व जून 1993 के मध्य 9-45 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षर व्यक्तियों का पहचान सर्वेक्षण शुरू किया गया था लेकिन लक्ष्य/समूहबद्ध पहचान पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था। सर्वेक्षण करने में एक से 15 मास का विलम्ब हुआ।

निरक्षर व्यक्तियों को जात करने हेतु सर्वेक्षण करना था।
 जनजातियों के विभिन्न वर्गों अर्थात् 6-14 वर्ष, 15-35 वर्ष और 36 वर्ष तथा अधिक की आयु के केंद्रित करने हेतु प्रत्येक श्रेणी अर्थात् पुरुषों व महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित प्रत्येक जिले के लिए परिवर्तनार्थ तैयार करने से पूर्व 15-35 वर्षों के आयु वर्ग पर विशेष ध्यान रकम के माहिरीन सिद्धान्तों के अनुसार समूह जिला साक्षरता समितियों ने

3.10.5 सर्वेक्षण व पहचान

[परिच्छेद 3.10.16(ख)(1)]

किसी जिले की 60 प्रतिशत लक्षित जनसंख्या के लिए साक्षरता के लिए साक्षरता समिति कायम किया गया था।

[परिच्छेद 3.10.15(ग) एवं 3.10.16]

सरकार ने आरम्भ में दिसम्बर 1994 तक निरक्षरता समाप्त करने का निर्णय लिया जिसे तदनुसार सशोधित करके अप्रैल 1996 कर लिया गया। मई 1996 तक लक्ष्यों की लक्ष्य में 56 प्रतिशत की गिरावट आई। 12 जिलों में से 11 जिलों में रकम का समवर्ती मूल्यांकन नहीं किया गया था और 12 जिलों में से 9 जिलों में कोई बाह्य मूल्यांकन नहीं किया गया था।

[परिच्छेद 3.10.14.4(1) एवं 3.10.14.5]

हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने 1993-97 वर्षों में 8.96 लाख रु० कैम्पेडर डायरियों, शैलों, फर्नीचर, टायरों, पथर के कबले जैसी सामग्री की खरीद पर खर्च किए जो रकम में आवंटित नहीं थी। चार जिलों में जिला साक्षरता समितियों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.10.14.2 एवं 3.10.14.3)

निर्दिष्ट रूप से बैंक समाधान नहीं किए।
 1994 में पूर्ण हो गयी थी। हमीरपुर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने वृत्तव्य तैयार नहीं किया था जबकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परिवर्तन मातृ सामग्री/अपने वृत्तव्य नहीं की। जिला साक्षरता समिति, किन्नौर ने कांगड़ा की जिला साक्षरता समितियों ने 13.31 लाख रु० की अप्रत्यक्ष साक्षरता अभियान के व्यय की सही तरह से प्रदर्शित नहीं करती थी। हमीरपुर व सिरमौर के जैन-बौद्ध मिश्रित कर लिए और वे लक्ष्य सम्पूर्ण

जिला साक्षरता समितियों ने बताया (जून 1997) कि राज्य की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आयु वर्गबद्ध सर्वेक्षण अपेक्षित नहीं थे। इस स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों की दृष्टि से यह अन्तर मान्य नहीं था। सरकार ने मार्गदर्शक सिद्धान्तों की अनुपालना न करने के कारण सूचित नहीं किया था।

3.10.6 स्कीम का निधीयन

केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने परियोजना की लागत 2:1 के अनुपात में वहन करनी थी। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के जिलों के लिए यह अनुपात 4:1 था। केन्द्रीय अनुदान प्रत्यक्षतः जिला साक्षरता समितियों को निस्तारित किया गया था। राज्य सरकार ने भी उन सम्बद्ध जिला साक्षरता समितियों को प्रत्यक्षतः अपना अंश निस्तारित कर दिया था जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् स्कीम के कार्यान्वयन अभिकरण थे।

3.10.7 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशक के पास सम्पूर्ण राज्य में 1991-97 वर्षों के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन पर हुए कुल व्यय की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

नमूना परीक्षित जिलों में 1992-97 वर्षों के दौरान स्कीम का बजट प्रावधान व वास्तविक व्यय निम्नांकित था:

वर्ष	स्कीम का नाम	बजट आकलन			निस्तारित राशि			व्यय		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
		(लाख रुपए)								
1991-92	टीएलसी	43.33	21.67	65.00	25.00	-	25.00	2.02	-	2.02
	पीएलसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992-93	टीएलसी	96.69	48.34	145.03	56.00	27.75	83.75	34.76	27.34	62.10
	पीएलसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993-94	टीएलसी	-	-	-	27.00	14.69	41.69	36.37	12.98	49.35
	पीएलसी	2.66	1.34	4.00	1.33	-	1.33	-	-	-
1994-95	टीएलसी	-	-	-	-	15.43	15.43	6.97	4.61	11.58
	पीएलसी	36.69	18.34	55.03	16.20	4.04	20.24	5.96	0.44	6.40
1995-96	टीएलसी	-	-	-	-	5.32	5.32	3.99	-	3.99
	पीएलसी	3.91	1.96	5.87	9.69	13.40	23.09	16.01	10.56	26.57
1996-97	टीएलसी	-	-	-	-	-	-	7.60	0.15	7.75
	पीएलसी	50.23	25.11	75.34	25.00	2.00	27.00	9.82	3.92	13.74
जोड़	टीएलसी	140.02	70.01	210.03	108.00	63.19	171.19	91.71	45.08	136.79
	पीएलसी	93.49	46.75	140.24	52.22	19.44	71.66	31.79	14.92	46.71

लेखापरीक्षा में निम्नांकित तथ्य अवलोकित हुए:

(क) स्कीम के अनुसार सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की पूर्णता के बाद अव्ययित राशियां साक्षरतोत्तर अभियान के लिए आगामी केन्द्रीय अनुदान के प्रति समायोजित की जानी थीं। इन चार जिलों के लिए 2.10 करोड़ रुपए के सम्पूर्ण साक्षरता अभियान संस्वीकृत किए गए थे (नवम्बर 1991- नवम्बर 1992)। भारत सरकार व राज्य सरकार ने केवल 1.71 करोड़ रु० निस्तारित किए जिनके प्रति चार जिला साक्षरता समितियों ने प्रत्येक जिले में परियोजना की समाप्ति तक 1.37 करोड़ रु० का व्यय किया। कांगड़ा, किन्नौर व सिरमौर की तीन जिला साक्षरता समितियों के पास 34.40 लाख रु० (केन्द्रीय अंश: 16.29 लाख रु० तथा राज्यांश: 18.11 लाख रु०) के अव्ययित अनुदान या तो सावधि जमा राशियों के रूप में या बचत बैंक खातों में पड़े थे।

(ख) वर्ष 1991 की आम जनगणना के आधार पर हमीरपुर, कांगड़ा व किन्नौर की जिला साक्षरता समितियों ने 1.91 लाख निरक्षर व्यक्तियों के लिए अस्थाई रूप से 1.45 करोड़ रु० की परियोजना लागत संगणित की थी। इन जिला साक्षरता समितियों द्वारा जनवरी-जून 1993 में विशिष्ट सर्वेक्षण करवाए जाने के बाद निरक्षर व्यक्तियों की वास्तविक संख्या 1.11 लाख पाई गई। अतएव इन अस्थाई आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निस्तारित निधि का सम्पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। इस अत्युक्त लागत को अपनाने के कारण वास्तविक आवश्यकता से 23.62 लाख रु० (केन्द्रीय अंश: 14.44 लाख रु० तथा राज्यांश: 9.18 लाख रु०) अधिक निस्तारित किए गए।

3.10.8 प्रत्यक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(i) चार जिला साक्षरता समितियों द्वारा 9-45 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वेक्षणों के दौरान पहचाने गए निरक्षर व्यक्तियों की स्थिति नीचे सारणीकृत है:

क्रमांक	जेटएसएस का नाम	पहचान किए निरक्षर	वास्तविक पंजीकरण	अपंजीकृत निरक्षर	छोड़ने वाले	कुल मूल्यांकित	सफल घोषित	सफलता की प्रतिशतता
1.	हमीरपुर	24,000	24,000	--	3,000	21,000	21,000	100
2.	कांगड़ा	80,921	70,562	10,359	5,888	33,410	24,940	75
3.	किन्नौर	5,468	5,468	--	218	5,250	5,250	100
4.	सिरमौर	1,00,700	86,080	14,620	24,325	61,755	45,322	73
	जोड़	2,11,089	1,86,110	24,979	33,431	1,21,415	96,512	79

परियोजना की अवधि (अक्टूबर 1991 से जनवरी 1997) में वास्तविक पंजीकरण 1.86 लाख था जिसके फलस्वरूप अभिज्ञात निरक्षर व्यक्तियों के प्रति 24,979 की गिरावट आई। पंजीकृत निरक्षर व्यक्तियों में से 33,431 ने विभिन्न चरणों में अभियान छोड़ दिया था। परियोजना की अवधि की समाप्ति पर लब्ध स्तर ज्ञात करने के लिए मूल्यांकित 1.21 शिक्षार्थियों में से 96,512 शिक्षार्थी (79 प्रतिशत) सफल घोषित किए गए।

जिला साक्षरता समितियों ने पहचान किए गए सभी निरक्षर व्यक्तियों को शामिल न किए जाने तथा क्षिप्तियों को प्रेरणा के अभाव, जीविकोपार्जन हेतु श्रमिकों के अन्य स्थानों को स्थानान्तरण तथा कृषि व्यवसाय से सम्बद्ध किया (जून 1997)। उन्होंने बताया कि अपंजीकृत व्यक्तियों तथा क्षिप्तियों को साक्षरतोत्तर अभियान में शामिल किया जाएगा। सिरमौर व हमीरपुर की जिला साक्षरता समितियों का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि उन जिलों में साक्षरतोत्तर अभियान स्कीम की समयावधि क्रमशः अगस्त व दिसम्बर 1996 में समाप्त हो गयी थी।

(ii) हमीरपुर, कांगड़ा व किन्नौर की जिला साक्षरता समितियों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सफलता दर 67 प्रतिशत से 100 प्रतिशत थी। जिला साक्षरता समिति, सिरमौर के पास अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के मूल्यांकन सम्बन्धी कोई पृथक् सूचना नहीं थी जबकि विशिष्ट समूहबद्ध लक्ष्य एवं उपलब्धियां एकत्रित की जानी थी।

(iii) राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले को पूर्णतः साक्षर घोषित कर लिया था (नवम्बर 1994)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत पंजीकृत 24,000 शिक्षार्थियों में से 3,000 शिक्षार्थियों (लगभग 13 प्रतिशत) ने अभियान छोड़ दिया था। अतएव सम्पूर्ण साक्षरता की घोषणा वास्तविक लक्ष्यों पर आधारित नहीं थी।

3.10.8.1 प्रति शिक्षार्थी लागत

स्कीम के अनुसार प्रति शिक्षार्थी अनुमोदित लागत सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए 65 ₹0 तथा साक्षरतोत्तर अभियान के लिए दो वर्ष तक प्रति वर्ष 40 ₹0 प्रति नवसाक्षर थी। भारत सरकार ने इन मापदण्डों के आधार पर योजना की सम्पूर्ण लागत अनुमोदित करनी थी। जिला साक्षरता समितियों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:-

भारत सरकार द्वारा हमीरपुर, कांगड़ा व किन्नौर की योजनाएं क्रमशः 69.40 ₹0, 74.15 ₹0 तथा 114.15 ₹0 की प्रति शिक्षार्थी उच्च लागत पर अनुमोदित की गयी थी। सिरमौर जिले के लिए लागत मानदण्डों के अनुसार अनुमोदित की गई। इन अधिक दरों से योजनाओं का अनुमोदन करने के कारण अभिलेखों में मौजूद नहीं थे। संवीक्षा से पता चला कि प्रति शिक्षार्थी वास्तविक लागत अधिक (हमीरपुर: 75.80 ₹0, किन्नौर: 139.90 ₹0 तथा सिरमौर : 72.10 ₹0) थी जिसके फलस्वरूप इन तीन जिलों में कुल 1.16 लाख शिक्षार्थियों पर 9.06 लाख ₹0 का अतिरिक्त व्यय हुआ। यद्यपि हमीरपुर की जिला साक्षरता समिति ने इसके लिए कोई कारण नहीं बताए लेकिन किन्नौर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने बताया (जून-जुलाई 1997) कि प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिक पुस्तकें दिए जाने के कारण अधिक व्यय हुआ।

3.10.8.2 परियोजनाएं शुरू करने व पूर्ण करने में विलम्ब

भारत सरकार ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की अवधि 16 मास निर्धारित की थी। चार जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू करने की नियत व वास्तविक तिथियां एवं पूर्णता

* विभक्तना प्राइमरी, II व III: सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के लिए विहित शिक्षण प्राइमरी-3

(!) यद्यपि कागड़ा व निरमौर जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान क्रमशः 1992-93 व 1991-92 में शुरू किया गया था लेकिन इन जिलों में आर०पी०/एम०टी०/बी०आई० को 1993-94 व 1992-93 में प्रशिक्षण दिया गया।

है:

बल देना था। चार जिला साक्षरता समितियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्नांकित तथ्य प्रकट प्रशिक्षण के अन्तिम दौर में अन्ततः शिक्षा विभाग के मूल्यांकन व साक्षरता अभियान के संचालन पर दोना प्राइमरी II व III की शुरुआत व वास्तविक कार्यकाल से आरम्भ होना था। एक दिवसीय के कियेकालप्राप्त पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रत्येक दो दिवसीय दौरे व तीसरे दौर में क्रमशः हिम दिन के आरम्भिक प्रशिक्षण में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के समय उद्देश्यों व हिम दोना प्राइमरी-1 पुनरावलोकन दौरों में 9 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना था। योजना के संचालन से पहले दिए जाने वाले 4 'डेन्स' (एम०टी०) तथा 'वॉलटेयर इन्सर्टेक्ट्स' को 4+2+2+1 दिन के जिला स्तर पर "सिरोस पर्यन्त" (आर०पी०) "खुद स्तर पर "मास्टर

3.10.9 प्रशिक्षण

अनाधिकृत था क्योंकि जून 1997 तक भारत सरकार से समवर्धित नहीं मागी गई थी। निम्न विधियों के पश्चात् सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परिवर्तित जायी रखना

स्थानान्तरण तथा प्रेरणा के अभाव के कारण है। सरकार/राज्य सरकार से निधि की विलम्बित प्राप्ति, दुर्गम क्षेत्र, कर्मचारियों के बाधकार जिला साक्षरता समितियों में बतया (जून 1997) कि ये विलम्ब मुख्यतः भारत

करने में 2 से 8 मास का विलम्ब हुआ तथा उनकी पूर्णता में भी 8 से 42 मास का विलम्ब हुआ। यह स्पष्ट होगा कि चार जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परिवर्तित शुरु

जिले का नाम	नियत विधियाँ	वास्तविक विधियाँ	विलम्ब
निरमौर	शुरु करने की पूर्णता की	शुरु करने की पूर्णता	11
कान्हा	शुरु करने की पूर्णता की	शुरु करने की पूर्णता	8
कान्हा	शुरु करने की पूर्णता की	शुरु करने की पूर्णता	42
दुमौरपुर	शुरु करने की पूर्णता की	शुरु करने की पूर्णता	12
आमल 1991	नवम्बर 1992	अक्टूबर 1991	2
अधिल 1992	जुलाई 1993	दिसम्बर 1992	8
अधिल 1992	जुलाई 1993	नवम्बर 1992	4
अधिल 1992	जुलाई 1993	जुलाई 1992	3

विधियाँ निम्नांकित थीं:

(iii) जिला साक्षरता समिति, सिरमौर ने स्थान पर ही निविदाएं एकत्रित करके करवी 1996 में 0.94 लाख रु0 की लागत से एक निर्जी फर्म से 10,000 पुस्तकें (हिम वीतना-1) मुद्रित करवाईं जबकि जुलाई 1997 तक प्रौढ शिक्षा निदेशालय के पास 31,546 पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध थीं और जिला साक्षरता समिति, सिरमौर के स्वयं के स्टॉक में मार्च 1996 तक 1,945 ऐसी पुस्तकें पड़ीं थीं। इसके परिणामस्वरूप 0.94 लाख रु0 का अपत्य है।

हानि हुई।

निरक्षर व्यक्तियों के सर्वेक्षण के बिना पुस्तकें मुद्रित करवाए जाने के फलस्वरूप 37.91 लाख रु0 की 1991 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया और सर्वेक्षण बाद में करवाया गया। इस प्रकार प्रौढ शिक्षा निदेशक ने बताया (जून 1997) कि पुस्तकों का मुद्रण व वितरण

पूर्ण हो चुका था।

(1) राज्य सरकार मुद्रणालय में अस्थाई आकलनों के आधार पर राज्य में 1.15 करोड़ रु0 की कुल 33.85 लाख पुस्तकें (हिम वीतना: 31.95 लाख व प्राथमिक मातृशिक्षक: 1.90 लाख) मुद्रित करवाई गईं। 22.34 लाख पुस्तकों की वार्षिक आवश्यक्ता (हिम वीतना: 21.62 लाख तथा प्राथमिक मातृशिक्षक: 0.72 लाख) के प्रति 1991-93 वर्षों में प्रौढ शिक्षा निदेशक के माध्यम से जिला साक्षरता समितियों को 32.22 लाख पुस्तकें (हिम वीतना: 30.70 लाख तथा प्राथमिक मातृशिक्षक: 1.52 लाख) दी गईं। जुलाई 1997 तक 4.94 लाख रु0 की कुल 1.63 लाख पुस्तकें (हिम वीतना: 1.25 लाख तथा प्राथमिक मातृशिक्षक: 0.38 लाख) प्रौढ शिक्षा निदेशालय के स्टॉक में पड़ीं थीं। इस प्रकार 37.91 लाख रु0 की 11.51 लाख पुस्तकें (हिम वीतना: 10.33 लाख तथा प्राथमिक मातृशिक्षक: 1.18 लाख) वार्षिक आवश्यक्ता से आधिक मुद्रित करवाई गईं थीं। इन पुस्तकों के उपयोग की संभावना मायब है क्योंकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राज्य के सभी जिलों में

राज्य सरकार मुद्रणालय में अस्थाई आकलनों के आधार पर राज्य में 1.15 करोड़ रु0 की कुल 33.85 लाख पुस्तकें (हिम वीतना: 31.95 लाख व प्राथमिक मातृशिक्षक: 1.90 लाख) मुद्रित करवाई गईं। 22.34 लाख पुस्तकों की वार्षिक आवश्यक्ता (हिम वीतना: 21.62 लाख तथा प्राथमिक मातृशिक्षक: 0.72 लाख) के प्रति 1991-93 वर्षों में प्रौढ शिक्षा निदेशक के माध्यम से जिला साक्षरता समितियों को 32.22 लाख पुस्तकें (हिम वीतना: 30.70 लाख तथा प्राथमिक मातृशिक्षक: 1.52 लाख) दी गईं। जुलाई 1997 तक 4.94 लाख रु0 की कुल 1.63 लाख पुस्तकें (हिम वीतना: 1.25 लाख तथा प्राथमिक मातृशिक्षक: 0.38 लाख) प्रौढ शिक्षा निदेशालय के स्टॉक में पड़ीं थीं। इस प्रकार 37.91 लाख रु0 की 11.51 लाख पुस्तकें (हिम वीतना: 10.33 लाख तथा प्राथमिक मातृशिक्षक: 1.18 लाख) वार्षिक आवश्यक्ता से आधिक मुद्रित करवाई गईं थीं। इन पुस्तकों के उपयोग की संभावना मायब है क्योंकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राज्य के सभी जिलों में

3.10.10 शिक्षण सामग्री का मुद्रण

(ii) नई दिल्ली स्थित सेक्टर फोर मीडिया स्टडीज द्वारा बाह्य मूल्यांकन अध्येतन प्रणाली को छोड़कर वी0आइ0 को कोई प्राथमिक मातृशिक्षक नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन नए वी0आइ0 को कोई प्राथमिक मातृशिक्षक नहीं दिया गया जो कुछ पुराने वी0 आइ0 के कार्बकम छोड़ने पर कार्बकम में शामिल हुए थे। जिला साक्षरता समिति, कांगड़ा ने सूचित किया (जून 1997) कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सभी वी0आइ0 को निर्धारित प्राथमिक प्रदान किया गया था।

कि उपर्युक्त था।

स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि वी०आइ० को अपेक्षित संख्या में पुस्तकें/स्टैंट व पैंसिलें नहीं दी गई थी जैसा ने पुनः बताया कि शिक्षार्थी सामग्री आवश्यकता अनुसार ही वितरित की गई थी लेकिन उनके उत्तर ही पुस्तकें आपूर्ति की जानी चाहिए थीं। हमीरपुर, कांगड़ा व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियाँ क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा इन जिला साक्षरता समितियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने आवश्यकता से अधिक पुस्तकें आपूर्ति की थीं। उनका तर्क मान्य नहीं था हमीरपुर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने बताया (जून 1997) कि

(v) समितियों ने शेष 17.6 हजार वी०आइ० को कोई भी स्टैंट या पैंसिल नहीं दी।
हजार पैंसिलें ही दी जबकि हमीरपुर, कांगड़ा व किन्नौर की जिला साक्षरता आवश्यकता के प्रति 12 हजार वी०आइ० को केवल 12 हजार स्टैंट व 12 जिला साक्षरता समिति, सिरमौर ने 29.6 हजार स्टैंटों व इतनी ही पैंसिलों की

(iv) पुस्तकों की आवश्यकता के प्रति कोई भी पुस्तक नहीं दी गई।
जिला साक्षरता समितियों द्वारा 5,410 वी०आइ० को दी जाने वाली 16.2 हजार वी०आइ० को केवल 59.5 हजार पुस्तकें दी गई जबकि हमीरपुर व किन्नौर की को दी जाने वाली 72.6 हजार ग्रहमर की आवश्यकता के प्रति 19.8 हजार कांगड़ा व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों द्वारा 24.2 हजार वी०आइ०

(iii) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की पूर्णा (हमीरपुर: जुलाई 1994; कांगड़ा: जनवरी 1997; किन्नौर: मार्च 1994 व सिरमौर: अक्टूबर 1993) के पश्चात् 0.76 लाख रु० की 16,490 स्टैंट व 0.08 लाख रु० की 8,080 पैंसिलें सम्बद्ध जिला साक्षरता समितियों के स्टॉक में अविलरित पड़ी थीं।

(ii) वार जिलों में 2.99 लाख रु० की शिक्षार्थी सामग्री जैसे पैंसिलें व स्टैंटें कुछ शिक्षार्थियों को आवश्यकता से अधिक दी गई जबकि यही सामग्री 48 हजार शिक्षार्थियों को विरकल नहीं दी गई।

(i) वार जिलों में 2.93 लाख रु० की 59.1 हजार स्टैंट व 0.80 लाख रु० की 44.5 हजार पैंसिलें अधिक खरीदी गयीं जिससे 3.73 लाख रु० का अपव्यय हुआ।

है:
(क) परिवोजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को शिक्षा प्रहमर के अतिरिक्त एक स्टैंट व एक पैंसिल दी जानी थी। नमूना परीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट

3.10.11 शिक्षक व शिक्षार्थी सामग्री का अधिक उपार्जन व आपूर्ति

(ख) स्कीम में शिक्षार्थियों व वी0आई को वितरणार्थ अभ्यास पुस्तिकाओं के क्रय का कोई प्रावधान नहीं था। चार जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि:

(i) इन साक्षरता समितियों ने 5.24 लाख रु0 की 2.29 लाख अभ्यास पुस्तिकाएं (हमीरपुर: 25,060; कांगड़ा: 441; किन्नौर: 25,719 तथा सिरमौर: 1,78,150) अनधिकृत रूप से स्थानीय बाजार से बिना निविदाएं आमंत्रित किए खरीदीं।

(ii) हमीरपुर, कांगड़ा व किन्नौर की जिला साक्षरता समितियों ने राज्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना व क्रियाविधि को अपनाए बिना बाजार से 9.56 लाख रु0 की लेखन सामग्री (चाक, चाटों, स्लेटों व पैसिलों सहित) खरीदीं। यद्यपि कांगड़ा व किन्नौर की जिला साक्षरता समितियों ने कोई वैध कारण नहीं दिए लेकिन हमीरपुर की जिला साक्षरता समिति ने बताया (जून 1997) कि समयाभाव के कारण अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए जा सके। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि खरीददारियां करते समय विहित क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए थी।

3.10.12 प्रबन्धन

(i) ग्राम्य अभियान समितियां

यद्यपि स्कीम की सफलता के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम्य अभियान समिति का गठन नितान्त अनिवार्य था क्योंकि ये समितियां पठन-पाठन क्रियाकलाप के संचालन में नियमितता सुनिश्चित करने, अत्यधिक क्षिप्तियों से सम्बद्ध समस्याओं को सुलझाने तथा स्थानीय संसाधन समर्थन उपलब्ध करवाने के लिए थीं लेकिन जिला साक्षरता समिति हमीरपुर ने वर्ष 1992-93 में ऐसी कोई समितियां गठित नहीं कीं। वर्ष 1993-94 व 1994-95 में भी जिले के 1,348 गांवों में से 1,151 गांवों में कोई ग्राम्य अभियान समितियां गठित नहीं की गईं।

हमीरपुर की जिला साक्षरता समिति ने इस गिरावट को ग्राम्य अभियान समितियों की समीक्षा न करने से सम्बद्ध किया (जून 1997)। यह भी बताया गया कि वर्तमान स्थिति से वे अवगत नहीं थे। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि ग्राम्य अभियान समितियां गठित की जानी चाहिए थीं जैसा कि नियत था।

(ii) ग्राम्य शिक्षा समितियां

प्राथमिक शिक्षा की सफलता के लिए ग्राम्य शिक्षा समितियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने नियमित रूप से विद्यालय में न आने वाले बच्चों पर नजर रखनी थी तथा उनके माता-पिता से सम्पर्क करके उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें राजी करवाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रदर्शित हुआ कि हमीरपुर, कांगड़ा व किन्नौर जिलों के

किस्सी भी गांव में कोई भी ग्राम्य शिक्षा समिति गठित नहीं की गई।

हमीरपुर की जिला साक्षरता समिति ने ग्राम्य शिक्षा समितियां गठित न करने को प्रतिबद्ध स्वयंसेवक उपलब्ध न होने से सम्बद्ध किया (जून 1997) जबकि कांगड़ा की जिला साक्षरता समिति ने बताया (जून 1997) कि इन समितियों के कार्य क्रमशः पंचायत व वार्ड स्तरीय अभियान समितियों को सौंपे गए थे। किन्नौर की जिला साक्षरता समिति ने बताया (जुलाई 1997) कि ग्राम्य शिक्षा समितियों के कर्तव्य ग्राम्य अभियान समितियों को सौंपे गए थे। इस प्रकार हमीरपुर की जिला साक्षरता समिति द्वारा प्रेरणास्पद भूमिका के अभाव में तथा कांगड़ा व किन्नौर की जिला साक्षरता समितियों द्वारा उठाए गए अपर्याप्त पगों के कारण ग्राम शिक्षा समितियां स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.10.13 साक्षरतोत्तर अभियान

3.10.13.1 वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

नमूना परीक्षित जिलों की साक्षरतोत्तर अभियान योजनाएं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अक्टूबर 1993 से दिसम्बर 1996 के बीच 1.40 करोड़ ₹* में अनुमोदित की थीं। 1.40 करोड़ ₹ के प्रति 1993-97 वर्षों में केवल 71.66 लाख ₹ ही निस्तारित किए गए थे जिनमें से केवल 46.71 लाख ₹ उसी अवधि में खर्च कर लिए गए और 24.95 लाख ₹ शेष रह गए। अव्ययित राशि बैंकों में पड़ी थी (जून-जुलाई 1997)।

3.10.13.2 प्रत्यक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(i) हमीरपुर, किन्नौर व सिरमौर जिलों में साक्षरतोत्तर अभियान का सूत्रपात क्रमशः फरवरी 1995, अप्रैल 1995 व अप्रैल 1994 में किया गया था। ये योजनाएं जून 1997 तक पूर्ण नहीं हुई थीं जबकि इनकी पूर्णता की विहित अवधियां क्रमशः दिसम्बर 1996, जुलाई 1997 व अगस्त 1996 में समाप्त हो चुकी थीं। जिला कांगड़ा में जहां कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जनवरी 1997 में पूर्ण हुआ था साक्षरतोत्तर अभियान योजना अप्रैल 1997 में शुरू की गई थी।

हमीरपुर, किन्नौर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने साक्षरतोत्तर अभियान की पूर्णता में विलम्ब का कारण नवसाक्षर व्यक्तियों का उनकी व्यावसायिक समस्याओं के कारण अनियमित रूप से भाग लेना बताया (जून-जुलाई 1997)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला साक्षरता समितियों ने इन परियोजनाओं की समयवृद्धि हेतु भारत सरकार को आवेदन नहीं किया था।

(ii) किन्नौर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों के अन्तर्गत साक्षरतोत्तर अभियान योजना प्रतिवेदन में प्रक्षिप्त 54.2 हजार नवसाक्षर व्यक्तियों के प्रति वास्तव में 50.5 हजार व्यक्ति ही अभिज्ञात किए गए। इनमें से वास्तव में 28.4 हजार नवसाक्षर व्यक्ति ही पंजीकृत किए गए थे जबकि 4,074 नवसाक्षर व्यक्ति तदन्तर छोड़कर चले गए थे।

* हमीरपुर: 21.43 लाख ₹; कांगड़ा: 75.34 लाख ₹; किन्नौर: 5.87 लाख ₹ तथा सिरमौर : 37.60 लाख ₹

इस अन्तर्गत के फलस्वरूप नवसाक्षर व्यक्तिओं के निरक्षर होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिला साक्षरता समितियों ने साक्षरता के अन्तर्गत अग्रिम में विद्यमान 12 अग्रिमों के विनाश से प्रतिक्रिया व्यक्त, निधि की विनिश्चित प्राप्ति, आवश्यक वातावरण न बनाने/देने से बचाने, स्टफ के बारम्बार स्थानान्तरण, फसल कटाई के मौसम तथा निर्वाहन इत्यादि आदि से सम्बद्ध किया। ये कारण मान्य नहीं थे क्योंकि ये बाधाएँ तो आरम्भिक चरण में ही दृष्टिगत कर ली जानी चाहिए थीं।

क्रमांक	जिला साक्षरता	सम्पूर्ण साक्षरता	अभियान की पूर्णता	शुद्ध करने का मास	विलम्ब (मास)	शे)
1.	हमीरपुर	जुलाई 1994	फरवरी 1995	06		
2.	कांगड़ा	जनवरी 1997	अप्रैल 1997	02		
3.	किन्नौर	मार्च 1994	अप्रैल 1995	12		
4.	सिरमौर	अक्टूबर 1993	अप्रैल 1994	05		

है:-

मास से 12 मास तक के अन्तर्गत पर साक्षरता के अन्तर्गत अग्रिमों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की पूर्णता निधि के 2 नमूना पर्यवेक्षण द्वारा जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की पूर्णता निधि के 2

बन पाएँ

उगा था तथा इसे इन दोनों के मध्य किसी अन्तर्गत के फलस्वरूप नवसाक्षर व्यक्ति पुनः निरक्षर न यह सुनिश्चित करना था कि साक्षरता के अन्तर्गत अग्रिमों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का

3.10.13.3 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान व साक्षरता के अन्तर्गत अग्रिमों का अभाव

क्याकि विस्तार प्रक्रिया साक्षरता के अन्तर्गत अग्रिमों में शामिल नहीं थी। पर्यावरण प्रतिक्रिया शुरू करने से सम्बद्ध किया (जून-जुलाई 1997)। यह उत्तर मान्य नहीं था कभी विद्यमान न गए 14 विभिन्न गांवों के बालकों के लिए कक्षाएँ आरम्भ करने तथा विभिन्न विस्तार प्रक्रिया के अन्तर्गत 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षर बालकों के पंजीकरण पर जोर देने, किन्नौर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने योजना की अर्पूर्णा को

लिए जा सके।

शिक्षण प्रक्रिया में थे जबकि 26.1 हजार नवसाक्षर व्यक्ति (52 प्रतिशत) प्रक्रिया में आत्मसात नहीं इस प्रकार केवल 24.4 हजार नवसाक्षर व्यक्ति (48 प्रतिशत) ही अभी तक

- (ग) सिरमौर जिले में 2500 जनजाति केन्द्रों के लक्ष्य के प्रति योजनाविधि में कोई भी जनजाति केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।
- (ख) हमीरपुर जिले में स्थापित किए जाने वाले 1,000 जनवतना केन्द्रों के प्रति वारनव में 510 जनवतना केन्द्र ही स्थापित किए गए थे। गिरावट को स्वयंसेवकों की अनुपलब्धता से समझाया गया (जून 1997)।
- (क) किन्नौर व सिरमौर जिलों में 2,860 ग्राम्य शिक्षण केन्द्रों के लक्ष्य के प्रति योजना के अंत तक केवल 1,786 केन्द्र ही स्थापित किए गए थे।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:

उस जिले की भौगोलिक व जलवायु सम्बन्धी शर्तों तथा नवसाक्षर व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर थी। योजना प्रतिवेदनों के अनुसार ग्राम्य शिक्षण केन्द्रों तथा जनवतना केन्द्रों/जनजाति केन्द्रों की संख्या कार्दकलापों के केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था। जिला साक्षरता समितियों के समझौते जनवतना केन्द्र/जनजाति केन्द्र को पुस्तकालय, वाचनालय, चर्चा मंच तथा सांस्कृतिक व क्रीड़ा व्यवस्था थी जिसे सामान्यतया जनवतना केन्द्रों/जनजाति केन्द्रों के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक इस योजना में ग्राम्य शिक्षण केन्द्रों व लघु ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की

संस्थापन न करना

3.10.13.5 ग्राम्य शिक्षण केन्द्रों एवं जन वतना केन्द्रों/जनजाति केन्द्रों का पथान संख्या

बालकों को शामिल करने हेतु पथान प्रयास नहीं किए गए। बालकों के घरों के आसपास विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण यह गिरावट आई। इस प्रकार शिव योजना प्रस्तावित की गयी थी। जिला साक्षरता समिति, सिरमौर ने सूचित किया (जून 1997) कि के कारण पंजीकरण में गिरावट आयी तथा ऐसे बालकों के लिए विद्यालयों की स्थापनाएँ एक पृथक जिला साक्षरता समिति, हमीरपुर ने बताया (जून 1997) कि विकलांग बालकों

कि पंजीकृत बालकों में से कोई भी साक्षर नहीं हुए। कि पंजीकृत बालक साक्षर हो गए थे। सिरमौर की जिला साक्षरता समिति ने बताया (जून 1997) पंजीकृत किए गए। हमीरपुर की जिला साक्षरता समिति के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी से 1994-96 वर्षों में 5,548 शिक्षार्थी (हमीरपुर: 160; किन्नौर: 169 तथा सिरमौर: 5,219) को शिक्षितियों के 8,222 अभिज्ञान मामलों (हमीरपुर: 472; किन्नौर: 225 व सिरमौर: 7,525) में के पंजीकरणार्थ आशयकता पर बल देती थी। विद्यालयरहित बालकों में विद्यालय व्यवस्था व बालकों यह योजना विद्यालयविहीन बालकों में विद्यालय व्यवस्था व बालकों की शिक्षितियों

व्याप्त

3.10.13.4 विद्यालयविहीन श्रेणी में विद्यालय व्यवस्था व बालकों की शिक्षितियों की अपेक्षा

जिला साक्षरता समिति, सिरमौर ने ग्राम्य शिक्षण केन्द्रों की स्थापना में गिरावट तथा जनजागृति केन्द्रों की स्थापना न होने को साक्षरतोत्तर अभियान योजना की संस्वीकृति में विलम्ब, साक्षरतोत्तर अभियान शुरू करने से पूर्व अपेक्षित वातावरण न बनने तथा स्वयंसेवकों आदि के लिए प्रोत्साहन के अभाव से सम्बद्ध किया (जून 1997)। यह ज्ञात नहीं था कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए सिरमौर की जिला साक्षरता समिति ने क्या प्रयास किए।

(घ) योजना प्रतिवेदन में 300 जनचेतना केन्द्रों के लक्ष्य के प्रति किन्नौर जिले में कोई भी जनचेतना केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था। जिला साक्षरता समिति, किन्नौर ने बताया (जुलाई 1997) कि जनचेतना केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य व उपलब्धियों से समिति अवगत नहीं थी।

इस प्रकार इन जिलों में ग्राम्य शिक्षण केन्द्रों, जनचेतना केन्द्रों तथा जनजागृति केन्द्रों के लक्ष्य की पूर्ण उपलब्धि नहीं हुई।

3.10.13.6 साक्षरतोत्तर सामग्री का अधिक मुद्रण

जिला साक्षरता समिति, हमीरपुर की 21 हजार साक्षरतोत्तर-1 पुस्तकों की आवश्यकता के प्रति 1994-95 वर्ष में 25 हजार पुस्तकें मुद्रित करवाई गईं जिसके फलस्वरूप 0.32 लाख रु० की 4,000 साक्षरतोत्तर-1 पाठ्य पुस्तकें अधिक मुद्रित हुईं। इनमें से 1,000 पुस्तकें चम्बा की जिला साक्षरता समिति को प्रेषित की गयीं और 3,000 पुस्तकें जून 1997 तक जिला साक्षरता समिति, हमीरपुर के स्टॉक में पड़ी थीं।

3.10.13.7 साक्षरतोत्तर सामग्री की अपर्याप्त आपूर्ति

नमूना जांच से पता चला कि हमीरपुर, किन्नौर व सिरमौर जिलों की 75.2 हजार पाठ्यपुस्तकों की वास्तविक आवश्यकता के प्रति मुद्रित करवाई गई 77.1 हजार साक्षरतोत्तर-1 पाठ्य पुस्तकों में से केवल 42.7 हजार पाठ्यपुस्तकें ही नवसाक्षर व्यक्तियों में वितरित की गईं और 1.84 लाख रु० की शेष 34.4 हजार पाठ्यपुस्तकें (हमीरपुर: 4,000; किन्नौर: 370 तथा सिरमौर: 29,990) जून 1997 तक सम्बद्ध भण्डारों में अवितरित पड़ी थीं।

हमीरपुर, किन्नौर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने साक्षरता सामग्री के वितरण में गिरावट को नवसाक्षर व्यक्तियों के अल्प पंजीकरण तथा योजना की सफलता के अभाव से सम्बद्ध किया (जून 1997)। इस प्रकार साक्षरतोत्तर अभियान की परिकल्पनानुसार जिला साक्षरता समितियां अधिकतम नवसाक्षर व्यक्तियों को सम्मिलित करने में विफल रहीं।

तथा 1996-97: 3.91 लाख रु०

* 1992-93: 1.81 लाख रु०; 1993-94: 5.34 लाख रु०; 1994-95: 1.85 लाख रु०; 1995-96: 3.35 लाख रु०

- (ग) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान निधियों से खरीदी गई 1.02 लाख रु० की उपलब्ध परिसेम्पतियाँ (हमीरपुर: 0.46 लाख रु० तथा कांगड़ा: 0.56 लाख रु०) जैसे इलेक्ट्रॉनिक टंकण मशीनें, टंकण मशीनें, अल्मारेखिया, फर्नीचर आदि विलनपत्रों में नहीं दर्शाए गए थे।
- (ख) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान योजनाओं की समाप्ति पर जिला साक्षरता समितियों द्वारा धारित 13.31 लाख रु० (हमीरपुर: 0.82 लाख रु० तथा कांगड़ा: 12.49 लाख रु०) की उपलब्ध सामग्री/स्टॉक को विलनपत्रों में उल्लिखित नहीं किया गया था।
- (क) यद्यपि हमीरपुर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान क्रमशः जलाई 1994 व अक्टूबर 1993 में पूर्ण कर लिए थे लेकिन लेखाओं की नवम्बर 1996 व मार्च 1996 तक की ही लेखापरीक्षित विवरणियाँ वेवार की गयी थीं जिनमें साक्षरतालेख अभियान से सम्बद्ध लेन देन भी शामिल थे। इस प्रकार ये विलनपत्र सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लेखाओं की विषय स्थिति नहीं दर्शाते थे।

यद्यपि हमीरपुर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान क्रमशः जलाई 1994 व अक्टूबर 1993 में पूर्ण कर लिए थे लेकिन लेखाओं की नवम्बर 1996 व मार्च 1996 तक की ही लेखापरीक्षित विवरणियाँ वेवार की गयी थीं जिनमें साक्षरतालेख अभियान से सम्बद्ध लेन देन भी शामिल थे। इस प्रकार ये विलनपत्र सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लेखाओं की विषय स्थिति नहीं दर्शाते थे।

और न ही उनके प्रयुक्त प्रमाणपत्र भेजे गए जबकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं पूर्ण कर साक्षरता समितियों ने भारत सरकार को न तो लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणियाँ भेजी गई थीं भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नमूना जांच से पता चला कि चार जिलों में जिला पूर्णता के तीन मास के अन्दर उन योजनाओं की समीकित लेखापरीक्षित विवरणियाँ व प्रयुक्त प्रमाणपत्र के तीन मास के अन्दर उन योजनाओं की समीकित लेखापरीक्षित विवरणियाँ भेजी गई थीं कि योजनाओं की केन्द्रीय अर्जनों के निस्कारणार्थ शर्तों में यह परिकल्पित था कि योजनाओं का लेखाओं/विलनपत्रों का दौखण्ड अर्जण 3.10.14.2

महिष में यदितियों के सुधारार्थ पत्र उठाए जायें।

हमीरपुर व कांगड़ा की जिला साक्षरता समितियों ने बताया (जून 1997) कि

नहीं की जा सकी।

लेखाजोखा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार लेखापरीक्षा में इन धनराशियों की प्रयुक्त की पुष्टि उद्देश्ये अभियानितरूप सहजता अर्जदानरूप समझी और इसलिये जिला साक्षरता समिति को कोई अधिकारियों (सिविल) तथा कुछ विकास अधिकारियों की दी गई राशियाँ (13.53 लाख रु०) खर्चों में समयोजनार्थ बकाया पड़ी थीं। कांगड़ा की जिला साक्षरता समिति द्वारा उपमण्डलीय क्षेत्र अभिकर्णों को 16.26 लाख रु० प्रदत्त किए गए थे। ये राशियाँ जून 1997 तक उनके सम्बद्ध कार्यालयन हेतु विभिन्न उपमण्डलीय अधिकारियों (सिविल), कुछ विकास अधिकारियों तथा अन्य 1992-97 वर्षों के दौरान सम्पूर्ण साक्षरता अभियान/साक्षरतालेख अभियान के

3.10.14.1 लेख प्रस्तुत न करना

3.10.14 लेखा अर्जण व प्रस्तुतीकरण में उदितियाँ

(!!) स्वयंसेवकों को नकद प्रोत्साहन देने के राज्य सरकार के एक प्रस्ताव को भारत सरकार ने अस्वीकृत कर दिया (फरवरी 1992)। इसके बावजूद भी कांगड़ा की जिला साक्षरता समिति ने 1995-97 वर्षों में 26 व्यक्तियों को साक्षरता अभियान में उनकी सेवाओं के प्रशस्तिपत्ररूप

(!) वार जिलों में 1993-97 वर्षों में 8.96 लाख रु० (हमीरपुर: 3.43 लाख रु०; कांगड़ा: 0.56 लाख रु०; किन्नौर: 0.46 लाख रु० तथा सिरमौर: 4.51 लाख रु०) उन मर्दों जैसे कलेक्टर डायरियों, शैली, इलेक्ट्रॉनिक टंकण मशीनों, फर्नीचर, टायर, जीप की मरम्मत व अनुरक्षण, नियमित वाहन के वेतन, स्ट्रीम कोयले आदि की खरीद पर खर्च किए गए जो रकम के प्रावधानों में नहीं थीं। इस व्यय ने योजना लागत को बढ़ा दिया।

3.10.14.4 अनधिकृत व्यय

हमीरपुर की जिला साक्षरता समिति ने रोकड़ पुस्तिका के अनधिकृत अनुरक्षण को अग्रप्रशिक्षित रोकड़ लिपिक की तैनाती से सम्बद्ध किया (जून 1997) तथा बताया कि यदि जिले के उच्च समय पर संशोधित कर लिया जाएगा। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेखानुरक्षण किसी प्रशिक्षित कर्मी को सौंपा जाना चाहिए था।

हमीरपुर व सिरमौर की जिला साक्षरता समितियों ने नियमितरूप से एक समायोजन अन्तर था। जिला साक्षरता समिति, हमीरपुर की रोकड़ पुस्तिका में योग सम्बन्धी रूटियां थीं। अन्तिम शेष के आंकड़े उसकी "पास बुक" शेषों से नहीं मिलते थे और उनमें 0.42 लाख रु० का नहीं किया था। मार्च 1997 की समिति पर जिला साक्षरता समिति, सिरमौर की रोकड़ पुस्तिका के

3.10.14.3 बैंक समायोजन का अभाव

जिला साक्षरता समितियों ने इन मर्दों को तुलनपत्र में प्रदर्शित न किए जाने की शिकायतें कीं। जिला साक्षरता समिति ने इन मर्दों को तुलनपत्र में प्रदर्शित न किए जाने की शिकायतें कीं। जिला साक्षरता समिति ने इन मर्दों को तुलनपत्र में प्रदर्शित न किए जाने की शिकायतें कीं। जिला साक्षरता समिति ने इन मर्दों को तुलनपत्र में प्रदर्शित न किए जाने की शिकायतें कीं।

(३.) किन्नौर की जिला साक्षरता समिति ने कोई भी तुलनपत्र तैयार नहीं किया जबकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान योजना मार्च 1994 में पूर्ण हो चुकी थी।

(घ) प्राई शिक्षा निदेशालय द्वारा आपूर्णित पुस्तकों की लागत को दर्शाने वाले 6.92 लाख रु० (हमीरपुर: 0.04 लाख रु०; कांगड़ा: 0.21 लाख रु० तथा सिरमौर: 6.67 लाख रु०) तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अराजकरीय सदस्यों के यात्रा व दैनिक मर्तों और विविध प्रभावों की पूर्ति हेतु प्राई शिक्षा निदेशक द्वारा प्रविधित 0.56 लाख रु० तुलनपत्रों में शामिल नहीं किए गए थे। उपर्युक्त व्यय को प्राई शिक्षा निदेशक ने निधियों के राज्यांश में समायोजित किया था।

प्रतीक्षित थे (जुलाई 1997)।
 की उपस्थिति में एक टीम ने होमला, सिरमौर व सोलन जिलों का दौरा किया। निरीक्षण के परिणाम
 अर्जुनशर्मा व पूर्वशिक्षण सुनिश्चित नहीं किया जबकि भारत सरकार के संयुक्त निदेशक (प्रौद्योगिकी शिक्षा)
 नमूना जांच से पता चला कि केन्द्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय ने जून 1997 तक

(!) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की ओर से भारत सरकार के केन्द्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा
 निदेशालय की विज्ञान साक्षरता अभियानों के अर्जुनशर्मा का दायित्व सौंपा गया था। किसी प्रभावी
 अर्जुनशर्मा की स्वयंसेवकों व शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं व समस्याओं के प्रति संबन्धित
 होना था। यह मामलों की समय पर उपलब्धता, प्रशिक्षणार्थी न्यूनतम सुविधा स्तर, साक्षरता
 कियेकालों की सुगमता तथा समय पर प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के लिए थी।

3.10.15 अर्जुनशर्मा व पूर्वशिक्षण

साक्षरता समितियों ने कोई उत्तर नहीं दिया।
 प्रत्यक्ष सत्यापन करके न्यूनताओं का समाधान कर लिया जाएगा। किन्तु व सिरमौर की जिला
 डमीरपुर व कांगड़ा की जिला साक्षरता समितियों ने बताया (जून 1997) कि

(!!) संपूर्ण साक्षरता अभियान/साक्षरता के सिखसिले में वार जिला
 साक्षरता समितियों द्वारा धारित मजदूर/स्टॉक का कमी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जबकि
 वर्ष में कम से कम एक बार उनका सत्यापन अपेक्षित था।

(!) डमीरपुर व कांगड़ा की जिला साक्षरता समितियों द्वारा वर्ष 1992-93 में खण्ड
 समन्वयकों की दी गई 2.98 लाख रु० की शिक्षण सामग्री (डमीरपुर: 0.87 लाख रु० तथा कांगड़ा:
 2.11 लाख रु०) खण्ड समन्वयकों ने लेखाबद्ध नहीं की। इन विवरणों का समाधान जून 1997 तक
 नहीं किया गया था।

नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

सत्यापन का अभाव

3.10.14.5 मजदूरों को लेखाबद्ध न करना/उनकी अन्य लेखाबद्धता तथा मजदूरों के प्रत्यक्ष

उपरोक्त तथ्य स्वीकार करते समय कांगड़ा की जिला साक्षरता समिति ने बताया
 कि वे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यक्तियों द्वारा की गई निःस्वार्थ सेवा के लिए दिए गए थे।
 यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वे प्रत्यक्ष भारत सरकार द्वारा यथाविधारित स्वीकृत सेवा की
 मूल मानवों के प्रतिकूल थे और इस प्रकार 0.60 लाख रु० का व्यय अनधिकृत रूप से किया गया था।

0.60 लाख रु० स्वीकृत करके उनको विवरित किए। इनमें से 0.29 लाख रु० वार अवसरों पर
 जिला साक्षरता समिति के सचिव को दिए गए।

(नवम्बर 1997)

ये तथ्य अगस्त 1997 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य के शेष नौ जिलों में कोई भी बाह्य मूल्यांकन नहीं किया गया था।

सूचित नहीं की गई थी।

हमीरपुर की जिला साक्षरता समिति के मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई भी कमीया

विकलता।

(xi) निरक्षर व्यक्तियों की प्रभावी तथ्य पहचानने में प्रबन्ध सूचना व्यवस्था की

अन्तिम रूप न देना।

(x) जिला साक्षरता समिति द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की समाप्ति के समय की

बनाने सम्बन्धी कार्यकलापों में गिरावट।

(ix) जिला साक्षरता समिति के कर्मचारियों के बारम्बार स्थानान्तरण से वातावरण

केन्द्रों से पर्याप्त संख्या में क्षिप्तियां।

(viii) समय की बाधाओं तथा कक्षाओं में उपस्थित होने में शिक्षक के कारण शिक्षण

(vii) शिक्षण सामग्री की समय पर आपूर्ति का अभाव।

(vi) पर्वतीय क्षेत्र में वातावरण न बनाना।

(v) शिक्षारथियों द्वारा शिक्षण सामग्री की अपूर्ति।

की कमी।

(iv) दूरगम सड़कों तथा गांवों में संचार के अभाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं में उत्साह

(iii) स्वयंसेवकों की न्यून संख्या।

(ii) प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं पर पर्याप्त बल न देना।

(i) स्वयंसेवकों की पारिश्रमिक भुगतान का प्रावधान न करना।

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि सेवा की निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार खरीदें अत्यधिक मितव्ययी ढंग से की जानी चाहिए। यह देखा गया कि पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने हेतु राज्य में 1986-87 में एक स्कीम चलाई गई। इस उद्देश्य के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर पुस्तकों की खरीद की जानी थी।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, किन्नौर ने जनवरी 1992 तथा फरवरी 1997 के मध्य किन्नौर जिले में अकादमी सत्रों 1992-93 से 1997-98 के लिए 5.83 लाख रु० की 23,780 पुस्तकों के सैटों को आवश्यकता से अधिक खरीदा। पुस्तकें विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के स्थान पर कुल बजट आवंटनों के आधार पर खरीदी गई थीं। पुस्तकों की वर्षक्रम तथा कक्षाक्रम खरीद सत्रक्रम नामांकन की तुलना में निम्नांकित थी:

श्रेणी	सत्रों हेतु खरीदे गए पुस्तक सैटों की संख्या						अधिक खरीद की गई पुस्तकें	
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	जोड़	गई पुस्तकें
	(कोष्ठक में पंजीकरण संख्या)							
पहली	3600 (2218)	4250 (2284)	4000 (2017)	4500 (2323)	5500 (2236)	2800 (2800)	24650 (13878)	10772
दूसरी	2100 (1867)	2503 (1888)	2400 (1839)	2500 (1800)	2600 (1896)	2300 (2300)	14403 (11590)	2813
तीसरी	1902 (1633)	2402 (1826)	2400 (1776)	2500 (1775)	2600 (1897)	2200 (2200)	14004 (11107)	2897
चौथी	1902 (1581)	2400 (1626)	2400 (1697)	2500 (1740)	2600 (1773)	1900 (1900)	13702 (10317)	3385
पांचवीं	2100 (1793)	2450 (1570)	2400 (1400)	2500 (1708)	2600 (1666)	2000 (2000)	14050 (10137)	3913
जोड़	11604 (9092)	14005 (9194)	13600 (8729)	14500 (9346)	15900 (9468)	11200 (11200)	80809 (57029)	23780

वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 में विभिन्न कक्षाओं के लिए खरीद का आधिक्य 12 से 146 प्रतिशत के मध्य था।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1996) कि पुस्तकें बजट प्रावधानानुसार खरीदी गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पुस्तकें विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार खरीदी जानी चाहिए थी तथा प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर शेष पुस्तकों के सैटों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

इस प्रकार, वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना पुस्तकों के अत्यधिक सैट का क्रय 5.83 लाख रु० के परिहार्य व्यय में परिणत हुआ।

मामला सरकार को जून 1997 में प्रतिवेदित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 1997)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.12 कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में शल्यगार की अप्रयुक्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत हुआ था तथा यह एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है और भारत में समस्त राज्यों पर लागू होता है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले अस्पताल राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, परवाणू की स्थापना इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर 1981 में की गई थी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला (अक्टूबर 1996):

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सोलन जिले के परवाणू स्थित अस्पताल में निर्मित शल्यगार विभाग को जनवरी 1995 में सौंपा गया। विभाग द्वारा दिसम्बर 1994 तथा मार्च 1995 के मध्य 5.14 लाख रु० मूल्य के शल्यगार विद्युत, शल्यगार मेज तथा उच्च दबाव वाष्प जीवाणुनाशक यंत्र जैसी मशीनरी तथा उपकरण की खरीद की तथा उसे शल्यगार में स्थापित किया तथा शल्यगार को मार्च 1995 से ही कार्य योग्य बना दिया गया था। तथापि शल्यगार में शल्यक्रिया नहीं की जा सकी क्योंकि अपेक्षित चिकित्सकों तथा अन्य कर्मियों के पदों को सरकार द्वारा सृजित नहीं किया गया था जबकि पदों के सृजन का मामला निदेशक, स्वास्थ्य सेवा ने जुलाई 1992 में वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य के साथ उठाया था। अतः 5.14 लाख रु० की मशीनरी तथा उपकरण अप्रयुक्त पड़े हुए थे जिसके कारण क्षेत्र के मरीजों को शल्यगार की अपेक्षित सुविधा नहीं मिल सकी।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के मरीजों के क्षौम तथा वस्त्र धोने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन ने 2.13 लाख रु० की लांडरी प्रकार की वस्त्र धोने की मशीन तथा 2.34 लाख रु० की रोलर वाष्प प्रैस क्रमशः जनवरी 1995 तथा मार्च 1995 में खरीदी। अस्पताल में फरवरी 1997 तक धोबी के पद के अभाव में मशीनें अप्रयुक्त पड़ी थीं। क्षौम तथा वस्त्र बाह्य माध्यम से धुलवाए जा रहे थे।

सरकार ने बनाया (अक्टूबर 1996) कि ऐजेंसी "क" के साथ अनुबन्ध दो पक्षों के मध्य सहमति ज्ञापन था तथा जिन उपधाराओं पर दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति हुई थी उन्हीं को ही सम्मिलित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सरकार को सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर करते समय अपने हित की अभिरक्षा करनी चाहिए थी।

तथा सहमति ज्ञापन में इस आशय का प्रावधान नहीं किया गया था।
 लगाए जिन दिग्दर्श 1994 में सहमति ज्ञापन को रद्द कर दिया क्योंकि नोटिस आमंत्रण निविदा विफल रहने के कारण सरकार ने जिन कोई कानूनी कार्रवाई के अथवा ऐजेंसी पर कोई शक्ति 1994 में उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा। ऐजेंसी के एक बार पुनः हेल्थीकोर्टर उपलब्ध करवाने में पट्टे पर उपलब्ध करवाना था। किन्तु यह देय तिथि तक ऐसा नहीं कर पाई तथा उसने इसे अक्टूबर ऐजेंसी को अनुबन्ध पर हस्ताक्षर की तिथि से 45 दिनों के भीतर हेल्थीकोर्टर को

की पूर्ति हेतु उसे बाध्य किया जाता।

न ही ऐजेंसी "क" के साथ सहमति ज्ञापन में निर्गमित किया गया ताकि ऐजेंसी द्वारा किए गए प्रस्ताव आवश्यक उपधाराओं को नोटिस आमंत्रण निविदाओं में प्रथम अवसर पर सम्मिलित नहीं किया गया था हस्ताक्षर किए गए। तथापि बैंक प्रत्याभूति, बचाना, प्रत्याभूति जमा/शक्ति जमाना, इत्यादि सम्बन्धित धारों की दर स्वीकार की गई थीं और जून 1994 में ऐजेंसी तथा सरकार के मध्य सहमति ज्ञापन पर ऐजेंसी "क" द्वारा मरी गई वृद्धि में न्यूनतम 600 उर्दान धारों के आश्वासन के साथ 53,600 रु० प्रति पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं तथा वार हवाई यात्रा अभिकरणों ने अपनी दरे मरी। करने का निर्णय लिया (जनवरी 1994)। फरवरी 1994 में राज्य सरकार ने हेल्थीकोर्टर को पट्टे परवाहन उर्दानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पट्टे पर हेल्थीकोर्टर प्राप्त विभिन्न व्यक्तियों के कार्य, विकासगतक कार्य के अनुभव तथा सर्वियों में जनजातीय क्षेत्रों को आपतकालीन निकासी की विभिन्न आवश्यकताओं, पुलिस अभिरक्षा, प्रति

हेल्थीकोर्टर की खरीद तथा उपयोग पर परिवर्तन व्यय

3.13

सामान्य प्रशासन विभाग

था (नवम्बर 1997)।

सामान्य सरकार को अर्द्ध 1997 में संचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

का निष्कष्य निवेश हुआ।

धरनाई मशीन तथा रोलर प्रैस के प्रत्येक न होने के कारण 4.47 लाख रु०

सरकार के विचारधीन था।

1997) कि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, परवानों के लिए पट्टे के सृजन का सामान्य राज्य का सामान्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, द्वारा भेजा जाना था। निदेशक, स्वास्थ्य सेवा ने बताया (सितम्बर मूल्य वित्तिका अधिकायी ने बताया (फरवरी 1997) कि धीवी के पद के सृजन

इसके अतिरिक्त, ऐजेंसी "ग" ने हैलोकॉक्टर को 15 सितम्बर 1995 तक पेटे कदवा सकी, अतः ऐजेंसी से 72 लाख रु० की वसूली की जानी थी। सरकार ने बताया (अक्टूबर 1997) कि ऐजेंसी के साथ अर्जन्स पेटे अर्जन्स देवार किया गया था तथा यह सुनिश्चित था कि को 15 अक्टूबर 1995 तक बर्त दिया। ऐजेंसी 3 जनवरी 1996 तक भी हैलोकॉक्टर उपलब्ध नहीं पर उपलब्ध करवाना था। क्योंकि ऐजेंसी निश्चित समय तक ऐसा नहीं कर सकी सरकार ने निधि

इस प्रकार नोटिस आमरण निविदाओं के अनुसार अपेक्षित विनिर्देशों के हैलोकॉक्टर के प्रस्ताव वाली ऐजेंसी "ख" के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण सरकार ने 4 जनवरी 1996 से 3 अक्टूबर 1997 की अवधि के लिए 1.57 करोड़ रु० का परिहार व्यय किया और 0.23 करोड़ रु० का परिहार व्यय आगामी पेटेवारि के शेष 3 महीनों में भी हो सकता था।

इस प्रकार नोटिस आमरण निविदाओं के अनुसार अपेक्षित विनिर्देशों का प्रस्ताव नोटिस आमरण निविदाओं के अनुसार था। बदला जाना था तो निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं ऐजेंसी "ख" महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा जाना चाहिए था। निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् यदि विनिर्देशों को मर्याद मान्य नहीं था क्योंकि नोटिस आमरण निविदाओं को जारी करने से पूर्व दसों तथा विनिर्देशों के किया जाना था तिनको निविदाएं आमंत्रित करने समय पूर्वानुमान नहीं किया जा सका। सरकार का ही केवल मानदण्ड नहीं था तथा पेटे अर्जन्स को अंतिम रूप देने समय कुछ अन्य बातों पर विचार सरकार ने बताया (अप्रैल 1997) कि 12 से 14 यात्रियों को ले जाने की क्षमता

परिहार व्यय 0.23 करोड़ रु० था। लिए 1.57 करोड़ रु० का परिहार व्यय हुआ तथा पेटेवारि के शेष 3 महीनों के लिए होने वाला जनवरी 1996 (जबकि हैलोकॉक्टर का वास्तव में स्थापन हुआ) से 3 अक्टूबर 1997 की अवधि के बोलीदाता की 90,000 रु० प्रति घण्टे की दर से पेटे विवेक हस्ताक्षरित किया गया इसलिए 4 लिए 75,000 रु० प्रति घण्टे की प्रस्तावित दर के दूसरे निम्नतम निविदाकर्ता के स्थान पर उच्चतर दार्क नोटिस आमरण निविदा के अनुसार अपेक्षित विनिर्देशों के हैलोकॉक्टर के

शक्ति लगाने का प्रावधान था। पेटेवारि दो वर्षों के लिए थी। 15 सितम्बर 1995 से हैलोकॉक्टर को सेवाएं उपलब्ध करवाने तक 90,000 रु० प्रति दिन की दर से हैलोकॉक्टर केवल ऐजेंसी "ग" के पास ही उपलब्ध था। ऐजेंसी "ग" के साथ निष्पादित अर्जन्स में "ग" के साथ अन्ततः अर्जन्स हस्ताक्षरित किया गया। सरकार ने बताया कि अपेक्षित विनिर्देशों को को न्यूनतम प्रतिमिति सहित 90,000 रु० प्रति घण्टे की नियत दर पर उच्चतर निविदाकर्ता (ऐजेंसी हैलोकॉक्टर के लिए 75,000 रु० प्रति घण्टे की दर प्रस्तावित की। तथापि वर्ष में 600 घण्टे उड़ान निविदाओं के विवरणानुसार नहीं था। दूसरे निम्नतम निविदाकर्ता (ऐजेंसी "ख") ने 12 सीटों वाले निविदाकर्ता का प्रस्ताव 10 यात्रियों को ले जाने की क्षमता के लिए था तथा इसलिए नोटिस आमरण बैठने की क्षमता 12 से 14 यात्री होनी चाहिए। तीन ऐजेंसियों ने अपनी दरें बताईं। निम्नतम आमंत्रित की। नोटिस आमरण निविदाओं में अन्य बातों के साथ यह विनिर्देश था कि हैलोकॉक्टर में दूसरे निम्नतम निविदाकर्ता को अवसर देने के बजाय सरकार ने फरवरी 1995 में नई निविदाएं इसी दौरान, वर्ष में 600 घण्टों की उड़ान हेतु 54,800 रु० प्रति घण्टे की दर की

* विनायपुर, कल्या, शिमला, सिरमौर तथा सोलन
 ** मण्डी, नाहन, शिमला तथा सोलन

निदेशक द्वारा जारी (मई 1994) अनूदेशों के अनुसार समस्त जिला खाद्य एवं आपूर्ति निदेशकों तथा निरीक्षकों को प्रत्येक मास आठ तथा वावत के चार नमूने (दो उचित मूल्य की और दो शोक डिपुओं से) लेने अपेक्षित थे और उन्हें विश्लेषण हेतु भेजना था ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती।

(II) खाद्यान्नों के नमूनों की पर्याप्त जांच न होना

करवरी 1991 से मार्च 1994 के दौरान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 4648.21 टन आयातित पामोलीन तेल प्राप्त किया तथा इसे उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से अधिक दर पर बेचा और इस प्रकार उपभोक्ताओं पर 45.95 लाख रु का अतिरिक्त बोझ डाला।

उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था। अधिकतम विक्रय दर से अधिक दर न बेचा जाए। जुलाई 1994 से संशोधित मूल्यों के निर्धारण का सरकार को निर्देश दिया (करवरी 1991) था कि उपभोक्ताओं को यह तेल भारत सरकार की माध्यम से वितरण हेतु आयातित खाद्य तेल (पामोलीन) जारी किया। भारत सरकार ने राज्य सरकार ने राज्य सरकार को समय-समय पर उचित मूल्य की टुकनों के

अतिरिक्त बोझ

(I) खाद्य तेल की उच्च विक्रय दर निर्धारित करने के कारण उपभोक्ताओं पर

अभिलेखों की जांच के दौरान स्थान में आए महत्वपूर्ण मामले निम्नांकित थे: तथा आपूर्ति निदेशकों और चार राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के कार्यालयों के एकम को किया निवृत्त किया जाना था। नवम्बर 1996-अप्रैल 1997 के दौरान पांच जिला एवं खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा जिला एवं खाद्य एवं आपूर्ति निदेशकों के माध्यम से आटा, रियावती चीनी, खाने के तेल तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जा रही थी। निदेशक, खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में उपभोक्ताओं को गंदम, गंदम

3.14 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

खाद्य एवं आपूर्ति निगम

राजकोष पर किसी वित्तीय हानि का भार नहीं पड़ेगा यद्यपि दोनों पार्टियों द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षर नहीं किया गया था (अक्टूबर 1997)।

अर्नदेशों में यह भी प्रवृत्त है कि मातृत्व में दूसरा वाहन सम्बद्ध मंत्रियों/राज्य-मंत्रियों/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिवों के दौरे के दौरान उनके वाहन के साथ जाया करेगा। तथापि अपवादित परिस्थितियों में दूसरी वाहन का रूट निम्न हो सकता है जिसके

प्रयोग नियमित सम्बद्धा गया था।

इत्यादि के विवरण हेतु अर्नमत होगा, चाहे मंत्री उस समय दौरे पर ही हों, बशर्त कि वाहनों की संसदीय सचिव/संसदीय सचिवों के व्यक्तिगत स्टाफ द्वारा गाड़ियों का प्रयोग वैयक्त/आवश्यकता के 1997 में संशोधित अर्नदेश जारी किए कि अपवादित परिस्थितियों में मंत्रियों/राज्य-मंत्रियों/मुख्य इन तथ्यों को लेखापरीक्षा में डीजल (मार्च 1997) किए जाने पर सरकार ने मई

भी देखे गए थे।

जा सकता, विभाग ने बताया (जनवरी 1997) कि वे तथ्य लॉग-बुकों की जांच के समय विभाग द्वारा मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ द्वारा अन्य स्थानों पर वाहनों के प्रयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया इस तथ्य को मानते हुए कि मंत्रियों द्वारा दौरे किए गए स्थानों के अतिरिक्त

दिसम्बर 1996 के दौरान ऐसी यात्राओं की वित्तीय अधिपति 8.21 लाख रु० बनी थी। सरकार द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित दरों के आधार पर संगणित जनवरी 1994 से वे वाहन अन्य स्थानों पर जाने हेतु भी प्रयोग हुए थे जहाँ कि उन दिनों मंत्रियों का दौरा नहीं होता था। गए थे जबकि उस समय मंत्री मुख्यालय में ही होते थे या जब वे मुख्यालय से बाहर दौरे पर होते थे। (1997) कि वे अन्य वाहन मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ द्वारा स्थानीय यात्रा हेतु प्राप्त: दुरुपयोग किए सचिवालय प्रशासन विभाग के अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ (जनवरी

किया जाता था। इन अन्य वाहनों के प्रयोग हेतु सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए थे। दौरान साथ जाने वाले व्यक्तिगत स्टाफ के लिए सम्बद्ध विभागों द्वारा एक अन्य वाहन भी प्रदान प्रभार ग्रहण करने की तिथि से एक कार तथा एक जीप आवंटित की जा रही थी। मंत्रियों के दौरे के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मंत्रियों की उनके विभागों का

3.15 वाहनों का दुरुपयोग

सचिवालय प्रशासन विभाग

(नवम्बर 1997)।

मानता सरकार की जून 1997 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

केवल 325 नमूनों की जांच की गई जबकि 11,232 नमूनों की जांच की जानी थी। जांच गए इन नमूनों में से 21 नमूने अस्फलक हुए। घटिया मती की अधिपति के लिए विभाग ने कार्रवाई नहीं की थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 1995 तथा 1996 के दौरान वास्तव में

क्रमांक	विभाग का नाम	निरीक्षण	परिच्छेद
1.	स्वित्त विभाग	5,322	19,022
2.	लोकनिर्माण विभाग (मवन एवं सड़क)	459	1,576
3.	सिवाड़ एवं जन स्वास्थ्य	262	855
4.	वन खेती एवं संरक्षण	559	1,838
	जोड़	6,602	23,291

(संख्या)

दशिया गया है:

जारी 6602 निरीक्षण प्रतिवेदनो में सम्मिलित 23291 परिच्छेद निपटारे हेतु शेष थे, जैसा कि नीचे तथा वन खेती और संरक्षण विभागो सहित विभिन्न विभागो के सम्बन्ध में दिसम्बर 1996 तक जून 1997 के अन्त में लोकनिर्माण (मवन एवं सड़क), सिवाड़ एवं जनस्वास्थ्य

समय-समय पर सूचित किया जाता है।

अभ्यर्थित किए जाते हैं। बकाया प्रतिवेदनो तथा परिच्छेदो की स्थिति से वित्त विभाग को भी प्रतिवेदनो तथा परिच्छेदो से संबंधित अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन उनके शीघ्र निपटारे हेतु सरकार को अवगत तथा सरकार को भी प्रतिवेदन की जाती है। ड. मास से अधिक के बकाया पड़े निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनो के माध्यम से सम्प्रेषित की जाती है। अनियमितताएं विभागो के रखरखाव में दोषो की लेखापरीक्षा अत्यधिकता लेखापरीक्षित इकाइयो के मुखियों तथा नियंत्रण स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताओं तथा लेखाओं के

3.16 बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन

विविध विभाग

हूँआ था (नवम्बर 1997)।

यह मामला माघ 1997 में सरकार को संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं

किया गया था।

को, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताओं/दुरुपयोग की जांच किए बिना ही उनके द्वारा नियमित बाहनों के प्रयोग हेतु शर्तें रखी गई थीं वही इन अनुरोधों के जारी होने से पूर्व ऐसे बाहनों के प्रयोग इस प्रकार, जबकि मई 1997 से आगे मीथियों इत्यादि के व्यक्तितगत स्टॉक द्वारा

कारण लॉग-बुक में अभिलिखित होंगे। अब से बाहनों का ऐसा प्रयोग नियमित समझा जाएगा।

इनमें से राजस्व तथा कृषि विभागों से सम्बन्धित दिसम्बर 1996 तक जारी किए गए परन्तु जून 1997 तक न निपटाए गए बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत् था:-

क्रमांक	अवधि	राजस्व विभाग		कृषि विभाग	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
				(संख्या में)	
1.	मार्च 1991 तक	141	455	197	723
2.	1991-92	17	54	19	55
3.	1992-93	31	212	21	65
4.	1993-94	24	195	24	82
5.	1994-95	3	35	22	99
6.	1995-96	38	399	23	188
7.	1996-97	8	110	16	147
	(दिसम्बर 1996 तक)				
	जोड़	262	1,460	322	1,359

सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजने थे। कृषि विभाग के विभिन्न अधिकारियों* ने 87 परिच्छेदों से समाविष्ट 10 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राथमिक उत्तर जून 1997 तक भी नहीं भेजे थे, जबकि उन्हें यह प्रतिवेदन गत 6 से 12 महीनों में प्राप्त हो गए थे।

* उपनिदेशक, कृषि, चम्बा, किन्नौर, मण्डी तथा उना: सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, चम्बा, कुल्लू, मण्डी, सरकाघाट, सुन्दरनगर तथा उना

इन दो विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में विवेचित कतिपय विशेष अनियमितताएं मोटे तौर पर नीचे वर्गीकृत की जाती हैं:

क्रमांक	आपत्ति का वर्गीकरण	राजस्व विभाग		कृषि विभाग	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
				(संख्या में)	
1.	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण/अवरोधन	61	119	35	41
2.	संस्वीकृति के अभाव, निविदा इत्यादि आमंत्रित न करने के कारण अत्यधिक/अनियमित व्यय	46	94	13	15
3.	अधिक भुगतान, किराया व अग्रिम/विविध वसूलियों की वसूली न होना	98	179	70	114
4.	भण्डार/नकदी, इत्यादि का अलेखांकन/अल्पलेखांकन	26	29	47	58
5.	भण्डारों/नकदी/निधियों के दुर्विनियोग	20	30	22	29
6.	हानि/चोरी/गवन/चूक इत्यादि	28	32	39	49
7.	निष्प्रयोज्य भण्डार सामग्री का निपटारा न करना	12	12	19	19
8.	वास्तविक आदाता पावतियां/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना	30	36	13	13
9.	आकस्मिकता अग्रिमों का असमायोजन	09	09	29	34
10.	कोषागारों/बैंकों के साथ समाधान न करना	05	05	03	03
11.	बकाया ऋण	28	29	16	16
12.	अपूर्ण/परित्यक्त निर्माणकार्य	18	20	05	05
13.	कोषागार में ब्याज जमा न करना	31	31	03	03
14.	अपव्यय, निरर्थक/निष्फल व्यय	27	31	25	27
15.	निधियों का प्रत्यावर्तन	34	40	03	03
16.	निष्क्रिय मशीनरी/उपस्कर	19	19	09	09
17.	विविध अनियमितताएं	145	288	88	170

अप्रैल 1971 से दिसम्बर 1996 के दौरान 38 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 43 परिच्छेदों में 1.60 करोड़ रु० की राशि के बकाया आकस्मिक अग्रिम इंगित किए गए थे। इन अग्रिमों के समायोजन/निपटान में लम्बे विलम्ब को देखते हुए इन के दुर्विनियोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

* वर्गीकरण के अनुसार आपत्तियों को प्रदर्शित करने के कारण 492 का अन्तर है।

विवरण	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
31 मार्च 1996 तक प्रतिवेदित व 30 जून 1996 तक बकाया पड़े मामले	103	56.39
1996-97 के दौरान प्रतिवेदित मामले	6	7.57
जून 1997 तक निपटार गए मामले	10	7.41
30 जून 1997 को बकाया पड़े मामले	99	56.55

द्विविधियाँ, गबन, आदि के मामलों की स्थिति निम्नवत् थी:-
 मार्च 1997 के अन्त तक लेखापर्यक्षा को प्रतिवेदित सरकारी धन के कथित

3.17 **द्विविधियाँ, गबन आदि**

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।
 यह मामला सरकार को जून 1997 में प्रेषित किया गया। राजस्व विभाग से

निपटान हेतु प्रस्ताव उठाए।
 विभाग को चाहिए कि वह राशि की बसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही करके लेखापर्यक्षा आपत्तियों के प्रतिवेदन/परिच्छेदों की अत्याधिक संख्या दीर्घियों से विभिन्न प्रकार की बसूलियों पर आधारित थी। अस्मावाचित पड़े थे, जो कि विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रूप से विचाररतान थी। निरीक्षण सम्बन्ध में कई निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद बटोटा-खोता संस्वीकृतियों के अभाव के कारण विस्तारपूर्वक व सविध, कृषि से बतया (अप्रैल 1997) कि कृषि विभाग के

26 परिच्छेदों का ही समावधान किया गया।
 585 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 2845 परिच्छेदों में से इस बैठक के केवल एक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा दौरान केवल एक तदर्थ समिति की बैठक आयोजित की गई। कृषि तथा राजस्व विभागों से सम्बन्धित हेतु लेखापर्यक्षा समितियों की दो बैठकें निश्चित की गई थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा वर्ष के वर्ष 1996-97 में इन दो विभागों के सम्बन्ध में बकाया परिच्छेदों के समावधान

विभाग का नाम	निदेशालय/सचिवालय	जिला स्तर के	अन्य क्षेत्रों
कृषि	1	11	28
राजस्व	3	12	38
जॉई	4	23	66

इन दो विभागों में दीर्घा कथितियों की स्थिति निम्नवत् थी:-
 कथितियों की संख्या जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही नहीं की

* 1985-90: 86: 1990-92: 14 तथा 1993-97: 199
 ** 1985-90: 19: 1990-92: 47 तथा 1993-97: 41

नहीं किया गया था।

दिसम्बर 1997 में सरकार को सन्दर्भित मामले का उत्तर सरकार द्वारा प्रस्तुत

विवरण परिशिष्ट VII में दिया गया है।

कार्यवाही प्रतिवेदनों में 107 शिक्षारिशी पर सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी।
 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्तर्निहित 44 परिवर्द्धनी/समीक्षाओं पर लोक लेखा समिति की 23
 अतिरिक्त, 1985 तथा दिसम्बर 1997 के मध्य जारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 14
 लोक लेखा समिति द्वारा की गई 299 शिक्षारिशी पर की गई कार्यवाही सूचित नहीं की थी। इसके
 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्तर्निहित 97 परिवर्द्धनी/समीक्षाओं पर
 प्रदेश सरकार के अनेक विभागों ने मार्च 1985 और अप्रैल 1997 के मध्य भारत के
 तीन मास की अवधि के भीतर सविध विधान सभा को प्रस्तुत करेगी। यह देखा गया कि हिमाचल
 प्रदेश सरकार प्रतिवेदन में अन्तर्निहित शिक्षारिशी पर की गई कार्यवाही की दशानि वाली विवरणी
 अन्तर्गत अवध के निर्देशों में अधिष्ठित है कि सदन में सदन समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के
 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कार्यों की प्रक्रिया और आवरण के नियमों के

3.18 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अर्जवाही कार्यवाही

कि वह मामलों को सम्यक् तरीके से पूर्ण करने में उपयुक्त कदम उठाए।

विभागीय कार्यवाही की पूर्णता में लम्बे विन्ध की दृष्टि से सरकार को चाहिए

विभागीय खानचीन की पूर्णता प्रतीक्षित थी।

कुल में से 21 मामले (अन्तर्निहित राशि: 5.65 लाख रु०) 20 वर्षों से भी अधिक
 समय से बकाया पड़े थे। 35.09 लाख रु० के 46 मामले लोक विभाग विभाग, 12.34 लाख रु० के
 34 मामले सिवाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग तथा 1.35 लाख रु० के 5 मामले वन क्षेत्री एवं संरक्षण
 विभाग से सम्बद्ध थे। इन तीन विभागों में बकाया पड़े 85 मामलों में से 26.83 लाख रु० के 64
 मामलों (तीन वर्ष तक: 10 मामले; अन्तर्निहित राशि 2.75 लाख रु०; तीन वर्ष से अधिक परन्तु पाँच
 वर्ष तक: 3 मामले; अन्तर्निहित राशि: 5.31 लाख रु०; पाँच वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक: 18
 मामले; अन्तर्निहित राशि: 7.14 लाख रु०; 10 वर्षों से अधिक परन्तु 15 वर्ष तक: 16 मामले;
 अन्तर्निहित राशि: 8.31 लाख रु०; 15 वर्षों से अधिक परन्तु 20 वर्ष तक: 7 मामले; अन्तर्निहित
 राशि: 1.37 लाख रु० तथा 20 वर्षों से अधिक: 10 मामले; अन्तर्निहित राशि: 1.95 लाख रु०) में

- * जल समस्या वाले गांव: जिन गांव में पंच जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं है।
- ** अकी, इन्हीजी, देहरा, धर्मशाला, इन्दीया, नरपुर, पावटा साहिब, शिमला-1, सुन्दरनगर तथा सुन्नी
- *** चम्बा, धर्मशाला, मुडी, नाहन, नरपुर तथा शिमला

महत्वपूर्ण मामले आगामी परिच्छेदों में दिए गए हैं:

अधिकांश अभियन्ता-1 (योजना एवं अन्वेषण) द्वारा अनुरोधित थी। नमूना जांच के दौरान स्थान में आए नमूना जांच अगस्त 1997 तथा जुलाई 1997 के मध्य की गई। यह समीक्षा प्रमुख अभियन्ता तथा वर्तनी के अन्तर्गत कार्य करने वाले 10 मुहर्तियों के 1992-97 की अवधि के अभिलेखों की मिशन का कियान्वयन विभाग के 39 मुहर्तियों द्वारा किया जा रहा था।

4.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

विभाग का समस्त निवृत्त विवरण विवरण एवं सविब (सिवाइ एवं जनस्वास्थ्य विभाग) के पास था। अनुश्रवण की देखरेख मुख्यतः में अधिकांश अभियन्ता, योजना तथा अन्वेषण-1 द्वारा की जाती थी। भी था। उत्तर क्षेत्र मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के निवृत्त/प्राथमिक था। मिशन के स्थापक, योजना तथा के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी था। विभाग का मुख्यालय प्रमुख अभियन्ता था जो दक्षिण क्षेत्र का प्रभारी 10 वर्तनी तथा 43 मुहर्तियों द्वारा सिवाइ एवं जनस्वास्थ्य विभाग राज्य में मिशन

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अभिज्ञात जल समस्या वाले गांव में 100 प्रतिशत अनुदान के साथ कियान्वयन हेतु "त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम" सर्वप्रथम 1972-73 में चलाया गया था। यह कार्यक्रम "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के समावेशन के साथ 1974-75 में प्रत्याहृत कर 1977-78 में पुनः स्थापित किया गया। जल समस्या वाले गांवों में इस कार्यक्रम को शीघ्र करने तथा शीघ्र प्रचलन उपलब्ध करवाकर ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु 1986 में राष्ट्रीय प्रचलन मिशन चलाया गया जिसे 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रचलन मिशन का नाम दिया गया। अनावृत/साधनहीन गांवों को शीघ्र प्रचलन उपलब्ध करवाना तथा अशुद्ध पानी के प्रयोग से बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना मिशन के मुख्य लक्ष्य थे।

4.1.1 परिव्य

4.1 राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रचलन मिशन

सिवाइ एवं जनस्वास्थ्य विभाग

निर्माणकार्य व्यय

वीया अस्थाय

[परिच्छेद 4.1.6(iv)]

प्रबन्ध सूचना पद्धति का विकास हेतु भारत सरकार द्वारा जारी 45.60 लाख रु0 का अर्नदान मार्च 1996 से अग्रगण्य रहा।

**

[परिच्छेद 4.1.6(ii)]

खर्च किए।
अन्वेषण इकाइयों की संस्थापना पर निर्धारित सीमा से 36.96 लाख रु0 अधिक खर्चित शामिल जलपूर्ति कार्यक्रम के अर्नदानों का विवरण करके अर्नदान तथा

**

[परिच्छेद 4.1.5(iii)(ख)]

अन्तर्गत कार्यान्वित 18 जलपूर्ति स्कीमों से 176 घरेलू कनेक्शन दिए गए थे।
दो मण्डलों में भारत सरकार के अर्नदेशों के विपरीत 2.14 करोड़ रु0 की लागत से मार्च 1993 तथा मार्च 1997 के दौरान खर्चित शामिल जलपूर्ति कार्यक्रम के

**

[परिच्छेद 4.1.5(iii)(ग)]

पर किया गया था।
जलपूर्ति स्कीमों का स्पाकन 70 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर किया गया था।
1992-97 के दौरान 7.54 करोड़ रु0 की लागत से पूर्ण तथा चालू की गई 143 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर किया जाना था किन्तु 5 मण्डलों में यद्यपि खर्चित शामिल जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों का स्पाकन 40

**

[परिच्छेद 4.1.5(iii)(ख)]

स्कीमों कार्यान्वित की गई थी।
पानन नहीं किया गया था और अलानकरोती तथा लघु स्पाकन अवहियों वाली विभिन्न स्कीमों के स्पाकन विकसित करने हेतु भारत सरकार के अर्नदेशों का

**

[परिच्छेद 4.1.5(i) तथा (ii)]

6.52 करोड़ रु0 की लागत से आवृत्त किया गया था।
405 बस्तियां जो मिशन के अन्तर्गत पानना के योग्य नहीं थीं को अनियमित रूप से

**

था। पानी उपलब्ध करवाने हेतु गांवों का वजन भी मानकों के अनुसार नहीं था।
आंशिक आवृत्त बस्तियों (99 प्रतिशत) को प्रबल उपलब्ध नहीं करवाया गया तथापि मार्च 1997 तक 5582 अनावृत्त बस्तियों (73 प्रतिशत) और 14,462 जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया था।
भारत सरकार ने आठवीं पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक समस्त शामिल

**

- ** त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से प्राप्त 2.17 करोड़ ₹ का अनुदान राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निर्माण पर अनियमित रूप से प्रयुक्त किया गया।
[परिच्छेद 4.1.6(v)]
- ** पूर्ण की गई 25 जलापूर्ति स्कीमों में 31.16 लाख ₹ की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।
[परिच्छेद 4.1.6(vi)]
- ** 2.30 करोड़ के प्राक्कलन की बयालीस जलापूर्ति स्कीमों में 4.34 करोड़ ₹ की लागत से 3 महीनों से 11 वर्षों के विलम्ब के पश्चात् पूर्ण की गई थीं, जिसके कारण 2.04 करोड़ ₹ की अधिक लागत आई।
[परिच्छेद 4.1.6(viii)]
- ** 3 करोड़ ₹ की लागत वाली संतालीस स्कीमों में 2.88 करोड़ ₹ खर्च करने के पश्चात् भी अपूर्ण रहीं। इन में से दो स्कीमों में दस वर्षों से भी अधिक का विलम्ब हुआ।
[परिच्छेद 4.1.7(ii)]
- ** मिनी मिशन के अन्तर्गत 2.01 करोड़ ₹ की प्राक्कलित लागत की 39 जलापूर्ति स्कीमों में 2 से 5 वर्षों के विलम्ब से 3.75 करोड़ ₹ की लागत से पूर्ण हुई। परिणामतः 1.74 करोड़ ₹ अधिक व्यय हुआ।
[परिच्छेद 4.1.8(iii)]
- ** प्रयोगशालाओं की अपेक्षित संख्या के अभाव में डलहौजी मण्डल द्वारा 13 स्कीमों का निष्पादन आरम्भ करने से पूर्व जलस्रोत का रासायनिक तथा जीवाण्विक विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए सात जिलों की 528 स्कीमों के सम्बन्ध में शुद्ध पेय जलापूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल नमूनों के आवधिक परीक्षण नहीं करवाए गए थे।
(परिच्छेद 4.1.9)
- ** राज्य मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा स्कीमों का यथाअपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया था। 1994-97 के दौरान अधीक्षण अभियन्ताओं तथा कार्यकारी अभियन्ताओं द्वारा निर्धारित निरीक्षण का केवल 8 प्रतिशत निरीक्षण किया था।
(परिच्छेद 4.1.10)
- ** विभाग द्वारा स्कीम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।
(परिच्छेद 4.1.11)

* बस्ति: बास डकाई/डकाइया
 ** अकी, डलहीजी, पादटा साहिब, शिमला-1, सुन्दरनगर तथा सुन्नी

4.39 करोड़ रु० का अनियमित व्यय हुआ।
 वाले गांव के रूप में वर्गीकृत किया जाना अनियमित था और इसके कारण इन स्कीमों के निष्पादन पर के जल में रसायनिक तथा जैविक सन्मिश्रण के कोई प्रमाण नहीं था। अतः इन गांवों का जल समस्या किलोमीटर के मध्य था जो 1.6 किलोमीटर की निर्धारित सीमा के भीतर था। इसके अतिरिक्त गांवों था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि गांवों से जल स्रोतों का फासला 0.20 किलोमीटर तथा 1.53 आवरण हेतु 1992-97 के दौरान 4.39 करोड़ रु० की लागत से 121 स्कीमों का निर्माण किया गया था। प्राकल्पनों की जांच से पता चला कि जल समस्या वाले गांवों के रूप में वर्गीकृत 266 गांवों के वरिष्ठ ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत छ: मण्डलों में अर्जमाहित

ऐसे गांव, जहां हैजा, टिनी-कॉम आदि रसायनिक बीमारियां थीं।

विषले तबलों की अधिकता थी; अथवा
 ऐसे गांव, जहां उपलब्ध जल में खारापन, लोहा, फ्लूरोराइड, सोडियम या अन्य

उत्पादन पर उपलब्ध थे); अथवा
 (पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे गांव जहां जलस्रोत बस्तियों से 100 मीटर से अधिक के
 ऐसे गांव जिनका निरिवत जल स्रोत 1.6 किलोमीटर के फासले में नहीं था

वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित कसौटियां अपनाई जानी थीं:
 (क) भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार प्रयोज्य समस्या वाले गांवों के

(!!) सम्पत्त्याविहीन गांवों का आवरण

भारत सरकार ने आठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत देश की समस्त ग्रामीण जनसंख्या को प्रयोज्य उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। विभाग द्वारा दी गई सूचना (जुलाई 1997) के अनुसार मार्च 1997 तक 2,030 अनार्वत तथा 194 आंशिक आर्वत बस्तियां की प्रयोज्य उपलब्ध करवाया गया था। कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,582 अनार्वत (73 प्रतिशत) तथा 14,462 (99 प्रतिशत) आर्वत बस्तियों को यह सुविधा उपलब्ध करवानी क्षेप थी।

(1) ग्रामीण जलापूर्ति का स्तर निर्धारण करने हेतु भारत सरकार के निर्देशों पर विभाग ने 1991-93 के दौरान एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण डकाई बस्ति था। आर्वत तथा आंशिक आर्वत बस्तियों की संख्या क्रमशः 7,612 तथा 14,656 निकाली।

4.1.5 मिशन का कार्यक्षेत्र

*** अर्की, उन्हाडी तथा नरपुत्र

** अर्की, उन्हाडी, धर्मशास्त्रा, नरपुत्र, पावटा साहिब, शिमला-1, सुन्दरनगर तथा मुन्नी

* अर्की, धर्मशास्त्रा, नरपुत्र तथा मुन्नी

(क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में जारी अर्नदेशों के अनुसार त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का स्थापन करने समय प्रत्येक स्कीम की प्रति व्यक्ति लागत राज्य क्षेत्र के उद्देश्यों हेतु निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। प्रमुख अभियन्ता ने सूचित किया (जुलाई 1997) कि राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रति व्यक्ति लागत 8,000 रु० थी। तीन मण्डलों (1992-97) देखा गया कि 10 जलपूर्ति स्कीमों 1.02 करोड़ रु० की प्राक्कलित लागत पर स्वीकृत (1992-97) की गई थी तथा इन मामलों में प्रति व्यक्ति लागत 8,325 रु० तथा 12,040 रु० के मध्य रही। अतः ये स्कीम अर्नदेशों के विपरीत निष्पादन हेतु उच्चतर प्रति व्यक्ति लागत पर आरम्भ की गई थी।

(!!!) अर्नदेशित मानकों से हटकर स्कीमों का कियान्वयन

सम्बद्ध मण्डलों के अधिशास्य अभियन्ताओं ने बताया (अप्रैल-जुलाई 1997) कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवहार्य नहीं थे। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि ऐसी बस्तियों को आवृत करना मिशन के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं था।

(ग) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक 250 व्यक्तिवर्ग के लिए एक स्टैंड पाउंड अर्नमत थी। 1.6 फिलोमीटर के भीतर पब्लिक स्रोत न होने वाले स्वतन्त्र बस्तियों के मामले में 250 व्यक्तिवर्गों की न्यूनतम संख्या के बावजूद एक स्टैंड पाउंड प्रदान की जानी थी। 50 व्यक्तिवर्गों से कम वाली बस्तियों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टैंड पाउंड दी जाती थी। अभिलेखों की नमूना जाच से प्रकट हुआ कि 1.13 करोड़ रु० की लागत से आठ मण्डलों में मार्च 1997 तक निष्पादित 38 स्कीमों के अन्तर्गत 3 से 43 व्यक्तिवर्गों की जनसंख्या वाली 64 बस्तियों को 277 स्टैंड पाउंड प्रदान किए गए थे।

दौरान पूर्ण किया गया था।

(घ) भारत सरकार द्वारा जारी (अप्रैल 1986) अर्नदेशों के अनुसार विद्यमान स्कीमों का विस्तार तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों का आरम्भ किया गया तथा 1 करोड़ रु० की लागत से 1992-97 के अन्तर्गत 1986-1996 के दौरान 75 बस्तियों को आवृत करने वाली 28 विद्यमान जलपूर्ति स्कीमों इन अर्नदेशों के विपरीत चार मण्डलों में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं किया जाना था।

सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ताओं ने बताया (अप्रैल 1997-जुलाई 1997) कि ग्रामीण द्वारा किए गए सर्वेक्षणानुसार उन्हें अनावृत बस्तियों समझे जाने पर इन स्कीमों को त्वरित निष्पादन द्वारा किए गए सर्वेक्षणानुसार उन्हें अनावृत बस्तियों समझे जाने पर इन स्कीमों को त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि जनसंख्या वाले गांवों के लिए निर्धारित मानक इन मामलों में नहीं पाए गए।

* अर्थी, कर्मदात्री, धर्मशास्त्र, नैर्घ, पावटा माहिर, शिमला-1 मुन्दरमार तथा सुनी
 ** अर्थी, कर्मदात्री, पावटा माहिर, नैर्घ तथा सुनी

(घ) भारत सरकार के अर्नदेशों के अन्सार त्वरित मामील जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तगत बल वीरिय उपलब्ध करवाई जानी थी। कार्यक्रम के अन्तगत घरेलू कनेक्शन नहीं दिए जाने थे। नैर्घ मण्डल के अन्तगत दो गावों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 335 व्यक्ति थे। को पानी देने के लिए स्थापित उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, मथाली मालाबल की 1990-91 के दौरान 9.70 लाख रु० की लागत से त्वरित मामील जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तगत पूर्ण किया गया था। कार्यक्रम के अंतिम वर्षों की नमूना जांच से पता चला कि स्कीम के अन्तगत 17 बल वीरिय लगाई गई थीं जिन्हें बाद में हटा दिया गया था तथा राज्य सरकार की "प्रत्येक घर को नल" लाने की स्कीम

कावकायी अभियन्ताओं ने बताया (अप्रैल-जुलाई 1997) कि वास्तव में वे तथा अधिक कूट-पूट रूप में थी तथा स्थापकन विभाग के निर्देशों के अन्सार किया गया था। तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग की कारवाइ भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन के विपरीत थी।

(ग) सीमित उपलब्ध जल स्रोतों के रहते अधिकतम लोगों को सुविधा देने हेतु त्वरित मामील जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तगत स्कीमों की 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर स्थापित किया जाना था। यह देखा गया कि पांच मण्डलों में 7.54 करोड़ रु० की लागत से 1992-97 के दौरान पूर्ण तथा चालू की गई 143 जलापूर्ति 70 तथा 100 लीटर के मध्य प्रति व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर स्थापित की गई थी।

भारत सरकार के अर्नदेशों के विपरीत थे।
 द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अन्सार था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शन भारत कावकायी अभियन्ता ने बताया (मई-जून 1997) कि स्कीमों का स्थापकन विभाग

अवधि हेतु स्थापित की गई थी।
 वर्ष 1992-97 की अवधि के दौरान बनाई गई 530 पाइप जलापूर्ति/गुरुत्व स्कीम केवल 15 वर्षों की *आठ मण्डलों के अंतिम वर्षों की नमूना जांच से पता चला (मई-जून 1997) कि

(ख) भारत सरकार द्वारा जारी अर्नदेशों के अन्सार पाइप जलापूर्ति/गुरुत्व स्कीम 20 वर्षों की अवधि हेतु स्थापित की जानी थी।

क्षमता की प्रणालियों का प्रावधान अनियमित था।
 कार्यक्रम के अन्तगत जलापूर्ति 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से होनी थी। अतः उच्चतर कारण प्रति व्यक्ति लागत में वृद्धि हुई थी। उनका तर्क मान्य नहीं था क्योंकि त्वरित मामील जलापूर्ति प्रति दिन की दर पर जलापूर्ति हेतु उच्चतर क्षमता के मुख्य गुरुत्व/वितरण प्रणाली के प्रावधान के (मई-जून 1997) कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति

थी।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1997) कि मार्च 1989 में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। तथापि बरिन् स्तर पर स्कीमों के परिवर्तन और अर्जुन योजना में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा दिसम्बर 1994 में जारी मार्गदर्शनों को जनवरी 1997 में कुछ संशोधनों सहित समस्त क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ताओं को जारी किया गया था। उसने यह भी बताया (अप्रैल 1997) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से पुनर्निर्देशन की प्रतीक्षा

थी तथा स्कीमों का अर्जुन विभागीय तौर पर किया जा रहा था।

भारत सरकार ने मार्च 1989 में सुझाव दिया कि मिशन के सक्षम अर्जुन हेतु

परिष्कारित स्तर पर पानी की सुविधाएँ गठित की जानी चाहिए। सुविधाएँ राज्य में गठित नहीं की गईं। गतिविधियों में से एक का भी कियान्तरण नहीं किया गया।

मिशन में स्कीमों के परिवर्तन तथा अर्जुन में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करना अधिकतम था। उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी थी ताकि वे जल स्रोतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के प्रति जागरूकता के साथ, प्रभावी तथा स्थायी सुविधाओं के समर्थन प्रदान किया गया। बहुरेख्य सुविधाओं के समर्थन प्रदान तथा स्थायी सुविधाओं के समर्थन प्रदान किया गया।

(iv) मिशन के कियान्तरण में स्थानीय लोगों को सम्मिलित न करना

की गई थी।

दिए गए थे। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस विषय में भारत सरकार के अर्जुन की पालना नहीं

कार्यकारी अभियन्ता ने बताया (मई-जून 1997) कि घरेलू कनेक्शन लोकहित में निर्मित 18 जलपूर्ति स्कीमों से 176 घरेलू कनेक्शन दिए गए थे।

रू० की लागत से मार्च 1993 से मार्च 1997 के दौरान त्वरित गामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.14 करोड़

इसी प्रकार दो मण्डलों में भारत सरकार के अर्जुन के विपरीत 2.14 करोड़

कार्यकारी अभियन्ता ने बताया (मई 1997) कि सक्षम प्राधिकारों द्वारा प्राक्कलन के अन्तर्गत के पश्चात ही प्रत्येक घर को नलक दिए गए थे। यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि मिशन की कारवाइ त्वरित गामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के प्राथमिकी के विपरीत थी।

पुनर्निर्माण सम्बन्धी 2.43 लाख रु० का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था।

वर्धित होना पड़ा। इस स्कीम में सम्बर्धन करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नवम्बर 1996 में की गई के कारण पानी की कमी हुई जिससे कुछ लाभार्थियों को पानी की अपनी आवश्यकताओं से के अन्तर्गत राज्य विधियों से 65 घरों की कनेक्शन दिए गए थे। कनेक्शनों की संख्या में 17 से 65

4.1.6

वित्तीय परिचय तथा व्यय

राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य द्वारा निधियों के प्रावधान तथा व्यय किए जाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्कीम के निष्पादन हेतु वित्तीय सहायता दी जानी थी। मिनी मिशन के संबंध में अनुमोदित लागत तक व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी थी।

अंतिम पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी वर्षानुवर्ष बजट आबण्टन, अनुदान तथा वास्तविक व्यय निम्नांकित था:

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम				न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	
	आबण्टन	जारी	व्यय	खर्च न की गई राशि	प्रावधान	व्यय
				(करोड़ रुपए)		
मार्च 1992 तक				5.61		
1992-93	10.30	10.30	11.24	4.67	52.70	55.04
1993-94	10.58	10.12	10.41	4.38	41.28	45.84
1994-95	10.66	9.14	10.87	2.65	40.70	42.98
1995-96	11.04	14.87	15.21	2.31	47.03	48.62
1996-97	13.25	19.06	19.24	2.13	52.90	45.40
जोड़	55.83	63.49	66.97		234.61	237.88

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आए:-

(i) अव्ययित अनुदान

वर्ष 1992-97 के दौरान जारी 69.10 करोड़ ₹0 (त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.61 करोड़ ₹0 के व्यय न हुए बकाये सहित) के प्रति 66.97 करोड़ ₹0 व्यय किए तथा इस अवधि के दौरान 2.13 करोड़ ₹0 और 4.67 करोड़ के बीच अव्ययित बकाया रहे। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (नवम्बर 1996 तथा जुलाई 1997) कि प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी निधियां समय पर पाईपों की अनुपलब्धता के कारण पूर्णरूप से प्रयुक्त नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निधियों की उपलब्धता की दृष्टि से विभाग को समय पर पाईपों का उपार्जन करना था।

(ii) अधिक व्यय

राज्यों द्वारा स्थापित अनुश्रवण तथा अन्वेषण इकाइयों के लिए भारत सरकार से सहायता 10 लाख ₹0 प्रति वर्ष तक सीमित थी। वास्तविक व्यय निर्धारित सीमा से अधिक होने के

मामले में अतिरिक्त लागत राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अथवा आयोजनेतर निधियों जो भी राज्य में चालू प्रणाली के अनुसार उपयुक्त समझी गई हो, से वहन की जानी थी।

तथापि वर्ष 1992-97 के दौरान 50 लाख रु की निर्धारित सीमा के प्रति 86.96 लाख रु का व्यय किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला 36.96 लाख रु का अधिक व्यय त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों से किया गया था।

(iii) **सूचना, शिक्षा एवं संचार परियोजना के कार्यान्वयन में विफलता**

समाज के सभी समुदायों में स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल से सम्बन्धित जागरूकता पैदा करने हेतु भारत सरकार द्वारा एक सूचना, शिक्षा तथा संचार परियोजना तैयार की गई। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1995-96 के दौरान दो जिलों (कांगड़ा तथा सिरमौर) का चयन किया गया। परियोजना को 80.80 लाख रु की स्वीकृति दी गई तथा इस पर होने वाला व्यय केन्द्र तथा राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाना था। भारत सरकार ने इस उद्देश्य हेतु मार्च 1996 के दौरान 20.20 लाख रु की राशि निस्तारित की परन्तु यह राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी क्योंकि परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई थी। जुलाई 1997 तक राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत कोई सदृश प्रावधान भी नहीं बनाया गया था।

यह राशि मार्च 1997 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण हेतु राज्य परिषद् को हस्तान्तरित की गई। राज्य परिषद् के संयुक्त सचिव ने सूचित किया (जून 1997) कि राशि विभाग से इसके उपयोग हेतु निदेशों के अभाव के कारण परिषद् के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

(iv) **प्रबन्ध सूचना पद्धति कार्यक्रम को कार्यान्वित न करना**

प्रबन्ध सूचना पद्धति कार्यक्रम के अन्तर्गत, विभाग में कम्प्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार ने मार्च 1996 में 45.60 लाख रु का अनुदान स्वीकृत किया। संस्वीकृति के अनुसार परियोजना की लागत का 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। तथापि यथा अपेक्षित राज्यांश निस्सारित नहीं किया गया था। यह राशि जुलाई 1996 में शिमला-1 मण्डल को कम्प्यूटरों के उपार्जन (44.93 लाख रु) तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थ (0.67 लाख रु) प्रबन्ध हेतु आवण्टित की गई।

मण्डल ने मार्च 1997 में राशि आहरित की तथा उसी महीने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास अस्थायी रूप से जमा करवा थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1997) कि निधियों को व्ययगत होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। उसे कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे।

इस प्रकार उचित योजना तथा समन्वय की कमी अनियमित आहरण तथा निधियों के अवरोधन और प्रबन्ध सूचना पद्धति कार्यक्रम के अकार्यान्वयन में परिणत हुई।

* अर्की, उलहीजी, नूरपुर, पावला साहिब तथा सुन्नी

निधियों का अपवर्तन हुआ।

(घ) राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 1982 तथा मार्च 1992 के मध्य उलहीजी ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के नामे जाल दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप मिशन हेतु वैश्विक कि इन स्कीमों पर किया गया 40.68 लाख रु0 का व्यय वर्ष 1992-97 के दौरान अभियोग रूप से मण्डल द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों का निर्माण किया गया था। अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ

(ग) इसी प्रकार, सैन्दरनगर मण्डल (जिला मण्डल) के अन्तर्गत गौहर में टाईप-III ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 निधियों से विनिर्माण नहीं किए जाने थे। 1993 तथा जून 1997 के मध्य ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के नामे जाल दिया गया। यद्यपि ऐसे कार्य कर्तव्य पर एक मण्डल के विनिर्माण पर एक गांव 3.38 लाख रु0 के व्यय को टिप्पण करने के मूल पर एक मण्डल के विनिर्माण पर एक गांव 3.38 लाख रु0 के व्यय को टिप्पण करने के लिए

अभिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1997) कि संस्वीकृत प्राकल्पन में समितित आकस्मिकताओं के लिए गांव प्रावधान में से अधीक्षण अभियन्ता, शाहनहर परिवोजना वल, नूरपुर द्वारा अभियोगित प्राकल्पन के अन्तर्गत ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के अन्तर्गत यह कार्य किया गया था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि पी0वी0ज0 की पानी की पूर्ति हेतु रखी गई निधियों को कायम रखने के लिए अन्य कार्यकार्यों के लिए अपवर्तित नहीं किया जा सकता था।

का विनिर्माण किया गया।

(ख) भारत सरकार द्वारा ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के अन्तर्गत प्रदान की गई निधियों पी0वी0ज0 की जलपूर्ति हेतु उपयोग में लाई जानी थी। यह देखा गया कि पी0वी0ज0 के लिए जल आपूर्ति स्कीमों के विनिर्माण हेतु रखी गई निधियों में से नूरपुर मण्डल के अन्तर्गत जयपुर में वर्ष 1992-93 के दौरान 6.02 लाख रु0 की लागत से एक विभाग गृह तथा चौकीदार के लिए कर्तव्य

अनजाने में ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 को ड्रिबल करना बताया।

अभिशासी अभियन्ता ने केन्द्रीय अर्दानों के अपवर्तन का कारण या तो ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के अन्तर्गत लक्षित स्कीमों को पूरा करने हेतु निधियों की अनपेक्षितता या व्यय को

(क) ए0आर0डब्ल्यू0 एस0पी0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त 1.67 करोड़ रु0 की निधियों वर्ष 1992-97 के दौरान राज्य क्षेत्र में पाव मण्डलों में 61 जल आपूर्ति स्कीमों के विनिर्माण पर उपयोग की गई। इसके परिणामस्वरूप न केवल केन्द्रीय अर्दानों का अपवर्तन हुआ बल्कि ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के अन्तर्गत उपलब्धियों की गलत सूचना भी दी गई।

(व) निधियों का अपवर्तन

अधिशाली अभियन्ता ने बताया (जून 1997) चूकि राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों को उपयोग में लाया गया था।

(vi) पूर्ण हो चुकी स्कीमों के प्रति अप्रयुक्त सामग्री

केन्द्रीय सहायता के निस्तारण हेतु मांगों का निर्धारण समय समय पर ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के अन्तर्गत पूर्ण स्कीमों के विभिन्न कार्यस्थलों पर मौजूद सामग्री लेखाओं में पड़ी अप्रयुक्त सामग्री को लेखाबद्ध करने के पश्चात् किया जाना था। तीन मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि जुलाई 1997 तक 25 जल आपूर्ति स्कीमों के प्रति 31.16 लाख रु0 मूल्य की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी, यद्यपि ये स्कीमें पहल ही पूर्ण हो चुकी थी और मार्च 1982 तथा मार्च 1997 के मध्य चालू भी की जा चुकी थी।

अधिशाली अभियन्ताओं ने बताया (मई-जून 1997) कि सामग्री का पुनरांकन किया जाएगा या इसे अन्य कार्यों को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

(vii) निधियों के हास से बचने के लिए अग्रिम रूप में आहरण

वित्तीय नियमों में नियत है कि कोषागार से तब तक किसी भी धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित न हो। उन निर्माणकार्यों के निष्पादनार्थ भी कोषागार से धन आहृत करने की अनुमति नहीं है, जिनकी पूर्णता में पर्याप्त समय लगना संभावित हो।

शिमला मण्डल संख्या 1 में ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0 के अन्तर्गत मार्च 1992 (12.70 करोड़ रु0) तथा मार्च 1993 (0.37 करोड़ रु0) के दौरान 13.07 करोड़ रु0 आहृत किए गए तथा जस्तीकृत लोहे की पाइपों, सीमेण्ट तथा जस्तीकृत लोहे की नालीदार चादरों की आपूर्ति हेतु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास जमा करवा दिए गए। निगम ने 12.70 करोड़ रु0 में से भिन्न-2 फर्मों को सामग्री की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान (5.49 करोड़ रु0) किया तथा 7.21 करोड़ रु0 की बकाया राशि वर्ष 1992-93 में लौटा दी। इसी भाँति 0.37 करोड़ रुपए में से निगम द्वारा वर्ष 1993-94 में 0.15 करोड़ रु0 मूल्य की सामग्री की आपूर्ति की गई तथा वर्ष 1993-94 में 0.22 करोड़ रु0 की बकाया राशि मण्डल को प्रत्यापित की गई। अधिशाली अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1997) कि वर्ष के अन्त में प्राप्त निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए राशि का आहरण करना पड़ा। निगम से वापस प्राप्त की गई राशि को लोक निर्माण निक्षेप के अन्तर्गत रखा गया तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में उपयोग में लाया गया।

* अर्की, इलहौजी तथा सुन्दरनगर

इस प्रकार, वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके आवश्यकताओं से पूर्व ही राशि आहृत की गई थी। सामग्री की प्राप्ति तथा खपत की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी क्योंकि ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० के अन्तर्गत कोई भी अलग भण्डार लेखे नहीं रखे गए थे।

(viii) **स्कीमों के कार्यान्वयन में विलम्ब तथा अत्यधिक व्यय**

स्कीमों के लिए मूल रूप से स्वीकृत समय से परे स्कीमों की पूर्णता में देरी के कारण यदि कोई व्यय वृद्धि हो तो स्कीमों की पूर्णता हेतु अपेक्षित अतिरिक्त निधियां राज्य एम०एन०पी० में से खर्च की जानी थी। जहां व्यय में वृद्धि मूल रूप से स्वीकृत समय के भीतर मूल्य वृद्धि के कारण थी वहां इस पर भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन्हें नियमित करने हेतु विचार किया जा सकता था।

अर्की तथा सुन्नी मण्डलों में वर्ष 1984-96 के दौरान 2.30 करोड़ ₹ की अनुमानित लागत से शुरु की गई 42 स्कीमों वास्तव में वर्ष 1993-97 के दौरान 4.34 करोड़ ₹ की लागत से पूर्ण की गई थी। स्कीमों की पूर्णता में देरी 3 मास से 11 वर्षों के बीच रही। स्कीमों पर किया गया 2.04 करोड़ ₹ का अतिरिक्त खर्च ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० के नामे डाल दिया गया था।

अधिशासी अभियन्ताओं ने स्कीमों की पूर्णता में देरी का कारण सामग्री की अनुपलब्धता तथा निधियों की कमी बताया (अप्रैल-जून 1997)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दिशा निर्देशों में नियत था कि विलम्बित स्कीमों हेतु निधियां राज्य ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० से प्राप्त की जानी चाहिए।

चार मण्डलों* के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि वर्ष 1991-96 के दौरान 1.53 करोड़ ₹ की अनुमानित लागत से निष्पादन हेतु शुरु की गई 23 स्कीमों वर्ष 1992-97 के दौरान 2.16 करोड़ ₹ के व्यय से अनुमोदित समय के भीतर पूर्ण की गई थी। 0.63 करोड़ ₹ का अधिक व्यय नियमित नहीं किया गया था।

अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (अप्रैल 1997-जून 1997) कि अनुमोदित लागत पर अधिक व्यय मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि तथा सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण था। उत्तर अस्पष्ट था क्योंकि अधिक खर्च प्रमाणित करने वाले ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अधिक व्यय या तो भारत सरकार से नियमित करवाया जाना था या एम०एन०पी० के अन्तर्गत राज्य निधियों में से किया जाना था।

4.1.7 **स्कीमों की प्रत्यक्ष प्रगति**

1992-97 के दौरान आवरण हेतु सर्वेक्षण के दौरान अभिज्ञात 22,268 बस्तियों (एन०सी० 7,612; पी०सी०: 14,656) में से 5,582 एन०सी० (73 प्रतिशत) तथा 14,462 पी०सी० बस्तियां (99 प्रतिशत) मार्च 1997 तक आवृत्त नहीं की गई थी।

* अर्की, डलहौजी, पांवटा साहिब तथा सुन्नी

- *** अर्चिड 4.1.5(II), 4.1.6(II), 4.1.6 (V) तथा 4.1.6(VII)
- ** अर्की, उलहीजा, सुन्दरनगर तथा युनी
- * नरपुर तथा पावला साहिब

गया था वह इन्हें अविवेकपूर्णता से शिक्षण के अन्तर्गत रखा गया था।
 को या तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों के निष्पादन/पूर्णा हेतु उपवर्तित किया
 नहीं था क्योंकि पूर्व उल्लिखित बर्तन से मामलों में ए०आर०डब्ल्यू०ए०पी० हेतु रखा गई निधियों
 कमी तथा विशेष आवश्यकताओं के लिए सामग्री की उपलब्धता के कारण हुआ। उत्तर तकस्थान
 से वित्त नहीं। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अर्चिड-वर्नाई 1997) कि वह वित्त निधियों की
 परिणामतया 16,533 व्यक्तियों की जनसंख्या वाली 159 बस्तियों अभियन्ता
 (I) एक वर्ष से कम 6
 (II) एक से पाँच वर्ष तक 27
 (III) पाँच से दस वर्ष तक 11
 (IV) दस वर्ष से अधिक 2
 वित्त की अवधि स्कीमों की संख्या

रही। प्रत्येक मामले में वित्त की सीमा नीचे तालिकाबद्ध की गई है:-
 वर्षों में पूर्ण की जानी नियत थी, मार्च 1997 तक 2.88 करोड़ ५० का व्यय करने के बाद भी अधूरा
 अनुमानित लागत से 46 जल आपूर्ति स्कीमों निष्पादनार्थ शुरू की गई। वे स्कीमों, जो कि एक से चार
 बार मुहूर्तों में वर्ष 1977-78 तथा 1995-96 के मध्य 3 करोड़ ५० की

(II) अधूरी स्कीमों पर निष्कल व्यय

(ख) 5,582 एन०सी० बस्तियों की कुल संख्या में सुन्दरनगर मुहूर्त के अन्तर्गत 382
 बस्तियों भी सम्मिलित थी। तथापि, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने बताया (वर्नाई 1997) कि
 उसके मुहूर्त के विरुद्ध दर्शाई गई एन०सी० बस्तियों की संख्या गलत थी क्योंकि 29 बस्तियाँ वर्ष
 1992 से पहले ही आवृत्त की जा चुकी थी। इस प्रकार, विभाग द्वारा भारत सरकार को सौंपे गए
 1992 एन०सी० तथा पी०सी० बस्तियों की संख्या सम्पूर्णातः तथ्यों पर आधारित नहीं थी।

वर्क के कारण दर्शाई गई थी।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अर्चिड-मई 1997) कि अधिक व्यय

(क) * दो मुहूर्तों द्वारा सौंपे गए व्यय की स्थिति की लेखापरिीक्षा में नमूना जांच से
 प्रकट हुआ कि राज्य एम०एन०पी० के अन्तर्गत आवृत्त 410 की जनसंख्या वाली 8 बस्तियाँ वर्ष
 1993-97 के दौरान ए०आर०डब्ल्यू०ए०पी० के अन्तर्गत आवृत्त दर्शाई गई थी। इस प्रकार,
 भौतिक प्रगति की इस सीमा तक बढ़ाया गया था।

(I) व्यय की बंटा-बंटा कर सूचना देना

लेखापरिीक्षा में निम्नांकित तथ्य द्यान में आए:-

(iii) अनुपयुक्त जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय

10 बस्तियों को पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अभिकल्पित जल आपूर्ति स्कीम, गुम्मा (जिला शिमला) के कार्य को सितम्बर 1993 में 4.40 लाख रु० के लिए अनुमोदित किया गया। यह कार्य, जिसे कि एक वर्ष में पूर्ण किया जाना नियत था, सुन्नी मण्डल द्वारा दिसम्बर 1993 में शुरू किया गया था तथा वर्ष 1996-97 तक इस पर 6.34 लाख रु० व्यय किये जा चुके थे। पानी के स्रोत पर विवाद के कारण मार्च 1995 से यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ था।

अधिक्षण अभियन्ता, रामपुर ने सितम्बर 1995 में देखा कि स्रोत पर किसी प्रकार के विवाद की मुक्ति को सत्यापित किए बिना स्कीम निर्मित की गई थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1997) कि अब वर्तमान स्रोत से 4.20 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति दूसरे स्रोत से पानी की निकासी को प्रस्तावित किया गया था। यह भी बताया गया कि वैकल्पिक स्रोत से पानी उपलब्ध करवाने हेतु एक आकलन प्रक्रियाधीन था।

4.1.8 कांगड़ा में ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु मिनी-मिशन

वर्ष 1986 में टक्नॉलोजी मिशन को आरम्भ करने के बाद सितम्बर 1988 में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए एक मिनी-मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक दो वर्षों की अवधि के लिए जिला कांगड़ा को चुना गया। इसे आगे मार्च 1995 तक बढ़ा दिया गया और उस समय तक 7.03 करोड़ रु० व्यय किए गए थे।

जिला कांगड़ा में जहां कि मिनी-मिशन कार्यान्वयित किया गया था, के चार मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:-

(i) व्याप्ति की गलत सूचना देना

(क) यद्यपि मिनी-मिशन के अन्तर्गत मार्च 1995 तक जसूर गांव में कोई भी खर्च नहीं किया गया था, फिर भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 1982 में 12.20 लाख रु० के लिए अनुमोदित तथा 25.54 लाख रु० की लागत से पूर्ण (दिसम्बर 1989) की गई लिफ्ट जल आपूर्ति स्कीम, जसूर, के निर्माण को नूरपुर मण्डल द्वारा मिनी-मिशन के अन्तर्गत आवृत्त दर्शाया गया था।

(ख) देहरा मण्डल में, 11,433 लोगों की जनसंख्या वाले 116 गांवों की व्याप्ति को वर्ष 1989-93 के दौरान 31 जल आपूर्ति स्कीमों के अन्तर्गत बतलाया गया था। फिर भी अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि केवल 9,785 लोगों की जनसंख्या वाले केवल 105 गांव ही वास्तव में 24 स्कीमों के अन्तर्गत आवृत्त किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के अन्तर्गत 11 गांवों की व्याप्ति की बढ़ा-चढ़ा कर सूचना दी गई।

* देहरा, धर्मशाला, इन्दौरा तथा नूरपुर

- * देखा, धर्मशास्त्र तथा नैसर्ग
- ** देखा, धर्मशास्त्र, इन्दीया तथा नैसर्ग
- *** देखा, धर्मशास्त्र, इन्दीया तथा नैसर्ग

प्रबन्ध किया जा रहा था।

अधिकांश अभियन्ताओं ने बताया (जून-जुलाई 1997) कि संस्वीकृति का

के बिना ही उन पर 3.04 करोड़ रु० का व्यय किया गया था।
43 जल आपूर्ति स्कीम शुरू की गईं तथा मार्च 1995 तक विस्तृत आकलनों की तैयारी व संस्वीकृति नमाना-जाव से प्रकट हुआ कि वर्ष 1989-93 के दौरान 3.81 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से कि उसका विस्तृत आकलन तैयार व संस्वीकृत न किया गया हो। चार मण्डलों के अभियन्तों की नियुक्ति के अनुसार, कोई भी कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक

(iv) तकनीकी संस्वीकृति के बिना कार्यान्वित स्कीम

का अनुसरण नहीं किया गया था।
था। अतः कोई विनियम नहीं हुआ। तक मान्य नहीं था क्योंकि आकलनों में विचारित अनुबद्ध प्रावधि दौरान अधिकतर स्कीम समाविष्ट की गईं थी तथा मिनी-मिशन की अवधि मार्च 1995 तक बढ़ाई गई के वर्ष 1990-91 के अधिकांश अभियन्ताओं ने बताया (जून-जुलाई 1997) कि वर्ष 1990-91 के

निष्पत्ति नहीं किया गया था।
महीनों के बीच रही, जिसके परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसे कि मध्य 3.75 करोड़ रु० की लागत से पूर्ण किया गया। प्रत्येक मामले में पूर्णता में देरी 25 तथा 63 जिन्हें 12 से 48 महीनों में पूर्ण किया जाना था। फिर भी इन कार्यों की वर्ष 1990 तथा 1993 के 2.01 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से वर्ष 1988 तथा 1992 के मध्य निष्पादनार्थ शुरू की गईं चार मण्डलों में वर्ष 1988-90 के दौरान संस्वीकृत 39 जलआपूर्ति स्कीम

(iii) कार्यों की पूर्णता में विनियम

नाम डाला गया था। अन्य दो मण्डलों द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया था।
नैसर्ग मण्डल के अधिकांश अभियन्ता ने बताया (मई 1997) कि खर्च गलती से

अनुमानित अनुमानित नहीं किया गया था।
गए 9.86 लाख रु० के खर्च के दावे मिशन के अनुमानित किए गए थे, हालांकि इन स्कीमों की मिशन के तीन मण्डलों द्वारा वर्ष 1988-96 के दौरान तीन स्कीमों के निर्माण पर किए

(ii) अनुदानों का अपवर्तन तथा निधियों का दुरुपयोग

* अर्की, उलहीजी, मूरपुर, पावटा साहिब, शिमला-1, पूर्वप्रकार तथा युग्म

मण्डली में नहीं आया।

यद्यपि यह सूचित किया कि राज्य मूल्यांकन से कमी भी कोई आधिकारी स्कीमों के निरीक्षण हेतु लेखापरीक्षा के दौरान नमूना-जाच किए गए मण्डली में निष्पादन प्रेरितियों से

विहित मानकी एवं विनिर्देशों के अनुरोध था।

(!) (1) मंत्रालय द्वारा जारी अनुरोधों के अनुरोध राज्य सरकार के मूल्यांकन के आधिकारी यह सुनिश्चित करने हेतु जिनका निष्पादन रूप से दौरा करेंगे कि स्कीमों का निष्पादन

4.1.10 अनुश्रवण

नामांकितों को प्रेजेंट की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी। अनुपलब्धता तथा विद्यमान प्रयोगशालाओं का बहुत दूर ही होना बताया। इस प्रकार वर्षा ऋतु के दौरान कस्बाया गया था। उन्होंने इन कर्मियों का कारण पद्याल परीक्षण सुविधाओं की आदेशाधीन अभियन्ताओं ने बताया (अप्रैल-जुलाई 1997) कि परीक्षण विशेषकर

यथास्थित आधिकारिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की अपेक्षित संख्या के अभाव में नहीं किए गए थे। जीवाणिक जांच कस्बाएँ बिना ही निष्पादन हेतु शुरू की गई थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उलहीजी मण्डल में, 33 जल आपूर्ति स्कीमों में से 13 जल आपूर्ति स्कीमों पानी की रासायनिक तथा सम्बन्ध में पानी का परीक्षण केवल स्कीमों की निष्पादन हेतु शुरू करने के समय ही किया गया था। याल मण्डली के अभिलेखों की नमूना-जाच से प्रकट हुआ कि 528 स्कीमों के

शुरू करने तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना की सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया जा चुका था। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1997) कि सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को कार्य लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कोई कार्य नहीं किया गया तथा मिशन ने इस उद्देश्य के लिए केवल मार्च 1996 में ही 32 लाख रु० निस्साधित किए। स्थापित करने हेतु तकनीकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जुलाई 1995 के दौरान सूचित की गई तीन स्थायी तथा एक चलती-फिरती प्रयोगशाला थी। राज्य में आठ अन्य जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ विभिन्न ज़ोंनों के पानी की विशेषता के अनुश्रवण तथा तत्वावधान हेतु राज्य में

(जुलाई 1988)।

स्कीमों के पानी के नमूनों का पारिष्क परीक्षण तथा उसके बाद मासिक परीक्षण निर्धारित किया परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाना था। प्रमुख अभियन्ता ने वर्षा ऋतु के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति विशेषता की आवधिकता और वास्तविकता समाविष्ट है। पानी का विशेषण राज्य में स्थापित पानी मिशन के अन्तर्गत, ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु परिमाण में जलापूर्ति के नमूने तथा

4.1.9 पानी का सूचित परीक्षण न होना

* अर्जी, इन्होंने, नए, सन्दर्भ तथा युक्ति

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

वे तब अगस्त 1997 में सरकार को सन्देशित किए गए थे। उनका उत्तर प्राप्त

कि मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कोई समीक्षा नहीं की गई थी।
सुनिश्चित करने हेतु कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1997)
विभाग द्वारा मिशन के लाभार्थियों को पारित और स्वच्छ पत्र जन की आपूर्ति

4.1.11 मूल्यांकन

के वार्षिक परिणामों तथा संघटन की उपेक्षा केवल संख्या के आधार पर ही किया जा रहा था।
प्रतिवेदन इसे कभी नहीं भेजे गए थे। इस प्रकार, राज्य मुख्यालय पर अर्जवण मिशन के कार्यान्वयन
डकाई की अर्थित की जा रही थी तथा यथानिर्धारित मासिक मूल संकेतक पत्र एवं व्यापक प्रगति
विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय की प्रगति सुनिश्चित करने वाली विवरणियाँ ही एम० तथा आई०
तथापि, लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए अभिलेखों से प्रकट हुआ कि केवल

मासिक मूल संकेतक पत्रों तथा आवधिक व्यापक प्रगति प्रतिवेदनों पर आधारित होना था।
एम०आई०एच०एच०एच०एच० मागी दशनों के निरधारित तथा विशेषता एवं सामाजिक लक्ष्यों के महत्व सहित
(!!) राज्य के मुख्यालयों में स्थापित एम०आई० डकाई पर मिशन का अर्जवण

तथा पारित अर्जवण सुनिश्चित नहीं हुआ था।
इस प्रकार, वार्षिक निरीक्षण हेतु बनाई सूची का सही अर्थों में पालन नहीं हुआ

कमी रही।
अभियन्ताओं द्वारा केवल 56 तथा 90 निरीक्षण ही किए गए थे, परिणामस्वरूप कुल 92 प्रतिशत की
जाने वाले नियम 165 तथा 1650 निरीक्षणों के प्रति क्रमशः अर्थात् अभियन्ताओं तथा अधिशासियों
अभियन्ताओं तथा अधिशासियों अभियन्ताओं द्वारा क्रमशः जुलाई 1994 से मार्च 1997 के दौरान किए
पत्र मण्डलों के अभिलेखों की नमूना-जांच से यह प्रकट हुआ कि अधिशासियों

लिए एक महीने में इस दिन थी।
संख्या एक दिन प्रति मण्डल थी बशर्ते कि महीने में न्यूनतम पांच दिन तथा अधिशासियों अभियन्ताओं के
निरीक्षण सूची के अनुसार अधिशासियों अभियन्ताओं के लिए एक महीने में न्यूनतम दोरा दिवसों की
स्थानपूर्वक अर्जवण किया जाना था। जून 1994 के दौरान प्रमुख अभियन्ता द्वारा बनाई गई एक
में कार्यस्थलों का दौरान कर कार्यों की विशेषता सुनिश्चित करने के लिए मिशन के सभी पहलुओं का
इसी प्रकार, वृत्त तथा मण्डल स्तर के अधिकारियों द्वारा विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों

4.2 हिमाचल प्रदेश में मलव्यवस्था स्कीम

4.2.1 परिवर्ध

स्वास्थ्य विज्ञान के महत्व की दृष्टि से प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अपने सभी शहरी क्षेत्रों में कृशल मलव्यवस्था प्रणालियाँ स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। हिमाचल प्रदेश के बर्हल से मारगों में परिवर्धित विद्यमान सफाई प्रणाली राज्य में परिवर्धण सुधार तथा जन स्वास्थ्य विज्ञान की अपेक्षाओं के उपर्युक्त नहीं है और पर्यटकों का आर्थिक संख्या में आगमन, सैटिक टैंकों एवं साक पिटे के लिए ठुड़ी जलवायु और मूसि के अभाव से मजबल की एसी प्रक्रिया के कारण भी यह प्रणाली अपर्याप्त है। इस प्रणाली में सुधार लाने हेतु सरकार ने (लगभग 1985) राज्य में 55 में से 50 शहरों में मल जन स्कीमों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया।

4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

सिवाइ एवं जन स्वास्थ्य विभाग राज्य में मलव्यवस्था स्कीमों के निर्माण तथा अन्वेषण हेतु उत्तरदायी है। यह विभाग दो खण्डों में विभाजित है। शिमला स्थित दक्षिण खण्ड के प्रभावी प्रमुख अभियन्ता तथा एमशाला स्थित उत्तर खण्ड के प्रभावी मुख्य अभियन्ता हैं। विभाग का समग्र निवर्धण राज्य सरकार के वित्तपर्यवत एवं संचित (सिवाइ एवं जन स्वास्थ्य) के पास है। इस विभाग में 10 वृत्त तथा 43 मण्डल हैं।

4.2.3 सेवापरिक्षा कार्यक्रम

अप्रैल 1992 से मार्च 1997 की अवधि से सम्बन्धित स्कीमों के अन्वेषण, निष्पादन तथा अन्वेषण से सम्बन्ध 12 मण्डलों के अभिलेखों की नमना जाव अक्टूबर 1996 तथा मार्च 1997 के मध्य की गई। इसे प्रमुख अभियन्ता तथा चार मण्डलों से प्राप्त सूचना के आधार पर अर्जुपित किया गया था। स्थान में आए मुख्य तथ्यों की विवेचना आगामी परिच्छेदों में की गई है।

4.2.4 मुख्य बातें

विभाग के अर्जुमानानुसार राज्य के सभी शहरों में मलव्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु 185 करोड़ ५० की एनर्वाशि अपेक्षित थी। वर्ष 1992-97 के दौरान 23 शहरों में इन स्कीमों पर 24.85 करोड़ ५० खर्च किए थे।

मार्च 1995 तथा मार्च 1996 के दौरान चम्बा, कुल्लू तथा मण्डी के कार्यकारी अभियन्ताओं द्वारा आहरित 4.97 करोड़ ५० में से 1.41 करोड़ ५० यद्यपि मलव्यवस्था स्कीमों पर खर्च हुए बचाए गए परन्तु बास्तव में बँकी तथा डाकघरों में रखे गए थे।

(परिच्छेद 4.2.5)

- * विनासपुर, चम्बा, डलहौजी, एमशाला, कुल्लू, मण्डी, पालमपुर, रामपुर, तिकोपिछी, सोलन, सुन्दरनगर तथा ऊना-1
- ** पुमावटी, पावटा साहिब, सरकाघाट तथा शिमला

** सरकार ने शहरों को विशिष्ट समयावधि के भीतर मलव्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु कोई विषय योजना तैयार नहीं की थी। सरकार की नीतियों की उपेक्षा करते हुए जिला मुख्यालयों प्रसिद्ध तीर्थस्थानों तथा पर्यटक केन्द्रों की बजाए बिखरी हुई आबादी वाले छोटे शहरों में काम हुआ। सराहन तथा रामपुर जो जिला मुख्यालय नहीं हैं में दो स्कीमों को 41.33 लाख ₹ की लागत से पूरा किया गया।

शिमला शहर में मलव्यवस्था अभिक्रिया संयंत्र का निर्माण तथा विभिन्न समापन स्थलों पर मलव्यवस्था लाइनों के खोए हुए भागों की मरम्मत का निर्माण नहीं किया गया तथा इन कार्यों के लिए उपलब्ध करवाए गए 2.90 करोड़ ₹ जलापूर्ति स्कीम, शिमला को अपवर्तित कर दिए गए।

(परिच्छेद 4.2.6)

** तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना अठारह मलव्यवस्था स्कीमों का निर्माण शुरू किया गया था तथा उन पर 11.24 करोड़ ₹ व्यय किया जा चुका था। सात मलव्यवस्था स्कीमों पर 8.83 करोड़ ₹ अनुमोदित अनुमानित लागत से भी अधिक व्यय किए गए थे।

(परिच्छेद 4.2.7)

** वर्ष 1978-79 तथा 1988-89 के मध्य तीन से पांच वर्षों की विहित अवधियों में पूर्ण की जाने वाली छः मलव्यवस्था स्कीमों को आरम्भ किया गया था। केवल एक ही स्कीम ^(सराहन) 20.36 लाख ₹ की लागत से पूर्ण की गई थी। शेष पांच स्कीमों में अभी तक 9.65 करोड़ ₹ का व्यय किए जाने पर भी अधूरी थी। इन स्कीमों में से दो में 13 वर्षों तक का विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 4.2.8)

** 3.99 करोड़ ₹ की लागत से पूर्ण की गई मलव्यवस्था स्कीम, चम्बा जून 1996 से परिचालन में नहीं लाई जा सकी क्योंकि लाभार्थियों ने मलव्यवस्था कनेक्शन नहीं लिए थे।

(परिच्छेद 4.2.9)

** उपयुक्त सर्वेक्षण तथा आयोजना के बिना मण्डी में दो मलव्यवस्था अभिक्रिया संयंत्र बाढ़ में डूब गए जिसके कारण 20.52 लाख ₹ की हानि हुई। बाढ़ की क्षतिपूर्ति हेतु 1.11 करोड़ ₹ की आवश्यकता होगी। मलव्यवस्था स्कीम, मनाली के लिए अभिक्रिया संयंत्र के निर्माण हेतु अनुपयुक्त स्थल का चयन किया गया था जो कि 1995 में बाढ़ में बह गया जिसके कारण 68.62 लाख ₹ की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.2.10)

** सरकार के अनुदेशों के विपरीत दो स्कीमों की मलव्यवस्था लाइनें बिछाने का कार्य ठेकेदारों को आबटित करने के कारण 33.35 लाख ₹ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 4.2.14)

** वर्ष 1993-95 के दौरान 3.88 लाख ₹ के कार्य आदेशों को विभाजित कर 340 फैसिंग पैनल उपाजित किए गए जिनमें से 259 पैनल अभी तक अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 4.2.15)

** सात मण्डलों में आवश्यकताओं से अधिक सामग्री रखने के कारण 77.53 लाख ₹ का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 4.2.16)

4.2.5 बजट प्रावधान तथा व्यय

राज्य में सभी शहरों को मलव्यवस्था प्रणालियां उपलब्ध करवाने हेतु 185 करोड़ ₹ की आवश्यकता थी, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित (अप्रैल 1997) किया गया था। वर्ष 1991-92 तक 23 शहरों में मलव्यवस्था स्कीमों पर 7.47 करोड़ ₹ खर्च किए जा चुके थे। इन स्कीमों पर 25.99 करोड़ ₹ के कुल बजट प्रावधान के प्रति 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान 24.85 करोड़ ₹ का और व्यय किया गया था जिसका उल्लेख निम्नांकित है:

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय (करोड़ रुपए)	बचत(-)/आधिक्य(+)
1992-93	2.11	2.01	(-)0.10
1993-94	5.19	4.98	(-)0.21
1994-95	8.76	8.54	(-)0.22
1995-96	6.55	5.92	(-)0.63
1996-97	3.38	3.40	(+)0.02
जोड़	25.99	24.85	(-)1.14

इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:

(i) योजना आयोग, भारत सरकार ने जनवरी 1995 तथा मार्च 1995 के मध्य दो मलव्यवस्था स्कीमों (चम्बा: 2.15 करोड़ ₹ तथा मण्डी: 3.00 करोड़ ₹) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 5.15 करोड़ ₹ स्वीकृत किए। राज्य योजना आयोग के निर्देशों पर राज्य सरकार द्वारा मलव्यवस्था स्कीम मनाली हेतु दिसम्बर 1995 के दौरान वार्षिक योजना 1995-96 में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 0.75 करोड़ ₹ और उपलब्ध करवाए। सम्बन्धित कार्यकारी

* राज की राजधानी: 11: मुख्यतः तथा पूर्वतः केन्द्र: 11 तथा अन्य शहर: 27

18,000 की सीमित आबादी के क्षेत्र के लिए स्वतन्त्रतापूर्व की अवधि के दौरान राजधानी शहर शिमला हेतु मलबखरवा प्रणाली उपलब्ध कराई गई थी। शिमला में मलबखरवा अभिक्रिया संयंत्र के निर्माण तथा विभिन्न समापन स्थलों पर मलबखरवा लानों के क्षतिग्रस्त भागों की फिरे से चालू करने हेतु दो कार्यों को प्रशासनिक तौर पर सितम्बर 1996 तथा अक्टूबर 1996 में क्रमशः 3.40 करोड़ ₹0 तथा 0.74 करोड़ ₹0 में अनुमानित किया गया था। इन कार्यों के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान सरकार द्वारा 2.90 करोड़ ₹0 की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं। तथापि वित्तार्थक एवं संचित (सिवाइत एवं जनस्वास्थ्य) द्वारा मार्च 1997 में इन निधियों का अपवर्तन जलापूर्ति स्कीम, शिमला को कर दिया गया था।

(i)

शिमला

निर्माणित अन्य तथ्य भी द्यान में आए:-

या क्योंकि स्कीमों का चयन विभाग की नीति के अनुसार नहीं किया गया था। विधायिका द्वारा निरूपित प्राथमिकता के अनुसार कार्यों को आरम्भ किया गया था। यह तर्क मान्य नहीं अभिप्रेत है वताया (दिसम्बर 1997) कि विभाग द्वारा उचित सर्वेक्षण/तकनीकी जांच के पश्चात् (केलाग) को मलबखरवा प्रणालियां उपलब्ध करावने हेतु कोई कारवाई नहीं की गई थी। प्रमुख राज्य में 50 शहर है। यह देखा गया कि जिला मुख्यालय सिरमौर (नाहन) तथा लाहौल एवं स्पिति पर्यटक केन्द्रों को दी जाना थी तथा उसके पश्चात् शेष शहरों को इस योजना के अन्तर्गत लाना था। उपलब्ध करावने हेतु पहली प्राथमिकता जिला मुख्यालयों को, द्वितीय प्राथमिकता तीर्थस्थलों और के लिए बँटव योजना नहीं बनाई थी। तथापि विभाग की नीति के अनुसार मलबखरवा प्रणालियां सरकार ने सभी शहरों को निरूपित समय में मलबखरवा संचिष्टाएं उपलब्ध करावने

4.2.6

स्कीमों का चयन

किया गया था। (ii) कुल्लू, सिकांगपिछी तथा सोलन मण्डलों में मार्च 1994 तथा नवम्बर 1996 के मध्य फर्नीचर, फोटोग्राफी मशीन की खरीद तथा टेलीफोन बिलों के भुगतान पर 1.67 लाख ₹0 की निधियां खर्च की थी जबकि स्कीमों के स्वीकृत प्राक्कलनों में ऐसी मदों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

वार्षिक आबखरवा से पूर्व निधियों का आहरण निषेध है।

सलाहकार (योजना) के निर्देश विन्तीय नियमों के विपरीत थे जिनके अनुसार

में व्यय को अधिक दर्शाया गया था।

₹0 अग्री तक (नवम्बर 1997) डाकघरों/बैंकों के बचत खातों में पठा हुआ है। इस प्रकार, लेखाओं अर्थात् 1995 तथा नवम्बर 1997 के दौरान 3.56 करोड़ ₹0 जायी किये गए तथा शेष 1.41 करोड़ का आहरण किया तथा सम्बन्धित उपयुक्तियों के पास जमा कराया गया। इससे से उपयुक्तियों द्वारा मार्च 1995 (4.22 करोड़ ₹0) तथा मार्च 1996 (0.75 करोड़ ₹0) के दौरान 4.97 करोड़ अभिप्रेतों ने राज्य सरकार के सलाहकार (योजना) के निर्देशों पर सम्बद्ध मलबखरवा स्कीमों के

(ii) अन्य शहर

तीन पर्यटक केन्द्रों (धर्मशाला, मनाली तथा नैनादेवी) को मलव्यवस्था सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का कार्य प्रगति पर था किन्तु ज्वालामुखी, कांगड़ा, रिवालसर तथा नारकण्डा जैसे प्रसिद्ध पर्यटक/तीर्थ केन्द्रों को इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं लिया गया था। नौ शहरों*, जोकि न तो जिला मुख्यालय थे और न ही प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र थे, को मलव्यवस्था प्रणाली उपलब्ध करवाने हेतु चुना गया तथा इन शहरों में यह कार्य प्रगति पर था। यह देखा गया कि सराहन (जनसंख्या: 1209) तथा रामपुर फेज-1 (जनसंख्या: 4342) जिनमें से कोई जिला मुख्यालय नहीं था में दो स्कीमों को 41.33 लाख रु0*** की लागत से पूर्ण किया था।

4.2.7 कार्यों पर अनियमित व्यय

नियमों में प्रावधान है कि कोई भी कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए अथवा उस पर दायित्व नहीं डाला जाना चाहिए जब तक कि यह प्रशासनिक रूप से अनुमोदित न हो जाए तथा इसके विस्तृत रूपांकन एवं प्राकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत न हो जाएं।

12 मण्डलों*** में 71.54 करोड़ रु0 के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित 18 मलव्यवस्था स्कीमों को तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना 1978-79 तथा 1996-97 के मध्य निष्पादनार्थ लिया गया था। मार्च 1997 तक इन स्कीमों पर 11.24 करोड़ रु0 व्यय किया जा चुका था। तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को सूचित किया गया था (नवम्बर 1997)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 18 में से सात मलव्यवस्था स्कीमों पर अनुमोदित प्राकलन लागत से 8.83 करोड़ रु0 अधिक व्यय किए गए थे। इन स्कीमों पर अधिक व्यय की प्रतिशतता 16 तथा 347 के मध्य रही। इन मामलों में संशोधित प्राकलन नहीं बनाए गए थे जो कि नियमानुसार अपेक्षित थे क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय प्राकलित लागत के 5 प्रतिशत से अधिक हुआ था।

4.2.8 समय तथा लागत में अधिकता

छः मण्डलों ने 7 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 1978-79 तथा 1988-89 के मध्य छः मलव्यवस्था स्कीमों का कार्य आरम्भ किया। ये स्कीमों उनकी आरम्भ होने की तिथियों से तीन से पांच वर्षों के भीतर पूर्ण की जानी थीं। इनमें से सराहन स्थित केवल एक स्कीम (प्राकलित लागत : 8.60 लाख रु0) पांच वर्षों के विलम्ब के पश्चात 28.96 लाख रु0 की कुल लागत से

* चुवाड़ी, घुमारवीं, मेहतपुर, पालमपुर, पांवटा साहिब, रोहड़, सन्तोषगढ़, सरकाघाट तथा सुन्दरनगर।

** रामपुर फेज-1: 12.37 लाख रु0 तथा सराहन: 28.96 लाख रु0

*** विन्दासपुर, चम्बा, डलहीजी, धर्मशाला, कुल्लू, पालमपुर, रामपुर, रिकांगपिओ, सरकाघाट, शाहपुर, सोलन और ऊना-।

है।

(1) 1989 में सोलन की एक मलववस्था स्कूल के संरक्षण का कार्य पूरा किया गया। इस स्कूल में सरकार द्वारा नवम्बर 1995 में 4.55 करोड़ 50 का प्रशासनिक अर्जमादन तथा व्यवस्थापकीय प्रदान की थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि प्रारम्भिक प्राकलन प्रस्तुत करने में चार वर्षों से भी अधिक अवधि (अक्टूबर 1993) ली तथा इसके अर्जमादन हेतु और दो वर्षों का समय लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अमीष्ट जनसंख्या को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विन्ध्य

अपरमान्य विन्ध्यों के कुछ मामलों नीचे विवक्षित है:

आदि बताया।

कारण भीम-डगड़े, संकुचित गलियां, निधियों का अपायन प्रावधान, मूल्य वृद्धि, सीमित कावकाल कियान्वयन मण्डलों के कार्यकारी अभियन्ताओं ने स्कूलों की पूर्णता में विन्ध्य का

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े अर्जमानित लागत पर अधिक व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विन्ध्य	अर्जमादन का वर्ष	लागत का वर्ष	अर्जमादन का वर्ष	लागत का वर्ष	अधिक व्यय	वर्षों में	लाभ रूप
विन्ध्य	1979	1978-79	1978-79	1978-79	146.39	13	224.00 370.39
(वर्षों में)							
विन्ध्य	1980	1980-81	1983-84	1983-84	46.99	13	13.56 60.55
(वर्षों में)							
विन्ध्य	1987	1987-88	1992-93	1992-93	24.24	4	309.01 1001.25
(वर्षों में)							
विन्ध्य	1988	1988-89	1992-93	1992-93	55.69	4	88.16 157.71
(वर्षों में)							
विन्ध्य	1988	1986-87	1989-90	1994	36.20	5	8.60 28.96
(वर्षों में)							
विन्ध्य	1987	1987-88	1990-91	1994	10.91	6	56.62 65.72
(वर्षों में)							
विन्ध्य	1988	1987-88	1990-91	1994	63.63	6	699.95 1684.58
(वर्षों में)							

नवम्बर 1994 में पूर्ण हुई जिसमें कि 20.36 लाख 50 (237 प्रतिशत) अधिक व्यय है। 9.65 करोड़ 50 (139 प्रतिशत) की अधिक लागत से शेष पांच स्कूलों (प्राकलित लागत: 6.91 करोड़ 50) मात्र 1997 तक पूर्णता पर थी। इन स्कूलों में से दो स्कूलों में 13 वर्षों का विन्ध्य है। प्रथक मामलों में अधिक लिया गया समय तथा लागत क्रमशः 4 तथा 13 वर्ष और 16 तथा 346 प्रतिशत रही, जैसा निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

(ii) सुन्दरनगर की मलव्यवस्था स्कीम के निर्माण का कार्य वर्ष 1991-92 में आरम्भ किया गया था। मुख्य मलजल लाईन तथा वितरण लाइनों को उपलब्ध करवाने और बिछाने का कार्य मार्च 1994 में एक ठेकेदार को 1.24 करोड़ ₹0 में सौंपा गया। मार्च 1995 में पूर्ण किये जाने वाले इस कार्य को ठेकेदार ने मार्च 1994 में आरम्भ किया। ठेकेदार ने 44.57 लाख ₹0 का कार्य करने के पश्चात् जून 1996 में कार्य को रोक दिया तथा विभाग द्वारा उसके वैध भुगतान को रोकने के आधार पर वह नवम्बर 1996 में पंचाट में चला गया। कार्यकारी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1997) कि अप्रत्याप्त बजट प्रावधान के कारण विभाग भुगतान करने में असमर्थ था। अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग द्वारा 1991-92 से 1996-97 के दौरान 3.11 करोड़ ₹0 की मांग के प्रति 1.26 करोड़ ₹0 उपलब्ध करवाए थे। मुख्य अभियन्ता (उत्तर) ने बताया (अप्रैल 1997) कि योजना विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों के अनुसार ही स्कीम हेतु 1993-97 की अवधि के लिए निधियां प्रदान की गई थीं। इस प्रकार, योजना विभाग, विभाग वचनबद्धता अनुसार निधियां उपलब्ध करवाने में असफल रहा जिस कारण विलम्ब तथा पंचाट हुआ।

परिणामतः 1991-92 से 1996-97 तक स्कीम पर 1.33 करोड़ ₹0 का व्यय निष्फल रहा।

4.2.9 मलव्यवस्था सुविधा को प्रयुक्त न करना

चम्बा शहर हेतु मलव्यवस्था स्कीम उपलब्ध करवाने का कार्य मूलतः 24.18 लाख ₹0 के लिए संस्वीकृत (सितम्बर 1979) हुआ था जो जनवरी 1992 में 2.24 करोड़ ₹0 के लिए संशोधित कर दिया गया था। 17,194 की जनसंख्या के सेवार्थ शहर को पांच खण्डों में विभाजित किया गया था। वर्ष 1978-79 के दौरान कार्य का आरम्भ किया गया तथा मार्च 1997 तक स्कीम पर 3.99 करोड़ ₹0 खर्च किए जा चुके थे।

यह देखा गया कि 6,477 की जनसंख्या वाले तीन खण्डों (II, III तथा IV) का 98 प्रतिशत कार्य जून 1996 से पहले पूर्ण किया जा चुका था तथा ये क्षेत्र कनेक्शन देने के लिए तैयार थे फिर भी लोग मलव्यवस्था कनेक्शन लेने हेतु आगे नहीं आए और इसलिए यह प्रणाली कार्यचालन में नहीं आई।

स्कीम आरम्भ करते समय मलव्यवस्था प्रणाली के लाभों के संबंध में लोगों को शिक्षित करने हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ऐसा न करने के कारण 3.99 करोड़ ₹0 का व्यय निष्फल रहा। चूंकि प्रणाली को चालू नहीं किया जा सका इसलिए 31.64 लाख ₹0 की लागत से दिसम्बर 1994 के दौरान क्षेत्र नं० II हेतु निर्मित अभिक्रिया संयंत्र के कार्य करने की जांच नहीं की जा सकी। इस चालू न हुए संयंत्र के निर्माण हेतु ठेकेदार को अंतिम भुगतान मार्च 1995 में प्रणाली की उचित कार्य शीलता को सुनिश्चित किए बिना ही कर दिया गया था।

(!!) कूल मण्डल के अन्तर्गत मनाली की मलव्यवस्था रकम के पुनर्निर्माण हेतु 1.23 करोड़ रु० का प्रशासनिक अनुमान और व्यय संवर्धकति दी गई थी (जून 1988) जिसे मार्च 1995 में संशोधित करके 4 करोड़ रु० कर दिया गया। दिसम्बर 1994 तक पूर्ण किये जाने वाले अभिक्रिया संयंत्र के निर्माण का कार्य 95.12 लाख रु० के लिए जून 1994 में एक ठेकेदार को सौंप दिया गया तथा जुलाई 1995 तक ठेकेदार को 35.72 लाख रु० दिए जा चुके थे। अगस्त 1995 में अभिलिखित

1997 तक कार्य नहीं किया जा सका जबकि यह मार्च 1994 में पूर्ण कर ली गई थी। इस प्रकार, विभाग की दीर्घपूर्ण योजना तथा अनुपयुक्त जांच के कारण 20.52 लाख रु० की राशि हुई। इसके अतिरिक्त बाढ़ क्षतियों एवं अन्य कार्यों की मरम्मत हेतु 1.11 करोड़ रु० की प्राकृतिक रक्षा की आवश्यकता होगी। रकम की पूर्णता में भी विलम्ब हुआ तथा इसे फरवरी

(फरवरी 1997)।

अनजाने में हुई। इन अभिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा मूल हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी को अंतिम रूप दिया, उन्हें मलव्यवस्था रकमों का कोई ज्ञान नहीं था और यह मूल अनुमानहीनता एवं बाढ़ क्षति में स्थित थे। उसने यह भी बताया कि जिन अभियन्ताओं ने सर्वेक्षण, रूपांकन तथा प्राक्कलनों में निष्कर्ष निकाला (नवम्बर 1995) कि रचना-का-पद्धत तथा खलियार में निर्मित अभिक्रिया संयंत्र रकम की क्षतियों के कारणों की जांच करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता (उत्तर)

1997)।

जनवरी 1997 तक 74 लाख रु० खर्च किया जा चुका था। कार्य अभी प्रगति पर था (फरवरी अनुमानित तथा व्यय संवर्धकति की प्रत्याशा में मरम्मत कार्य नवम्बर 1995 में आरम्भ किया गया और प्राकलन प्रस्तावित किया जा सरकार के अनुमानित हेतु प्रतिशत (जनवरी 1997) था। प्रशासनिक मुख्य अभियन्ता द्वारा अगस्त 1996 में रकम की बाढ़ क्षतियों की मरम्मत हेतु 1.11 करोड़ रु० का के किनारे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए जिसके कारण 7.00 लाख रु० की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। अभिक्रिया संयंत्र बाढ़ के पानी में विलीन हो गया। उप मण्डलीय मजदूर का भवन टूट गया तथा मिट्टी की बाढ़ों के दौरान उच्चतम बाढ़ स्तर 729.83 मीटर अधिकतम किया गया। रचना-का-पद्धत स्थित रु० की लागत से दोनों संयंत्रों के लिए बाढ़ अभिरक्षा हेतु प्रबंध किया गया। तथापि दिसम्बर 1995 के दौरान नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर 725.55 मीटर अधिकतम किया गया था। तत्पश्चात् 13.52 लाख (रचना-का-पद्धत) तथा 722.42 मीटर (खलियार) खराब गया था। यद्यपि जुलाई 1993 की बाढ़ों यह देखा गया कि दो अभिक्रिया संयंत्रों का उच्चतम बाढ़ स्तर 724.40 मीटर

गई थी।

1994 तक पूर्ण किया जा चुका था। फिर भी अभिक्रिया संयंत्रों की जांच फरवरी 1997 तक नहीं की ठेकेदार को एक मूल 50.81 लाख रु० में सौंपा गया (मार्च 1989)। यह कार्य अधिकतम: मार्च क्रमशः बाढ़ और दाएं किनारे मज्जी मण्डल द्वारा दो अभिक्रिया संयंत्रों के निर्माण का कार्य एक रचना-का-पद्धत तथा खलियार, मज्जी में मलव्यवस्था रकम व्याप्त नदी के

(!)

मध्य पूर्ण किए जाने थे जबकि मार्च 1997 तक भी पूर्ण नहीं किए गए थे।
बिनासपुर मण्डलों द्वारा तीन विभिन्न ठेकेदारों को सौंपे गये थे। वे मार्च 1994 तथा मार्च 1996 के
तीन कार्य मध्य दर के आधार पर करवरी 1993 तथा जून 1995 के मध्य क्रमशः कर्लव तथा
मलखवस्था प्रणाली, मनाली (2 कार्य) तथा नए बिनासपुर शहर (एक कार्य) के

4.2.12 ठेकेदारों को अर्जित वित्तीय लाभ

का अतिरिक्त व्यय हुआ।
संख्या में सुपरवाइजरी और मीटर मही को अर्जित रूप से लगाए जाने के कारण 3.16 लाख रु०
प्रत्येक श्रमिक दल का निरीक्षण एक सुपरवाइजर/मीटर मही द्वारा किया जाना था तथा अधिक
के निरीक्षण हेतु 12 से 25 सुपरवाइजर और मीटर मही नियुक्त किए गए थे। मानकों के अनुसार
दौरान मस्टरोल्स पर 4 से 13 श्रमिक दल तैनात थे जबकि इस अवधि के दौरान इन दलों के कार्यों
मलखवस्था स्कीम, मण्डली के निष्पादन हेतु मई 1995 से नवम्बर 1996 के

(!!)
अर्जित थी।
किया गया था। विस्तृत प्रकल्पन की स्वीकृति के पश्चात् सर्वेक्षण तथा जांच हेतु मजदूरों की नियुक्ति
सर्वेक्षकों तथा बेलदारों को मस्टरोल पर नियुक्त किया गया और उन्हें 1.52 लाख रु० का मूल्यांकन
भी स्कीम के कें, घ तथा इ, खण्डों में सर्वेक्षण और जांच कार्य हेतु सितम्बर 1993 से मई 1996 तक
मई 1993 में मलखवस्था स्कीम, मण्डली के सुस्वीकृत विस्तृत प्रकल्पन के पश्चात्

4.2.11 मलखवस्था स्कीम, मण्डली में मजदूरों की अतिरिक्त तैनाती

करवाने में भी विफल हुआ (मार्च 1997)।
सरकार को 68.62 लाख रु० की हानि तथा साध ही प्रसिद्ध पर्वतन केन्द्र को मलखवस्था उपलब्ध
इस प्रकार, अभिक्रिया संघ के निर्माण हेतु अतिरिक्त स्थल के दान के कारण

नहीं हुई थी।
अभिक्रिया संघ हेतु नए कार्यस्थल के मूल्यांकन की प्रक्रिया मार्च 1997 तक पूर्ण

स्थल पर संघ पुनर्निर्माण की संभावना भी नहीं रही।
अभिक्रिया का कार्यस्थल सितम्बर 1995 में ब्यास दरिया की बाढ़ों में बह गए थे तथा उत्पी
जुलाई 1993 की बाढ़ों में बह गए थे। इसके अतिरिक्त 18 लाख रु० की लागत से निर्मित बाढ़
अभिक्रिया संघ का कार्यस्थल दरिया के साथ था तथा मजदूरों का कुल भाग

(1997)।
पैसाइश के आधार पर पारवों बिल (50.62 लाख रु०) अदायगी हेतु लम्बित पत्रों हुआ था (करवरी

सरकारी अर्द्धश कर्ष को आधोपान दरों पर देने की अनुरोध नहीं देते। विज्ञान का कर्ष उच्चाधिकारियों के अनुरोधानुसार दिया गया था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि ईश। कर्षकारी अधिनियम, मण्डली मण्डल ने बताया (फरवरी 1997) की पाईये उपलब्ध करवाने तथा सौंपा गया। सरकारी अर्द्धश से विसामान्यता होने से 33.35 लाख रु० का अतिरिक्त परिवर्धन व्यय दर सविदा पर पाईये उपलब्ध करवा कर शक्ति कर दरों की अधोलिखित आधोपान दरों के आधार पर की मलव्यवस्था लाईये उपलब्ध करवाने और विज्ञान का कर्ष महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान की राजा तथा मण्डली मण्डली ने 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान चार ठेकेदारों

हेतु विभागा द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति किए जाने थे। सरकारी अर्द्धश के अनुसार दर ठेके पर उपलब्ध मण्डल कार्यों के निष्पादन

4.2.14 पाईयों की उपलब्ध तथा विज्ञान पर अतिरिक्त परिवर्धन व्यय

विशेष परिणामस्वरूप 4.58 लाख रु० की परिवर्धन अदायगी हुई। लगाने तथा समय पर सुरक्षा कर्ष जटिल में विकलता के कारण कर्ष की पूर्णता में विलम्ब हुआ रणकनों के अनुरोधन में विलम्ब, संदर्भों की लगाने हेतु सुरक्षित स्थानों का पता

निधि के बाद की अवधि के 4.58 लाख रु० सम्मिलित थे। और ठेकेदार को 5.50 लाख रु० के मूल्यवर्धन प्रभारों की अदायगी की गई जिसमें पूर्णता की देय अनुरोधन में बाह्य क्षतिओं के कारण विलम्ब हुआ। विभागा ने मार्च 1994 तक सम्यक् मूल्यवर्धन मूल्य पर स्थल परिवर्धन, संदर्भों के रणकनों का विलम्ब अनुरोधन और समय पर सुरक्षा उपायों की रचना-का-पट्टर तथा क्षतिवार स्थित मलव्यवस्था अधिनियम संदर्भों के निर्माण कर्ष में संदर्भों का स्थानवर 1990 में पूर्ण की जाने वाली मलव्यवस्था रकम, मण्डली के अनुरोध

4.2.13 मूल्यवर्धन प्रभारों का परिवर्धन भंगाल

ठेकेदारों को 15.12 लाख रु० की अनुरोधन विलम्ब सहजता दी गई। के हटाने के साथ-साथ ठेकेदारों से 7.65 लाख रु० के सुरक्षित अधिनियमों की वसूली न करने के कारण इस प्रकार, क्षतिपूर्ति के उद्देश्य/वसूली न करने तथा अनुरोधन रूप से सामग्री

सरकारी देयताओं की वसूली तथा कर्ष को पूर्ण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त ठेकेदार के जोखिम तथा लगाने पर सामग्री अनुरोधन रूप से हटा दी गई थी। मण्डलीय अधिकारियों द्वारा मार्च 1997 तक ठेके निरस्त वसूल नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एक ठेकेदार द्वारा कर्षस्थल से 0.70 लाख रु० की क्षतिपूर्ति नहीं लगाई गई थी। संवर्धित ठेकेदारों से वसूलयोग्य 7.65 लाख रु० के सुरक्षित अधिनियम क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं की थी। शेष दो ठेकेदारों पर अनुरोधन 10.31 लाख रु० की उस पर लगाई गई (पावले चालू बिल से 0.45 लाख रु० रोक दिए गए थे) 4.56 लाख रु० की मलव्यवस्था रकम की मलनिकाली लाईये शीखा के ठेकेदार ने नवम्बर 1996 में

* राजा, कर्म, रामपुर, विक्रमगिरी, सीनन तथा सुन्दरनगर

(!!) क. सिवाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डली में 1988-89 तथा 1995-96 के मध्य प्राय 64.78 लाख रु० के मण्डल अर्पणित रहे जिसके परिणामस्वरूप अर्थ निवेश हुआ। इस संबंध में सुबह विवरण परिशिष्ट-VIII में दिया गया है।

आवश्यकता वाले कार्यों पर प्रयत्न किया जाएगा।
अधिकांश अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1996) कि सामग्री की अन्य

(!) अधिकांश अभियन्ता सिवाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल, धर्मशाला ने जनवरी 1987 तथा फरवरी 1993 के मध्य 12.75 लाख रु० मूल्य के विभिन्न व्ययों के तलवा लोहे के पाइप प्राप्त किए। सामग्री की लागत मूल्यवस्था रकम, धर्मशाला की प्रभाति की गई। रकम के स्वीकृत प्राकलन में इस सामग्री की आवश्यकता न होने के कारण समस्त सामग्री अर्पणित पड़ी हुई थी।

अभिलेखों की समीक्षा जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

सर्वकार के वित्तीय नियमों में नियत है कि मण्डलों की खरीद कार्यों की निश्चित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए तथा वारन्तिक आवश्यकताओं से अधिक नहीं खरीदे जाने चाहिए।

4.2.16 सामग्री की अतिवकपूर्ण प्राप्ति

कार्यकारी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1997) कि अभिक्रिया संबंध के बह जाने के कारण बार्ड पैनलों की प्रयत्न नहीं किया जा सका। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि अभिक्रिया संबंध दिसम्बर 1995 की बाढ़ी में बहा था जबकि पैनल मई 1994 में प्राप्त किए गए थे।

आनुषंगिक व्यय अर्पणित था।

अर्पणित पड़े थे। इस प्रकार अधिकांश अभियन्ता के सारे आदेश तथा उसके बाद किया गया से 81 पैनल अन्य कार्यों को दिए गए तथा 2.96 लाख रु० के शेष 259 पैनल नवम्बर 1997 तक प्रत्येक 19,380 रु० मूल्य वाले थे। सभी पैनल मार्च 1994 के दौरान प्राप्त किए गए। इनमें निर्धारित सीमा के भीतर कार्य आदेशों को जारी करने में सक्षम थे। अतः सभी बीच कार्य आदेशों में आदेश जारी किए। आम निवेदन अधिकांश अभियन्ता 20,000 रु० तक की रकम, मनाली हेतु बार्ड पैनलों के विनिर्माण तथा उपलब्ध करवाने के 3.88 लाख रु० के बीच कार्य कार्यकारी अभियन्ता द्वारा 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान मूल्यवस्था

4.2.15 कार्यों की विभाजित करके बार्ड पैनलों की अर्पणित खरीद

आवश्यकता 2.73 लाख लीटर थी।
 दौरान पाया गया; जल प्रभाव 0.61 तथा 1.77 लाख लीटर के मध्य था जबकि प्रतिदिन की
 में खेतों का प्रभाव कम होता चला गया। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि मई 1988 तथा जून 1991 के
 निर्माण जल उपलब्ध था परन्तु लगातार सूखा पड़ने तथा अन्य मामूली परिवर्तनों के कारण मंदवाहि
 अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1996) कि सीर खड्ड में प्याल

लागू किया जा रहा था।
 विद्यमान स्कीम के खेत पर मई 1996 में मापा गया प्रभाव 20 हजार लीटर तक घट गया जो
 किया जा सकता था। भारत 1997 तक कूप-निर्माणकार्य आरम्भ नहीं किया गया था। उसी दौरान
 वन्दरही के समीप सीर खड्ड क्षेत्र में एक अनुसंधानात्मक नलकूप का निर्माण करके मू-जल का विकास
 गया खड्डा शुरू पाया गया। केन्द्रीय मू-जल बोर्ड ने यह अवलोकन किया (जून 1996) कि ग्राम
 करने से पहले एक निष्ठाव कूप का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित नए स्थर पर प्रयोग हेतु खोदा
 का निर्माण करके सीर खड्ड से पानी उठाये जाने का प्रस्ताव था। मन्दावाहि में प्रस्ताव को सुनिश्चित
 अनुमति देकर किया गया (दिसम्बर 1994) जिसे चार वर्ष के भीतर पूरा करना था। एक निष्ठाव कूप
 इस स्थिति पर निर्माण करने की दृष्टि से स्कीम के संवर्धन हेतु 42.14 लाख ₹० का आकलन
 मापा गया। इसी अवधि के दौरान स्कीम के चरण-11 के सम्बन्ध में कुछ भी जल उपलब्ध नहीं था।
 विकल रही। स्कीम के चरण-1 के सम्बन्ध में मई 1994 में जल प्रभाव 64 हजार लीटर प्रतिदिन
 स्कीम की दो चरणों की अन्तःसरण गैलरियाँ प्याल जल प्रभाव निकालने में

आवश्यकता के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा।
 करने के लिए मापा नहीं गया था। विभाग को आशा थी कि 2.73 लाख लीटर प्रतिदिन की
 जलापूर्ति एवं सुधार नियमपूर्विका में दिए गए प्रावधान के अनुसार उस की विश्वसनीयता सुस्थापित
 स्कीम के खेतों (द्वैध खड्ड तथा सीर खड्ड) पर निर्मित की गई। खेत पर उपलब्ध जल का प्रभाव
 स्कीम, नयी चम्बाह (जिला हमीरपुर) अर्ध 1987 में आरम्भ की गई। दो अन्तःसरण गैलरियाँ
 प्यजल उपलब्ध करवाने हेतु 46.08 लाख ₹० की कुल लागत से परिकल्पित लिफ्ट जलापूर्ति
 (1) 16 अमावस्य गाँवों में 6,622 लोगों की मूल आबादी तथा 837 विद्यार्थियों को

4.3 लिफ्ट जलापूर्ति स्कीम, नयी चम्बाह की विकलता

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।
 इन मामलों से सरकार को जल्द 1997 में अद्यतन करवाया गया था। उनका

चरण-1 तथा संवर्धन की स्कीमों के संवर्धन में केवल प्रत्याभूति जमा का उद्देश्य किया जा रहा था।
 कनेक्शन प्रभार तथा प्रत्याभूति की वसूली नहीं की जा रही थी। जबकि रामपुर मण्डल द्वारा रामपुर
 250 मध्य के कनेक्शन प्रभारों और प्रत्याभूति जमा की वसूलियाँ कर रहे थे। बिलासपुर मण्डल में
 संवर्धित मण्डलीय अधिकारी लागू किया से निम्न दरों पर क्रमशः 200 तथा 250 तथा 150 और
 राज्य सरकार ने मलखवस्था प्रभारों के उद्देश्य हेतु निचम नहीं बनाए थे।

4.2.17 मलखवस्था प्रभारों का उद्देश्य

इन अर्नैशों के विपरीत, शिमला मण्डल संख्या-11 ने दो कार्यों के लिए मई 1995 से दिसम्बर 1995 के दौरान दो ठेकदारों को गुरुत्वाकर्षी ढलवा तलवा लोके की कर्मिण दाब की 6829 प्रवाही मीटर पाइप उपाजित तथा प्रयोग करने की अनुमति दी थी, जबकि वे महानिदेशक

उपाजित करने के पश्चात की जायी।

विद्यमान हो, के लिए अपेक्षित था कि ठेकदार को ऐसी मद की आपूर्ति फर्म से दर सविदा पर जिसमें कार्यों का निष्पादन अनुनिहित हो और जिसके लिए दर सविदा वाली मण्डलों की कोई मद जून 1977 में जारी किए गए सरकार के अर्नैशों के अनुसार, कोई सविदा

4.4 पाइपों के संभरण तथा विज्ञान पर परिवर्तित अतिरिक्त व्यय

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

यह मामला सरकार को जून 1997 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त

पाइपों पर कर किया गया 2.73 लाख रु० का व्यय निष्कल रहा।

विज्ञान करने समय विभाग मुख्य आरोही हेतु उपयुक्त पाइपों के सदन में विकल रहा और अर्नैशुक्त कारण जंग लगना हो सकना था जो कि जंग लगने की प्रकृति के कारण था। इस प्रकार, स्कीम अतिशांसी अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1996) कि पाइप फटने का मुख्य

मिनिमीटर व्यास वाली कोरदार जस्तीकृत पाइपों से बदल दी।

मध्य मई स्टील वैर्यल प्रतियेधक वैन्डीकृत 1100 मीटर पाइप 4.78 लाख रु० की लागत पर 100 इसलिये विभाग ने सक्षम प्राधिकारों का अनुमोदन प्राप्त किए बिना मार्च 1996 तथा जुलाई 1996 के तक अनुमोदित नहीं किया गया था। क्योंकि विद्यमान मुख्य आरोही के द्वारा पानी उठाना कठिन था, अभियन्ता हमीरपुर को प्रस्तुत (दिसम्बर 1995) किया गया। तथापि यह आकलन दिसम्बर 1997 बदलने हेतु 2.55 लाख रु० का विशेष मरम्मत सम्बन्धी आकलन अभिशांसी अभियन्ता ने अतिशांसी वैर्यल प्रतियेधक वैन्डीकृत पाइप बार-बार फट रही थी, इसलिये उन्हें 960 मीटर लम्बाई तक की उनकी अवधि पहले से ही समाप्त हो चुकी थी। चूंकि स्कीम की प्रतिष्ठापना से ही मई स्टील मुख्य आरोही की मरम्मत करने समय (फरवरी 1987) फर्म ने यह स्पष्ट किया कि रूटियों दूर करने का था। नवम्बर 1986 में मुख्य आरोही का परीक्षण किया गया और कई जगहों पर दरारे पाई गई। सविदा के अनुसार, कार्य की पूर्णता की तिथि से छः महीने तक रूटियों को दूर करने का दायित्व फर्म की व्यवस्था की जानी थी। यह कार्य 2.73 लाख रु० की लागत से मार्च 1986 में पूर्ण किया गया। को नवम्बर 1984 में सौंपा गया। अनुबन्ध के अनुसार पाइप लाइन के लिए बाह्य जगहियेयी सुरक्षा प्रतियेधक वैन्डीकृत पाइपों को जूटने तथा विज्ञान का कार्य 2.68 लाख रु० में जल्दतर की एक फर्म व्यास के 1740 मीटर मई स्टील वैर्यल प्रतियेधक वैन्डीकृत पाइप भी शामिल थी। मई स्टील वैर्यल स्कीम के चरण-1 के (5940 मीटर सूर्य) मुख्य आरोही में 80 मिनीमीटर

अधिकारूप से निष्कल रहा और इस स्कीम के संवर्धन हेतु 42.14 लाख रु० की आवश्यक्ता होगी। इस प्रकार, स्कीम के निर्माण पर किया गया 46.08 लाख रु० का व्यय

56 हेक्टेयर कृषि योग्य अधिग्रहीत क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु लिफ्ट सिंचाई प्रकल्प मानगढ़ (जिला सिरसा) 23.71 लाख रु० के व्यय से नहरन मण्डल द्वारा अग्रस्त 1991 में पूर्ण की गई। इसमें दो चरणों में निम्नित 1560 मीटर लंबाई का 10.09 लाख

4.6 लिफ्ट सिंचाई प्रकल्प मानगढ़ की प्रारम्भ से सिंचाई उपलब्ध करवाने में विकलता

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)। यह मामला सरकार की मात 1997 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त

रु० के अतिरिक्त परिहाय व्यय में परिणत हुई। संघारित्र शीघ्र ही लागू किए जाएंगे। इस प्रकार, संघारित्र लागाने में विभाग की विकलता 5.28 लाख मण्डल अधिकारी ने तथ्य स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 1997) कि

प्रतिष्ठापन पर 1.20 लाख रु० की लागत बनती थी। 22 जनवरी प्रकल्पों में वांछित संघारित्र नहीं लागू हुए थे। जून 1994 में संघारित्रों की खरीद तथा घटक अधिभार के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की 6.48 लाख रु० अर्थात् वार्षिक उदघाटित हुआ (जनवरी-अप्रैल 1997) कि मण्डल ने जून 1994 तथा मार्च 1997 के मध्य विद्युत सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल संख्या - 11 अना के अधिलेखा की नमूना जांच से

थे, उन मामलों में 10 प्रतिशत की दर से अधिभार उदघाटित था। पदायन क्षमता वाले संघारित्र लागवाए। जहां संघारित्र नहीं लागू हुए या रीटिपूर्णा अथवा न्यून क्षमता के औद्योगिक उपभोगवाओं तिनके पास प्रयोग विद्युतमय हों, से अधिशित है कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट 1994 के अनुसार सिंचाई एवं पम्प से पानी निकालने वाले उपभोगवाओं सहित सभी कृषिय तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की जून 1994 से लागू विद्युत टैरिफ अनुसूची,

4.5 संघारित्र की न लागाने के कारण अतिरिक्त परिहाय व्यय

प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)। यह मामला सरकार की अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर

जो दर संविदा में थी। थे। उनका तर्क मान्य नहीं था क्योंकि सरकार के अनुदेश उन सभी किस्मों की मदी पर लागू होते थे। (कारित) दाल पाइपों का उपार्जन तथा विधान के लिए सीधे गए कार्य इन अनुदेशों द्वारा आवर्तन नहीं द्वारा जारी किए गए अनुदेश जस्तीकल पाइपों के बारे में थे और गुस्त्वाकर्षी टनवा तन्व लोह की अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी) ने बताया (फरवरी 1997) कि राज्य सरकार

सुनिश्चित करने में विकलता 18.94 लाख रु० के परिहाय अतिरिक्त व्यय में परिणत हुई। आपूर्ति एवं निपटान के पास संविदा दर पर उपलब्ध थी। संविदा दर पर पाइपों की विभागीय आपूर्ति

उना माडल संख्या 1 के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (जनवरी 1997) कि नलकूप का यंत्र जो स्क्रीम का जलनिकास था, नलकूप माडल गारंटेट द्वारा 6.94 लाख रु० की लागत से डिल किया गया और परिवहन हेतु दिसम्बर 1991 में पूर्ववर्ती माडल की सीमा 9 गया। माडल के संस्थापन वल ने पलावन पम्प उतारने समय पाया (मई 1996) कि यह यंत्र 9 मीटर की गहराई तक सिस्टी तथा पत्थरों से भरे गया था। अधिशासी अभियन्ता उना माडल-1 ने बताया कि प्राप्त करते समय नलकूपों को ठीक से उतार करने से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

दैनिकी के निर्माण पर 13.16 लाख रु० खर्च किए गए थे।

आरम्भ की गई और अक्टूबर 1997 तक सिविल कार्य, पम्पा मशीनरी तथा 60 प्रतिशत फोल्ड अर्जोमेटिक किया गया। तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में यह स्क्रीम निष्पादनार्थ मार्च 1994 में स्क्रीम आरनिचाला (जिला उना) के लिए 7.54 लाख रु० प्रशासनिक रूप से मार्च 1994 में 23 हेक्टेयर के कृषियोग्य अधिग्राहीत क्षेत्र में सिंचाई करने हेतु लिफ्ट सिंचाई

4.7 लिफ्ट सिंचाई स्क्रीम आरनिचाला के दीर्घपूजा निर्माण के कारण आरम्भ न होना

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

यह मामला सरकार की मई 1997 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त

क. वर्षों से अधिक अवधि के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहा।

इस प्रकार, स्क्रीम के निर्माण तथा अन्वेषण पर हुआ 26.40 लाख रु० का व्यय

विज्ञान के बारे में तथ्यों की पुष्टि करते समय कोई भी अभिलेख नहीं दिया।

के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए। अधिशासी अभियन्ता ने मुख्य आरोही की पाइपे लाइन देना से यह आकलन फरवरी 1997 तक भी अर्जोमेटिक नहीं किया गया था। आकलन का अर्जोमेटिक न करने माडल ने 2 लाख रु० का आकलन अधीक्षण अभियन्ता, नाहन की प्रस्तुत किया (नवम्बर 1995)। फर्म के परामर्श के आधार पर मुख्य आरोही के दोनों चरणों में चार ग्राउंड बेग के बालू लगाने हेतु स्क्रीम की कार्यशील बनाने के लिए दिसम्बर 1995 में मूखई की एक फर्म से परामर्श मांगा। उपरोक्त क्योंकि स्क्रीम कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए अधीक्षण अभियन्ता, नाहन ने

पूना से ही कृषियोग्य अधिग्राहीत क्षेत्र में सिंचाई नहीं की जा सकी।

उसकी पूर्णता के पश्चात् बताया गया। पम्पा की लागू रकम की खानगीन से स्पष्ट हुआ कि स्क्रीम की टैंट-पूट गई थी। यह तथ्य विभागीय अधिकारियों द्वारा न तो स्क्रीम के निष्पादन के समय और न ही पाइप ठीक प्रकार से नहीं दबाई जा सकी थी और जलपात प्रवाह के फलस्वरूप पाइपे कई जगह से (1995) की घटना की सतह होने के कारण मुख्य आरोही में प्रयोग की गई हेमिस्टॉस सीमेंट दाब अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता नाहन की प्रतिवेदित किया (दिसम्बर

लाख रु० का व्यय भी किया गया।

रु० का व्यय भी समाविष्ट था। 1992-93 तथा 1996-97 के मध्य स्क्रीम के अन्वेषण पर 2.69

एक विकास: अधिगृहीत क्षेत्र विकास

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1997 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त २० का व्यव निरर्थक हो गया।
किया गया था। स्कीम के पुनर्निर्माण तथा उसके मूल्यांकन एवं अनुरक्षण पर किया गया 53.95 लाख रुपयतया स्कीम का पुनर्निर्माण जलावशयकताओं के सुस्पष्ट निर्धारण के बौर

अनुपयोगिता के कारण अभिलेख में नहीं है।
में सीमा क्षेत्र 0.07 हेक्टेयर तथा 0.37 हेक्टेयर के बीच था। उपलब्ध सिंचाई क्षमता की हेक्टेयर (प्रति फसल) के निचत कृषियोग्य अधिगृहीत क्षेत्र के प्रति उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तव 1993-94 से 1996-97 की अवधि के दौरान स्कीम द्वारा सिंचित क्षेत्र नहीं के बराबर था। 166.68 हेक्टा मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (जनवरी 1997) कि

था।

1990-91 तथा 1997-98 (सितम्बर 1997 तक) के बीच २० का व्यव भी किया गया 1993 में 32.67 लाख २० की लागत से पूर्ण हुआ। स्कीम के कार्यान्वयन तथा उसके अनुरक्षण पर ने सुसूचित किया। पुनर्निर्माण का कार्य 1989-90 के दौरान आरम्भ किया गया और अक्टूबर 1989 में 29.96 लाख २० का पुनर्निर्माण प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता ने प्रस्तावित किया तथा सरकार 92.37 हेक्टेयर के अतिरिक्त कृषियोग्य अधिगृहीत क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने हेतु आसन्न सम्भावना की प्रयत्न में कमी के होते हुए भी स्कीम के एक विकास कार्यों को व्यवस्था करने तथा के दौरान स्कीम द्वारा की गई सिंचाई 4.70 और 17.19 हेक्टेयर के बीच थी। विद्यमान सिंचाई स्कीम, धनौर (जिला कांगड़ा) मार्च 1982 में 8.82 लाख २० में पूर्ण की गई। 1982-89 की अवधि 74.31 हेक्टेयर कृषियोग्य अधिगृहीत क्षेत्र को सिंचित करने हेतु लिफ्ट सिंचाई

4.8 लिफ्ट सिंचाई स्कीम, धनौर के पुनर्निर्माण पर निरर्थक व्यव

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

यह मामला सरकार को जून 1997 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त

तथा स्कीम पर 20.10 लाख २० का व्यव पूर्णतः हानि में परिणत हुआ।
वैकिक जल उपलब्ध नहीं हुआ अतः लिफ्ट सिंचाई स्कीम चार्ज नहीं की जा सकी।
किया जा सकता था और अन्य वेसा कोई तथैका नहीं था जिससे खेत को साफ किया जा सके।
अधिशास्त्री अभियन्ता उना संख्या 1 को सूचित किया (जुलाई 1996) कि एयर कम्प्रेसर का प्रयोग नहीं की सहजता से बाहर निकाला जाए। तथापि अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी) नलकूप मण्डल, गारोट ने निर्देश किया गया। दल के सदस्य ने निर्णय लिया कि खेत में मशीनें हटें सामग्री को एयर कम्प्रेसर उना मण्डल-1 तथा वरिष्ठ जल वैज्ञानिक मूल जल स्रोत उना द्वारा जून 1996 में मौके का संयुक्त अधीक्षण अभियन्ता उना, अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी) नलकूप मण्डल गारोट, अधिशास्त्री अभियन्ता,

4.10 डीजल जनरेटिंग सेटों का आविष्कारण उपार्जन

भारत के निर्यात-महालेखापर्याक्षक के 31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन (जिसे 4.12(II)) में लिफ्ट जलपूर्ति स्कीम द्यूटिडिग्री गाम समूह चरण-II के लिए बजट मण्डल द्वारा फरवरी-मार्च 1986 में 5.51 लाख रु० मूल्य के दो आधार डिजल जनरेटिंग सेटों के क्रय के विषय में उल्लेख किया गया था। लोक सेवा समिति को विस्तृत उत्तर देने समय सरकार ने बताया (मई 1995) कि अर्जन्स के उपबन्धी के अर्जन्स फंड के विरुद्ध जनरेटिंग सेट प्रतिष्ठापित न करने के लिए कार्रवाई की गई थी तथा सेट 0.66 लाख रु० (प्रतिष्ठापन प्रभार: 0.25 लाख रु० तथा मरम्मत प्रभार: 0.41 लाख रु०) की लागत से एक अन्य फंड के माध्यम से मार्च 1991 में प्रतिष्ठापित किए गए थे।

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)। यह मामला सरकार को अप्रैल 1997 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त

रु० के निष्क्रिय निवेश में परिवर्तित हुई। निर्धारण किए गए सेवक प्रणाली के उपार्जन तथा प्रतिष्ठापन में विभाग की कार्रवाई, 9.60 लाख इस प्रकार प्रणाली के निष्पादन पर गारंटी जमा होने के सम्मति प्रभाव का

कोई कार्रवाई नहीं की गई। निर्धारण का प्रबन्ध करने तथा स्कीम को कार्रवाई बनाने के लिए विभाग द्वारा नवम्बर 1997 तक प्रणाली के 9.60 लाख रु० मूल्य के शेष घटक निष्क्रिय पड़े हुए थे। पूर्ण के उपार्जनार्थ आवश्यक पड़ने पर 6 लाख रु० के कुछ पूर्ण जलवितरण हेतु प्रयोग किए जा रहे थे। सेवक कार्रवाई बनाने हेतु 10 लाख रु० की राशि उपलब्ध थी। तथापि उसने बताया कि ऐल्युमिनियम की के अभाव के कारण व्यर्थ सिद्ध हुए। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1996) कि इसे महीने के अन्दर ही विकल हो गया। प्रणाली को फिर से चालू करने के प्रयत्न कथित रूप से कुछ पूर्ण और अन्य प्रकार के कच्चे नै इस प्रणाली को अवकल कर दिया और अन्ततः यह प्रतिष्ठापन के 13 रु० (दिसम्बर 1996) कि निष्पाद टैट के निर्मित करने के बावजूद गारंटी तथा पानी के बहाव के साथ सिवाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल सीनन के अभियन्ता की नमूना जांच से प्रकट

था। कार्रवाई पर सिस्टम के प्रभाव को सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया। मिट्टी के कटाव से रोकने की आशा थी। तथापि, इस प्रणाली के प्रतिष्ठापन से पूर्ण प्रणाली के स्थल पर जल-प्रभाव अपर्याप्त था। इस प्रणाली से जलक्षति की कम करने तथा क्षेत्र की ऊपरी 15.60 लाख रु० की लागत से एक सेवक प्रणाली प्रतिष्ठापित की क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र था और रु० से 17.67 लाख रु० के लिए अर्जन्सित किया गया (फरवरी 1990)। विभाग ने अगस्त 1992 में जल मूल्यांकन हेतु लिफ्ट सिवाई स्कीम पट्टा रूरी (जिला सीनन) का एक विकल्प प्रशासनिक 91.26 हेक्टेयर कृषियोग्य अधिगृहीत क्षेत्र में विश्वसनीय तथा प्रभावशाली ढंग से

मण्डलीय अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 1996) कि विभिन्न अन्तरालों पर परीक्षा हेतु सैट नं० I को स्वचालित किया गया था जबकि सैट नं० II ने मार्च 1991 तथा जून 1991 के मध्य केवल 114.25 घण्टों तक ही कार्य किया। तत्पश्चात् इसमें त्रुटियाँ आ गई तथा इसने अगस्त 1997 तक कार्य नहीं किया।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1997) कि जनरेटिंग सैटों को क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति में विफलता होने के कारण प्रयोग में नहीं लाया गया तथा सैट नं० II की मरम्मत वृत्त कार्यालय से विशेष मरम्मत आकलन की संस्वीकृति प्राप्त न होने के कारण नहीं की जा सकी। यह भी बताया गया कि सैट नं० I को किसी आवश्यकतापेक्षी मण्डल को हस्तान्तरित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

डीजल जनरेटिंग सैटों का उपार्जन उनकी आवश्यकता तथा कार्यक्षमता का अनुमान लगाए बिना 6.17 लाख रु० के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।

सरकार को मामला मई 1997 में संदर्भित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

4.11 सिंचाई स्कीमों की विफलता

अधिक क्षेत्रों को सिंचाई के अन्तर्गत लाने तथा फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सात सिंचाई स्कीमों को 79.61 लाख रु० की कुल लागत से मार्च 1982 तथा मार्च 1994 के मध्य पूर्ण किया गया था तथा उन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

इन सात स्कीमों के सम्बन्ध में छः मण्डलीय* अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 1991-96 की अवधि में इन स्कीमों को चलाने तथा उनके अनुरक्षण पर

* बड़सर, बिलासपुर, कुल्लू, पूह, रिकागपिओ तथा शिमला-I

40.38 लाख ₹0 का व्यय किया गया था। यह भी दृष्टिगत हुआ कि इन स्कीमों की सिंचाई क्षमता वास्तविक रूप से अप्रयुक्त रही जैसा कि निम्न प्रदर्शित है:

वर्ष	स्कीमों की संख्या (संचित)	प्रति फसल	सिंचित क्षेत्र		प्रयुक्ति में कमी का प्रतिशतता	
		सिंचित किए जाने वाला क्षेत्र	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
		(हेक्टेयर)	(हेक्टेयर)	(हेक्टेयर)	(हेक्टेयर)	(हेक्टेयर)
1991-92	3	217	17	12	92	94
1992-93	4	241	16	6	93	98
1993-94	6	272	13	9	95	97
1994-95	7	398	19	9	95	98
1995-96	7	398	20	10	95	97

रिकांगपिओं तथा शिमला-1 मण्डलों द्वारा 21.17 लाख ₹0 की कुल लागत से 1993-94 के दौरान पूर्ण की गई इन सिंचाई स्कीमों में से दो सिंचाई स्कीमों से कोई सिंचाई प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त किन्नौर तथा कुल्लू जिलों में 10.22 लाख ₹0 की लागत से मार्च 1985 तथा मार्च 1993 में पूर्ण तथा चालू की गई दो सिंचाई स्कीमों^{**} की भूव्यवस्था तथा वृष्टिक्षति के कारण 1995 में निष्क्रिय हो गई तथा तदुपरान्त अधिगृहीत क्षेत्र को सिंचाई प्रदान नहीं की जा सकी।

अधिकतर अधिशासी अभियन्ताओं ने सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति में कमी का कारण लाभग्राहियों द्वारा वांछित फसल पद्धति को न अपनाना तथा भूमि का विकास न करना बताया।

इस प्रकार इन स्कीमों के निर्माण व अनुरक्षण पर किया गया 1.20 करोड़ ₹0 का व्यय अधिकतः निष्फल रहा।

सरकार को मामला जून 1997 में संदर्भित किया गया था। उसका उत्तर प्रदान नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

* बहाव सिंचाई स्कीम थथल (शिमला जिला) तथा बहाव सिंचाई स्कीम रंगकुलांग (किन्नौर जिला)

** जिया ग्राम (कुल्लू जिला) के लिए लिफ्ट सिंचाई स्कीम तथा मालिंग डोगरी से लिटुक डोग्रिक (किन्नौर जिला) के लिए बहाव सिंचाई स्कीम।

* राष्ट्रीय उद्यानों मण्डल, रामपुर, आकर खेराज मण्डल, निरमण्ड तथा शिमला-1

संगठित की जाएगी।

कि अन्तिम बिल मण्डल में जांचायीन था तथा वर्सूलियों की अन्तिम राशि बिल पास करने के उपरान्त अधिशास्त्री अभियन्ता राष्ट्रीय उद्यानों मण्डल रामपुर ने बताया (अप्रैल 1997)

थी।

न करने, मशीनरी के किराया प्रभारों आदि के कारण 6.88 लाख रु० की निवल वर्सूलियों की जाने के अनुसार ठेकेदार से उसे विभागीय मण्डल से प्रदत्त सामग्री की लागत, प्रयोज्य सामग्री एकत्रित सम्बन्धित सहयक अभियन्ता द्वारा तैयार किए गए अन्तिम बिल (अप्रैल 1995)

(!!) शिमला बागडू सड़क के 322/0 कि०मी० पर सॉलिटिडा खंड पुल (राष्ट्रीय उद्यान: 22) के उप-मार्ग तथा सीढ़ी का निर्माण ठेकेदार द्वारा अप्रैल 1995 में पूर्ण किया गया था।

कि बिगवत प्रदेश में अन्य मण्डलों के माध्यम से वर्सूलियों करने के प्रयास किए जा रहे थे। अधिशास्त्री अभियन्ता, राष्ट्रीय उद्यानों मण्डल, रामपुर ने बताया (मार्च 1997)

की जानी थी।

(1) 169/0 से 276/0 कि०मी० शिमला बागडू सड़क (राष्ट्रीय उद्यान 22) की सामग्री लागत, मशीनरी के किराया प्रभार तथा श्रम आदि के कारण 2.15 लाख रु० की शून्य वर्सूलियों थी, मण्डल द्वारा केवल मार्च 1996 में समाविष्टित किया गया था। बिल के अनुसार ठेकेदार से था। कार्य का अन्तिम बिल जो कार्य पूर्णता की तिथि से छः महीने के भीतर निपटाया जाना अपेक्षित था तथा सब-स्ट्रक्चर्ड रोडिंग के सुधार का कार्य एक ठेकेदार द्वारा जुलाई 1990 में पूर्ण किया गया (169/0 से 276/0 कि०मी० शिमला बागडू सड़क (राष्ट्रीय उद्यान 22) की

कारण जुलाई 1990 से 21.49 लाख रु० की राशि वर्सूलियों योग्य थी जैसा निम्नवर्णित है: अधिकांशियों की वार्षिक बिलों से वर्सूलियों करने तथा वर्सूलियों की अन्तिम बिलों तक स्थगित रखने के लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि तीन मण्डलों में तीन ठेकेदारों से मण्डलीय*

निवृत्त रूप से वर्सूल किए जाने चाहिए।

प्राधान्य है कि जब ठेकेदार को औजार तथा संयंत्र उपहार दिए जाते हैं तो उनके किराया प्रभार करने वाले प्रथम बिल से कटौती करके अथवा लेखा भूतान से की जानी चाहिए। संहिता में यह भी प्रयोगों की गई सामग्रियों की लागत की वर्सूलियों साधारणतः उसे कार्य हेतु अधिम भूतान प्राधिकृत बिगवत लोक निर्माण लेखा संहिता के उपबन्धों के अनुसार ठेकेदार को कार्य में

4.12 ठेकेदारों से सामग्रियों की लागत तथा अन्य देय राशियों की वर्सूलियों न होना

(iii) शिमला बाईपास पर (11.635 से 11.750 कि०मी०) रिडिन्फोर्स्ड सीमेण्ट कंक्रीट काउंटरफोर्ट प्रतिधारक दीवार का निर्माण शिमला मण्डल संख्यां। द्वारा 15.33 लाख रु० में एक ठेकेदार को सौंपा गया था (जून 1994) जो जनवरी 1995 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था।

मण्डलीय अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 1996) कि ठेकेदार ने 1.68 लाख रु० का कार्य निष्पादन करने के उपरान्त उसे जुलाई 1995 में निलम्बित कर दिया। कार्यपूर्णता में विलम्ब के लिए उस पर अक्टूबर 1995 में 1.53 लाख रु० की प्रतिपूर्ति का उद्ग्रहण किया गया तथा कार्य को संविदा अनुबन्ध की उपधारा तीन के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया (नवम्बर 1995)। पूर्वोक्त ठेकेदार के जोखित तथा लागत पर कार्य को अन्य ठेकेदार को अप्रैल 1996 में 15.48 लाख रु० लागत पर सौंपा गया। शेष कार्य प्रगति पर था। नवम्बर 1996 तक लेखाओं में असमायोजित पड़े हुए पहले ठेकेदार के अन्तिम बिल की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि सामग्री, प्रतिपूर्ति तथा शेष कार्य की लागत आदि के कारण कुल वसूलियां 6.28 लाख रु० थीं। इसमें ठेकेदार को आपूरित 2.29 लाख रु० के मूल्य का (25 कि०मी० व्यास का) 0.98 टन इस्पात सम्मिलित था जिसका कार्य के डिजाइन में कोई प्रावधान नहीं था।

अधिशासी अभियन्ता, शिमला मण्डल सं० -I ने बताया (नवम्बर 1996) कि ठेकेदार को सामग्री यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी कि कार्य सामग्री की अनुपलब्धता/अल्पोपलब्धता के कारण अवरुद्ध न करे। तथापि अधिशासी अभियन्ता ने बकाया राशि की वसूली के कारण सूचित नहीं किए थे।

(iv) 5/0 कि०मी० से 6/0 तक बजीर बावली से झाकड़ी सड़क (कुल्लू जिला) का फॉर्मेशन कटिंग कार्य आउटर सिराज मण्डल, निरमण्ड द्वारा एक ठेकेदार को फरवरी 1989 में सौंपा गया तथा अप्रैल 1992 में पूर्ण किया गया था।

संविदानुसार ठेकेदार द्वारा विभाग को 15873.32 घनमीटर प्रयोज्य पत्थर सौंपे जाने अपेक्षित थे। ऐसा न होने पर कम सौंपे गए पत्थरों के लिए उसके रनिंग एकाउंट बिलों से 44 रु० प्रति घनमीटर की दर से वसूली की जानी थी। ठेकेदार प्रयोज्य पत्थरों को सौंपने में विफल रहा। उससे न सौंपे गए पत्थरों के लिए 6.98 लाख रु० की वसूली की जानी थी। जून 1996 में समायोजित कार्य के अन्तिम बिल के अनुसार विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूमि जमा राशि (0.80 लाख रु०) समायोजित करने के उपरान्त ठेकेदार से 6.18 लाख रु० की निवल वसूली बकाया थी। अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर ने बताया (अप्रैल 1997) कि प्रमुख अभियन्ता द्वारा कथन-विचलन विवरणी के अनुमोदन में विलम्ब के कारण ठेकेदार के अन्तिम बिल को नहीं निपटाया जा सका।

उपरोक्त (i) तथा (iv) पर वर्णित वसूलियों को अन्तिम बिलों के तैयार करने तक लम्बित रखने की बजाय उन्हें ठेकेदारों के रनिंग बिलों से किया जाना चाहिए था। इनके समयोजन अनुचित रूप से विलम्बित किए गए थे।

मामला सरकार को अप्रैल 1997 में संदर्भित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

* प्रभाषी तहसीलदार (मै-अर्जन), लोकनिर्माण विभाग स्कीम, विजयवाड़ा बंगला एम0ए0 जुलाई, ए31ई31ए01995, सर्वोच्च न्यायालय 762

का प्रयोग किया जाता तो ऐसी क्रेट की लागत 59.80 रु0 होती।
 बुनने के 8.73 लाख रु0 के प्रमाणपर संहित 94.47 रु0 बनती थी। यदि पारस्परिकबद्ध श्रृंखलाओं
 आई तार का उपार्जन करके एक वर्गीमीटर साइज की वायरक्रेट बनाई जाती है तो उसकी लागत क्रेट
 की आपूर्ति हेतु विभिन्न कर्मों के साथ दर संविदाओं को अन्तिम रूप दिया। यदि दर संविदा पर जो
 सितम्बर 1996 तक अधीन विनिर्दिष्टताओं के लिए जो आई तार तथा पारस्परिकबद्ध श्रृंखलाओं
 लिए 3.35 किलोग्राम जस्तीकृत तार की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 1995 से
 उपबन्धानुसार 15 सै0मी0 गुण 15 सै0मी0 के मेश आकार वाली एक वर्गीमीटर वायर-क्रेट बनाने के
 पारस्परिकबद्ध श्रृंखलाओं का प्रयोग करके बनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश दर अक्टूबर, 1987 के
 की व्यवस्था की जाती है। ये क्रेट या तो तार को हाथ से बुनकर बनाई जाती है या पूर्व निर्मित
 सड़कों के संरक्षणार्थ पत्थरों से मशीन द्वारा जस्तीकृत लोहे की तार की वायर-क्रेट

वायर-क्रेट पर अतिरिक्त परिवर्ध व्यय

4.14

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।
 सरकार की मामला अर्ध 1997 में संदर्भित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त

के विकल रहने के परिणामस्वरूप 12.06 लाख रु0 का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।
 अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति का भुगतान नियमित करने में विभागा

रु0 की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान अनियमित रूप से किया गया था।
 संगणित 0.58 लाख रु0 की बचाव कच्चा लेने की तिथि से अधिनियम की तिथि तक 12.64 लाख
 जमीन कच्चे में ली गई थी (जुलाई 1977)। प्रकाशन की अन्तिम तिथि से अधिनियम की तिथि तक
 एक अधिनियम दे दिया जहाँ जुलाई 1994 में धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशन के पूर्व ही
 हुआ (अक्टूबर 1996) कि एक मामले में मै-अध्याहण समाहर्ता, (हिमाल-111) ने मई 1995 में
 मदन तथा सड़क मजदूर, धर्मरावी के अभिलेखों की नमूना जांच से यह उद्घाटित

तिथि तक देय होगी जहाँ कच्चा संशोधित अधिनियम के लागू होने से पूर्व ले लिया हो।
 गया था (जनवरी 1995) कि अतिरिक्त प्रतिपूर्ति अधिसूचना-प्रकाशन की तिथि से अधिनियम की
 मूल्य के बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त राशि देय थी। यह भी निर्णय किया
 अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तथा उस तिथि से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए मै-स्वामियों को
 सरकार द्वारा जमीन कच्चे में लेने की तिथि जो पहले हो, से अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत
 प्रयोजनार्थ मै-अध्याहण करने के सरकार के विचार से समाहर्ता के अधिनियम की तिथि अथवा
 प्रभाव से लागू किया गया था। संशोधित अधिनियम की धारा 23 (1-क) के अनुसार सर्वजनिक
 1984 में यथासंशोधित मै-अध्याहण अधिनियम की 30 अर्ध 1982 से अक्टूबर

अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का अस्वीकार्य भुगतान

4.13

निर्धारित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
सामग्री की जाँच की जा रही थी तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध दंड के लिए उन्मुखित्व को सहजता दी गई। अधीक्षण अभियन्ता रामपुर ने बताया (अप्रैल 1997) कि अधिकारी को गई ठेकेदार से सरकारी दस्तावेजों की वसूली न करने से उसे अनिश्चित विन्तय

- कूल**
- (!) माव 1993 में मशीनरी के उपनिर्माण दिए गए सुरक्षित अभियान की शेष वसूली 4.20
 - (!!) अनुबन्ध की उपधारा-2 के अन्तर्गत कार्य की अपूर्णता के लिए उदाहरित प्रतिपूर्ति 5.64
 - (!!!) विभागीय माउडर से जारी सामग्री की लागत, काम में आने वाले पथरों के घटते न लगाना तथा रॉयल्टी 5.73
 - 15.57

(लाख रु०)

(दिसम्बर 1996) कि ठेकेदार से निम्न विवरणानुसार 15.57 लाख रु० की वसूली बकाया थी।
राष्ट्रीय उद्योगों माउडल, रामपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ

निष्पादन करने के पश्चात् अपूर्ण ही छोड़ दिया।
कार्य की ठेकेदार ने फरवरी 1993 में प्रारम्भ किया तथा माव 1994 तक 23.25 लाख रु० से उसका लाख रु० से ठेकेदार "क" को जनवरी 1993 में सौंपा गया था। 18 महीनों में पूर्ण किए जाने वाले सड़क बनाना, प्रतिधारक दीवारों, सीमा दीवारों का निर्माण तथा जलप्रपातों का विस्तार) 56.38 चौड़ा करने तथा सूर्यारने से सम्बन्धित कार्य (उपशीर्ष मौजूदा सड़क को चौड़ी करके दोहरी पथ की 200/0 कि०मी० से 205/0 तक अम्बाला-शिमला-वागट-शिपकिन्हा सड़क को

4.15 संविदा के निरसन में अनियमितताएँ तथा ठेकेदार को अनिश्चित सहजता

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।
सरकार को मामला मई 1997 में सदैमित किया गया था। जिसका उत्तर प्राप्त हुआ।

उपनिर्माण तथा प्रयोग की विकलता के परिणामस्वरूप 7.82 लाख रु० का परिहाय अनिश्चित व्यय इस प्रकार वापर क्रेटी के प्रदानाथ पूर्वनिर्मित पारस्परिकबद्ध श्रृंखलाओं के

अभियन्ता ने बताया (फरवरी 1997) कि मामले की खानबीन की जा रही थी।
बनाई गई होती, जिनके लिए दर संविदाएँ थी, तो लागत 15.83 लाख रु० होती। अधिशायी के कूल व्यय से 1996-97 के बीच बर्नवाड़े गई थी। यदि क्रेट पूर्वनिर्मित पारस्परिकबद्ध श्रृंखलाओं से किया गया था तथा उसी से 26,474 वर्गमीटर वापर क्रेट 28 ठेकेदारों के माध्यम से 23.65 लाख रु० अधिशायी अभियन्ता द्वारा अक्टूबर 1995 तथा अगस्त 1996 के बीच जी आई नगर का उपनिर्माण (1997) कि राष्ट्रीय उद्योगों-21 को प्राकृतिक आपदाओं से पर्यवेष्टि क्षतियों के पुनर्स्थापन हेतु कूल माउडल सं० - II के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ (फरवरी

सकता था। इसके अतिरिक्त मार्च 1977 तक ब्याज का भुगतान रोक जा सकता था यदि भू अर्जन कार्यवाहियों को यथासमय पूर्ण करने के पश्चात् 1964 में जमीन का कब्जा ले लिया होता।

मामला सरकार को जून 1997 में सर्दमित किया गया था। जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

4.17 अनुचित योजना के कारण सड़कों की प्रयुक्ति में विलम्ब

(क) मण्डी मण्डल सं०-1 द्वारा अगस्त 1986 में 4.33 लाख ₹ की लागत से 3/800 कि०मी० तक मोटरयोग्य सड़क तथा देवेखान मनाल सड़क में 7/0 कि०मी० तक एक मीटर चौड़े मार्ग का निर्णय किया गया था।

मोटरयोग्य सड़क को अप्रैल 1986 में 3/200 कि०मी० तक वाहनों के यातायात के लिए खोल दिया था तथा 3/200 कि०मी० से आगे की सड़क को 3/485 कि०मी० पर पुल के अभाव में यातायात के लिए नहीं खोला जा सका। उसी स्थल पर दो वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने वाले एक 25 मीटर प्रभावी स्पैन स्टील ट्रस पुल के निर्माण को 8.50 लाख ₹ का प्रशासनिक अनुमोदन मई 1986 में दिया गया। उसकी अधि संरचना 9.36 लाख ₹ की लागत से मार्च 1994 में पूर्ण की गई थी परन्तु डिजाइन को मार्च 1994 में पूर्ण करने के बाद भी कार्य अधिसंरचना को जुलाई 1997 में सौंपा जा सका।

अधीक्षण अभियन्ता, मण्डी ने बताया (फरवरी 1997) कि अधिसंरचना का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया था क्योंकि पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थीं। परन्तु लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा पुल निर्माण पर 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान 0.50 लाख ₹ के बजट प्रावधान को प्रयुक्त नहीं किया गया था।

इस प्रकार सड़क के निर्माण के साथ पुल के समकालिक निर्माण की विफलता के परिणामस्वरूप 10.97 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ जिसमें 3/200 कि०मी० के बाद की सड़क पर 1.61 की निर्माण लागत भी सम्मिलित थी और जनता उद्दिष्ट लाभों से वंचित रही।

(ख) 0/0 से 12/0 कि०मी० तक की मजहारी घटेवाल सड़क तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में अक्टूबर 1980 में आरम्भ की गई थी तथा 4.53 लाख ₹ की लागत से 10/945 कि०मी० तक मृदकार्य 3/400 कि०मी० तक सोलिंग तथा 3/0 कि०मी० तक क्रॉस ड्रेनेज कार्यों का निष्पादन करके उसे निलम्बित कर दिया (अप्रैल 1990)।

बिलासपुर मण्डल सं० -II के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (जून-जुलाई 1996) कि सड़क के 4/589 कि०मी० पर डबेट खड्ड पर अपेक्षित निर्माण वाले एक पुल को नहीं बनाया गया था क्योंकि सड़क के संस्वीकृत आकलन में पुलनिर्माण के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1996) कि कार्य को पर्याप्त

ठेकेदार ने काबू मार्च 1995 में आरम्भ किया तथा उसने जून 1995 तक 1.12 लाख रु० मूल्य का 387 घनमीटर कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट आपूर्ति किया। क्योंकि ठेकेदार ने उसके बाद की पत्थर की आपूर्ति बन्द कर दी अतः उस पर 62,000 रु० की प्रतिपूर्ति लगाई गई (आरम्भ 1995) जिसे बाद में अधीक्षण अभियन्ता ने इस आधार पर सितम्बर 1995 में घटा कर 1,000 रु० कर दिया कि विभागा पत्थरों की एकत्रित करने का स्थल प्रदान करने में विफल रहा। परन्तु अधीशास्त्री अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1996) कि एकत्रित करने के स्थल की क्षमता 2,000 घनमीटर थी। जांच से प्रकट हुआ कि (जुलाई 1996) कि मार्च 1995 तथा सितम्बर 1995 के बीच केवल दो से 321 घनमीटर पत्थर ही स्थल पर एकत्रित पड़े रहे। इसलिख अधीक्षण अभियन्ता की प्रतिपूर्ति कम करने की कार्रवाई मान्य नहीं थी।

(1) कालका शिमला सड़क पर (राष्ट्रीय उद्योगों-22) 93/0 कि०मी० तथा 122/300 कि०मी० के बीच नई परत की व्यवस्था करने के लिए 2,141 घनमीटर कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट आपूर्ति करने तथा एकत्रित करने का काबू राष्ट्रीय उद्योगों मण्डल, सीलन द्वारा 6.21 लाख रु० में एक ठेकेदार को सौंपा गया था (मार्च 1995)। काबू जून 1995 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था।

अक्टूबर-नवम्बर 1996) दो ठेकेदारों को अनिश्चित सहायता के निम्नांकित मामले उद्घाटित हुए:

दो मण्डलों* के अभियन्तों की समीक्षा जांच से (जुलाई 1996 तथा

4.18 ठेकेदारों को अनिश्चित सहायता

नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)। सरकार को मामला जून 1997 में संदर्भित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त

लाख रु० का व्यय सात वर्ष पूर्व ही निष्कल पड़ा रहा। इस प्रकार योजना के उचित न होने के कारण पुनः निर्माण पर किया गया 4.53

पुनः निर्माणार्थ प्रशासनिक अनुमोदन मई 1997 तक प्राप्त नहीं हुआ था। दौरान आवधिकतम कमरा: 0.56 लाख रु० तथा 2 लाख रु० की निधियों को प्रयुक्त नहीं किया गया था। अभियन्ता का तर्क संगत नहीं था क्योंकि सड़क तथा पुल के निर्माणार्थ 1990-96 तथा 1996-97 के वार्षिक बजट क्षतियों को पुनःस्थापित नहीं किया गया था तथा पुल निर्माण नहीं किया था। अधीशास्त्री नियमाव के कारण निश्चित किया गया था तथा सड़क को उद्घाटित प्रयोग में नहीं लाया जा सका

ईशा था (नवम्बर 1997) ।

सरकार को मामला मई 1997 में संदर्भित किया गया। जिसका उत्तर प्राप्त नहीं

की दृष्टि निरिवल की जानी चाहिए थी तथा उनका बसूली उसके चारु भूगोलों से की जानी चाहिए थी।
निम्नलिखित दृष्ट राशि से राशि की बसूली की जायागी। ठेकेदार को रजु सौंपने से पूर्व कियाया प्रमारो
प्रमार निरिवल करने से सम्बन्धित मामला यात्रिक मण्डल के साथ उठया जायागी और ठेकेदार की
अधिशान्ता मण्डो ने बताया (जून 1997) कि ठेकेदार से किया

रजु वापिस नहीं की थी।

नहीं किया था। पुन जनवरी 1996 में पूर्ण किया गया था परन्तु ठेकेदार ने अक्टूबर 1996 तक लौह
व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को दी गई सामग्री के लिए कोई कियाया प्रमार निरिवल
जून 1994 में ठेकेदार को सौंपी गई थी यद्यपि अर्जन्त में ठेकेदार को रजु आपूर्ति से सम्बन्धित
जस्त प्राप्त की गई थी (अर्जुन 1994)। कन-का-तार में व्यास नदी पर पुल के प्रयोगार्थ यह रजु
कट्टई उप मण्डल से 1.62 लाख रु० के मूल्य की 50 मि०मी० व्यास वाली 325 रजि० मीटर लौह
(!!) भवन तथा सड़क मण्डल सं० 11, मण्डो में अणुधार पर कुल मण्डल सं० 1 के

रु० की अर्जित सहायता मिली।

शेष कार्य को निष्पादित करवाने में यथासमय कार्रवाई की विकल्पों के परणामस्वरुप उसे 2.74 लाख
रु० प्रकार, संहिता निरस्त करने तथा पहले ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर

जानी चाहिए थी।

एजेन्सियों के माध्यम से शेष कार्य को पूर्ण करवाने की कार्रवाई शेष कार्य को पूर्ण करवाने से पूर्व की
जायागी। यह तर्क संगत नहीं था क्योंकि उपधारा 3 के अन्तर्गत कार्य निरस्त करने तथा अन्य
रही थी तथा किया गया अतिरिक्त व्यय उससे विभाग के अन्य मण्डलों के माध्यम से बसूल किया
गया कि अर्जन्त की उपधारा 3 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जा
उपाहित करनी पड़ी क्योंकि यहाँ आवश्यक रूप से लक्षित कार्य के लिए अपेक्षित थी। यह भी बताया
अधिशान्ता मण्डो ने बताया (जून 1996) कि सामग्री अन्य ठेकेदारों से

थी।

संहिता निरस्त करने तथा उससे अतिरिक्त लागत को बसूल करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई
2.74 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय किया गया। मण्डल द्वारा जून 1996 तक पहले ठेकेदार की
लागत से जनवरी 1996 तथा जून 1996 के बीच पूर्ण किया था। इस प्रकार शेष कार्य को पूर्णता पर
दिसम्बर 1995 तथा फरवरी 1996 के बीच सौंपा गया था तथा उनके द्वारा 7.83 लाख रु० की
1754 एनमीटर कंडु स्टोन ऐंशोर्ट की आपूर्ति का शेष कार्य तीन ठेकेदारों को

करसोग लूरी सड़क के 25/800 कि०मी० पर कोटलू खड्ड पर एक 25 मीटर स्पैन स्टील ट्रस पुल के निर्माण को एक वर्ष की निश्चित पूर्णता अवधि के साथ 5.67 लाख रु० का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था (मार्च 1981)। परन्तु डिजाइन को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण 24.40 मीटर की प्रभावी दूरी वाले कार्य को 5.49 लाख रु० तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई थी (मार्च 1987)। कार्य अक्टूबर 1987 में आरम्भ किया गया तथा 28.22 लाख रु० की लागत से नवम्बर 1995 में पूर्ण किया गया। संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी संस्वीकृति मई 1997 तक प्रदान नहीं हुई थी।

यह कार्य एक वर्ष के बीच पूर्ण करने के लिए ठेकेदार को 9.35 लाख रु० में सौंपा गया था (जुलाई 1987)। ठेकेदार ने कार्य अक्टूबर 1987 में आरम्भ किया। तत्पश्चात् (मई 1988) पुल की चौड़ाई बढ़ाकर 30.48 मीटर कर दी क्योंकि बायीं ओर की नींव नदी में आ रही थी। अधःरचना तथा अधिरचना की ड्राइंगों ठेकेदार को क्रमशः जून 1988 तथा अक्टूबर 1991 में सौंपी गई थी। कार्यक्षेत्र बदलने के कारण ठेकेदार ने परिवर्तित मात्रार्थ संरचनात्मक इस्पात के लिए 30 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर मांगी (दिसम्बर 1991)। ठेकेदार द्वारा जुलाई 1992 में दर घटाकर 26 रु० प्रति कि०ग्रा० कर दी गई। विभाग ने मई 1993 में 25 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर का अनुमोदन किया जो ठेकेदार को स्वीकार्य नहीं था। ठेकेदार ने अगस्त 1990 तक 3.21 लाख रु० के मूल्य का कार्य निष्पादित किया। तदुपरान्त उसने भू अर्जन न करने, सीमेंट की अनुपलब्धता उद्धृत दर का अनुमोदन न करने तथा समय पर भुगतान की प्राप्ति न होने के कारण कोई कार्य निष्पादित नहीं किया।

कार्यपूर्ण न करने के लिए मण्डलीय अधिकारी द्वारा सितम्बर 1993 में ठेकेदार पर 0.93 लाख रु० की प्रतिपूर्ति लगाई गई। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मार्च 1994 में यह बिना कारण बताए छोड़ दी गई। संविदा निरस्त कर दी गई (नवम्बर 1993) तथा ठेकेदार का प्रतिभूति-निक्षेप (0.59 लाख रु०) सरकार के पक्ष में जब्त कर दिया गया। उसके पश्चात् कार्य का निष्पादन विभागीय रूप से किया गया तथा 28.22 लाख रु० की कुल लागत से नवम्बर 1995 में पूर्ण किया गया। ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर कार्य की पूर्णता लागत 12.61 लाख रु० संगणित की गई थी। उचित सर्वेक्षण, जांच, ड्राइंगों को अन्तिम रूप देने, भू अर्जन तथा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था के बिना कार्य प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप 15.61 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय तथा सात वर्षों का परिहार्य विलम्ब हुआ।

अधिशासी अभियन्ता (करसोग मण्डल) ने बताया (अगस्त 1996) कि कार्यक्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित किया गया था तथा ठेकेदार द्वारा इस्पात के लिए मांगी गई दरें औचित्य से अधिक थीं और इसलिए संविदा निरस्त की गई थी। अधिशासी अभियन्ता का तर्क संगत नहीं था क्योंकि कार्यारम्भ में विलम्ब का कारण ठेकेदार नहीं था। विभाग ने समुचित सर्वेक्षण व छानबीन के बाद पुल के डिजाइन को अन्तिम रूप नहीं दिया और विभाग की अन्य गलतियां भी थीं जिनके परिणामस्वरूप अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

* विनासपुर - II, कस्तूरिया, पानसपुर व पण्डौर (राज्यीय राजमार्ग)

वार मण्डली में पांच सड़क निर्माणकार्य (परिशिष्ट IX के विवरणानुसार) उपर्युक्त आरम्भ होने की तिथि के आठ मास से चार वर्ष की अवधि तक पूर्ण किए जाने वाले कार्य (प्राकल्पित लागत: 31 लाख रु०) सड़कों के संरक्षण में पड़ रही वन मण्डल के प्रयोगार्थ भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही फरवरी 1978 तथा मार्च 1992 के मध्य आरम्भ किए गए थे। इन मामलों में तकनीकी संस्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी। ये निर्माणकार्य वनेतर प्रयोजनों के लिए वनमण्डल के प्रयोगार्थ भारत सरकार की अनुमति के अभाव में आरम्भ में पड़े थे जबकि इन पर 12.38 लाख रु० खर्च किए गए जा चुके थे। इन सड़कों की पूर्णता में एक से 17 वर्षों का विलम्ब हुआ।

*

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना वन मण्डल का वनेतर प्रयोजनार्थ प्रयोग निषेध है। संस्वीकृत प्राक्कल्पों में यह भी व्यवस्था थी कि सड़कों के संरक्षण में पड़ने वाले वनों की निर्जी मण्डल के अर्जन तथा पर्याप्त निधि व्यवस्था करने के पश्चात् ही सड़क के निर्माणकार्य आरम्भ किए जाने चाहिए।

4.21 सड़क निर्माणकार्यों पर निष्कल व्यय

इस प्रकार अधुर्नियमित पुल के अनुसंधान में निष्कल रहने से 10.82 लाख रु० की कुल लागत से निर्मित पुल खर्च हो गया। यह मामला मार्च 1997 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 1997)।

पावों की रस्सों के टूटने से पुल जलाई 1995 को खर्च हो गया। प्रमुख अधिवक्ता के अनुसार (अप्रैल 1995) खर्च होने का मुख्य कारण जकड़ गैलरियों में तार की रस्सियों को जंग लगना था जिससे रस्सियों की तन्त शक्ति कम हो गयी। उसने यह भी कहा कि ये गैलरियां मलबे से भर गयी थी और इन्हें विमगा ने कई वर्षों से साफ नहीं किया गया था तथा निरीक्षण व रस्सियों के स्नेहक और अन्य अनुसंधान कार्य नहीं किए गए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जून 1996) कि अनुसंधान कार्य की निरन्तर अनदेखी करने के लिए जून 1996 तक उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

236.75 फूट कर ली गयी थी। 1975 में जुबल मण्डल ने 7.07 लाख रु० की लागत से पूर्ण किया। पुल की लम्बाई भी बढ़ाकर प्रशासनिक रूप से 3.02 लाख रु० में अनुमोदित किया गया था (मई 1973) और यह कार्य नवम्बर पुल की 3.75 लाख रु० की लागत से जून 1966 में पूर्ण किया गया था। पुल के सुदृढीकरण को सावड़ा (शिम्ला जिला) में पण्डर नदी पर 225 फूट घाट के एक स्थान पर स्थित है।

4.20 पुल के अनुसंधान में असावधानी के कारण टूटना

नहीं हुआ (नवम्बर 1997)। यह मामला जून 1997 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त

* वैजनाथ, मन्थार, बिलासपुर-1, इन्डिया, जेजल, कुमारकेन तथा सनगा

हैआ (नवंबर 1997) ।

इस मामला जून 1997 में सरकार को प्रेषित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं

रहा और नामांकी अभिमत नामों से वंचित रहे ।

इस प्रकार इन निर्माणाकार्यों पर किया गया 36.54 लाख रु० का व्यय निष्कल

वर्ष से 17 वर्ष का विलम्ब हैआ ।

साल मउदली* में परशिष्ट X के विवरणानुसार अपने आरम्भ होने की तिथि के एक वर्ष से तीन वर्षों के भीतर पूर्णता हेतु नियत नौ सड़क निर्माणाकार्य (प्राक्कलित लागत: 85.38 लाख रु०) निष्पादनाथ अथिल 1978 तथा अथिल 1991 के मध्य आरम्भ किए गए थे और 24.16 लाख रु० का व्यय करने के पश्चात् भी अधूर्ण रहे । इन मामलों में भी तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई थी । ये निर्माणाकार्य मुख्यतः निजी भूमि के अनधिकृत, रेल फाटकों की अनपलब्धता, संरक्षण में पड़ रही भूमि के विवाद तथा निधि के अभाव में ठप्प पड़े थे । इन सड़कों की पूर्णता में 2

हैआ था (नवम्बर 1997)।

यह मामला मार्च 1997 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं

की सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता के लिफ्ट आरंभ पर लिखित 1997 में भेजा गया था।
 गया था। अधिशासी अभियन्ता ने यह भी बताया (दिसम्बर 1997) कि अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर
 की छानबीन नहीं की गई थी तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया
 पूबन्द क्षेत्र डीपी नही किए गए थे। तथापि, 2.90 लाख रु० मूल्य की सामग्री की अनधिकृतपूर्णा खपत
 सामग्री की खपत के लिये सम्बद्ध अभिलेखी से पता नहीं चल सकता है क्योंकि मापजोख प्रतिनका में
 अधिशासी अभियन्ता ने देख स्वीकार करते समय बताया (अगस्त 1995) कि

सन्देहास्पद थी।

स्थानान्तरण के समय अपने उत्तरदायिकारी को नहीं सूची थी। परिणामतः सामग्री की उपयोगीता
 अधिखत 0.65 लाख रु० मूल्य की अपर्यक्त सामग्री कनिष्ठ अभियन्ता ने अक्टूबर 1991 में अपने
 स्थल सामग्री लेखा रजिस्टर में सन्दर्भित मापजोख प्रतिनका में अधिक नहीं किए गए थे। इसके
 सड़क निर्माणकार्य पर प्रयुक्त हुई दशहैं गयी थी। निष्पादित कार्य तथा सामग्री की खपत के लिये कार्य
 0.81 लाख रु० की सामग्री कार्यस्थल सामग्री लेख में अक्टूबर 1991 में एक

सन्देहास्पद थी।

(!) दो सड़की (सिद्धपुर शान्तिपुर सड़क व लालतोक पावता राजबन रोड सड़क)
 के गड्ढों की मरम्मत पर संकुचित दूरी/क्षेत्र जहाँ मरम्मत की गई थी, को सन्दर्भित किए बिना अगस्त
 व अक्टूबर 1991 में 1.44 लाख रु० की सामग्री अर्थात् तारकोल, गिट्टी व ड्रेनकाठ की खपत
 दर्शाई गई थी। पूबन्द पर 0.78 लाख रु० मूल्य के 15,288 कि०मी० तारकोल की खपत दर्शाई गई
 थी। मानक दर सूची, 1987 के अनुसार 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में पूबन्द लगाने के लिए 20 कि०मी०
 तारकोल अधीक्षित या और इतनी मात्रा के कार्य के निष्पादनाथ 3.90 बेलदार व 0.40 मट अधीक्षित
 थे। इन मापदण्डों के अनुसार पूबन्द लगाने हेतु क्षेत्र 7,644 वर्ग मीटर निकाला गया था तथा 2म
 दिवस 3,287 निकाले गए थे। इसके प्रति इस प्रयोजनार्थ केवल 446 2म दिवस ही लगाए गए थे।
 इस प्रकार सामग्री की खपत इस कार्य हेतु लगाए गए 2म दिवसों की संख्या के व्युत्पत्ती तथा

सामग्री की सन्देहास्पद खपत के निम्नांकित मामले प्रकट हुए (जुलाई-अगस्त 1995):

कर्मचारीन मण्डल के अभिलेखी की नमूना जांच से एक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा

5.1 सामग्री की सन्देहास्पद खपत

लोकनिर्माण विभाग

भुवनेश्वर एवं प्लेटो

पावता अख्यार

(!) मण्डल द्वारा प्रेषित 1200 बामन सॉकेट ब्रेकरो की कुल आवश्यक्ता के प्रति अशीक्षण अभियन्ता ने विविध क्षमता वाले पांच अलग-अलग बामन सॉकेट ब्रेकरो हेतु प्रत्येक 1200 ब्रेकरो की मांग अशोधित की। तदनुसार प्रमुख अभियन्ता ने फरवरी 1996 में आदेश जारी किया तथा सामग्री उन्नी मास के दौरान प्राप्त हुई। इस प्रकार अशीक्षण अभियन्ता तथा प्रमुख अभियन्ता द्वारा आवश्यक्ता की अनौचित्यपूर्ण वृद्धि के फलस्वरूप 1200 बामन सॉकेट ब्रेकरो की वास्तविक आवश्यक्ता के प्रति 6000 बामन सॉकेट ब्रेकरो की खरीद हुई जिससे 4.96 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ।

निम्नांकित है:

मण्डल की मांग के आधार पर अक्टूबर 1995 व जनवरी 1996 में अशीक्षण अभियन्ता द्वारा अशोधित इस मांग की सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रमुख अभियन्ता ने नवम्बर 1995 व फरवरी 1996 के बीच विभिन्न फर्मों को आदेश दिया। पूर्वोक्त आदेशों के प्रति इन मण्डलों में नवम्बर 1995 व दिसम्बर 1996 के मध्य 25.52 लाख रु० की सामग्री प्राप्त की गयी। इसमें से 4.94 लाख रु० की सामग्री जुलाई 1996 में आपूर्तिकर्ता को वापिस भेजी गई, 0.55 लाख रु० की सामग्री प्रयुक्त कर दी गयी और 20.03 लाख रु० की शेष सामग्री दिसम्बर 1996 तक अप्रयुक्त पड़ी थी। अन्य तथ्य

(क) अपने उपमण्डलों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यक्ताओं के आधार पर अधिशोषी अभियन्ता, बडसर मण्डल ने अक्टूबर 1995 व दिसम्बर 1995 में अशीक्षण अभियन्ता, हमीरपुर से इसे उपजाति/प्रबन्ध करने का अनुरोध किया।

* तीन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अक्टूबर 1996 व जनवरी 1997) कि प्रमुख अभियन्ता द्वारा संग्रहित कारणा के बिना ही वास्तविक आवश्यक्ताओं से काफी अधिक विभिन्न प्रकार की सामग्री खरीदी गई थी। नवम्बर 1995 तथा मार्च 1996 के बीच खरीदी गई 46.60 लाख रु० की सामग्री में से केवल 1.07 लाख रु० की सामग्री को ही खपत की गई थी। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त सामग्री की खरीद के सम्बन्ध में पाए गए तथ्य नीचे विवेचित हैं:-

वित्तीय विधियों में अपेक्षित है कि लोक सेवा की निश्चित आवश्यक्ताओं के अनुरूप मण्डल सामग्री की खरीद की जानी चाहिए और वास्तविक आवश्यक्ता से पूर्व मण्डल सामग्री की खरीद न करने की सावधानी बरती जानी चाहिए।

5.2 प्रमुख अभियन्ता द्वारा सामग्री का अनौचित्यपूर्ण क्रय

सिवाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

(1) विकासगतिशील (किन्नोर जिला) में एक जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना प्रशासनिक रूप से 7.23 लाख रु० (भवन: 4.07 लाख रु० तथा उपकरण: 3.16 लाख रु०) में

12.27 लाख रु० की मजदूर सामग्री अप्रत्यक्ष पड़ी रही:

निम्नांकित तीन मामलों में वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य खरीदी गई पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए।

की निहित आवश्यकताओं के अन्वय की जानी चाहिए तथा इसे वास्तविक आवश्यकता से काफ़ी सरकार के वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि मजदूर सामग्री की खरीद लोक सेवा

अप्रत्यक्ष मजदूर 5.3

उत्तर नहीं दिया था।

सरकार ने मई 1997 में उसे प्रेषित की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों का कोई भी

हुआ।

सामग्री की खरीद अवैकपूर्ण थी जिसके परिणामस्वरूप 40.59 लाख रु० की निधियों का अवरोधन इस प्रकार बिना किसी आवश्यकता के तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके

हुई। आवश्यकता से अधिक सामग्री के लिए आपूर्ति आदेश देने के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे।

(ग) ऊना मण्डल से 0 के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (जनवरी 1997) कि प्रमुख अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित 100 बामन सर्किट रिचार्जिंग की मात्रा के प्रति 300 रिचार्जिंग का आदेश दिया। इसके फलस्वरूप 6.40 लाख रु० की सामग्री की अधिक खरीद

नवम्बर 1996 तक इसकी प्रवृत्ति नहीं की गई थी।

(ख) सोलन मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि प्रमुख अभियन्ता ने मण्डल से बिना किसी मांग के फरवरी 1996 में 5.11 लाख रु० की लागत से 210 कम्प्यूटरीकरण प्रयुक्त रिचार्जिंग के कथार्थ आदेश दिए थे। यह सामग्री इस मण्डल में मई 1996 में प्राप्त हुई और

गया था।

विभाग के प्रमुख अभियन्ता की विद्यमान बॉर्डर इत्यादि के लिए उपकरण खरीदने हेतु प्राधिकृत नहीं किया किसी पूर्वनिर्धारित आवश्यकता के बिना खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त, सिवाई एवं जनस्वास्थ्य जांचों। यह तक स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सामग्री या तो किसी मांग के बिना या इसके उपयोग हेतु खरीदी गई सामग्री हिमाचल प्रदेश राज्य विद्यमान बॉर्डर तथा यांत्रिक परिमण्डल, हिमाचल को दे दी अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1996) कि आवश्यकता से अधिक

मण्डल में प्राप्त हुई।

(!!) प्रमुख अभियन्ता ने खरीद हेतु कोई कारण अंकित नहीं किए। यह सामग्री फरवरी 1996 में इस उसके लिए जनवरी 1996 में 7.70 लाख रु० के 240 बामन सर्किट रिचार्जिंग का आदेश दे दिया। प्रमुख अभियन्ता ने मण्डल से मर्दान के लिए किसी मांग की प्राप्ति के बिना ही

हैआ (नवम्बर 1997) ।

यह मामला अप्रैल 1997 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं

उपानामाई कोई कारण सूचित नहीं किए।

से उपरिक्त किए गए थे और निर्माणकार्य में इनकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने इन पाइपों के

अधिशाली अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1996) कि ये पाइप हमीरपुर मण्डल

थे।

लिफ्ट सिस्टम की योजना, जाई के प्रति लेखाबद्ध कर दिया। ये पाइप अक्टूबर 1996 तक अप्रयुक्त पड़े

व्यास के 412 मी० प्रवाही लम्बाई के टनवा लोहे के पाइप खरीदे तथा इनमें आवश्यकता के बिना ही

(!!!) अधिशाली अभियन्ता, बडसर ने मार्च 1993 में 3.42 लाख रु० के 450 मि०मी०

के अन्य मण्डलों को हस्तान्तरित नहीं किया गया था।

संस्वीकृत प्राक्कल्पना में कोई प्रावधान नहीं था। पाइपों की अधिक मात्रा को भी अप्रैल 1997 विभाग

जा रहे थे। अभियन्ता की सेवा से पता चला कि 80 मि०मी० व्यास के पाइपों की प्रयुक्ति हेतु

अन्य स्कीमों में प्रयुक्त करने या किसी अन्य जरूरतमन्द मण्डल को हस्तान्तरित करने के प्रयास किए

अधिशाली अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 1997) कि इस सामग्री को मण्डल की

स्टॉक में अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

मी० प्रवाही लम्बाई के जस्तीकृत लोहे पाइप अधिक पाए गए। ये पाइप नवम्बर 1996 से मण्डल के

1994 में स्कीम का शेष परिवर्तित कर दिया गया और परिवर्णमतः 5.56 लाख रु० मूल्य के 2990

मटर 80 मि०मी० व्यास के 6000 मी० प्रवाही लम्बाई के जस्तीकृत लोहे पाइप खरीदे गए थे। मई

बिना ही जलापूर्ति स्कीम, पानी (किन्नीर जिला) की पुनर्वचना हेतु मार्च 1992 व अक्टूबर 1992 के

(!!) इसी मण्डल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा डिजाइन की अन्तिम रूप से अनुमोदित किए

निष्पत्ति निवेश हैआ।

प्रकार टीक प्रकार से योजना न बनाने व समन्वय न करने के फलस्वरूप लगभग 3.29 लाख रु० का

स्थान र्जन किया गया था और निर्माणकार्य जुलाई 1997 में एक ठेकेदार को सौंपा जा चुका था। इस

निरीक्षण बंगले के बाह्यवापस में रखा गया था। उसने यह भी बताया कि प्रयोगशाला भवन के लिए

अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1997) कि इस प्रयोगशाला के उपकरणों की रिकॉगिपिओ स्थित

लिए गए थे लेकिन इनकी वास्तविक मात्रा व मूल्य के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। अधीक्षण

अधिशाली अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1996) कि कुछ रसायन प्रयुक्त कर

1994 में प्रयोगशाला बन्द कर दी गयी।

गयी थी। तदनन्तर राजकीय डिप्टी कालेज के लिए कार्यालय भवन खाली करना पड़ा और जुलाई

खरीददारी की। प्रयोगशाला अस्थाई रूप से मई 1992 में मण्डलीय कार्यालय भवन में स्थापित की

(उपकरण: 2.50 लाख रु० तथा रसायन: 0.79 लाख रु०) के प्रयोगशाला उपकरणों व रसायनों की

हेतु भवन निर्मित करने की बजाय वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य 3.29 लाख रु०

अनुमोदित की गयी थी (नवम्बर 1987)। अधिशाली अभियन्ता, रिकॉगिपिओ मण्डल ने प्रयोगशाला

(1) मरुमकड़ी-पालन विकास अधिकायी, शिमला ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं विद्यमान निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इस्तिशाल्य एवं इध-करवा निगम को प्रेषण के

5.4.3 शहद की लागत वर्धन न करने के कारण बताते

(3) मार्च 1992 से जनवरी 1995 के बीच विभिन्न फर्मों को लौटाई गई कीटनाशक दवाइयों के लिए हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा उनसे वर्धन 6.59 लाख रु० दवाइयों के लिए हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के पास एवं 1997 तक विपणन को प्रत्यापित नहीं किए गए थे।

(4) विपणन की 16 इकाइयों द्वारा मार्च 1992 व जनवरी 1995 के मध्य कीटनाशक दवाइयों की बिक्री लक्ष्यों से वर्धन किए गए 9.56 लाख रु० जनवरी 1997 तक हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को प्रेषित नहीं किए गए थे। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकायी ने बताया (जून 1997) कि इस मामले पर संभव इकाइयों से पर्यावरण किया जा रहा था।

(5) विपणन ने तामाशियों को बिक्रय्य सामग्री व उपकरण की खरीद हेतु वर्ष 1992-93 से 1996-97 के मध्य 5.07 करोड़ रु० आईत किए। लेकिन निदेशालय के पास बिक्री लक्ष्यों की वर्धन के पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकायी ने बताया (जून 1997) कि ये ब्यौरे क्षेत्र इकाइयों से मांगे जा रहे थे। इस प्रकार विपणन क्षेत्र इकाइयों पर प्रभावी निवर्धन रखने में विफल रहा।

(6) विपणन ने वर्ष 1992-93 तथा 1994-95 के मध्य कीटनाशक दवाइयों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को 3.29 करोड़ रु० का उपदान निस्तारित किया। हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने जून 1997 तक 13.81 लाख रु० का उपदान लेखाबद्ध नहीं किया था। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकायी ने बताया (जून 1997) कि लेखाओं का समायान किया जा रहा था।

सत्याता की लेखापरीक्षा में प्ति नहीं की जा सकी। विपणन द्वारा हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से अधिगृहीत क्षेत्र कीटनाशक दवाइयों की खरीद रु० की कीटनाशक दवाइयों अधिगृहीत कर ली। समायान व प्रत्यक्ष सत्यापन के उभाव में विपणन ने फरवरी 1995 में हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से 1.61 करोड़ रु० की कीटनाशक दवाइयों अधिगृहीत कर ली। समायान व प्रत्यक्ष सत्यापन के उभाव में

फरवरी 1995 में आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से कीटनाशक दवाइयों के उपदान व विवरण का कार्य और इन दवाइयों की शेष मात्रा ले ली जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा अधिगृहीत कीटनाशक दवाइयों के हिमाचल-किताब का तत्काल समायान किया जाए। हिमाचल प्रदेश ऐग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने न तो कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और न ही फरवरी 1997 तक इसका कोई समायान किया गया। असमायान के कारण संचित नहीं किए गए थे (जून 1997)।

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के निदेशक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) - हिमाचल प्रदेश सरकार शहद के न बड़े गैर स्टॉक से सम्बन्धित उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की (जून 1996) कि विभाग को सरकार के साथ सीटिंग करके संचित शहद की बिक्री हेतु शीघ्रतः शीघ्र एक नीति बनानी चाहिए। मर्यामखी-पालन विकास अधिकारी, कांगड़ा के अभिलेखों की नगमा जांच से यह स्पष्ट हुआ (मई 1997) कि 7.95

5.4.5 शहद के विक्रय न करने के कारण बर्ताने

मर्यामखी पालन विकास अधिकारी, शिमला द्वारा 1.08 लाख रु० मूल्य के शहद के 417 प्लैस्टिक के पीपे निदेशक के आदेशानुसार जनवरी तथा फरवरी 1995 के दौरान हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विभाग एवं विधायन विभाग को निरीक्षण हेतु भेजा गया कि उन शहदों का उपयोग उचित विधायन निगम को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विभाग एवं विधायन निगम को 1.08 लाख रु० मूल्य के प्लैस्टिक के पीपों की आवश्यकता पड़ी है। शहद के प्लैस्टिक के पीपों की आवश्यकता का अनुमान 1.08 लाख रु० मूल्य के शहद के 417 प्लैस्टिक के पीपे निदेशक के आदेशानुसार जनवरी तथा फरवरी 1995 के दौरान हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विभाग एवं विधायन विभाग को निरीक्षण हेतु भेजा गया कि उन शहदों का उपयोग उचित विधायन निगम को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विभाग एवं विधायन निगम को 1.08 लाख रु० मूल्य के प्लैस्टिक के पीपों की आवश्यकता पड़ी है। शहद के प्लैस्टिक के पीपों की आवश्यकता का अनुमान 1.08 लाख रु० मूल्य के शहद के 417 प्लैस्टिक के पीपे निदेशक के आदेशानुसार जनवरी तथा फरवरी 1995 के दौरान हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विभाग एवं विधायन विभाग को निरीक्षण हेतु भेजा गया कि उन शहदों का उपयोग उचित विधायन निगम को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विभाग एवं विधायन निगम को 1.08 लाख रु० मूल्य के प्लैस्टिक के पीपों की आवश्यकता पड़ी है।

5.4.4 प्लैस्टिक के पीपों की अनधिकृत आपूर्ति

(!!) सरकार आदेशानुसार, शहद नाद रूप में निजी पार्टियों को बेचा जाना था। फिर भी मर्यामखी पालन विकास अधिकारी कांगड़ा के पास उपलब्ध 4.23 लाख रु० मूल्य के 9,915 किलोग्राम शहद को निदेशक के आदेशानुसार पर्वकला स्थित फर्म को अक्टूबर 1996 में नकदी के स्थान पर लोक लेखर बेचा गया। इन लोक लेखरों को सम्बन्धित बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। शहद की कीमत की वसूली के लिए विभाग ने न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया (जुलाई 1997)। इस प्रकार लोक लेखरों की अदायगी के प्रति शहद की बिक्री 4.23 लाख रु० की बर्ताने में परिणत हुई।

मर्यामखी पालन विकास अधिकारी, शिमला ने बताया (जुलाई 1997) कि इन निगमों को शहद की आपूर्ति निदेशक के आदेशानुसार प्रेषण के अभाव पर की गई थी। उक्त शहद भी बताया कि बकाया राशि की वसूली से सम्बन्धित मामला उच्च स्तर पर उठाया जा रहा था। वसूली की सम्भावनाएं कम थी क्योंकि शहद का स्थायित्व समाप्त हो चुका था।

करना सम्भव नहीं था।

1996) कि शहद स्थायित्व (डेट वर्ष) पहले की समाप्त हो चुका था तथा उनके लिए इस्की बिक्री हिमाचल प्रदेश राज्य इन्वेंटोरिअल एवं हेथ-करवा निगम ने संचित किया (मई

आधार पर दिसम्बर 1994 तथा फरवरी 1995 के मध्य 5.77 लाख रु० मूल्य के 16,261 किलोग्राम शहद की आपूर्ति की। बर्ताने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विभाग एवं विधायन निगम से 2 लाख रु० प्राप्त हो गए थे, परन्तु मार्च 1997 तक दो निगमों से 3.77 लाख रु० की बकाया राशि वसूल नहीं की गई थी।

* किन्नीर: 3.56 लाख रु०; मण्डी: 6.16 लाख रु०; शिमला: 0.21 लाख रु० तथा सैलम: 0.45 लाख रु०

(!!) जिला बागवानी अधिकारी, किन्नीर द्वारा विभिन्न बिक्री केंद्रों को दिसम्बर 1995 तथा मार्च 1997 के मध्य विवरित किए गए 3.85 लाख रु० मूल्य के नाशकीटमार नती सम्बद्ध डकाडियों के स्टॉक में लेखाबद्ध किए गए ३ और न ही उनकी बिक्रिया सरकारी लेख में जमा करवाई गई थी (अप्रैल 1997)। जिला बागवानी अधिकारी, किन्नीर ने बताया (अप्रैल 1997) कि आवश्यक

अधिकारियों के साथ उठया जा रहा था तथा दोषी अधिकारियों से बर्खास्तियां कर ली जायेंगी। विभाग ने बताया (मई 1997) कि मामला सम्बन्धित जिला बागवानी

जैसा कि अधिलेखित था। नाशकीटमार चार जिला बागवानी अधिकारियों द्वारा स्टॉक रजिस्ट्रारों ने लेखाबद्ध नहीं किए गए थे, 1992-93 से 1995-96 तक की अवधि के दौरान विवरित किए गए 10.38 लाख रु० मूल्य के जाव से प्रकट हुईं (फरवरी-जून 1997) कि निदेशालय/हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम द्वारा वर्ष बागवानी अधिकारियों द्वारा अपने स्टॉक रजिस्ट्रारों में लेखाबद्ध किए जाने अधिलेखित थे। अधिलेखित की अधिकारियों को बिक्री केंद्रों में आगामी विवरण हेतु जारी किए गए नाशकीटमार सम्बन्धित जिला निदेशालय/हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम द्वारा विभिन्न जिला बागवानी

5.4.7 मण्डियों की न्यूनता/अलेखाबद्धता

ने बताया कि अधिलेखित नाशकीटमारों के कारण मण्डल समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। ने इन नाशकीटमारों को बदलने से इनकार कर दिया। जिला बागवानी अधिकारी, किन्नीर तथा कर्लू अधिकारी, किन्नीर के मामले में यह अवमान उत्प्रेरक आपूर्ति के कारण था। तथापि सम्बन्धित फर्मों छिड़काव मीसम के समान ही जाने पर फर्मों से नाशकीटमारों की प्राप्ति थी। जिला बागवानी बागवानी अधिकारियों के पास उपलब्ध नाशकीटमारों की कालावधि समाप्त होने की वजह वर्ष के 0.33 लाख रु०, कर्लू: 2.46 लाख रु० तथा मण्डी: 3.20 लाख रु०)। कर्लू तथा मण्डी के जिला 1996 के मध्य समाप्त हो चुकी थी तीन जिला बागवानी अधिकारियों के पास पड़े हुए थे (किन्नीर: 5.99 लाख रु० मूल्य के नाशकीटमार जिनकी कालावधि मार्च 1995 से अप्रैल

5.4.6 अधिलेखित नाशकीटमारों के कारण हानि

लाख रु० मूल्य का 26.50 टन शहत मई 1997 तक बिक्री हेतु रद्द गया था। इन मण्डलों की बिक्री की सम्भावना कम थी क्योंकि इसकी गुणान्तरकता विकृत हो चुकी थी।

(iii) 2.21 लाख ₹ मूल्य की भण्डार सामग्री जैसे पॉवर स्प्रेयरस, ड्रम तथा नाशकीटमारों को जिला बागवानी अधिकारी, कुल्लू (1.70 लाख ₹) तथा जिला बागवानी अधिकारी शिमला (0.51 लाख ₹) के नियंत्रणाधीन विभिन्न भण्डारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 में अपने स्थानान्तर के समय नहीं सौंपा गया था।

सम्बन्धित जिला बागवानी अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 1997) कि सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूलियां की जा रहीं थीं।

(iv) वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान मधुमक्खी-पालन विकास अधिकारी, कांगड़ा (0.56 लाख ₹), जिला बागवानी अधिकारी चम्बा (0.02 लाख ₹), ए0एफ0टी0 कुल्लू (0.16 लाख ₹) तथा जिला बागवानी अधिकारी, हमीरपुर (0.08 लाख ₹) के कार्यालयों में किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के समय 0.82 लाख ₹ मूल्य के भण्डार कम पाए गए।

सम्बद्ध कार्यालयों ने बताया कि वसूलियां प्रगति पर थी (फरवरी 1997)।

5.4.8 अप्रयुक्त भण्डार

(i) निदेशक ने सितम्बर 1993 तथा अप्रैल 1997 के मध्य पादपगृहों की स्थापना हेतु कृषकों को वितरणार्थ 14.24 लाख ₹ की 15.93 टन यू0वी0 स्थिर फिल्म खरीदी और इसे क्षेत्र कार्यालयों को दे दिया। जिला बागवानी अधिकारी, किन्नौर, कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा सोलन के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 7.84 लाख ₹ की यू0वी0 फिल्म इन भण्डारों में अविक्रीत/अवितरित पड़ी थी।

ये फिल्में बेची नहीं जा सकी क्योंकि अधिक लागत के कारण लाभार्थी पादप गृह निर्मित नहीं कर सके और उन्होंने फिल्मों में कोई रुचि नहीं ली।

(ii) मार्च 1992 तथा मार्च 1996 के मध्य प्राप्त किए गए 2.50 लाख ₹ मूल्य के उपकरण जैसे स्प्रेयरस, कटाई-छंटाई वाली कैचिया, कलम करने वाली छुरियां आदि जिला बागवानी अधिकारी किन्नौर (1.46 लाख ₹), कुल्लू (0.32 लाख ₹), शिमला (0.35 लाख ₹) तथा सोलन (0.37 लाख ₹) के विक्रय केन्द्रों में बिक्री हेतु पड़े हुए थे। विस्तार कर्मियों द्वारा किसानों को प्रेरित करने में कमी तथा उपकरणों की घटिया किस्म उपकरणों के निपटान न होने का कारण रहा।

* किन्नौर (1.32 लाख ₹), कुल्लू (0.23 लाख ₹), मण्डी (3.48 लाख ₹), शिमला (1.82 लाख ₹) तथा सोलन (0.99 लाख ₹)

- * विनासपुर-1 विनासपुर-11, धर्मशाला, घुमरवा, जुबल, कस्योग, नाहन, नूरपुर, पण्डाह राष्ट्रीय राजमार्ग, रामपुर, रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, सनौली तथा शिमला-11
- ** आनी, राधा, उन्हाड़ी, देहरा, काजा, पालमपुर, सनौली, शिमला-1, सुन्दरनगर तथा ऊना-11
- *** विनासपुर-11 तथा घुमरवा-11

लिए किया गया जो कि अनियमित था।

उतः इन सब मामलों में समायोजन केवल उपलब्ध निधियों का उपयोग करने के सिवाई रकम के प्रति मार्च 1996 में बृक की गई थी।
 आनी में 2.99 लाख रु० मूल्य की 3,000 प्रवाही मीटर जस्ता लोहे की पाइप पहले से ही पूर्ण लिए था जिसे अग्रे-मई 1996 में स्टिक की पुनरांकित करना पड़ा। सिवाई एवं अनस्थापित मण्डल, नवम्बर 1995 तथा मार्च 1996 में बृक किया गया 14.97 लाख रु० मूल्य का तारकोल भी शामिल मवन तथा मार्ग मण्डलों द्वारा तीन निर्माण कार्यों जिसमें सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, के लिए दौरान अग्रे 1994 तथा दिसम्बर 1996 के बीच मण्डल को पुनरांकित कर दिया गया। इसमें दो सामग्री आवश्यकता न होने पर भी बृक की। बृक की गई सामग्री की कीमत को अर्जवती वर्षों के मण्डलों ने फरवरी 1993 से मार्च 1996 के मध्य 179 निर्माणकार्यों के प्रति 3.51 करोड़ रु० की * इन निधियों के विरुद्ध 13 लोक निर्माण मण्डलों तथा 10 सिवाई एवं अनस्थापित

प्रवृत्त सामग्री के मूल्य के पुनरांकन जैसे सिद्धा स्टिक समायोजन निषिद्ध है।
 निर्माणकार्य के नाम डालना तथा विनियोग पर अधिक परिव्यय के परिहार हेतु किसी निर्माणकार्य में प्रयुक्त हेतु अभिमत सामग्री के मूल्य को निध उपलब्ध होने वाले किसी विशेष सामग्री की लागत किसी निर्माणकार्य के नाम डालना, कोई आबंटन सेट्टीकन न होने पर किसी अन्य सरकार के वित्तीय निधियों में अनपेक्षित वास्तविक या आवश्यकता से अधिक

5.5 सामग्री जारी करने में अनियमितताएं

लोक निर्माण तथा सिवाई एवं अनस्थापित विभाग

दिसम्बर 1997)।
 इन तथ्यों को जून 1997 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं 1997) कि निदेशानुसार से इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश/अर्नदेश प्राप्त नहीं हुए थे।
 किन्नौर, कुर्बू, मण्डली, शिमला तथा सोलन के जिला बागावानी अधिकारियों ने बताया (फरवरी-जून विभाग के अस्तित्व में आने से ही क्षेत्रीय इकाइयों ने मण्डल लेखे नहीं बनाए थे।
 बगानी बाहिए और प्रमाणित मण्डलों के सम्बन्ध में सही विवरणों के लिए करने चाहिए।
 किसी भी प्रकार के मण्डल सौंपे गए हो, को मण्डलों के सम्बन्ध में उपयुक्त लेखे तथा वस्तुसूची वित्तीय निधियों में व्यवस्था है कि कार्यालयपर्यक्ष या अन्य कोई अधिकारी, जिसे

5.4.9 क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा मण्डल लेखाओं का न बनाना

बजट प्रावधानों के अन्तर्गत की गई थी तथा इनके उपयोग को एकीकृत जनजातीय विकास परिवर्धना
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1996) कि खरीददारों

नियमों में अधिष्ठित था।

आवश्यकता से अत्यधिक खरीदी गई। विल विभागा की संस्वीकृति भी नहीं ली गई थी जैसा कि
दिए गए थे। इस प्रकार, 8.67 लाख रु० मूल्य की 1,05,943 फुट "टाट-पट्टी" वास्तविक
ही उन विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुराने थे जिन्हें लकड़ी के "पट्टे" नहीं
विद्यालयों की औसत संख्या अर्थात् 9,033 को ध्यान में रखते हुए केवल 3,594 फुट "टाट-पट्टी"
थी। इस प्रकार, खरीदी गई "टाट-पट्टी" पर 54,768 विद्यालयों बैठ सकते थे। इस अवधि के दौरान
कालावधि दी गई थी। मानकों के अन्तर्गत एक विद्यालय के बैठने के लिए दो फुट टाट-पट्टी अधिष्ठित
के बैठने के लिए 9 लाख रु० मूल्य की 1,09,537 फुट "टाट-पट्टी" खरीदी। "टाट-पट्टी-
अधिकारी ने मार्च 1994 से जनवरी 1995 के दौरान "पट्टे" की कालावधि के भीतर ही विद्यालयों
संख्या 9,033 थी। शीघ्र इकाइयों की मांग का अनुमान लगाए बिना ही जिला प्राथमिक शिक्षा
जिले के प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1993-96 के दौरान विद्यालयों की औसत

"पट्टे" नहीं दिए गए थे।

थी तथापि उन विद्यालयों को "टाट-पट्टी" उपलब्ध की जा रही थी जिन्हें बैठने के लिए लकड़ी के
द्वारा खरीदे गए "पट्टे"- 7,236 विद्यालयों के लिए पुराने थे। इन "पट्टे" की कालावधि आठ वर्ष
के एक लकड़ी के "पट्टे" में तीन बच्चे बैठने चाहिए, इस प्रकार जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
1993 के मध्य 12,060 फुट लकड़ी के पट्टे खरीदे गए। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत 5x1-1/2
(सितम्बर 1996) कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पट्टे रहे बच्चों के लिए जून 1991 तथा अगस्त
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, किन्नौर के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ

था।

की पूर्ण स्वीकृति के बिना मण्डलों की खरीददारों पर सरकार ने मार्च 1990 में प्रतिबन्ध लगा दिया
की निश्चित आवश्यकताओं के अन्तर्गत की जानी चाहिए। निरन्तरता उपायों के रूप में, विल विभागा
वित्तीय नियमों में अधिष्ठित है कि खरीददारों अत्यन्त निरन्तरता तथा लोक सेवा

5.6 "टाट-पट्टी" की अधिक खरीद पर उपलब्ध

शिक्षा विभाग

(नवम्बर 1997)।

मानव संसाधन परियोजना की माद 1997 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

था (नवम्बर 1997) ।

मामला सरकार को मई 1997 में भेजा गया था । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

की मासिक बैठक जिसकी अध्यक्षता उपर्युक्त, किन्नौर ने की थी, में महत्व दिया गया था । जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह खरीददारी केवल बजट प्रावधान के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी न कि बजट प्रावधान को पूरा करने के लिए । जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया (अगस्त 1997) कि सारी टाट-पट्टी जिले के विभिन्न प्राथमिक स्कूलों को वितरित कर दी गई थी । चूँकि "टाट-पट्टी" की मांग वार्षिक आवश्‍यकताओं से काफी अधिक थी, अतः स्कूलों में इसके वितरण करने से 8.67 लाख रु० का अपव्यय हुआ ।

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

6.1 सामान्य

(क) स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों की स्थापना सामान्यतः लोक उपभोगी सेवाओं के अवाणिज्यिक कार्यों के सम्पादन हेतु की जाती है। ये निकाय/प्राधिकरण कुल मिलाकर सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार के विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु सम्बद्ध राज्य सहकारिता समिति अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 इत्यादि के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी अन्य संस्थाओं को भी सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये अनुदान नगर पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों, इत्यादि के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों तथा धर्मार्थ संस्थाओं के अनुरक्षण, विद्यालय तथा अस्पताल भवनों के निर्माण व अनुरक्षण, सड़कों के सुधार तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए तत्त्वतः अभिप्रेत हैं।

विभिन्न स्वायत्त निकायों तथा अन्य को वर्ष 1996-97 को दी गई 132.20 करोड़ ₹0 की वित्तीय सहायता मुख्यतः निम्नानुसार वर्गीकृत है:

क्रमांक	संस्था का नाम	दी गई सहायता राशि (करोड़ रुपए)
1.	विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं	30.06
2.	नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	12.06
3.	जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाएं	11.18
4.	विकास अभिकरण	24.98
5.	अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	4.17
6.	अन्य संस्थाएं (सांविधिक निकायों सहित)	49.75
	जोड़	132.20

(ख) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि जहां विशेष उद्देश्यों के लिए अनुदान दिए जाते हैं, वहां अनुदानग्राही से विभागीय अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित करना चाहिए जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

1982-83 से 1995-96 तक अदा किए गए कुल 251.20 करोड़ ₹0 के अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित देय 4,219 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से 30 सितम्बर 1997 तक 49.79 करोड़ की राशि के केवल 1,589 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए थे और 201.41 करोड़ ₹0 की

वित्तव की सीमा	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
तीन वर्ष तक	1,916	183.12
तीन वर्षों से अधिक परन्तु पांच वर्षों तक	303	15.58
पांच वर्षों से अधिक परन्तु दस वर्षों से कम	328	2.08
दस वर्षों से अधिक	83	0.63
जोड़	2,630	201.41

का विश्लेषण अन्तर्निहित है:

निम्न सारणी में उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुत करने में हुए वित्तव की सीमा

विभाग	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
ग्रामीण विकास	391	61.31
शिक्षा	615	39.22
कृषि	27	27.81
स्थानीय स्वशासन	805	18.78
न्याय प्रशासन	5	0.09
राज्यपाल सचिवालय	1	0.06
परिपालन	26	8.09
सहकारिता	68	1.11
कौशल एवं सेवा सेवाएं	53	1.40
प्रयत्न	17	1.00
उद्योग	262	9.71
वन कृषि एवं संरक्षण	16	5.27
भाषा, कला और संस्कृति	307	2.10
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9	0.17
विकासन व तकनीकी	4	0.53
सामान्य प्रशासन	9	0.26
पुलिस	4	0.04
परिवहन	8	24.33
राजस्व	1	0.01
कार्मिक	2	0.12
जोड़	2,630	201.41

धा:

राशि के 2,630 प्रमाणपत्र बकाया हैं। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागानुसार वित्तव निम्नवत

इन प्रमाणपत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं था कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का प्रयोग उसी प्रयोजन/उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया था जिनके लिए वे अभिप्रेत थे।

(ग) लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब

ऐसी संस्थाओं को अभिज्ञात करने हेतु जिनकी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट है, सरकार से अपेक्षित है कि वह प्रतिवर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता की विस्तृत सूचना, उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई तथा संस्थाओं का कुल व्यय लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करे।

इस सम्बन्ध में वर्ष 1996-97 तक की सूचना सरकार के 16 विभागों से अक्टूबर 1997 तक निम्नानुसार प्रतीक्षित थी:

क्रमांक	विभाग	वर्ष, जिसके लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
1.	ग्रामीण विकास	1996-97
2.	शिक्षा	1993-94 से 1996-97
3.	भाषा, कला एवं संस्कृति	1996-97
4.	समाज तथा महिला कल्याण	1996-97
5.	सामान्य प्रशासन	1995-96 तथा 1996-97
6.	कृषि	1994-95 से 1996-97
7.	वन कृषि एवं संरक्षण	1996-97
8.	उद्यान	1995-96 तथा 1996-97
9.	सहकारिता	1993-94 से 1996-97
10.	मत्स्य पालन	1995-96
11.	विज्ञान एवं तकनीकी	1994-95 से 1996-97
12.	नगर एवं ग्रामीण योजना	1996-97
13.	कार्मिक	1996-97
14.	आवास	1996-97
15.	पशुपालन	1995-96 तथा 1996-97
16.	शहरी विकास	1995-96 तथा 1996-97

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए कृषिकर तथा आगामी परिवर्द्धों में उल्लिखित है।

थी।

लेखापरीक्षा आकष्ट करने वाले 18 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा मई 1997 तक पूर्ण की गई 23 निकायों/प्राधिकरणों जिनके वर्ष 1995-96 के लेखे प्राप्त हुए थे में से

झरा की जाती है।

हिमाचल प्रदेश, शिमला झरा और पंचवती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक, पंचवती राज प्रदेश, शिमला झरा की जाती है। सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कमेटी), शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य की प्राथमिक लेखापरीक्षा निरीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा हिमाचल स्थानीय निकायों (जिला परिवर्द्ध, नारपतालिका, टउन एरिया/नोटिकड्ड एरिया

(घ) लेखापरीक्षा प्रबन्ध

की निस्साधित राशि के लिये उपलब्ध नहीं थी।

निकायों तथा प्राधिकरणों की 96.89 करोड़ रु० निस्साधित किए थे। शेष रु० निकायों तथा प्राधिकरणों कावर्तित में प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि परिशिष्ट XI में उल्लिखित है। वर्ष 1996-97 के दौरान 41 1996-97 तथा पूर्व वर्षों से सम्बन्धित 47 निकायों तथा प्राधिकरणों के 67 वार्षिक लेखे महालेखाकार लेखापरीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर अक्टूबर 1997 तक वर्ष

निकाय/ प्राधिकरणों की संख्या	अक्टूबर 1994		अक्टूबर 1995		अक्टूबर 1996		अक्टूबर 1997		वर्ष
	प्राप्त हुए लेखाओं की संख्या	जांच	प्राप्त हुए लेखाओं की संख्या	जांच	प्राप्त हुए लेखाओं की संख्या	जांच	प्राप्त हुए लेखाओं की संख्या	जांच	
1993-94	33	8	16	6	30	3			48
1994-95	34	-	13	15	28	6			35
1995-96	35	-	-	231	23	12			47
1996-97	48	-	-	1	1				

इन संस्थाओं से लेखाओं की प्राप्ति में पंचवती विमान्य श जैसा कि नीचे दर्शाया

गया है:

6.2.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा मरुस्थल विकास परियोजना अभिकरण काजा तथा पूह और विभिन्न सम्बद्ध विभागों एवं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा में अगस्त-अक्टूबर 1996 तथा मई 1997 में की गई। ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लिखित हैं।

6.2.4 मुख्य बातें

*** वर्ष 1991-97 के दौरान सिंचाई तथा लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति में क्रमशः 51 तथा 68 प्रतिशत की कमी रही। काजा तथा पूह में कृषि, बागवानी तथा मत्स्य में वर्ष 1991-97 के दौरान वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 32 व 63 प्रतिशत के मध्य रही।

[परिच्छेद 6.2.6(i)]

*** वर्ष 1991-95 के दौरान 34.04 लाख रु० से निर्मित छः सिंचाई कूहलों के अन्तर्गत 44.26 हेक्टेयर भूमि की संभावित सिंचाई के 73 प्रतिशत का उपयोग मई 1997 तक नहीं किया गया था।

[परिच्छेद 6.2.7.1(i)]

*** हांगो गांव के लिए चांग जिमों कूहल जिस पर जुलाई 1994 तक 71.56 लाख रु० का व्यय हुआ था अधिक रिसाव के कारण शुरु से ही निष्क्रिय पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप यह व्यय निरर्थक रहा।

[परिच्छेद 6.2.7(ii)]

*** 11 कूहलों के निर्माण पर अनुमानित लागत से अधिक हुए 1.09 लाख रु० के व्यय को मई 1997 तक सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृत नहीं करवाया गया था। 8 कूहलों के निर्माण में 3 से 12 वर्षों तक का विलम्ब हुआ।

[परिच्छेद 6.2.7.1(iv)]

*** कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के विपरीत 2.13 करोड़ रु० के कार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किए गए।

[परिच्छेद 6.2.7.1(v)]

*** विभाग द्वारा अगस्त 1994 में लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन के बावजूद कि विभाग द्वारा अनुरक्षित नई कूहलों पर आवियाना (जलप्रभार) उद्गृहीत किया जा रहा था, 1989-90 से 1994-95 के दौरान काजा

(परिच्छेद 6.2.8)

1996 में राज्य से बाहर स्थानान्तरित हो चुका था।
1997 तक वर्खल/समायोजित नहीं किए गए थे जबकि यह अधिकारी विरसुवर
1.15 लाख रु० के आकस्मिक अभिमां का मूल्यांकन किया गया था जो विरसुवर
को वर्ष 1995-96 के दौरान यात्रा भत्ता तथा अन्य अनिर्दिष्ट उर्वरेश्यों के लिए
अतिरिक्त उपयुक्त एवं परियोजना निर्देशक, मध्यम विकास परियोजना, काजा
** (परिच्छेद 6.2.7.8)

संभावना के परिणाम नहीं दिए।
एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौगाँ में स्थित घाटी में औषधीय पौधों को उगाने की
फसलों के लिए बीजों की नई किस्में उत्पाद करने में असफल रही तथा बागवानी
अधिकांशतः निष्फल सिद्ध हुए वयार्थिक कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर नादी
दी विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान प्रयोजनों में प्रयुक्त 41.04 लाख रु०
**

(परिच्छेद 6.2.7.6)

मछलियाँ बेची नहीं जा सकी।
स्थानीय लोगों द्वारा मछली पकड़ने की अनुमति न देने से झील में उत्पादित
बीजाणुओं की बहुत ज्यादा संख्या के कारण निष्फल रहे। इसके अतिरिक्त
के अभाव तथा पानी के खोल जम जाने के कारण नालों व नालाबंदी में मत्स्य
वर्ष 1991-96 के दौरान 12.03 लाख रु० के व्यय से विकसित मत्स्य क्षेत्र पानी
**

[परिच्छेद 6.2.7.4 (II)]

माई 1995 तक 11.35 लाख रु० का अप्रयुक्त पड़े हुए थे।
16.64 लाख रु० का उपयोग प्रतिवेदित किया, जिसमें से उसके पास वास्तव में
खुद विकास अधिकारी, काजा में वर्ष 1994-95 में मू-संरक्षण कार्यों के लिए
**

(परिच्छेद 6.2.7.3)

रहे।
हेक्टयर में विकसित चरगाह सिंचाई सिंचाई सिंचाई सिंचाई सिंचाई सिंचाई सिंचाई
पूरे तथा काजा खुर्डी में वर्ष 1991-95 के दौरान 6.31 लाख रु० से 159
**

(परिच्छेद 6.2.7.2)

वधन, नदी-तही में पौधारोपण इत्यादि के कारण असफल रहे।
पौधारोपण सिंचाई के अभाव, प्रजातियों तथा पौधारोपण हेतु स्थलों के गलत
पूरे तथा काजा खुर्डी में 1.04 करोड़ रु० से 779 हेक्टयर में किया गया
**

[परिच्छेद 6.2.7.1 (VI)]

आविधाना प्रभार निर्धारित नहीं किए गए थे।
अभिकरण द्वारा 1.77 करोड़ रु० की लागत से निर्मित 8 नई कूटलों पर कोई
**

*** भारत सरकार (1993) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की मूल्य निर्धारण समिति (1995) द्वारा स्कीमों की कार्यशीलता में सुधार हेतु की गई सिफारिशें कार्यान्वयित नहीं की गई थी। दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था जबकि मूल्य निर्धारण प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई थी।

(परिच्छेद 6.2.9)

6.2.5 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध था। अप्रैल 1995 में एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना के साथ मरुस्थल विकास कार्यक्रम के विलय के पश्चात् मरुस्थल विकास कार्यक्रम की चालू स्कीमों जिनका निष्पादन विलय से पहले शुरू हो गया था के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निधियां निस्सारित की जाती रहीं। वर्ष 1991-92 से 1996-97 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान तथा उनकी प्रयुक्तता निम्नवत् थी:-

वर्ष	अयशेष		प्राप्त निधियां		प्रयुक्त निधियां		अप्रयुक्त शेष	
	काजा	पूह	काजा	पूह	काजा	पूह	काजा	पूह
	(लाख रूपए)							
1991-92	16.86	21.63	100.00	100.00	96.89	92.85	19.97	20.78
							(20)	(29)
1992-93	19.97	28.78	100.00	100.00	113.52	114.97	6.45	13.81
							(6)	(14)
1993-94	6.45	13.81	146.90	146.05	141.63	142.50	11.72	17.36
							(8)	(12)
1994-95	11.72	17.36	173.10	173.95	141.00	140.03	43.82	51.28
							(25)	(29)
1995-96	43.82	51.28	20.77	115.66	59.20	103.30	5.39	63.64
							(26)	(55)
1996-97	5.39	63.64	--	--	6.15	37.93	(-)	30.76
			540.77	635.66	558.39	631.58		

(कोष्ठकों में आंकड़े वर्ष के दौरान प्राप्त निधियों के सन्दर्भ में अप्रयुक्त शेष की प्रतिशतता प्रस्तुत करते हैं।)

मरुस्थल विकास कार्यक्रम में वार्षिक आवण्टन की 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा अग्रेषण के लिए निर्धारित थी। पूह अभिकरण में अप्रयुक्त शेष क्रमशः 1991-92, 1994-95 तथा 1995-96 के वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदानों के 25 प्रतिशत से अधिक थे तथा नियमावली के प्रावधानों के विपरीत ऐसे बकायों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेषित किया गया था।

परियोजना निदेशक, पूह ने अप्रयुक्त शेषों को खराब मौसम तथा सीमित मौसम कार्यावधि से सम्बन्धित बताया (अक्टूबर 1996 तथा मई 1997)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वार्षिक कार्य योजनाएं क्षेत्र की मौसम कार्यावधि तथा मौसम की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित की जानी चाहिए थी।

6.2.6 भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष 1991-92 से 1996-97 के दौरान काजा तथा पूह अभिकरणों द्वारा विभिन्न प्रखण्डों के अन्तर्गत शुरू किए गए मुख्य कार्यकलापों से सम्बन्धित लक्ष्य तथा उपलब्धियां (भौतिक तथा वित्तीय) निम्नवत् थे:

कार्यकलाप का नाम	लक्ष्य प्रत्यक्ष	उपलब्धियां		कमी		
		वित्तीय (लाख रुपए)	प्रत्यक्ष (लाख रुपए)	वित्तीय (लाख रुपए)	प्रत्यक्ष (लाख रुपए)	वित्तीय (लाख रुपए)
1. सिंचाई (हेक्टेयर में)						
काजा	524.00	240.19	257.00	126.28	267.00 (51)	113.91(47)
पूह	553.86	191.05	569.86	187.36	--	3.69(2)
2. वन एवं चरागाह विकास						
(i) वन-रोपण (हेक्टेयर में)						
काजा	3936.90	275.71	3790.99	246.05	145.91(4)	29.66(11)
पूह	3651.00	260.62	3456.00	219.53	195.00(5)	41.09(16)
(ii) भू-संरक्षण (हेक्टेयर में)						
काजा	2281.50	139.78	1902.60	103.77	378.90(17)	36.01 (26)
पूह	1278.40	166.60	1207.36	141.66	71.04 (6)	24.94 (15)
3. कृषि						
(i) भू-विकास (हेक्टेयर में)						
काजा	148	10.60	104.00	6.92	44.00(29)	3.68(35)
पूह	125	7.89	128.01	5.34	--	2.55(32)
(ii) लाभार्थियों को उपदान (अंकों में)						
काजा	131	2.94	42	1.25	89.(68)	1.69(57)
पूह	*	0.08	6	0.08	--	--

* कृषि: सिंचाई नहर, बाँधीया नाला, बरदम, धाजाम, निही बीजन, निही धान तथा सनम

बनाई गई थी (मई 1997)।

वैदिक मजदूरी तथा सामग्री को लागत में वृद्धि और सामग्री को कार्यस्थल तक पहुँचाने के कारण हुई अतिशयसी अभिवृत्ति, सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल पूरे द्वारा निर्माण लागत में

जाना था। यह कार्य जून 1994 में 71.56 लाख रु० व्यय से पूर्ण किया गया था।
रूकाम द्वारा 324 हेक्टेयर बजर मूसि की सिंचाई की जानी थी, जिसे शानवासियों को आबोदित किया व्यय है, प्रशासनिक रूप से अनुमोदित व संस्वीकृत किया गया जिसे रु० वर्षों में पूरा करना था। इस को निर्माण-कार्य मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वारा सितंबर 1982 में 36.32 लाख रु० के मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाविष्ट बनाया गया है। वाणिज्यी कृषि

(!!) निष्कल कृषि के कारण व्यय

उपयोग में नहीं लाई जा सकी, जिसके कारण 34.04 लाख रु० का व्यय अतिकारातः निष्कल रहा।
प्रकार, उचित योजना तथा राजस्व विभाग के सहयोग के बिना संचित सिंचाई सम्भावना पूर्णतः में मांगी गई थी जो अतिरिक्त जिलाधीश, पूरे द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस उचित समय पर तब कि मूसि के आबोदन से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति, यद्यपि मई 1997 परियोजना निर्देशक ने बताया (अक्टूबर 1996) कि मूसि के आबोदन के मामले प्रकियार्थीन थे तथा के प्रबन्ध विकास स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा पता नहीं लगाया जा सका था।
तथा वाणिज्यीयों की मूसि का आबोदन न करने से सम्बन्धित समस्याओं का मरुस्थल विकास कार्यक्रम अतिशयसी अभिवृत्ति में बताया (अक्टूबर 1996) कि वाणिज्यीयों द्वारा मूसि को विकसित न करने तथा वाणिज्यीयों की मूसि का आबोदन न करने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका था।
(73 प्रतिशत) के क्षेत्र क्षेत्र है संचित सिंचाई सम्भावना की मई 1997 तक मूसि का विकास न करने केवल 12.15 हेक्टेयर के लिए ही सिंचाई सम्भावना उपयोग में लाई जा रही थी। 32.11 हेक्टेयर गया तथा 44.26 हेक्टेयर मूसि की सिंचाई सम्भावना संचित की गई थी। फिर भी मई 1997 तक पूरे द्वारा वर्ष 1991-92 और 1994-95 के मध्य 34.04 लाख रु० से रु०* कृषिों का निर्माण किया बजर क्षेत्र में सिंचाई संचित प्रदान करने हेतु सिंचाई तथा जन-स्वास्थ्य मण्डल,

(!) कृषिों के निर्माण पर निष्कल व्यय

6.2.7.1 सिंचाई क्षेत्र

उद्योग में आए तथा नीचे उल्लिखित है:

विकास कार्यक्रम द्वारा पूर्ण किए गए कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्य-कलापों की समीक्षा के दौरान सिंचाई, बाँधीया, मूसि-संरक्षण, पशुपालन, मरुस्थल पालन इत्यादि क्षेत्रों में मरुस्थल

6.2.7 परियोजना कार्यक्रम

स्कीम वर्ष 1985-86 में आंशिक रूप से चालू की गई लेकिन अत्यधिक रिसाव के कारण कार्य नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप, शुरु से ही किसी भी क्षेत्र की सिंचाई नहीं की जा सकी थी तथा जुलाई 1994 से यह स्कीम मृत पड़ी थी। मई 1997 तक, लाभार्थियों को भूमि आबण्टन नहीं की जा सकी थी, जिसके कारण 71.56 लाख ₹ का व्यय निष्फल रहा।

(iii) **संभावित सिंचाई की अप्रयुक्तता के कारण अलाभकारी व्यय**

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल, पूह ने 28.56 लाख ₹ की लागत से थांवाकर्मा कूहल का निर्माण करके 405 हैक्टेयर कृषियोग्य कमान क्षेत्र हेतु सिंचाई सम्भावना सर्जित थी (मार्च 1988)। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राजस्व विभाग द्वारा लाभार्थियों को भूमि का आबण्टन न करने के कारण कृषियोग्य कमान क्षेत्र के केवल 0.35 हैक्टेयर (0.08 प्रतिशत) में ही सिंचाई सम्भावना उपयोग में लाई जा रही थी, यद्यपि कमान क्षेत्र विकास का कार्य कमान क्षेत्र के 243 हैक्टेयर में 36.40 लाख ₹ की लागत से पूरा किया गया था (मार्च 1996)।

अधिशासी अभियन्ता, पूह मण्डल ने बताया (मई 1997) की चांगो के एक ग्रामवासी तथा पशुपालन विभाग ने कथित रूप से कूहल के कमान क्षेत्र के लगभग 100 हैक्टेयर में एक चरागाह विकसित की थी। यद्यपि लेखापरीक्षा में पशुपालन विभाग के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान देखा गया (अक्टूबर 1996) कि कूहल से सिंचाई हेतु पानी के अभाव के कारण चारा उत्पन्न नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, सिंचाई सम्भावना को उपयोग में न लाने के कारण 64.96 लाख ₹ का व्यय पूर्णता निष्फल रहा।

(iv) **कूहलों की अनुमानित लागत से अधिक व्यय**

सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल काजा तथा पूह द्वारा वर्ष 1982-83 तथा 1993-94 के मध्य 11 कूहलों (काजा: 3 तथा पूह:8) का निर्माणकार्य शुरु किया तथा 1.75 करोड़ ₹ (काजा: 73.42 लाख ₹ तथा पूह: 101.36 लाख ₹) की अनुमानित लागत के प्रति 2.84 करोड़ ₹ (काजा: 90.35 लाख ₹ तथा पूह: 193.54 लाख ₹) का व्यय किया गया। 1.09 करोड़ ₹ (काजा: 16.93 लाख ₹ तथा पूह: 92.18 लाख ₹) के अधिक व्यय को मई 1997 तक संस्वीकृत नहीं करवाया गया था।

दोनों मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने अत्यधिक व्यय को मजदूरी व सामग्री की लागत में वृद्धि तथा सामग्री को कार्यस्थल तक दुलाई करने से सम्बद्ध किया (सितम्बर-अक्टूबर 1996 तथा मई 1997)। कूहल कार्य प्रारम्भ होने से 2 या 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना था, फिर भी सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल, पूह में 4 कार्य 3 से 6 वर्ष तक विलम्बित हुए तथा 4 अन्य कार्य जोकि मई 1997 तक चालू थे, 4 से 12 वर्ष तक विलम्बित हुए थे।

पूरे षण्ड में वर्ष 1991-92 तथा 1994-95 के मध्य वन विभाग ने 61 स्थानों पर 492 हेक्टेयर क्षेत्र का वनन किया, जहां मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधारोपण हेतु आशवासित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थीं तथा 99.82 लाख रु० की लागत से विभिन्न किस्मों के 10.85 लाख पौधे लगाए गए थे। आशवासित सिंचाई सुविधाओं के बावजूद भी पौधों की नश्वरता अधिक थी, जोकि 18 तथा 57 प्रतिशत के मध्य थी तथा विभाग को नष्ट हुए पौधों को उखाड़ने और 4.62 लाख पौधों को पुनः रोपण पर 40.76 लाख रु० की अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी। वन

(1) पुनः पौधारोपण पर अतिरिक्त व्यय

आए:-

उद्देश्य से मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधारोपण का कार्य चलया गया था। पूरे तथा परिवोजना क्षेत्रों में रोपण के माध्यम से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के कार्यों के वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जाच के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्थान में

6.2.7.2 बानिका

रहा था।

प्रमारों की वसूली हेतु समर्पित कार्यवाही करने के अर्पण आश्वासन की कार्यनिवृत्त करने में असफल कार्यों के प्रारम्भ से ही पटवारों का पट रिक्त था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि विभाग आशवासित नई कूहलों पर कोई आशवासित प्रमार निर्धारित नहीं किए गए थे। आशिश्यासी अभियन्ता, काजा मण्डल काजा एजन्सी द्वारा वर्ष 1989-90 से 1994-95 के दौरान 1.77 करोड़ रु० की लागत से निर्मित 8 विभाग द्वारा अनुरक्षित नई कूहलों पर आशवासित (जल कर) लगाया जा रहा था, के बावजूद भी विभाग द्वारा अगस्त 1994 में लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन, कि

(vi) आशवासित प्रमारों का अनुरक्षण

व्ययन रहे और कटाई तथा विस्कोटन का कार्य नहीं हुआ। (सितम्बर-अक्टूबर 1996 तथा मई 1997) कि सीसिम काठकाल के दौरान स्थानीय लोग काम में माध्यम से निष्पादित करवाये गये। काजा तथा पूरे मण्डलों के आशिश्यासी अभियन्ताओं ने बताया रु० तथा पूरे: 123.78 लाख रु०) की लागत वाले 59 कार्य (काजा: 19 तथा पूरे: 40) ठेकेदारों के (1994)। फिर भी वर्ष 1991-92 तथा 1996-97 के मध्य 2.13 करोड़ रु० (काजा: 89.67 लाख रुपयेय संस्वीकृति समिति की बैठकों में भी यह दुहराया गया था (अगस्त 1993 तथा सितम्बर निष्पादित किए जाने थे ताकि स्थानीय श्रमिकों को रोजगार तथा मजदूरी का लाभ मिल सके। राज नहीं थी। ये कार्य स्थानीय श्रमिकों को काम देकर या तो विभाग या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों का निष्पादन ठेकेदारों से करवाने की अनुमति

(v) ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों का आशवासित निष्पादन

मण्डल अधिकारी, पूह ने बताया (अक्टूबर 1996) कि अधिक नश्वरता उन क्षेत्रों में रही जहां सिंचाई की अवधि के दौरान पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार पर्याप्त जल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही पौधारोपण हेतु क्षेत्रों के चयन से अधिक नश्वरता हुई तथा पुनः रोपाई पर 40.76 लाख ₹0 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) **पौधारोपण में विफलता**

(क) **कूहलें चालू न करना तथा पौधारोपण की किस्मों का गलत चयन**

वर्ष 1991-93 के दौरान, 6.19 लाख ₹0 की लागत से विभिन्न किस्मों के 1.03 लाख पौधे सुनाम नदी के किनारों पर 40 हेक्टेयर भूमि में तथा चांग चिमों रोपाई क्षेत्र (पहला तथा दूसरा) में लगाए गए थे। चांग चिमों रोपाई क्षेत्र (पहला तथा दूसरा) की सिंचाई कूहलों द्वारा की जानी थी जो कि सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई जा रही थी। तथापि जब वास्तव में सिंचाई अपेक्षित थी, ये कूहलें चालू नहीं की जा सकी थी, जिसके परिणामस्वरूप सारा पौधारोपण विफल रहा। सुनाम नदी के किनारों पर किया गया पौधारोपण वर्ष 1994 में आई बाढ़ में बह गया था। वन मण्डल अधिकारी, पूह ने इस विफलता का कारण कूहलें चालू न होना, किस्मों का गलत चयन तथा नदी के किनारों पर पौधारोपण करना बताया (अक्टूबर 1996)। वन मण्डल अधिकारी ने आगे बताया कि किस्मों के गलत चयन करने वाले दोषी अधिकारी से 1.30 लाख ₹0 की वसूली हेतु आदेश जारी किए जा चुके थे। यद्यपि मई 1997 तक वसूली नहीं हुई थी। इस प्रकार 6.19 लाख ₹0 का सारा व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ।

(ख) **व्यर्थ व्यय**

(i) काजा खण्ड में 42 हेक्टेयर के 7 पौधारोपण क्षेत्रों में वर्ष 1991-95 के दौरान 7.47 लाख ₹0 की लागत से विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए गए थे। ये पौधारोपण पूर्ण रूप से विफल रहे तथा मई 1997 तक पुनः पौधारोपण नहीं किया गया था। वन मण्डल अधिकारी, काजा ने विफलता का कारण किस्मों तथा रोपाई स्थलों के गलत चयन और सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धता बताया (मई 1997)।

(ii) काजा तथा पूह के वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रकट हुआ कि वर्ष 1991-92 तथा 1994-95 के मध्य 47.33 लाख ₹0 (पूह: 22.32 लाख ₹0 तथा काजा: 25.01 लाख ₹0) के व्यय से पोषित 195.25 हेक्टेयर वाले 34 पौधारोपण क्षेत्रों में पौधारोपण की जीवितता दर 20 प्रतिशत से भी कम थी। रामपुर के वन अरण्यपाल ने मार्च 1997 में निर्देश दिया कि 20 प्रतिशत से कम की जीवितता दर वाले पौधारोपण क्षेत्रों को विफल घोषित कर देना चाहिए तथा इनका रख रखाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार 47.33 लाख ₹0 का समस्त व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ। यद्यपि वन मण्डल अधिकारी, पूह ने पौधारोपण की विफलता के कारण सूचित नहीं किए, लेकिन वन मण्डल अधिकारी, काजा ने बताया (मई 1997) कि यह विफलता सिंचाई की अवधि के दौरान पानी की कमी तथा प्रतिकूल जलवायु के कारण थी। स्पष्टतया, सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर पौधारोपण क्षेत्रों का चयन नहीं किया गया था।

* गतिम, हंस, जपवा, माने, पानमा, पूह, रोहताम, रंगारिक, सिखिया तथा ताबा

* निवा, सिवा, निवा, निवा

नीति: बजर मीले

लगाने 6.48 लाख पौद्या में से 96.79 प्रतिशत पौद्या निजी स्रोतों से ही प्राप्त किए गए थे। अधिकांश का यह कथन तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान क्षेत्र में भी बताया कि निजी स्रोतों से पौद्या की कमी पूरी करने के लिए इन्हें बनाए रखना पड़ा। वन मण्डल (1996) कि अधिक ऊंचाई तथा प्रतिकूल जलवायु के कारण ये नर्सरियां विकसित नहीं थी लेकिन यह केवल 0.27 लाख पौद्या की आपूर्ति ही कर सकी। वन मण्डल अधिकांश, काजा ने माना (सितम्बर 1995-96 के दौरान 9.58 लाख रु0 खर्च किए गए थे। परन्तु ये नर्सरियां 0.41 लाख रु0 मूल्य के पौद्या आपूर्ति करने हेतु काजा अभिकरण ने 10 वन नर्सरियां अर्जुनक्षेत्र की जिन पर वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी तथा सामुदायिक पौद्यारोपण को बढ़िया किस्म की

(v) नर्सरियों का आर्थिक रख-रखाव

1997 तक वापस नहीं की गई थी। 1,837 प्रवाही मीटर पाइपे लाइन आधार पर विस्तारित की थी। यह पया गया कि ये पाइपे लाइन पौद्यारोपण की सिवाई हेतु 1.60 लाख रु0 मूल्य की विभिन्न व्यय की उच्च घनत्व वाली पौलीथीन वन मण्डल अधिकांश, पूह ने अगस्त 1994 में चार गाम पंचायतों को

(iv) पौलीथीन पाइपे न लाटना

मजदूरी पर कार्य करने हेतु आगे नहीं आए। मजदूर काम पर इसलिए लगाए गए थे क्योंकि स्थानीय लोग अपने काम में व्यस्त रहे तथा दैनिक उठाने का उद्देश्य विकल रहा। वन मण्डल अधिकांश, पूह ने बताया कि परिवोजना के बाहर से इस प्रकार परिवोजना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने तथा उनकी आय के स्तर को ऊपर पूह द्वारा वर्ष 1991-92 तथा 1996-97 के मध्य मजदूरी के रूप में 1.21 करोड़ रु0 अदा किए गए। कार्यक्षेत्रों के लिए अनियमित रूप से मजदूर बाहर से लगाए गए थे तथा इन्हें वन मण्डल अधिकांश, तथा आय में वृद्धि करना था। यह देखा गया कि पौद्यारोपण कार्यों के निष्पादनार्थ 2.53 लाख रु0 कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में परिवोजना क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना

(iii) परिवोजना क्षेत्र के बाहर के श्रमिकों को अनियमित रोजगार देना

ने टॉर्क नाला से पानी देने के लिए इन्कार कर दिया था। हेक्टर मीम में 0.22 लाख पौद्या लगाए गए थे। इस क्षेत्र की सिवाई टॉर्क नाला में बहने वाले पानी से की जाती थी। वर्ष 1994-95 के दौरान सम्पूर्ण पौद्यारोपण विकल रहा क्योंकि नौतोड़ के स्वामियों वर्ष 1993-94 के दौरान, 2.37 लाख रु0 की लागत से टॉर्क नाला-III में 10

(ii) सिवाई का अपावधान

(1) वन मण्डल अधिकारी, काजा ने वरगाह विकास हेतु 103 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिकृत किया तथा वर्ष 1992-95 के दौरान बीजों के कथ तथा इनकी पैबर्डी पर 4.89 लाख रु खर्च किए। फिर भी, इन वरगाहों में कोई वाया उत्पन्न नहीं किया गया तथा 4.89 लाख रु व्यर्थ गए। वन मण्डल अधिकारी, काजा ने बताया (मई 1997) की वरगाह विकास सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण सफल नहीं हो सका था। वन मण्डल अधिकारी का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि कार्य आरम्भ करने से पूर्व विभागा द्वारा सिंचाई हेतु प्रावधान सुनिश्चित कर लेना चाहिए था।

सिंचाई का प्रावधान न होने से वार का अत्यन्त

कार्यक्रम में निरिष्ट था कि यौमान क्षेत्र वाली मूँस, विशेष रूप से जो ग्रामीण समुदायों द्वारा वर्षा वरान के उपयोग में लाई जाती थी, को वरगाह विकास के अधीन लाया जाना चाहिए। काजा तथै के वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जाच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

6.2.7.3 वरगाह विकास

काजा अभिकरण ने वर्ष 1991-95 के दौरान सामुदायिक/निजी नियंत्रण के 58 हेक्टेयर पर पौधारोपण हेतु लान्माधियों की 6.15 लाख रु के उपदान का मूँसान किया। अभिकरण के पास ऐसे कोई अभिलेख नहीं थे जो यह दिखा पाते कि लान्माधियों द्वारा उपदान का उपयोग वास्तव में पौधारोपण हेतु किया गया था।

(vii) उपदान की उपयोगिता सम्बन्धी अभिलेख न बनाना

सम्बन्ध की स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों में वर्ष 1988-89 से आगे प्रति हेक्टेयर 2500 पौधों की वहन क्षमता अपनाई जा रही थी। यद्यपि यह देखा गया कि वन मण्डल अधिकारी, काजा ने केवल वर्ष 1991-92 तक ही इस पद्धति का अनुसरण किया था। तत्पश्चात् क्षेत्र में पौधारोपण का घनत्व मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि के कारण वर्ष 1992-95 के दौरान 2300 पौधे प्रति हेक्टेयर तथा वर्ष 1995-96 से आगे 1500 पौधे प्रति हेक्टेयर तक कम कर दिया गया था। इस प्रकार, 369.40 हेक्टेयर में पौधे मूँस की वहन क्षमता को ध्यान में रखे बिना ही क्वैटपुट रूप में लागू हुए थे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1992-97 के दौरान 1,94,325 पौधों की कम रोपाई की गई थी। इस प्रकार मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्णतः नष्ट हो गया।

(vi) क्वैट-पुट पौधारोपण

परियोजना निदेशक, मन्स्थल विकास कार्दकम, काजा ने खण्ड विकास अधिकारी, काजा को भू-संरक्षण कार्यो के लिए 17 लाख रु० (नवम्बर 1994: 6 लाख रु० तथा मार्च 1995: 11 लाख रु०) निस्सारित किए। खण्ड विकास अधिकारी ने वर्ष 1994-95 के दौरान 16.64 लाख रु० के व्यय सहित 100 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि की सूचना दी, जिसे जून 1995 में परियोजना निदेशक द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मार्च 1995 तक 11.35 लाख रु० की निधियां खण्ड विकास अधिकारी के पास अप्रयुक्त पड़ी थीं। इससे 8.63 लाख रु० (1995-96: 6.54 लाख रु० तथा सितम्बर 1997 तक: 2.09 लाख रु०) खर्च किए गए थे और 2.72 लाख रु० खण्ड विकास अधिकारी के पास सितम्बर 1997 तक अख्तियार पड़े थे। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी ने मार्च 1995 में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की प्रिया सूचना प्रतिवेदित की थी। खण्ड विकास अधिकारी ने माना (जून 1997) कि 1994-95 के दौरान 11.35 लाख रु० वास्तव में खर्च नहीं किए गए थे और 100 प्रतिशत उपलब्धि गलती से प्रतिवेदित की गई थी।

(ii) भारत सरकार को प्रिया सूचना देना

वन मण्डल अधिकारी, पूरुह द्वारा वर्ष 1991-92 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र पर 1.50 लाख रु० की लागत से बागों गांव में इस्तेमाल पर एक टैक डैम का निर्माण किया गया। टैक डैम का निर्माण उपर्युक्त, किर्नोर द्वारा अर्ध 1992 में निम्न स्तर का हुआ पाया गया तथा 1.50 लाख रु० का समस्त व्यय प्रबन्ध निकाल द्वारा मई 1992 में हुई इसकी बँटक में अस्वीकृत कर दिया गया। बँटक में, प्रबन्ध निकाल ने वन मण्डल अधिकारी, पूरुह को टैक डैम को फिर से बनाने के लिए कहा तथा निदेश दिया कि उस पर किए गए किसी भी अतिरिक्त व्यय की वर्पनी दोषी अधिकारियों से की जानी चाहिए। वन मण्डल अधिकारी, पूरुह ने बताया (मई 1997) कि टैक डैम पुनः नहीं बनाया गया था। कार्य के निम्न स्तर के निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व भी मई 1997 तक निधारित नहीं किया गया था।

(i) टैक डैम का निम्न स्तरीय निर्माण

6.2.7.4 भू-संरक्षण

वन मण्डल अधिकारी, पूरुह द्वारा निकटतम गांवों से 3 से 18 किलोमीटर तक की दूरियों पर स्थित 56 हेक्टेयर भूमि (भाग्यकर्मा: 40 हेक्टेयर, पूरुह 10 हेक्टेयर तथा आसरा: 6 हेक्टेयर) में वरगाह विकास कार्य आरम्भ किया तथा वर्ष 1991-94 के दौरान इन वरगाहों के विकास तथा अनुरक्षण पर 1.42 लाख रु० खर्च किए गए। जो बीज अंकुरित हुए, वे बाढ़ में क्षय में सिवाई हेतु पानी के अभाव के कारण सूख गए। वन मण्डल अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1996) कि वार्षिक कार्य योजना में वरगाहों की सिवाई तथा बाड़ लगाने का कोई प्रावधान नहीं था जिसके कारण वरगाह विकसित नहीं हो सकी। इस प्रकार सही योजना तथा समन्वय के अभाव के कारण वरगाह विकास पर हुआ 1.42 लाख रु० का व्यय व्यर्थ रहा।

इस प्रकार मत्स्य पालन पर किया गया 12.03 लाख रु० का समस्त व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ। भी मछली पैदा नहीं की गई। यदि झील में मछली का उत्पादन हुआ था तो उसका विक्रय नहीं किया। 1995-96 के मध्य 1.90 लाख रु० खर्च किए गए। यह पाया गया कि तालाबों तथा धावनपथ में कोई परिवर्धन पर 1.35 लाख रु० तथा धावनपथ, तालाबों व झीलों की चौकीदारों पर 1991-92 व लाख रु० के मत्स्य बीजाणुओं का क्रय किया गया। इसके अतिरिक्त मछलियों तथा आहार के रु०) का निर्माण किया गया। दहीली तथा सांभाला के मत्स्य फार्मों से 1991-95 के दौरान 1.40 लाख रु०) और सूर्य तथा सेगों में मत्स्य तालाबों (0.81 लाख रु०) और धकार झील (0.35 लाख 1991-92 तथा 1994-95 के मध्य रात्रिक में धावनपथ तथा बैंक डैम (6.22

(!) मत्स्य पालन पर अलासकारी व्यय

में निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:
 अभिकरण काजा द्वारा स्थिति में एक मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस सम्बन्ध करने तथा राज्य के अन्य भागों में मछली का विक्रयार्थ निर्यात करने हेतु मत्स्य पालन परियोजना परियोजना क्षेत्र में निर्यक्त कर्मचारियों को मछली उपलब्ध करवाने तथा डिब्बाबन्द

6.2.7.6 मत्स्य पालन

अनुरूप दिया जाना चाहिए।
 का मूगतान किया। परियोजना निदेशक ने माना (मई 1997) कि यह उपदान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के 1990-92 के दौरान लामाधियों द्वारा 29 याकों (बड्डों) के कर्षण उपदान के रूप में 0.50 लाख रु० सहस्रक निदेशक, पशुपालन, काजा ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए

(!!) उपदान का अनियमित मूगतान

गया 2.31 लाख रु० का व्यय अधिकतर निष्फल हो गया।
 को छाया बनाना (अक्टूबर 1996)। इस प्रकार, वारा नर्सरी के संस्थापन तथा अनुरक्षण पर किया बीजारोपण अवधि के दौरान अनियमित जलापूर्ति, देहीली मूंस तथा जमीन पर विलगीकरण के बड़े वृक्षों उत्पादन किया जा सका। सहस्रक निदेशक, पशुपालन, किन्नीर ने बीज के नापव उत्पादन का कारण 1995-96 के मध्य नर्सरी में 0.59 लाख रु० की लागत से केवल 10.65 किलोग्राम वारे के बीज का से रिषा में 1312.82 वर्गमीटर क्षेत्र की एक वारा नर्सरी संस्थापित की गई। 1993-94 तथा सहस्रक निदेशक, पशुपालन, किन्नीर द्वारा 1991-93 के दौरान 1.72 लाख रु० के व्यय

(!) वारा नर्सरी पर अलासकारी व्यय

6.2.7.5 पशुपालन

* कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर: 23.93 लाख रु०; उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौगाँ: 17.11 लाख रु०।

रु० 30 अधिकारिता: निष्कल रहे।

इस प्रकार इस कार्यक्रम के समन्वय में शीघ्र प्रयोजना पर व्ययित 41.04 लाख

परिणाम परियोजना प्राधिकारियों को नहीं दिए थे।

जाने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौगाँ ने मई 1997 तक ये इन प्रजातियों को उगाने के काम को उजागर करने वाले परिणाम परियोजना प्राधिकारियों को दिए (1987-88)। वर्ष 1992-93 में ऐसी जर्डी-बूटियों की पांच प्रजातियाँ पौधशाला में लगाई गई थीं। बाणिज्यिक दृष्टिकोण से लाभानवीयता का पता लगाने के लिए तांबी में एक पौधशाला स्थापित की थी (वर्ष उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौगाँ ने स्थापित घाटी में जर्डी बूटियों के

करवाए जिन्हें बीजोत्पन्न वृक्ष विवरित किए दर्शाए गए थे।

गया था। विश्वविद्यालय ने परियोजना निदेशक, काजा को उन सामग्रीयों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं अभिलेखों से पता चला कि लाठी स्थित काम से कोई भी बीजोत्पन्न वृक्ष नहीं खरीदा/प्राप्त किया आर्य विकास काम से मूलतः विवरित किए गए थे। कृषि विभाग काजा के सहायक परियोजना के लाख बीजोत्पन्न वृक्ष वर्ष 1992 व 1993 में काजा खण्ड के लाठी गाम के कर्षकों को उनके सजी व प्रतिवेदित किया था कि 0.65 लाख बीजोत्पन्न वृक्ष कृषि विभाग, काजा को बेंबे गए थे और 0.23 कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने मरुस्थल विकास कार्यक्रम अभिकरण, काजा को

(मार्च 1993) क्योंकि उसने नकदी फसलों की कोई नहीं किस्म उत्पादित नहीं की थी।

काजा की प्रबन्ध निकाश ने कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को और निधि न देने का निर्णय लिया अनुसंधान कार्य हेतु 41.04 लाख रु० का मूजान किया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम अभिकरण, के मध्य कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर तथा उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौगाँ (सोहन) को मरुस्थल विकास कार्यक्रम अभिकरण, काजा ने वर्ष 1987-88 तथा 1994-95

विकसित प्रौद्योगिकी उपनाने की व्यवस्था थी।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम नियम परिन्तिका में विभिन्न शीघ्र प्रयोजना संस्थानों द्वारा

(!) शीघ्र कार्यक्रमों पर अनुसंधान व्यय

6.2.7.8 शीघ्र कार्यक्रम

भारत सरकार ने वर्ष 1993 के दौरान मरुस्थल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद रिप्लि क्यूड में शीत मरुस्थल पर पारिस्थितिकी विकास के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन करवाया। फरवरी 1994 में अन्तिम रूप दिए गए अध्ययन प्रतिवेदन ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में

परियोजना समन्वयक ने केवल एक ही निरीक्षण (सितम्बर-अक्टूबर 1994) किया था। द्वारा किए गए निरीक्षणों के ब्यौरे विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। समीक्षाधीन अवधि में निदेशक एवं नियंत्रण की गई थी। वर्ष 1991-92 से 1996-97 के दौरान जिला/क्यूड स्तर के अधिकारियों जानी थी और उसकी सख्ती से अनुपालना की जानी थी। नमूना जांच से पता चला कि निरीक्षण सूची कार्यान्वयन के सभी पहलुओं का अनुश्रवण परिकल्पित था। इस उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण सूची नियंत्रण की मुख्यालयों तथा उपमण्डलों व क्यूड कार्यालयों के अधिकारियों के माध्यम से क्षेत्र संदर्शन द्वारा इस कार्यक्रम में दर्शाए गए क्षेत्रों में कार्यक्रम जिलों व कार्यालयों पर राज्य एवं जिला

6.2.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

नी सितम्बर 1997 तक कोई वसूली नहीं की गई थी। में दिखाई गई थी। यह अधिकारी सितम्बर 1996 में बिहार की स्थानान्तरित कर दिया गया। फिर 1997) कि सितम्बर 1995 में शिमला स्थानान्तरण के समय यह राशि उसके अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र (0.50 लाख रु०) हेतु अदा किए गए थे। परियोजना निदेशक, काजा ने बताया (मई निदेशक, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, काजा की यात्रा अग्रिम (0.65 लाख रु०) तथा अन्य "अनिर्दिष्ट" रु०) से वर्ष 1995-96 के दौरान 1.15 लाख रु० तककी अनिश्चित उपायसूची एवं परियोजना आकस्मिक अग्रिम मई 1997 तक परियोजना निदेशक, काजा द्वारा समाप्त/वसूल नहीं किए गए। मरुमत, यात्रा मन्ता इत्यादि से सम्बन्धित छः अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रदत्त 1.88 लाख रु० के वर्ष 1989-90 तथा 1995-96 के मध्य घुट्टे, लेन एवं स्नेहक, वाहनों की

6.2.8 विविध

में उद्यान एवं वानिकी विधिविधायक को मई 1997 तक निस्तारित नहीं की गई थी। और इन्हें मई 1995 में यावधि जमा राशि के रूप में बैंक में रख दिया। यह राशि प्रतिवेदन के अभाव विधिविधायक, सौजन द्वारा पहले ही व्ययित राशि के प्रति मातृ 1995 में 4 लाख रु० आर्हत किए हुए। इस बीच मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पूरे के परियोजना निदेशक ने उद्यान एवं वानिकी प्रयत्नों से प्राप्त होने थे। लेकिन मई 1997 तक ये प्रतिवेदन परियोजना प्राधिकारियों को प्राप्त नहीं परिलक्षित सौर शोधकों के सकलतापूर्वक चार्ज होने सम्बन्धी प्रतिवेदन जिला उद्यान अधिकारी व एक लाख रु० का न्यूनान कर लिया गया और शोध न्यूनान तब किया जाना था कि जब इस क्षेत्र में लाख रु० मूल्य के 11 सौर शोधक लगाए। जलाई 1993 में उद्यान एवं वानिकी विधिविधायक को वानिकी विधिविधायक, नौगा ने 1991-93 वर्षों में पूरे परियोजना क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में 2.62 परियोजना क्षेत्र में खूबानी, सज्जियों व विलगोजों को सूर्यने के लिए उद्यान एवं

पौधारोपण, पौधशाला, चारा व चरागाह स्कीमों, मत्स्यपालन, शोध क्रियाकलाप के विफल रहने तथा सिंचाई कूहलों के काम न करने जैसी कई कमियां सूचित कीं। प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई थी कि देशी किस्मों की उत्पत्ति पर महत्व दिया जाना चाहिए था जो कि स्थानीय पैदा होती थी तथा जिनकी उच्च परिस्थितिक तथा वाणिज्यिक महत्ता थी, चारा तथा चरागाह विकास स्कीमों जो सफल नहीं हुई थी, को पौधारोपण के अन्तर्गत आवृत्त किया जाना चाहिए था तथा नई सिंचाई स्कीमों के निर्माण के स्थान पर, सभी विद्यमान स्कीमों की मरम्मत तथा पुनःस्थापन किया जाना चाहिए था।

राज्य सरकार ने भी दोनो खण्डों में कार्यक्रम के मूल्यांकन व आकलन के अध्ययन हेतु अगस्त 1994 में एक मूल्यांकन समिति भी गठित की थी। सितम्बर 1995 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी कुछ न्यूनताएं इंगित की थी जैसे पौधारोपण तथा उसकी किस्मों के लिए क्षेत्र का गलत चयन, विभागीय नर्सरियों का अल्पतर संख्या में अनुरक्षण; सिंचाई सुविधाओं के बिना पौधारोपण; लाभार्थियों को भूमि का आबण्टन न करना तथा कूहलों का दोषपूर्ण निर्माण।

समिति ने यह भी अवलोकित किया कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गम्भीर वित्तीय कमियां तथा सिंचाई कूहलों के निष्पादन, चारा फार्म के विकास में त्रुटियां तथा गबन इत्यादि अनियमितताएं थी, जो सरकारी निधियों की अपराधिक व्यर्थता में परिणत हुई। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की अनुसंशा की गई थी।

ये कमियां वर्ष 1990-91 से जारी थी तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल) के माध्यम से इंगित की गई थी, जैसा कि नीचे उल्लिखित किया गया है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पैरा संख्या
1990-91	4.14
1992-93	6.2.2
1993-94	6.2.5
1994-95	4.14
1995-96	6.2(iii)(क) तथा 6.5

इन मूल्यांकन प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर सरकार द्वारा मई 1997 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रामीण विकास) ने बताया (दिसम्बर 1997) कि मूल्यांकन समिति रिपोर्ट की जांच हेतु मई 1997 में वित्तीय आयुक्त एवं सचिव (वन), वित्तीय आयुक्त एवं सचिव (सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य) तथा आयुक्त एवं सचिव (ग्रामीण विकास) को समाविष्ट करके एक टॉस्क फोर्स बनाई गई थी और उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कार्यवाही की जाएगी।

* (1) टी.ग.35 व्यक्त:4.19 लाख रु०,(II) मशीन:35 व्यक्त:3.81 लाख रु०,(III) रजिस्ट्रार:2 व्यक्त:0.16 लाख रु० तथा (IV) विमानपर:5 व्यक्त:0.61 लाख रु०

इन उन्मुखों के विपरीत, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों के परियोजना अधिकारी, किन्नौर (तीन वाहन) तथा हमीरपुर (एक वाहन) ने भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु दी गई निधियों में से भारत 1995 तथा अप्रैल 1996 के मध्य 11.58 लाख रु० मूल्य के चार वाहन खरीदे।

पुनरावृत्ति की।
वाहनों की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया। भारत सरकार ने जनवरी 1993 में इन उन्मुखों की भारत सरकार ने फरवरी 1991 में जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों द्वारा

6.4. जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों द्वारा वाहनों की अनावृत्ति खरीद

(नवम्बर 1997)।
यह मामला सरकार को अप्रैल 1997 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था

यद्यपि सभी खण्ड विकास अधिकारियों ने तथ्यों की पुष्टि की (सितम्बर तथा दिसम्बर 1996), फिर भी खण्ड विकास अधिकारी मशीनरी ने बताया कि वे मूर्खान जिला ग्रामीण विकास अधिकारियों ने अपात्र व्यक्तियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे। ऐसी सहायता प्रदान करने के कारण अभिलेखों में भी नहीं पाए गए।

लाख रुपए की वित्तीय सहायता का मूर्खान किया।
4 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत न आने वाले 77 लोगों को 8.77 * जिला ग्रामीण विकास अधिकरण मण्डल तथा शिमला ने वर्ष 1995-97 के दौरान

15,800 रु० की सहायता प्रदान करने का प्रवधान था।
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर लाभार्थियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए अक्टूबर 1994 में गांधी कृटीर योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों के लिए घरों के निर्माण हेतु प्रत्येक को

6.3. गांधी कृटीर योजना के अन्तर्गत अस्वीकार्य सहायता

हुआ (नवम्बर 1997)।
ये तथ्य जुलाई 1997 में सरकार को सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं

* कृषि: 0.09 लाख रु०; गहन: 0.09 लाख रु०; पशु: 0.23 लाख रु०; तथा विद्युत: 0.35 लाख रु०
 ** बजट: 14; विभागीय: 5; केला: 2 तथा कुल: 38

(ग) सौर ऊष्मा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सौर जलतापी यंत्रों के प्रतिष्ठापन पर प्रत्येक लाभार्थी को 2 हजार रु० का केन्द्रीय उपदान स्वीकार्य था। 1993 से यह उपदान भारत सरकार ने हटा दिया था। यह देखा गया कि वार एकोईत गामीण ऊर्जा कार्यक्रम खण्ड में 59 लाभार्थियों को अक्टूबर 1993 तथा मार्च 1995 के मध्य केन्द्रीय उपदान का भूतान किया गया, जिनके सौर जलतापी यंत्र जून 1993 के पश्चात् एक तथा प्रतिष्ठापित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1.18 लाख रु० का अस्वीकार्य भूतान हुआ। निदेशक, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण ने बताया (जून 1997) कि जून 1993 के पश्चात् उपदान का भूतान नष्ट पड़े करने के लिए किया गया था तथा लाभार्थियों से वसूली करना न तो अभिमत था और न ही

(ख) वार एकोईत गामीण ऊर्जा कार्यक्रम खण्ड में जनवरी 1994 तथा दिसम्बर 1996 के मध्य उपाजित तथा 0.76 लाख रु० मूल्य के विभिन्न क्षमता के सौर जलतापी यंत्र लाभार्थियों द्वारा स्थलों को अन्तिम रूप न देने के कारण मई 1997 तक प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ। निदेशक, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास प्राधिकरण ने यंत्रों के उपप्रतिष्ठापन का कारण परिवर्तन समझाया बताया (जून 1997) तथा यह भी स्पष्ट किया कि यंत्रों के प्रतिष्ठापन हेतु प्रयास किए गए थे। निदेशक हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास प्राधिकरण का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सौर जलतापी यंत्र केवल स्थलों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही खरीदे जाने चाहिए थे।

आधिकांशतः निष्फल रहा। जा सकी। इस प्रकार, सौर जलतापी यंत्रों के प्रतिष्ठापन हेतु किया गया 6.15 लाख रु० का व्यय परियोजना अधिकांशतः नष्ट हुआ (अप्रैल 1996) कि निधियों की कमी के कारण मरम्मत नहीं की जा सकी। इस प्रकार, सौर जलतापी यंत्रों के प्रतिष्ठापन हेतु किया गया 6.15 लाख रु० का व्यय किया गया था तथा दूसरा मौके पर ही अपसृजित कर दिया था। अन्य सौर जलतापी यंत्रों के संबंध में आधिकांशतः, काजा न बताया (अप्रैल 1996) कि एक सौर जलतापी यंत्र अक्टूबर 1995 में विखण्डित महीने में ही बन्द हो गई जबकि उस समय तापमान हिमाक बिन्दु से ऊपर रहता है। परियोजना काजा को निदेश जारी कर दिए गए थे। तथापि, यह देखा गया कि काजा में यह सौर प्रणाली सितम्बर जमाने के कारण घनत्व में ट्यूबों के फटने से सौर जलतापी यंत्रों न कार्य करना बन्द कर दिया। यंत्रों के काजा में पानी, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण ने बताया (जून 1997) कि काजा में पानी खण्ड, काजा में अप्रैल 1989 में प्रतिष्ठापित दो सौर जलतापी यंत्र सितम्बर 1989 में खराब हो गये कारण सितम्बर 1989 तथा जून 1996 में निष्क्रिय हो गये थे। इनमें से एकोईत गामीण ऊर्जा कार्यक्रम सितम्बर 1989 में अप्रैल 1989 में प्रतिष्ठापित दो सौर जलतापी यंत्र सितम्बर 1989 में खराब हो गये

व्यवहारिक रूप से सम्भव था। यह उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि जुलाई 1993 के पश्चात् केन्द्रीय उपदान स्वीकार्य नहीं था।

(घ) अ-परम्परागत ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम में लाभार्थियों से उपदान का समायोजन करने के पश्चात् सौर जलतापी यंत्रों की प्रतिष्ठापन लागत की वसूली का प्रावधान है। यह देखा गया कि वर्ष 1990-97 की अवधि के 13.79 लाख रु० के प्रतिष्ठापन प्रभार 157 लाभार्थियों से मार्च 1997 तक बकाया थे। यद्यपि यह स्वीकार करते हुए कि लाभार्थियों से उन्हें सौर जलतापी यंत्र प्रतिष्ठापन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से केवल बुकिंग राशि ही ली जाती रही, निदेशक, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण ने बताया (जून 1997) कि आगे से आपूर्ति आदेश जारी करने से पहले लाभार्थी अंश की पूर्ण राशि जमा करवा दी जाएगी। 13.79 लाख रु० की वसूली हेतु जून 1997 तक कोई भी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी।

(ii) सौर कुकरों की न्यूनता

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम खण्ड, ठियोग में एक कनिष्ठ अभियन्ता ने अक्टूबर 1994 में अपने स्थानान्तरण के समय 2.01 लाख रु० मूल्य के 251 सौर कुकर कम सौंपे। इसके अतिरिक्त, 1.24 लाख रु० मूल्य के कुल 153 सौर कुकर, परियोजना अधिकारी, कुल्लू द्वारा सितम्बर-अक्टूबर 1994 में किए गए वास्तविक सत्यापन के दौरान कम पाए गए। लेखापरीक्षा में बताए जाने पर इन त्रुटियों की अप्रैल 1997 में छानबीन की गई। जांच अधिकारी ने विस्तृत समाधान का सुझाव दिया (अप्रैल 1997)। जून 1997 तक न तो समाधान किया गया था और न ही दोषियों से कोई वसूली की गई थी। न्यूनता के लिए कोई भी दायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

मामला सरकार को जून 1997 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

वन कृषि एवं संरक्षण विभाग

6.6 प्रशिक्षित विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग न करना

भारत-जर्मन चंगर आर्थिक विकास परियोजना से सम्बद्ध तकनीकी सहयोग हेतु दिसम्बर 1971 में संघीय गणराज्य जर्मनी तथा भारत गणराज्य के मध्य हुए एक अनुबन्ध के अनुसरण में दो सरकारों के मध्य एक विन्यास-प्रबन्ध मई 1994 में पूर्ण किया गया। विन्यास-प्रबन्ध की धाराओं में से एक यह थी कि संघीय गणराज्य जर्मनी भारतीय विशेषज्ञों के लिए एशिया तथा

यूरोप में प्रशिक्षण देगा और उनकी वापसी पर वे परियोजना में नियुक्त किए जाएंगे। प्रशिक्षण पर किया गया व्यय परियोजना के प्रति संघीय गणराज्य जर्मनी के योगदान का हिस्सा होगा।

निदेशक, भारत-जर्मन चंगर आर्थिक विकास परियोजना, पालमपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (जनवरी 1997) कि कृषि विभाग के एक अधिकारी, जिसकी प्रतिनियुक्ति भारत-जर्मन चंगर आर्थिक विकास परियोजना में हुई थी, को संघीय गणराज्य जर्मनी में अक्टूबर-नवम्बर 1995 में लगभग 3 लाख ₹0 व्यय करके कृषि पद्धतियों के विकास पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण की समाप्ति के दो महीने के पश्चात् विन्यास-प्रबन्ध के अनुसार परियोजना में काम करवाने के स्थान पर प्रशिक्षित अधिकारी को उसके मूल विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिया गया (जनवरी 1996)।

इस प्रकार, प्रशिक्षित विशेषज्ञ की सेवाएं अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाई गईं, जिसके कारण सारा व्यय निष्फल रहा।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1997 में भेजा गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

6.7 अनुदान

वन कृषि एवं संरक्षण विभाग ने वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 के मध्य दो संस्थाओं अर्थात् डॉक्टर यशवन्त सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (9.57 करोड़ ₹0- 1992-97) तथा भारत जर्मन चंगर परियोजना, पालमपुर (4 करोड़ ₹0- 1993-96) के 13.57 करोड़ ₹0 के अनुदान संस्वीकृत किए।

संस्वीकृत प्राधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए (मई 1997):

(i) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के लिए अनुदानों के भुगतान को नियमित करने से सम्बन्धित नियमों में यह प्रावधान था कि एक विशेष वित्तीय वर्ष हेतु अनुदान की राशि चार बराबर त्रैमासिक किशतों में इस शर्त के साथ निस्सारित की जाए कि तीन किशतें अलेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आधार पर तथा अन्तिम त्रैमासिक किशत केवल लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर ही जारी की जाए। वर्ष 1994-95 में

ईआ था (नवम्बर 1997)।

वे तब्य जून 1997 में सरकार को संदर्भित किए गए। उनका उत्तर प्राप्त नहीं

(v) वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि अर्जदान के प्रत्येक संस्वीकृति आदेश में उस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए जिसके लिए अर्जदान संस्वीकृत किया जा रहा है। 1993-94 तथा 1995-96 के मध्य डेप्युटी-जर्नल वगैरह परिचोजना, पालमपुर के पक्ष में 4 करोड़ ₹0 के कर्ज अर्जदान उनके उद्देश्यों का उल्लेख किए बिना ही संस्वीकृत किए गए थे।

(iv) डेप्युटी-जर्नल वगैरह प्रोजेक्ट, पालमपुर को दिए जाने वाले अर्जदानों के मूल्यांकन को विनियमित करने वाले नियम जून 1997 तक नहीं बनाए गए थे और 1993-96 के दौरान 4 करोड़ ₹0 की अर्जदान राशि तदर्थ आधार पर संस्वीकृत तथा जारी की गई थी।

सका।
गानिकी विश्वविद्यालय के पक्ष में संस्वीकृत सहायता अर्जदान की प्रयोज्यता की सही जांच नहीं कर काई नहीं किया गया। मूल्यांकन के अभाव में विभाग 1992-93 तथा 1996-97 के मध्य उद्योग एवं केवल मूल्यांकन कार्यों की कार्यसूची पर चर्चा की गई। इसके बाद जून 1997 तक दल द्वारा कोई मूल्यांकन दल ने भारत 1995 में केवल एक ही बैठक आयोजित की जिसमें

(iii) राज्य सरकार द्वारा समर्थित बजट के संदर्भ में उद्योग एवं गानिकी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन दल का गठन (मई 1995) किया गया। इस मूल्यांकन दल ने दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी थी।

(ii) डेप्युटी वगैरह परमार बागवानी एवं गानिकी विश्वविद्यालय, सोलन को विनियमित गानिकी गतिविधियों के अन्तर्गत विशिष्ट योजनाओं जैसे कि अन्वेषण, विकास तथा शिक्षा अनुसंधान हेतु सुविधाओं को उन्नत करना, शिक्षा विस्तार इत्यादि के लिए देय थी। फिर भी वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 के मध्य संस्वीकृति प्राधिकारों की सहमति के बिना ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वित्तपोषित गानिकी परियोजनाओं के निधीयन हेतु 20.55 लाख ₹0 उपवर्तित किए गए।

अर्जदान याही संस्था के पक्ष में 1.83 करोड़ ₹0 के अर्जदान की नियमों के विपरीत वित्तपोषित एवं संचित (वन) द्वारा एक मूल्य में स्वीकृति दी गई (नवम्बर 1994)।

(iv) वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि मातृ महीने में व्यय का आधिक्य नहीं होना चाहिए लेकिन विभाग ने 79.14 लाख रु० (1994-95: 16 लाख रु० अर्थात् 50 प्रतिशत:

प्रतिपादित की जानी थी।

लाख रु० के अर्जदान नवम्बर 1997 तक अपर्याप्त पड़े थे क्योंकि यह परियोजनाएँ अभी तक को राजगार उदित हेतु सिनाई-एव-उत्पादन केन्द्र स्कीम के लिए अपवर्तित कर दिया गया। 17.14 गा० थे। सज्जी मार्केटिंग स्कीम के अर्जदान को मूलपूर्व सेतिकों को 100 विद्यवाओं तथा अन्य आश्रितों (प्रत्याभूति एवसे): 9.94 लाख रु० तथा सज्जी मार्केट: 7.20 लाख रु०) के अर्जदान से स्वीकृत किए पूर्व धन का आहरण भी नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 1995-96 के दौरान 17.14 लाख रु० दिया जाना चाहिए जितना कि वर्ष के दौरान खर्च किए जाने की सम्भावना हो और आवश्यकता से नियम में अपेक्षित है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जदानों का केवल वही अंश

सूचना भी अन्तर्निहित नहीं थी।

(ii) विभिन्न संहिता संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति पर नजर रखने तथा दोहरे भूतान के प्रति निवृत्त करने हेतु अर्जदानों संबंधी अपेक्षित रजिस्ट्रर विहित फार्म में नहीं बनाया गया था और लेखाओं तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति को देय तथा वास्तविक तिथियों के संबंध में पूर्ण

गया था।

(i) हिमाचल प्रदेश मूलपूर्व सेतिक नियम को अर्जदानों के भूतान को विनियमित करने वाले नियम मई 1997 तक नहीं बनाए गए थे और अर्जदानों का भूतान तदर्थ आधार पर ही किया

है (मई 1997):

से स्वीकृति प्राधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट

अर्जदान से स्वीकृत किए।

प्रदेश मूलपूर्व सेतिक नियम हमीरपुर को 1992-93 तथा 1996-97 के मध्य 2.14 करोड़ रु० के सामान्य प्रशासन विभाग ने शेर पूंजी, ब्याज उपदान तथा प्रशासन हेतु हिमाचल

6.8 अर्जदान

1995-96: 28.14 लाख रु० अर्थात् 46 प्रतिशत तथा 1996-97: 35 लाख रु० अर्थात् 50 प्रतिशत) की कुल राशि सम्बद्ध वर्षों के मार्च महीनों में ही संस्वीकृत तथा आहृत की थी।

सरकार को यह मामला जून 1997 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 1997)।

रमाशंकर प्रसाद

शिमला: 1 MAY 1998
दिनांक:

(रमा शंकर प्रसाद)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली: 5 MAY 1998
दिनांक:

विजय शृंगलू
(विजय कृष्ण शृंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

1000000000

1000000000

परिशिष्ट



परिशिष्ट- 1
(पृष्ठ 33 पर परिच्छेद 2.2.1 में संदर्भित)
अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले

क्रमांक	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोग की राशि			
		मूल	पूरक	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
(करोड़ रुपए)					
राजस्व-वत्तमत					
1.	4- सामान्य प्रशासन	137.94	10.96	135.41	(-)13.49
2.	11-कृषि	70.23	1.58	69.23	(-) 2.58
3.	13- भू एवं जल संरक्षण	18.22	1.53	16.57	(-) 3.18
4.	15-मत्स्य पालन	2.71	0.02	2.68	(-) 0.05
5.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	45.58	0.13	44.68	(-) 1.03
6.	20-ग्रामीण विकास	68.03	0.82	63.21	(-) 5.64
पूंजीगत-वत्तमत					
7.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8.96	0.76	7.57	(-) 2.15

परिशिष्ट-II

(पृष्ठ 37 पर परिच्छेद 2.2.3 में संदर्भित)

निधियों का अभ्यर्पण

उन मुख्य भिन्नताओं का विवरण जहां बचतें एक करोड़ रुपये से भी अधिक थीं परन्तु पूर्णतः अभ्यर्पित नहीं की गई थीं

क्रमांक	अनुदान	कुल बचतें	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि	प्रतिशतता
(क र ो ड र ु प ए)					
राजस्व-वत्तमत					
1.	4-सामान्य प्रशासन	13.49	6.49	7.00	52
2.	11-कृषि	2.58	1.36	1.22	47
3.	20-ग्रामीण विकास	5.63	4.09	1.54	27
पूंजीगत-वत्तमत					
4.	30-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	1.15	0.46	0.69	60

परिशिष्ट-III

(पृष्ठ 40 पर परिच्छेद 2.2.6 में संदर्भित)

वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं

वसूलियों तथा व्यय में कटौती के रूप में समायोजित वास्तविक राशियों में मुख्य भिन्नताओं का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बजट प्राक्कलन	वास्तविक वसूलियां	भिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता

(क र ो इ र ु प ए)

बजट प्राक्कलनों के प्रति अत्यधिक वसूलियां

राजस्व					
1.	10-लोकनिर्माण कार्य	73.26	113.90	40.64	55
2.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	18.79	23.25	4.46	24
3.	28-जल, आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	27.75	36.67	8.92	32
4.	31-जनजातीय विकास	6.80	17.68	10.88	160
पूंजीगत					
5.	11-कृषि	11.10	14.04	2.94	26

परिशिष्ट-IV

(पृष्ठ 41 पर परिच्छेद 2.2.7 में संदर्भित)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले

i. मुख्य पुनर्विनियोजन के वे मामले जो अप्रयुक्त के कारण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुए

क्रमांक	अनुदान	लेखे के मुख्य/लघु/ उप-शीर्ष आदि	उप शीर्ष को पुन- विनियोजन राशि (ला ख	पुनर्विनियोजन के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत राशि रु प ए)
1.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2202-102-01	7.98	20.05
2.	10-लोकनिर्माण कार्य	4059-051-03	6.63	20.91
3.	11-कृषि	2401-111-04	4.39	5.22
4.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	2235-01-110-01 2235-200-02	15.00 11.37	15.01 11.37
5.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2217-191-08 2217-191-08 2217-191-37 6216-80-201-01	25.37 1.33 64.57 67.87	40.37 12.01 112.70 68.37
6.	31-जनजातीय विकास	2075-796-02 2202-01-796-01 2403-796-02 6216-80-796-01 6216-80-796-02	30.10 1.30 3.88 2.63 1.41	30.10 12.74 6.98 4.40 2.39

II. अन्य शीर्षों को किए गए मुख्य पुनर्विनियोजन के वे मामले जो निम्नलिखित उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य में परिणत हुए:-

क्रमांक	अनुदान	लेखे के मुख्य/लघु/ उप-शीर्ष आदि	उप शीर्ष को पुनर्विनियोजन की राशि	पुनर्विनियोजन के पश्चात उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य की राशि
(ला ख रु प ए)				
1.	4-सामान्य प्रशासन	2053-101-01	4.12	4.56
2.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति	2202-101-01	30.96	94.77
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-103-01 2210-104-01	33.00 1.42	38.78 32.53
4.	10-लोकनिर्माण कार्य	2059-80-001-01	10.00	31.91
5.	11-कृषि	2401-001-01 2401-800-03	3.63 15.52	6.90 21.22
6.	17-सड़के तथा पुल	5054-80-001-01	6.53	23.55
7.	18-आपूर्तियां, उद्योग तथा खनिज	2852-80-001-01	3.99	4.99
8.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	2235-60-101-02	48.00	92.73
9.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2215-191-01 2217-80-191-22 4216-01-106-01	4.15 17.33 1.70	51.00 333.36 2.40
10.	31-जनजातीय विकास	2408-01-796-03 5452-80-796-01 6215-796-01	2.25 24.50 1.00	5.20 96.61 1.00

परिशिष्ट -V
[पृष्ठ 65 पर परिच्छेद 3.1.5.2(घ) में संदर्भित]
अप्रयुक्त प्रावधानों को दशनि वाले ब्यौरे

क्रमांक	लेखाशीर्ष	किया गया प्रावधान (लाख रुपए)	विभाग द्वारा बताए गए सहायी कारण
1994-95			
1.	2851-102-04 दुकानों की बिक्री पर प्रोत्साहन	0.03	दावों की अप्राप्ति
2.	2851-103-06 हथकरघा उद्योगों का आधुनिकीकरण	2.00	मांग की अप्राप्ति
3.	2851-103-07 बुनकर सहकारी समितियों को न्यूनतम उपदान	1.01	मांग की अप्राप्ति
4.	2851-103-08 मितव्ययिता निधि	1.00	मांग की कम प्राप्ति
5.	2851-103-15 हथकरघा विकास केन्द्रों को भौगोलिक सूचना प्रणाली	1.00	मांग/दावों की कम प्राप्ति
6.	2852-80-001-02 बॉयलरों के निरीक्षणालय का गठन	1.00	योजना सीमांकन में की गई कटौती
7.	2852-80-800-05 पर्यावरण परिचालन	10.00	दावों/मांग की अप्राप्ति
8.	6851-103-02 हथकरघा उद्योगों का आधुनिकीकरण	2.00	मांग की अप्राप्ति
1995-96			
9.	2851-103-06 हथकरघा उद्योगों का आधुनिकीकरण	2.00	मांग की अप्राप्ति
10.	2851-103-08 मितव्ययिता निधि	1.00	मांग की अप्राप्ति
11.	2851-103-15 हथकरघा विकास केन्द्रों को भौगोलिक सूचना प्रणाली	1.00	मांग की अप्राप्ति
12.	6851-102-04 जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत ऋण	2.00	उद्यमियों से ऋणों की कम मांग
13.	6851-103-02 हथकरघा उद्योगों का आधुनिकीकरण	2.00	मांग की अप्राप्ति
14.	6851-200-01 उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण	200.00	उद्यमियों से ऋण की कम मांग
1996-97			
15.	2851-102-14 निर्यात वर्धन परिषद का गठन	13.00	लाभार्थियों से कम मांग
16.	2851-103-06 हथकरघा उद्योगों का आधुनिकीकरण	0.50	मांग की अप्राप्ति
17.	2851-103-08 मितव्ययिता निधि	0.50	मांग की अप्राप्ति
18.	2851-103-15 हथकरघा विकास केन्द्रों को भौगोलिक सूचना प्रणाली	0.25	मांग की अप्राप्ति
19.	6851-103-02 हथकरघा उद्योगों का आधुनिकीकरण	0.50	मांग की अप्राप्ति
20.	6851-200-01 उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण	100.00	लाभार्थियों से कम मांग
जोड़		340.79	

वर्ष	प्रक. का नाम	कार्य-कल्प का नाम	किंच नए कार्य की मात्रा	वार्षिक व्यय	किंचा जाने वाला व्यय	अधिक राशि
1991-92 से	(क) बागवानी	(1) वृक्षपौधों का बागवानी	74.00 हेक्टेयर	8.56	7.26	1.30
1996-97	प्रदर्शन	वृक्षपौधों का बागवानी	112.00 हेक्टेयर	1.70	0.98	0.72
	(अनुसूचना)	(II) सीमान्त भूमि का	136.00 हेक्टेयर	2.07	1.05	1.02
		वृक्षपौधों का बागवानी				
		परिवर्तन				
	(ख) कृषि	कृषि योग्य भूमि	1166.00 हेक्टेयर	11.69	9.89	1.80
		(III) सीढ़ीनुमा खेतों की				
		मरम्मत/शाकाहारी प्रखरन				
		शाकाहारी क्षेत्र सीमाएं	514.05 हेक्टेयर	8.58	4.45	4.13

वर्ष	प्रक. का नाम	कार्य-कल्प का नाम	किंच नए कार्य की मात्रा	वार्षिक व्यय	किंचा जाने वाला व्यय	अधिक राशि
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

(तालिका क्रम में)

परिशिष्ट-VI
 (पृष्ठ 119 पर परिच्छेद 3.9.9 (ख) में संशोधित)
 बागवानी प्रकल्पों से अधिक विस्तारित कार्य-कल्पों पर अतिरिक्त व्यय

वर्ष	घटक का नाम	कार्य-कलाप का नाम	क्रिए गए कार्य की मात्रा	वास्तविक व्यय	क्रिया जाने वाला व्यय	अधिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
					(लाख रुपए में)	
		(iv) शाकाहारी क्षेत्र सीमाएं (अनुरक्षण)	218.00 हेक्टेयर	0.33	0.30	0.03
		(v) फार्म चारा पर उत्पादन	200.00 हेक्टेयर	2.08	1.20	0.88
		(vi) अनाज संग्रहण पीपे	140 न०	0.62	0.30	0.32
	(ग) पशु पालन	संपूरक पोषण				
		(vii) लेट गर्भावस्था राशन	505 न०	3.43	1.31	2.12
		(viii) बछड़ियों पैदा करवाना	358 न०	10.07	7.52	2.55
		(ix) छोटी दुकानों का निर्माण	92 न०	1.33	1.10	0.23
		(x) छोटी दुकानों की पुनः स्थापना	95 न०	0.31	0.25	0.06
	(घ) वन	(क) अकृष्य भूमि (निजी)				
		(xi) चरागाह विकास	444.00 हेक्टेयर	6.51	4.64	1.87
		(xii) वनरोपण	474.00 हेक्टेयर	45.02	33.26	11.76
		(xiii) वनरोपण (अनुरक्षण)	321.50 हेक्टेयर	5.07	3.72	1.35

वर्ष	घटक का नाम	कार्य-कलाप का नाम	किए गए कार्य की मात्रा	वास्तविक व्यय	किया जाने वाला व्यय	अधिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
					(लाख रुपए में)	
		(xiv) वानस्पतिक झाड़ी रोध	221.00 हेक्टेयर	6.00	4.74	1.26
		(xv) वन्य चरागाह	10.00 हेक्टेयर	0.65	0.50	0.15
		वन्य चरागाह (अनुरक्षण)	----	0.22	---	0.22
		(ख) आम गाँव भूमि				
		(xvi) वानस्पतिक झाड़ी रोध	48.00 हेक्टेयर	1.21	0.95	0.26
		लकड़ी के चट्टे(अनुरक्षण)	---	0.03	---	0.03
		(xvii) वन रोपण	12.00 हेक्टेयर	0.86	0.77	0.09
		(ग) वन भूमि				
		(xviii) वन रोपण	377.00 हेक्टेयर	29.99	29.41	0.58
		वन रोपण(अनुरक्षण)	----	0.65	---	0.65
		(xix) पौधशाला का निर्माण	3 न०	4.80	2.20	2.60
		(घ) विकास जल लाइन नाली				
		स्थायीकरण				
		(xx) शुष्क पत्थर ढाँचे	3463.04 घनमीटर	8.28	4.16	4.12

वर्ष	घटक का नाम	कार्य-कलाप का नाम	किए गए कार्य की मात्रा	वास्तविक व्यय	किया जाने वाला व्यय	अधिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
					(लाख रुपए में)	
		(xxi) मिट्टी के अपवाह डैम	5 न०	7.10	4.30	2.80
		(xxii) झाड़-झंझाड़ चेक डैम	11848 प्रवाही मीटर	1.66	0.89	0.77
		(ड.) नदी किनारों का बचाव				
		(xxiii) क्रेटवाइज ढांचे	6130.17 घनमीटर	32.09	22.19	9.90
		(xxiv) लाईन बाड़ा रचना	19546 प्रवाही मीटर	3.37	2.68	0.69
		(xxv) सड़क के किनारों का भू-कटाव नियंत्रण	5048 प्रवाही मीटर	3.87	3.16	0.71
			जोड़	208.17	153.18	54.97

परिशिष्ट-VII

[पृष्ठ 164 पर परिच्छेद 3.18 में सन्दर्भित]

कार्यान्वयन हेतु बकाया पड़ी लोक लेखा समिति की सिफारिशों का विवरण

(क) मूल सिफारिशें

क्रमांक	विभाग का नाम	प्रस्तुतीकरण का वर्ष	लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन	सिफारिशों की संख्या
1.	लोक निर्माण	1985-86	50वीं (6वीं विधान सभा)	16
		1986-87	97वीं (6वीं विधान सभा)	18
		1986-87	112वीं (6वीं विधान सभा)	34
		1994-95	83वीं (8वीं विधान सभा)	17
2.	राज्यपाल सचिवालय	1986-87	81वीं (6वीं विधान सभा)	1
3.	वन	1988-89	210वीं (6वीं विधान सभा)	16
		1994-95	54वीं (8वीं विधान सभा)	1
		1994-95	82वीं (8वीं विधान सभा)	10
		1995-96	161वीं (8वीं विधान सभा)	19
4.	परिवहन	1989-90	246वीं (6वीं विधान सभा)	1
		1995-96	160वीं (8वीं विधान सभा)	2
5.	उच्च न्यायालय	1990-91	31वीं (7वीं विधान सभा)	8
6.	गृह	1991-92	84वीं (7वीं विधान सभा)	6
		1994-95	16वीं (8वीं विधान सभा)	1
		1995-96	162 वीं (8वीं विधान सभा)	3
7.	साद्य एवं आपूर्ति	1992-93	99वीं (7वीं विधान सभा)	2
		1995-96	132वीं (8वीं विधान सभा)	1
		1995-96	168वीं (8वीं विधान सभा)	3
8.	वित्त	1994-95	4 वीं (8वीं विधान सभा)	4
		1995-96	133 वीं (8वीं विधान सभा)	4
		1995-96	159वीं (8वीं विधान सभा)	3
		1995-96	182 वीं (8वीं विधान सभा)	10
9.	जनजातीय विकास	1994-95	11 वीं (8वीं विधान सभा)	2
10.	आयुर्वेद	1994-95	23 वीं (8वीं विधान सभा)	2
11.	सहकारिता	1994-95	24वीं (8वीं विधान सभा)	2
		1995-96	158वीं (8वीं विधान सभा)	6
12.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1994-95	34 वीं (8वीं विधान सभा)	8
13.	ग्रामीण विकास	1994-95	53वीं (8वीं विधान सभा)	3
		1995-96	139 वीं (8वीं विधान सभा)	2

क्रमांक	विभाग का नाम	प्रस्तुतीकरण का वर्ष	लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन	सिफारिशों की संख्या
14.	मत्स्य पालन	1994-95	54 वीं (8वीं विधान सभा)	1
		1995-96	174वीं (8वीं विधान सभा)	4
15.	सचिवालय प्रशासन	1994-95	63 वीं (8वीं विधान सभा)	1
16.	शिक्षा	1995-96	97वीं (8वीं विधान सभा)	5
		1995-96	103वीं (8वीं विधान सभा)	5
17.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1995-96	105वीं (8वीं विधान सभा)	1
		1995-96	106वीं (8वीं विधान सभा)	1
18.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1995-96	126वीं (8वीं विधान सभा)	4
		1995-96	141वीं (8वीं विधान सभा)	10
		1995-96	183वीं (8वीं विधान सभा)	10
		1995-96	184वीं (8वीं विधान सभा)	10
19.	पशु पालन	1995-96	150वीं (8वीं विधान सभा)	8
20.	पर्यटन	1995-96	152वीं (8वीं विधान सभा)	2
		1995-96	153वीं (8वीं विधान सभा)	2
21.	सामान्य प्रशासन	1995-96	166वीं (8वीं विधान सभा)	5
22.	लोक सम्पर्क	1995-96	169वीं (8वीं विधान सभा)	2
23.	उद्यान	1995-96	170वीं (8वीं विधान सभा)	1
		1995-96	171वीं (8वीं विधान सभा)	3
24.	कृषि	1995-96	175वीं (8वीं विधान सभा)	15
25.	महिला एवं समाज कल्याण	1995-96	177वीं (8वीं विधान सभा)	4
			जोड़	299

(ख)

कार्यवाही प्रतिवेदनों पर सिफारिशें

क्रमांक	विभाग का नाम	प्रस्तुतीकरण का वर्ष	लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन	सिफारिशों की संख्या
1.	लोक निर्माण	1985-86	7वीं (6वीं विधान सभा)	11
		1990-91	37वीं (7वीं विधान सभा)	20
		1995-96	117वीं (8वीं विधान सभा)	7
		1995-96	124वीं (8वीं विधान सभा)	10
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1987-88	157वीं (6वीं विधान सभा)	8
3.	वन	1991-92	51वीं (7वीं विधान सभा)	2
		1994-95	67वीं (8वीं विधान सभा)	1
4.	वित्त	1991-92	71वीं (7वीं विधान सभा)	5
		1991-92	73वीं (7वीं विधान सभा)	2
		1995-96	92वीं (7वीं विधान सभा)	1
5.	नगर एवं ग्रामीण योजना	1992-93	92वीं (7वीं विधान सभा)	2
6.	उद्यान	1992-93	106वीं (7वीं विधान सभा)	1
		1992-93	114वीं (7वीं विधान सभा)	10
7.	पशुपालन	1992-93	113वीं (7वीं विधान सभा)	4
8.	गृह	1992-93	117वीं (7वीं विधान सभा)	1
9.	कृषि	1994-95	78वीं (8वीं विधान सभा)	3
10.	राज्यपाल सचिवालय	1994-95	87वीं (8वीं विधान सभा)	1
11.	राजस्व	1994-95	90वीं (8वीं विधान सभा)	3
12.	स्वाद्य एवं आपूर्ति	1995-96	115वीं (8वीं विधान सभा)	1
13.	शिक्षा	1995-96	120वीं (8वीं विधान सभा)	5
		1995-96	121वीं (8वीं विधान सभा)	3
14.	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	1995-96	125वीं (8वीं विधान सभा)	4
15.	मत्स्य	1995-96	146वीं (8वीं विधान सभा)	2
जोड़				107

परिशिष्ट -X

(पृष्ठ 211 पर परिच्छेद 4.21 में सन्दर्भित)

निजी भूमि तथा अन्य कारणों से ठप्प पड़े सड़क निर्माणकार्य को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	मण्डल का नाम	सड़क का नाम	प्र0/अ0 तथा अ0/स0 के ब्यौरे मास व वर्ष	राशि	पूर्णता की अवधि	आरम्भ करने की तिथि	तिथि जब से कार्य ठप्प पड़े	मार्च 1997 तक विलम्ब (मास में)	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)
(लाख रुपए में)									
1.	वैजनाथ	(i) जंदपुर-नाउरी नवम्बर 1986 झीखली पंखाद, पपरोला सड़क (0/0 से 2/450 किमी)	10.90	3	मार्च 1986	जून 1994	96	3.46	
		(ii) पट्टी डोहाल दिसम्बर 1988 सड़क (0/0 से 1/250 किमी)	4.36	2	अप्रैल 1991	जनवरी 1994	47	1.91	
2.	सलूणी	(i) सुन्दला जिजिडू जून 1987 से गांव चुडरा को सम्पर्क सड़क (0/0 से 2/500 किमी)	4.77	नहीं दर्शाए	1987-88	जुलाई 1995	21	4.39 (जुलाई 1995 से संगणित)	
		(ii) मनी-चरगाँव मई 1997 सड़क (0/0 से 10/0 किमी)	3.41	2	अप्रैल 1978	1992	203	1.97	
3.	भरमौर	सुराही उरना गरौदा मार्च 1983 जीप योग्य सड़क (0/0 से 32/0 किमी)	22.82	नहीं दर्शाए	जुलाई 1985	मार्च 1994	36	3.70 (मार्च 1994 से संगणित)	

परिशिष्ट -XI

(पृष्ठ 227 पर परिच्छेद 6.1 (ग) में सन्दर्भित)

उन निकायों तथा प्राधिकरणों के नामों को दर्शाने वाले विवरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष जिनके लेखे प्रतीक्षित थे	1996-97 के दौरान की अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
ग्रामीण विकास विभाग			
1.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, शिमला	1996-97	3.57
2.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, सोलन	1996-97	2.88
3.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, बिलासपुर	1996-97	3.14
4.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, मण्डी	1996-97	6.09
5.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, कुल्लू	1996-97	1.76
6.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, किन्नौर	1996-97	0.76
7.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, कांगड़ा	1996-97	6.35
8.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, केलांग	1996-97	0.52
9.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, चम्बा	1996-97	2.47
10.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, ऊना	1996-97	3.44
11.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, नाहन	1996-97	2.13
12.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, हमीरपुर	1996-97	2.14
शिक्षा			
13.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1993-94 से 1996-97	11.92
14.	एस वी एस महा विद्यालय, भटौली	1996-97	0.56

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष तिनके लेखे	प्रतीक्षित थे	दौरान की अनुदान राशि	(करेंडें रूपे में)
15.	डी ए वी महा विद्यालय, कांगडा	1996-97	0.70		
16.	एम एन एम महा विद्यालय, सुन्दरनगर	1996-97	0.52		
17.	जी जी डी एम डी महा विद्यालय, बेजनाथ	1996-97	0.67		
18.	सेंट वीट्स महा विद्यालय, शिमला	1996-97	0.55		
19.	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला	1996-97	0.29		
20.	भाषा, कला एवं संस्कृति अकादमी भाषा, कला एवं संस्कृत	1996-97	0.75		
21.	हिमाचल प्रदेश सामाजिक कल्याण परामर्श बोर्ड, शिमला समाज एवं महिला कल्याण विभाग	1996-97	1.62		
22.	हिमाचल प्रदेश शिक्षा कल्याण कॉमिशन, शिमला	1996-97	0.82		
23.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति विभाग, शिमला	1996-97	2.32		
24.	सामाजिक प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश मंत्रालय सैनिक विभाग, कमीरपुर	1995-96	0.66		
25.	कृषि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर	1994-95	15.26		
26.	हिमाचल प्रदेश विधान बोर्ड, शिमला	1995-96			
		1996-97			
		और			
		1996-97			
		से			
		1996-97			
		और			
		1996-97			
		उपलब्ध नहीं			

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष जिनके लेखे प्रतीक्षित थे	1996-97 के दौरान की अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
	वन खेती एवं संरक्षण		
27.	इण्डो जर्मन चगंर परियोजना, पालमपुर उद्यान	1996-97	उपलब्ध नहीं
28.	डॉ वाइ.एस. परमार उद्यान एवं वानिकी विश्व विद्यालय, सोलन	1995-96 और 1996-97	11.42
	सहकारिता		
29.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोगता संघ, शिमला	1993-94 से 1996-97	उपलब्ध नहीं
30.	हिमाचल प्रदेश सहकारी संघ, शिमला	1993-94 से 1996-97	0.47
	मतस्य		
31.	मतस्य कृषक विकास एजेंसी, बिलांसपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1995-96	उपलब्ध नहीं
32.	हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण बोर्ड, शिमला	1994-95 से 1996-97	0.90
33.	हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा विकास, एजेंसी, शिमला	1994-95 से 1996-97	उपलब्ध नहीं

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष निकाले लेखे	प्रतीक्षित थे	दीर्घान की अनुदान राशि	(करोड़ रुपए में)	उपलब्ध नहीं
34.	ग्राम एवं नगर बीजना	हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला	1996-97		0.26	
35.	कार्तिक	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, मशीबरा में	1996-97		0.26	
36.	आवास	उपस्था अख्यान केन्द्र				
36.	हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला	1996-97			0.68	
37.	हिमाचल प्रदेश सहकारी दूध संघ, शिमला	1995-96 और			2.80	
	शहरी विकास					
38.	नगर निगम, शिमला	1995-96 और			3.95	
39.	नगर समिति, यन्वा	1996-97			0.77	
40.	नगर समिति, कुल्ब	1996-97			0.35	
41.	नगर समिति, धर्मशाखा	1996-97			0.53	
42.	नगर समिति, मण्डी	1996-97			0.87	
43.	नगर समिति, सुन्दरनगर	1996-97			0.36	
44.	नगर समिति, सोलन	1996-97			0.49	
45.	नगर समिति, नाहन	1996-97			0.35	
46.	नगर पंचायत, सुनी	1996-97			0.40	
47.	नगर पंचायत, ज्वालामुखी	1996-97			0.40	
						96.89

जोड़

H.P.G.P., Shimla--1349/Ag/98--28.4.98--750 copies

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी प्रति)

क्रमांक	पृष्ठ/परिच्छेद का सन्दर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
1.	पृष्ठ 257 परिशिष्ट I	33	39
2.	पृष्ठ 258	37	43
3.	पृष्ठ 259 परिशिष्ट III	40	46
4.	पृष्ठ 260 परिशिष्ट IV	41	47

